अष्टम माला, खंड 15, अंक 29

सोमवार, 7 अप्रैल, 1986
17 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक [illegible] से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। इसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 29, सोमवार, 7 अप्रैल, 1986/17 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 576, 577, 581, 583, 584, 586 और 588	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—212
तारांकित प्रश्न संख्या : 578, 580, 582, 585, 587 और 589 से 596	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5492 से 5513, 5515 से 5531, और 5533 से 5659	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	212—214
लोक लेखा समिति	214
29वां तथा 39वां प्रतिवेदन	214
एच०बी०जे० गैस पाइपलाइन का ठेका देने के बारे में वक्तव्य	214—216
नियम 377 के अधीन मामले	216—220
(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बायो गैस संयंत्रों की अविलम्ब	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
	स्थापना के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनकूराम सोढी	216
(दो)	नर्सों, कम्पाउन्डरों, ड्राइवरों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए देश के प्रत्येक पिछड़े जिले में एक संस्थान खोलने की आवश्यकता	
	श्री आई० रामा राय	216
(तीन)	भारत वैगन कंपनी, मुजफ्फरपुर, बिहार को पश्चिम बंगाल के एक रुग्ण औद्योगिक एकक के साथ मिलाने के प्रस्ताव को समाप्त करने की आवश्यकता	
	श्री राम श्रेष्ठ खिरहर	217
(चार)	केरल के सम्पूर्ण मालाबार क्षेत्र को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	217
(पांच)	देश में बाल श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए अविलम्ब कदम उठाने की आवश्यकता	
	श्री मदन पांडे	218
(छः)	शक्ति चालित हलों के सभी पुर्जों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी० कुलनदईवेलू	218
(सात)	बिहार राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु वहां एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता	
	डा० सी० पी० ठाकुर	219
(आठ)	दूरदर्शन के नेटवर्क कार्यक्रम में तेलुगु कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता	
	श्री जी० भूपति	219

विषय				पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87 —(जारी)	...	...		220—324
ऊर्जा मन्त्रालय—(जारी)				
श्री मोतीलाल सिंह	...	...	...	220
श्रीमती बसवराजेश्वरी	...	...	...	222
श्री शरत देव	...	...	...	226
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	...	...	...	229
श्री भोलानाथ सेन	...	...	...	233
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	...	...	233
श्री सी० पी० ठाकुर	...	...	...	240
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	...	...	...	243
श्री के० जी० अदियोडी	...		...	245
श्री मूलचन्द डागा	...	...	...	246
श्री पीयूष तिरकी	...	...	...	249
श्री जनकराज गुप्त	...	...	...	250
श्री उमाकांत मिश्र	...	...	...	252
श्री वसंत साठे	...	...	...	273
अनुदानों की मांगें—(सामान्य), 1986-87—(जारी)	...	...		295
रक्षा मन्त्रालय				
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	...	...	...	275
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	...	...	281
श्री दिलीप सिंह भूरिया	...	...	...	289
श्री सुखराम	...	...	...	291
श्री अमलदत्त	...	...	...	302
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	...	...	...	310
श्री अरुण सिंह	...	...	...	314

लोक सभा

सोमवार, 7 अप्रैल, 1986/17 चैत्र 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपने पुराने साथियों सर्वश्री ललित कुमार डोले तथा सी० कृष्णन नायर के निधन की सूचना सभा को देते हुए दुःख हो रहा है।

श्री ललित कुमार डोले 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे और वह असम के लखीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। इससे पूर्व 1957 तथा 1962 में वह असम विधान सभा के सदस्य रहे। असम राज्य में उन्होंने संसदीय सचिव तथा मंत्रिपरिषद् में उपमन्त्री के रूप में कार्य किया।

वह एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए सक्रिय कार्य किया। कृषि की उन्नति में भी उन्होंने गहरी रुचि ली।

श्री डोले का निधन 16 मार्च, 1986 को 59 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री सी० कृष्णन नायर 1952-57 तथा 1957-62 के दौरान पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उनका निर्वाचन क्षेत्र बाह्य दिल्ली था।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री नायर ने युवावस्था से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में डांडी मार्च में भाग लिया तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और कई वर्ष जेल में रहे।

एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नायर ने समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण में गहरी रुचि ली।

वह दिल्ली विकास बोर्ड के सदस्य होने के साथ-साथ टैक्सटाइल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी रहे। वह राजधानी की अनेक कल्याणकारी तथा प्रशासनिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री नायर का निधन दिल्ली में 5 अप्रैल, 1986 को 84 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन इनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदन के सदस्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रो० के०के० तिवारी : महोदय, चार्ल्स शोभराज को बम्बई से गिरफ्तार किया गया है। यद्यपि हम इस बात पर सरकार को बधाई देते हैं, तो भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गृह मन्त्री को सदन में वक्तव्य देने का निदेश दें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर कारखाने का विस्तार-कार्यक्रम

*576. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
श्री सत्यगोपाल मिश्र
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर कारखाने के विस्तार-कार्यक्रम को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है और उसका काम प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के दुर्गापुर एकक का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के दुर्गापुर एकक का विस्तार का 1977 में निर्णय लिया गया और यह काम दिसम्बर 1985 तक पूरा होना था ? यदि हां, तो इस संयंत्र के विस्तार का क्या कार्यक्रम है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या यह सच है कि हालांकि फैक्ट्री के पास 3.05 लाख टन यूरिया निर्मित की लाइसेंस क्षमता है 1984-85 के दौरान इसमें केवल 1.25 लाख टन यूरिया ही निर्मित किया गया ? यदि हां, तो ऐसे खराब कार्य-निष्पादन के क्या कारण है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह संयंत्र शुरू से ही अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा है और इसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना है ।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान की स्थापना

577. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की जाए; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है । संस्थान के स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने जा रही है किन्तु मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास भारत में ऐसा संस्थान स्थापित करने हेतु समुचित प्रोद्योगिकी हैं अथवा प्रोद्योगिकी का बाहर में आयात किया जा रहा है, और यदि ऐसा है तो किस देश से ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, आज भी विभिन्न प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान आपदा प्रबन्ध का प्रशिक्षण दे रहे है किन्तु वह पूरा प्रशिक्षक नहीं है । हम एक ऐसा संस्थान बनाना चाहते हैं जो कि हमारे लोगों को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूचाल, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि में आपदा प्रबन्ध सिखा सकें ।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या इसमें तेलगू देशम आपदा भी शामिल है ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : नहीं इसमें कांग्रेस आपदा शामिल है । महोदय हैदराबाद आंध्र प्रदेश के बीचों बीच स्थित है जहां पर अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जैसे कि आई० सी०आर०आई०एस० ए० टी०, सी०आर०आई०डी०आई०, एन०आई०आर०डी० विश्वविद्यालय संस्थान तथा अन्य कई । अत: वहां पर आपदा प्रबन्ध के लिए काफी सम्मग्री है । आंध्र प्रदेश बाढ़ और तूफान आ चुके हैं और सूखा भी पड़ा है । इसलिए आंध्र प्रदेश में प्रचुर सामग्री उपलब्ध होगी । अत: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सभी सुविधाओं के हैदराबाद में उपलब्ध होने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या वे प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान हैदराबाद में स्थापित करेंगे और क्या चालू वित वर्ष में इस संस्थान के लिए कोई आवंटन किया गया है, यदि हां, तो कितना ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, अन्य भी कई राज्य हैं जो इस संस्थान की स्थापना के

लिए दावा करते हैं। इसी प्रकार के दावे अन्य राज्यों से भी किए गए हैं। मेरे पास गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों के भी पत्र हैं। अत: हमने स्थान का निर्णय करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। यह समिति इन सभी पहलुओं पर विचार करके स्थान के संबंध में निर्णय करेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा: महोदय, ऐसे संस्थान की आवश्यकता न केवल आपदा प्रबन्ध के लिए ही है अपितु विभिन्न राज्यों में एवं कष्ट भोग रहे लोगों को राहत पुनर्वास तथा पुर्ननिर्माण के लिए भी है। इसलिए प्रत्येक राज्य में ऐसा एक संस्थान होना कोई बुरी बात न होगी और इन सबके लिए एक केन्द्रीय संस्थान भी होना चाहिए। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ वर्षों पहले जब बाबू जगजीवन राम जी खाद्य मन्त्री थे तो हममें से कुछ लोगों के प्रस्ताव पर एफ०ओ० द्वारा एक एमरजेंसी काउंसिल नियुक्त की गई थी। न केवल ऐसे संस्थान होने चाहिए अपितु विश्व स्तर पर तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बीमा निधि भी होनी चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, माननीय सदस्य श्री रेड्डी के प्रश्न के एक भाग का उत्तर देना ही मैं भूल गया। 1986-87 के लिये 25 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

जहां तक माननीय सदस्य श्री रंगा जी के प्रश्न का संबंध है, वह इस प्रश्न से नहीं उठता। यह मामला बिल्कुल ही भिन्न है : किन्तु मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि हाल ही में राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में इस विपत्ति में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई थी। एक पहलू था राज्य सरकारों और निम्न संगठनों के लिये मानदण्ड निर्धारित करना, आवोहवा संबंधी स्थिति तथा प्रत्याशित तूफान आदि के सम्बन्ध में मानदण्ड में परिवर्तन करना तथा सूचना प्रसारित करना। इसके लिये हमने विभिन्न कार्यकारी ग्रुप नियुक्त किये हैं। एक कार्यकारी ग्रुप बाढ़, तूफान आदि जैसी विपत्ति के लिये ज्ञापन तैयार करने तथा दूसरा कार्यकारी ग्रुप सूखे के लिए नियुक्त किया गया है। सूचना देने के लिए पृथक कार्यकारी ग्रुप है। जहां तक प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की संस्था की स्थापना करने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यगण जानते हैं कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है तथा देश में इस प्रकार की एक संस्थान भी स्थापित करना बहुत कठिन है। उसमें भी समय लगेगा। इसलिए इस इस समय प्रत्येक राज्य में संस्थान स्थापित करने के बारे में कहना बहुत कठिन है।

प्रो० एन० जी० रंगा : धन्यवाद।

श्री चिंतामणि जेना : उन्होंने ऐसे तीन राज्यों का उल्लेख किया है जिन्होंने इस प्रकार के संस्थान स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने गुजरात का भी नाम लिया है। अन्य किन-किन राज्यों ने अपने राज्य में इस प्रकार के संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया है ? मंत्री महोदय बता चुके हैं कि एक समिति गठित कर दी गई है और वह समिति विस्तार पूर्वक इस पर विचार करेगी। क्या इस समिति की कार्य की शर्तें बताने की कृपा करेंगे ? यह समिति अपना

प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ? इस मामले में इस वर्ष अथवा अगले वर्ष निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं बता चुका हूं कि तीन राज्यों ने अनुरोध किया है । चूंकि अब इस विषय की चर्चा सभा में उठाई गई है; अतः मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी इसके लिये दावा करेंगे । यह स्वाभाविक है कि हर राज्य चाहेगा कि उनके राज्य में इसकी स्थापना की जाये । जहां तक कार्य की शर्तों का संबंध है, यह तो बहुत ही स्पष्ट है कि इसे केवल स्थान का पता लगाना है। स्थान के बारे में समिति निर्णय लेगी । वह स्थान के बारे में सुझाव देगी। माननाय सदस्य ने तीसरी बात समय सीमा के बारे में पूछा है । उन्होंने पूछा है कि हमने कितना समय दिया है। मेरे विचार से लगभग 3 महीने का समय दिया गया है । किन्तु वे थोड़े ही समय में संस्थान के स्थान के बारे में बता देंगे ।

बिहार के नगरों में जल-पूर्ति योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*581. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता के साथ पटना, गया तथा रांची में पेय जल की पूर्ति करने तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई योजना थी; और

(ख) उस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई लगभग 102 करोड़रुपये की अनुमानित लागत से रांची, धनबाद-झरिया और पटना में पेयजल सुविधाओं में वृद्धि करने की परियोजना विश्व बैंक के समक्ष वित्तीय सहायतार्थ प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) विश्व बैंक की प्रारम्भिक जांच पड़तालों तथा टिप्पणियों से उत्पन्न मुद्दों को देखते हुए इस परियोजना का पुनरीक्षण करना अपेक्षित है । परियोजना का तदनुसार पुनरीक्षण करने और 7वीं पंचवर्षीय योजना में योजना/बजट प्रावधान की पुष्टि करने तथा विश्व बैंक द्वारा उठाये गए मसलों को हल करने के लिये भी बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है ।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं । हम दावा करते हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित पेय जल सप्लाई किया जाएगा । महोदय, पटना में ऐसे कई स्थान है, जहां सीवर लाइनें और पानी की प्रमुख लाइनें आपस में मिल गई हैं जिसके कारण पीलिया आदि कई बीमारियां फ़ैली हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक की इस विशेष योजना के बारे में वे कितने समय समय से कार्य कर रहे हैं ? मुझे पता है कि यह विषय पिछले लगभग दस वर्ष से चल रहा है ।

'प्रारम्भिक' शब्द अभी भी यहां लिखा हुआ। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि लोगों को सुरक्षित पेय जल की सप्लाई करने की योजना को अंतिम रूप देने में कितना समय अभी और लगेगा ?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्ल्ड बैंक की योजना है और इसके लिए बिहार सरकार ने हमारे पास 102 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव भेजा था। वह प्रस्ताव नवम्बर, 1983 में हमें प्राप्त हुआ, और हमने इसी तातम्य में वर्ल्ड बैंक से बात की। उसके बाद वर्ल्डबैंक की एक टीम ने बिहार का दौरा किया और हमें कुछ खामियां बताई। हमने उन खामियों के बारे में बिहार राज्य शासन शासन का फिर से ध्यान आकृष्ट कराया। उन खामियों के बारे में अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम स्वच्छ पानी नहीं देते हैं, स्वच्छ पानी देने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय शासन पर है और जहां तक पटना की बात है, वर्तमान समय में हम पटना को 110 एल० पी० सी० यानी लीटर पर कैपिटा प्रतिदिन पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, जो लगभग 139 मिलियन लीटर प्रतिदिन के बराबर होता है। इसलिए बिहार में पटना जिले को धनबाद और झरिया की अपेक्षा पर-कैपिटा मिलने वाले ड्रिंकिंग वाटर की मात्रा ज्यादा है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है यह प्रारम्भिक है, हम उसमें बराबर प्रयास कर रहे है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार ने कुल 69 करोड़ में से 35 करोड़ रुपए का ही इसके लिए प्रावधान किया है जो बहुत कम है। विश्व बैंक इस राशि को नहीं मानता है और बिहार सरकार ने कहा है कि हम और कुछ व्यवस्था एल०आई०सी० और सी०आई०सी० के जरिए करेंगे। चूंकि इसमें री-अम्बसमेंट की व्यवस्था होती है, इसलिए बिहार सरकार को सरकार को फर्स्ट फेज में 69 करोड़ रुपये का प्रावधान रखना ही होगा :

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर : न केवल पटना में अपितु देश की अन्य राजधानी नगरों तथा प्रमुख नगरों में कमजोर वर्ग के लोगों को क्या-क्या और सुविधायें प्रदान करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। अपने प्रश्न में मैंने अन्य सुविधाओं के बारे में पूछा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से अन्य सुविधाओं के बारे में जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : जहां तक झुग्गी-झोंपड़ी वालों का सम्बन्ध है, जितने वहां इकानामिकली वीकर सैक्शन के लोग रहते हैं, उनके प्रति हमारा बराबर ध्यान है और केन्द्र शासन पूरी तरह सजग है। यदि हम उनको वहां भूमि भी एलाट करते हैं तो भी उनको ड्रिंकिंग वाटर की अन्य सुविधायें हैं, फैसिलिटीज हैं इसलिए उसके लिए उचित प्रावधान करने की हम बराबर कोशिश करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० विजय रामाराव क्या आप पटना के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं ?

डा० जी० विजय रामाराव : पेय जल के बारे में ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। अब. श्री साहू ।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : उपाध्यक्ष महोदय. मूल प्रश्न में पटना-रांची और गया का जिक्र आया है और रांची की हालत यह है कि जहां 1962 में उसकी आबादी लगभग 92 हजार थी, 1973 में वह बढ़कर साढ़े तीन लाख हो गई और इस समय उसकी आबादी 8 लाख को पार करने जा रही है। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि हमारी सरकार का इकानामिकली वीकर सैक्शन और आदिवासियों के प्रति खास रुझान है । मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप रांची में एक केन्द्रीय टीम भेजिए, वहां बड़े-बड़े अधिकारी-गण......

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। आप मन्त्री महोदय से क्या जानना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । वहां बड़े-बड़े अधिकारियों को तो पानी मिल जाता है लेकिन वहां बहुत से मुहल्लों में पानी का ठीक से इंतजाम नहीं है और गरीबों की बस्ती में तो पानी बिल्कुल नहीं मिलता । क्या मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, कोई टीम वहां जांच करने के लिए भेजेंगे ?

श्री बलबीर सिंह : रांची के लिए माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, रांची परियोजना के लिए शहरी घटक से 31.38 करोड़ रुपए का प्रावधान है और एक अनुमान के अनुसार 1995 तक लगभग 64 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति करने का हमारा लक्ष्य है । वर्तमान समय में रांची को जोपर-कैपिटा पानी दिया जा रहा है, वह 73 लीटर है जो लगभग 108 मिलियन लीटर प्रतिदिन पड़ता है। इस तरह वहां पानी की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा रांची के लिए राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे पास प्रस्ताव भेजा है, हम उस पर भी बराबर ध्यान दे रहे हैं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने गया और रांची में जल की पूर्ति के सम्बन्ध में जो स्थिति बताई, मैं जानना चाहता हूं कि गया में जो पठारी, प्लेटो के इलाके

हैं, जैसे फतेहपुर, बाराचट्टी, इमामगंज और ऐसे ही रांची में भी कुछ पठारी इलाके हैं, चतरा में भी कुछ प्लेटो के इलाके हैं, जहां साधारण मशीनों से बोरिंग नहीं की जा सकती, ऐसे तमाम इलाकों में पानी की आपूर्ति हेतु रिग्स मशीन प्रोवाइड की जा सकती है।

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान में तो रिग्स ही नहीं हैं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : उन कठोर इलाकों में रिग्स की मशीनें भेजकर पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी जहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और रिग्स-मशीनों का अभाव है।

श्री दलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मूल चन्द डागा : साहब, इसमें राजस्थान को भी आप जोड़ दें।

श्री दलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूलमः झरिया, धनबाद और पटना से सम्बन्धित है और उनके विषय में मैंने स्थिति कर दी है कि राज्य शासन की ओर से हमारे पास जो योजना भेजी गई है, उसे हम देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 1983 में बिहार सरकार ने भारत सरकार को एक योजना की रूपरेखा भेजी। उसके बाद विश्व बैंक की एक टीम ने बिहार के उन इलाकों का दौरा किया मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि 1983 से लेकर आज तक इतना समय बीत चुका है, इस बीच कब विश्व बैंक की टीम ने वहां दौरा किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किन खामियों का जिक्र किया तो कौन सी खामियां पाईं और 1983 से लेकर 1986 तक क्या कारण रहा है कि इतना विलम्ब इस योजना के कार्यान्वयन में हुआ है। कृपया मंत्री महोदय बतायें ?

श्री अब्दुल गफूर (शहरी विकास मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने 26 सितम्बर, 1984 को एक लैटर लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बिहार में कोई जल संस्थान ही नहीं है, इसलिए पहले आप इसको बनाइए, दूसरी चीज यह है कि जो रुपया हम से लीजिगा, यानि वर्ल्ड बैंक जो रुपया देगा, उसको आप हमको कैसे वापिस कीजिएगा, तीसरी चीज यह है कि आपकी स्टेट में इस काम के लिए रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन के लिए क्या तरीका अख्तियार किया गया है और चौथी बात यह थी कि।

[अनुवाद]

बिहार के सीवर कार्यालय तथा पेय जल बोर्ड के कार्य तथा उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन किया जाए।

[हिन्दी]

उन्होंने प्रपोज किया कि पहले जल संस्थान कायम कीजिएगा और कोल-एरिया डिवेलपमेंट

अथारिटी वहां कैसे होगी ? ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक की तरफ से आईं, जिनको बिहार गवर्नमेंट को भेज दिया गया। बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है (**व्यवधान**)…आप समझती हैं कि दिल्ली से उठकर जाएंगे और बिहार, पटना और रांची में पानी बनाएंगे, यह नहीं होता है। वहां की गवर्नमेंट की रेस्पांसिबिलिटी है कि वह स्वयं बताए कि किस तरह से मैनेज करेगी। हमारा काम है वर्ल्ड बैंक को एप्रोच करना। हमने वर्ल्ड बैंक को एप्रोच की। वर्ल्ड बक ने यह कहा कि फलां-फलां चीज आप कीजिएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं।

दूसरी चीज यह है कि माननीय मैम्बर को यह समझ लेना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो असिस्टेंस देता है वह पहले नहीं देता है। पहले तो स्टेट बैंक उस रुपए को खर्च करती है और उस रुपए को बाद में गवर्नमेंट रीइम्बर्स करती है। तो यह सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट की हैं।...
(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, मंत्री महोदय के अनुसार इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है…(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आधा घंटे की डिबेट करा दीजिएगा ?

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप मुझे लिखित रूप में दीजिए। मैं देखूंगा।

मूंगफली और चने के बीजों की कमी

*583. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूंगफली तथा चना के उत्तम किस्म के बीजों की कमी है, यदि हां, तो देश में ऐसे बीजों का उत्पादन कितना होता है और उनकी मांग कितनी है;

(ख) देश में बीजों की कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को बड़ी मात्रा में मिलावटी बीज बेचे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

1984-85 और 1985-86 के दौरान चना और मूंगफली के बीजों के उत्पादन की तुलना में बढ़िया किस्म के बीजों की मांग निम्नवत है :

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	चना		मूंगफली	
	मांग	उत्पादन	मांग	उत्पादन
1984-85	1.31	0.84	7.06	2.59
1985-86 (अनुमानित)	1.24	1.03	5.86	2.62

(ख) इन फसलों के बीज की दरें बहुत अधिक हैं और बहुवर्धन अनुपात कम है, अतः किसानों को अधिक आत्म निर्भर बनाने के लिए बीज प्लांट तकनीक लागू की जा रही है। दलहन विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा केन्द्रीय प्रायोजित/ केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं मूंगफली तथा चने के बीजों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए चल रही है।

(ग) इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात, कर्नाटक आदि प्रत्येक राज्य में दाल और तिलहन के बीज कितनी मात्रा में उगाये जाते हैं ? क्या वह यह भी बता सकेंगे कि इन राज्यों में कितनी मात्रा में बीज उगाए गए ?

दूसरे, क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि इन बीजों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बड़ा भारी अन्तर है ? यदि हां तो मुझे बताया जाये कि कितना अन्तर है ? यदि सरकार को इस बात की सूचना है कि अन्तर है; तो सरकार इस समस्या को किस प्रकार सुलझायेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, माननीया महिला सदस्या ने यह नहीं बताया कि किस विशेष वर्ष के सम्बन्ध में गुजरात और कर्नाटक में बीजों के उत्पादन के बारे में जानना चाहती हैं। मेरे पास विभिन्न वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं, और मैं उन्हें दे सकता हूं। किन्तु मैं इसे सफल पटल पर रखना चाहता हूं जिससे आप इसे अन्य प्रयोजनों के लिए भी उपयोग कर सकें।

आपने मूल्य में अन्तर के बारे में पूछा है, उसके बारे में यह है कि मूल्य में कुछ अन्तर तो है और उसका कारण भी है। बीजों के परिष्करण करने का मूल्य हमें अदा करना होता है।

परिष्करण में हानि भी होती है। इसके अलावा हमें वितरकों और व्यापारियों को कमीशन देना होता था तथा ऊपरी खर्चे तथा परिवहन लागत आदि वहन करनी पड़ती है। इन सबके कारण बीजों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अन्तर हो जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपको इसे घटाना चाहिए।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या देश में दालों और तिलहनों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें विभिन्न राज्यों में केवल तिलहन और दलहन की पैदावार की जाए और क्या सरकार ने इस प्रकार की परियोजना के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हैं और क्या परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें प्रत्येक राज्य में केवल तिलहन और दलहन उत्पन्न करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि विभिन्न प्रकार की सहायता केन्द्रीय सरकार प्रदान करेगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सातवीं पंचवर्षीय योजना में, हमने शुष्क भूमि खेती को विशेष रूप से दालों और तिलहन के उत्पादन को प्राथमिकता दी है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन स्थापित करने का विचार दिया है और हमारे पास तेल मिशन पहले से ही है। राष्ट्रीय तिलहन परियोजना स्कीम के अन्तर्गत ब्रीडर बीज के साथ साथ फाउंडेशन बीज के उत्पादन के लिए तथा उत्पादकों के लिए प्रमाणित बीज के लिए योजनाएं हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : सरकार अपेक्षित स्तर के बीजों का केवल 35-40% तक सप्लाई कर सकती है। मूंगफली और चने के महत्व को देखते हुए सरकार अच्छे किस्म के बीजों की शेष 60.65% सप्लाई किसानों को कब तक करेगी जिसकी किसानों को आवश्यकता है? किसानों को अच्छे किस्म के शत प्रतिशत बीज सप्लाई करने के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन क्या कर रहा है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम नए किस्मों के बीजों का विकास कर रहे हैं। तीन प्रकार के बीज ब्रीडर बीज, फाउंडेशन बीज और उत्कृष्ट बीज होते हैं तथापि इन दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से चने और मूंगफली के क्षेत्रों में मैंने कहा कि गुणन दर बहुत कम है। मूंगफली के मामलों में गुणन अनुपात 1 से 8 है और चने के सम्बन्ध में यह 1 से 16 है तथा अन्य मामलों में यह बहुत अधिक है। हमारे वैज्ञानिक इन बीजों की नई किस्मों पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि तिलहन के उत्पादन पर प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष मिशन स्थापित किया है जो नई किस्मों का भी ध्यान रखेगा। राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ आई० सी० ए० आर० में भी अन्य अनुसंधान संगठन है।

डा० के० जी० अदियोडी : राष्ट्रीय बीज निगम केवल 15% राशि लेता है जबकि काफी बोर्ड, नारियल बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड से बीजों के लिए बहुत पैसा लेते हैं। क्या सरकार

एक मानदंड निर्धारित करेगी और कीमतों को कम करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : कीमत को कम करने के लिए यह सरकार का प्रयास है।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : बीज गुणन अनुपात बहुत ही कम है। माननीय मंत्री ने यही कहा है। जहां तक हमारे देश का संबंध है यह नई बात नहीं है। तिलहन के संबंध में हमारे पास बढ़िया किस्म के ब्रीड बीज नहीं हैं। इसलिए बीज गुणन अनुपात बहुत कम है। मूंगफली के बारे में यह 1.26 है और चने के बारे में यह 1.28 है। हमारे देश में अनुसंधान केन्द्र हैं। तिलहन के बारे में यहां उनकी हमेशा कमी रही है और हम तेल का भी आयात कर रहे हैं।

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को स्थापित करने में सरकार कितना समय लेगी जो कि केन्द्रीय से प्रायोजित योजना है ? आप देश को तेल के बीजों के मामले में कब तक आत्म निर्भर करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह विशेष रूप से बताना बहुत मुश्किल है। परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि इसे यथा सम्भव शीघ्र किया जायेगा और इसे यथाशीघ्र करने का हमारा प्रयास है।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या यह सही है कि कर्नाटक सरकार ने कमांड क्षेत्र में घाटीप्रभा और मालाप्रभा परियोजना के अन्तर्गत तेल के उत्पादन के लिए एक योजना भेजी थी और उत्पादन के बाद वे बीजों को केन्द्रीय पूल को दे देंगे ? इस बारे में क्या उन्होंने केन्द्रीय सहायता भी ली थी और यदि हां, तो सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसकी जांच की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हल्के दर्जे का बीज किसानों को दिया जाता है और उससे कई बार फसलों को बहुत नुकसान होता है। कई बार तो पौधे निकलते ही नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह सीड किन लोगों से खरीदा जाता है और खरीदते समय घटिया सीड आपके पास न आए, इसके लिए आप क्या सावधानियां बरतते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, जिसका उत्तर आपने नहीं दिया कि किस भाव पर आप सीड खरीदते हैं और किस भाव पर किसानों को देते हैं। आपने यह तो बता दिया कि यह-यह खर्च होता है, परन्तु यह नहीं बताया कि किस भाव पर आप बीज खरीदते हैं और किस भाव पर किसानों को देते हैं।

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : देश में बीजों की किस्म को बढ़िया बनाने तथा उनकी

नियमित सप्लाई करने के लिए हमारे पास दो प्रावधान हैं। पहला बीज अधिनियम, 1966 है, जो देश में लागू है। दिसम्बर, 1983 के दौरान भारत सरकार ने राष्ट्रीय बीज नियंत्रण आदेश जारी किया था जिसके अन्तर्गत बीज की गुणवत्ता और देश में बीज का वितरण नियमित किया गया है। कोई गम्भीर शिकायतें नहीं हैं। गत वर्ष में बाजरे के बीजों के बारे में एक शिकायत थी और हम मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मन्त्री जी का उत्तर इस अच्छे किस्म के बीजों की कमी को स्पष्ट नहीं कर सका है तथा यह भी बहुत कम स्वीकार किया जाता है कि इन दोनों मदों से संबंधित अच्छे किस्म के बीजों की खरीद के लिए उठाए जा रहे कदम पर्याप्त नहीं हैं। पिछले दो दशकों से तेल बीज और चने के उत्पादन में स्थिरता रही है। क्या सरकार अच्छे किस्म के बीज। तेल बीज और चने की सप्लाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएगी ? क्या सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इन बीजों के खरीद मूल्य में वृद्धि करेगी ? ताकि वे सरकार को उस समय तक जब तक कि सरकार लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेती अधिक बीज सप्लाई करे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सही है कि तेल बीज और दालों में कोई प्रमुख वृद्धि नहीं हुई है। सरकार ने इसे स्वीकार किया है। इसलिए इस देश में हमारे पास कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हम तेल बीज और दालों का उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे जहां तक किसानों को प्रोत्साहन देने का संबंध है, हमने हाल ही में उन्हें ब्रीडर बीज देने का निर्णय किया है। किसानों और उत्पादकों को पहले यह नहीं दिया जा रहा था। यह राज्य कृषि निगम और राष्ट्रीय बीज जैसे संगठनों और प्रयोगशालाओं तक सीमित था। परन्तु अब हमने इसे किसानों को दिया है ताकि वे (ब्रीडर) बीजों को (फाउंडेशन) बीज में और (फाउंडेशन) बीजों को प्रमाणित बीजों में बदल सकें। अतः यह प्रोत्साहन है। जहां तक मूल्यों का संबंध है आज भी प्रमाणित बीजों के मूल्य अधिक हैं।

श्री सोमनाथ रथ : हमारा देश गेहूं में आत्मनिर्भर इसलिए नहीं है कि सरकार खेतिहर को आर्थिक सहायता देती है बल्कि इसलिए कि उन्होंने उच्च किस्म के बीजों की सप्लाई की जाती है। क्या सरकार अच्छे किस्म के मूंगफली और चना के बीजों की सप्लाई के लिए सक्रिय कदम उठायेगी ताकि हम देश में तेल की मांग को पूरा कर सकें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमारा प्रयास वही है।

[हिन्दी]

श्री तुलसी राम : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने अभी पूछा सीड सप्लाई के बारे में, किसान अधिक पैदावार के लिए अच्छे बीज डालता है, अच्छी खाद डालता है और खूब मेहनत करता है और सारी मेहनत के बाद कभी-कभी गलत बीज मिल जाते हैं जो डालने के बाद उगते नहीं हैं। अगर उगे तो गलत ढंग से उगता है। तो ऐसी कोई शिकायत आपके पास आई

है ? अगर आई है तो उसके लिए क्या किया है और अगर नहीं आई है तो आगे आएगी तो किसान को नुकसान न हो उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे सीनियर साथी ने अभी बताया कि क्या-क्या गवर्नमेंट कर रही है उसको चेक करने के लिए । जर्मिनेशन और डिफेक्टिव सीड्स के लिए और उसको चेक करने के लिए, उसका इम्पलीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है । जहां जर्मिनेशन कम होता है या डिफेक्टिव सीड्स होते हैं वहां ऐक्शन लिया जाता है । उसके बारे में हमने हर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि ऐसा सीड किसान के पास न जाय, इसकी पूरी छानबीन की जाय और इसके ऊपर ऐक्शन लिया जाय । वह ऐक्शन आज भी लिया जाता है । उसके लिए ऐक्ट में प्राविजन है ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न प्रो० के० वी० थामस ।

प्रो० के० वी० थामस : प्रश्न सं० 584

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं प्रश्न सं० 586 को भी इस प्रश्न के साथ मिलाने का सुझाव देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री जी प्रश्न 586 के साथ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं । क्या हम प्रश्न सं० 584 और 586 को मिला सकते हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कोई बात नहीं । दोनों एक जैसे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न संख्या 584 और 586 को इकट्ठा ले सकते हैं ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात

***584. प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने वाली 500 नौकाओं का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या मछली पकड़ने की नौकाओं के आयात के सम्बन्ध में 1 : 1 समरूप शर्त का पालन किया जाता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं । तथापि, निकट भविष्य में निर्यात और देश में ही निर्माण करके भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लगभग 350-500 जलयानों का एक वेड़ा बनाने का विचार है ।

(ख) जी, हां। सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने इस अनुच्छेद में छूट देने की सिफारिश की है।

मत्स्य उद्योग के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता

*586. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक†**
श्री सुभाष यादव } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्य उद्योग के सम्वर्द्धन हेतु कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से मत्स्यन बन्दरगाहों का भी विकास किया जाएगा;

(ग) उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान मत्स्य उद्योग के लिए किन बन्दरगाहों का विकास किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में मत्स्यकी उद्योग के विकास के लिए किए गए कुछेक उपाय इस प्रकार हैं :

1. एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मछली के संसाधनों की क्षमता संबंधी सर्वेक्षण।

2. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम में लगाने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों का एक संवर्ग तैयार करने के लिए, मत्स्यन में जुटे लोगों का प्रशिक्षण।

3. स्वदेशी और आयातित जहाजों को विवेकपूर्ण ढंग से मिलाकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बेड़े को बढ़ाना।

4. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के देश में निर्माण की लागत पर 33 प्रतिशत राजसहायता देना।

5. विदेशी सहयोग से चार्टर एवं संयुक्त उद्यम से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

6. छोटे मत्स्यन अवतरण केन्द्रों पर मत्स्यन बन्दरगाहों तथा नौकाओं के तट पर लगाने तथा ठहराने की सुविधाओं का विकास ।

7. परम्परागत क्षेत्र के लाभ हेतु तट पर लगने वाली नौकाओं का इस्तेमाल शुरू करना ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) अगले तीन वर्षों में निम्नलिखित बन्दरगाहों का विकास करने का कार्यक्रम है ।

आंध्र प्रदेश

1. काकीनाडा
2. निजामपट्टनम्
3. वावनपाड़ु

गुजरात

4. वेरावल
5. मंग्रोल
6. पोरबन्दर

कर्नाटक

7. दादरी
8. मंगलौर

केरल

9. नींदकारा

महाराष्ट्र

10. सेसून डॉक
11. रत्नागिरि

तमिलनाडु

12. चिन्नामुट्टम
13. वालिनोक्कम
14. पाज्यार
15. टोण्डी

उड़ीसा

16. आस्ट्रांग

पश्चिम बंगाल

17. डिघा

पांडिचेरी

18. पाण्डिचेरी

प्रो० के० वी० थामस : यह निर्णय लेने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं जबकि इसमें काफी देरी हो गई है··· (**व्यवधान**) कम से कम सरकार ने गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने वाली 350 से 500 तक जलयानों का एक बेड़ा बनाने का निर्णय किया। मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक ट्रालर की लागत एक करोड़ रुपये है। इसलिए इस परियोजना की लागत 500 करोड़ रुपये आयेगी। हमारा जहाज बनाने का मुख्य कारखाने जैसे कोचीन पोत कारखाना आडरों की कमी के कारण कठिनाई से गुजर रहा है। इन ट्रालरों को आयात करने के बजाय क्या जहाज बनाने के कारखानों को यह अनुमति होगी कि वे आधुनिक तकनीक प्राप्त करें ताकि ये ट्रालर का अपने जहाज बनाने के कारखानों में ही निर्मित किये जा सकें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार भी वास्तव में यह चाहती है। इस समय भी हम अपने जहाज बनाने के कारखानों को अपने देश में इस्तेमाल करने के लिए अधिक नौकाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस समय जहाज बनाने के 19 कारखाने हैं, लेकिन 1985-86 के दौरान वह केवल 3 ट्रालरों को बना पाये हैं। प्रगति बहुत धीमी है। सातवीं योजना में अधिक बनाने की कोशिश की जा रही है। इन जहाज बनाने के कारखानों में कई कमियां हैं विशेषतया जलयानों के आयात किये गये पुर्जों की कमी है। 50 प्रतिशत चाहते हैं जबकि सरकार ने 20 प्रतिशत की आज्ञा दी है। यह विचाराधीन है सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और वित्त मन्त्रालय इस पर विचार कर रहा है।

प्रो० के० वी० थामस : अब गहरे समुद्र से मछली पकड़ने की बात है। इस के लिए केवल बड़ी-बड़ी कम्पनियां जैसे टाटा आदि में आगे आ रहे हैं क्योंकि केवल वे ही खण्ड के अनुसार भारतीय जलयानों के साथ विदेशी जल[illegible] खरीद सकते हैं। केरल जैसे राज्य में हमने मछली पकड़ने वाले पूरे समुदाय को सहकारी सेत्र के अधीन रखा है। माननीय मन्त्री बूटासिंह ने स्वयं इसे देखा है। आप मछली पकड़ने की नौकाएं, बाहरी (आउट डोर) इंजन और जाल मछुआरों के ग्रुप के लिए दे रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्थान पर क्या आप गांव में सहकारी क्षेत्र को मछली पकड़ने की अनुमति देंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पहले जब मैंने जहाज कारखाने कहे थे तो उसका अभिप्राय मछली पकड़ने की नौकाओं को बनाने के जहाज कारखाने से था। यह स्पष्टीकरण हैं।

जहा तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सहकारी समितियों को अनुमति देने का सम्बन्ध है; हम अपने मछुआरों को गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहन अवश्य करते हैं। अब भी हमारा वर्तमान बेड़ा बहुत छोटा है अधिकतर नौकाएं गैर यंत्रीकृत है, डौंगियां; कुछ यंत्रीकृत नौकाएं हैं। अब हम परम्परागत नौकाओं को यंत्रीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे उन्हें अच्छा बाजार प्राप्त हो सके। सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जाता है और वहां विभिन्न संस्थाएं हैं जो इन सहकारी समितियों को ऋण व अन्य रियायतें देती है। इसलिए वहां कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन छोटे मछुआरों के लिए उन नौकाओं को लेकर गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ना और ट्रालर लेकर लेना बहुत कठिन है क्योंकि उनके पास सीमित साधन हैं। इसलिए केवल सहकारिता ही एक रास्त है और हम सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न संख्या 586 का जो उत्तर दिया है उसमें अपने उत्तर के भाग (5) में उन्होंने कहा है कि "विदेशी सहयोग से चार्टर एवं संयुक्त उद्यम से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना" इस संबंध में मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्या सरकार ने मछुआरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में डेनमार्क सरकार से कोई करार किया है ? यदि किया है तो भारत और डेनमार्क करार की जो परियोजना है उसकी क्या-क्या मुख्य शर्तें हैं तथा इस परियोजना से भारत के किस-किस राज्य को कितना लाभ पहुंचेगा ?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने केवल इंडों डेनिश मछली परियोजना जिसे इस समय कर्नाटक में टाडरी नामक स्थान पर क्रियान्वित किया जा रहा है के लिए अनुरोध किया है। इस परियोजना के मुख्य अंग ये हैं, मछली पकड़ने के लिए किनारों पर काम्पलैक्स पत्तन और 220 यंत्रीकृत मछली पकड़ने की नौकाओं का निर्माण करना मछुआरों की बस्ती का विकास आदि है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 630-02 लाख है। डेनिश सरकार द्वारा मान्य सहायता 370 लाख डालर के आर तक है। इस परियोजना को सात वर्षों में पूरा किया जाना हैं। बन्दरगाह का निर्माण कार्य पूरा होने की स्थिति 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लगभग 25 मछली नौकाएं पहले से ही बनाकर बांट दी गई है दूसरे भागों का कार्य भी प्रगति पर हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने फिशी इण्डस्ट्री के प्रोत्साहन के लिए काफी उपाय किए हैं और वह उपाय खास तौर से उन राज्यो के सम्बन्ध में हैं जिनकी सीमायें समुद्र के तट से लगती हैं। वह योजनायें

समुद्रतटीय गांवों के सुधार के लिए हैं। लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों की सीमायें समुद्र तट से नहीं लगती हैं वहां पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सरकार विशेष रूप से क्या उपाय कर रही है और इस सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन राज्यों में कितना प्रतिशत धन खर्च करना चाहती है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ समुद्रतटीय राज्यों की ही मदद कर रही है। इनलैण्ड फिशरी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार इनलैण्ड फिशरी डेवलपमेंट की कोशिश भी कर रही है। हमारा टोटल प्रोडक्शन 28.59 लाख टन है, उसमें से 10.82 लाख टन इंग्लैंड फिशरीज का है। इससे ही देखा जाता है कि हम इंग्लैंड फिशरीज में काफी मदद कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि एफ० एफ० डी० आई० के माध्यम से हम सीड प्रोडक्शन करते हैं। रिजवायर्स का डवलपमेंट करते हैं खैराइन फिशरीज को डवलेप करते हैं। ये सभी योजनाएं इंग्लैंड फिशरीज के लिए है, न कि अकेले मैरीन फिशरीज के लिए है।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : श्रीमान क्या यह सच है कि सरकार यंत्रीकृत नौकाओं के लिए डी० एम० सी० डीजल इंजन का बहुत अधिक संख्या में आयात कर रही है और क्या सरकार को यह मालूम है कि यह डी० एम० सी० डीजल इंजनों यंत्रीकृत नौकाओं में नहीं जा रहे हैं बल्कि अम्बेसडर कारों और दूसरे वाहनों को मिल रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इंजनों के आयात से सम्बन्धित विषय वित्त मन्त्रालय के अधीन है। यह हमारा विषय नहीं है। लेकिन हम अपने मछुआरों को उनकी नौकाएं यन्त्रीकृत करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

प्रो० ए० चार्ल्स : श्रीमन् बीस वर्ष पहले त्रिवेन्द्रम में मछली बन्दरगाह का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया था लेकिन कई कारणों से इसमें देरी हो गई। अब हम खुश हैं कि 1986-87 में बन्दरगाह पूरी हो जायेगी। लेकिन विशेषज्ञ समिति ने बताया है कि बन्दरगाह का उचित प्रयोग तभी किया जा सकता है जब शुष्क गोदी का दूसरा चरण भी पूरा हो जाए। इस क्षेत्र के तटीय मछुआरे बहुत-सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और माननीय प्रधान मन्त्री जी ने बाढ़ के दौरान इस स्थान का दौरा किया था और उन्होंने स्वय ही इस क्षेत्र के परम्परागत मछुआरों को कठिनाइयों का सामना करते हुए देखा है शुष्क गोदी के निर्माण के बिना इसके पूरा होने के 20 वर्षों के बाद भी बन्दरगाह का उचित प्रयोग नहीं हो सकता : क्या मैं मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके दूसरे चरण को, जिसकी कुल लागत 5 करोड़ होगी, को भी पूरा कर लिया जायेगा अगर सातवीं योजना में इन परियोजना के पूरा होने की सम्भावना नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि सातवीं योजना में दूसरे चरण का कार्य कब शुरू होगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसे हम जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मद्रास शहर के तटीय क्षेत्र में भूमि का कटाव बड़ी तेजी से हो रहा है उत्तरी मद्रास में लगभग एक किलोमीटर लम्बा तटीय क्षेत्र धंस गया है। मछुआरे वास्तव में बहुत ही चिंतनीय स्थिति में रह रहे हैं। क्या सरकार भूमि के कटाव को रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह बिल्कुल अलग विषय है और इस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री एन० वी० एन० सोमू : श्रीमन्, यह प्रश्न मछुआरों से सम्बन्धित हैं (**व्यवधान**)

श्री योगेन्द्र मकवाना : कमी सम्बन्धी विभाग द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है और जहां समुद्र द्वारा भूक्षरण होता है वहां हम पहले से ही इस बारे में सहायता कर रहे हैं। हमने केरल में समुद्र के साथ दीवार बनाकर समुद्र द्वारा हो रहे भूक्षरण को रोका है। हमने तमिलनाडु में भी ऐसा किया है। क्या करना है; एक ज्ञापन के माध्यमसे तमिलनाडु भी केन्द्रीय सरकार से कह सकता है और मैं स्थिति की जांच के लिए एक केन्द्रीय दल भेज दूंगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : श्रीमन्, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार कुछ मत्स्य पत्तनों का विकास कर रही है। श्रीमन्, उड़ीसा में मछली उद्योग को बढ़ाने की बहुत अधिक क्षमता है। क्या मैं मन्त्री जी से जान सकती हूं कि मत्स्य बन्दरगाह को, जो पाराद्वीप में है, अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया। इस सदन की पिछली लोक सभा में हमें यह आश्वासन दिया गया था कि मछली बन्दरनाह का निर्माण यहां होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि देरी का कारण क्या है और मछली पकड़ने की बन्दरगाह पाराद्वीप में कब तक बनेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं पाराद्वीप मछली पकड़ने की बन्दरगाह के बारे में माननीय सदस्या की चिंता समझता हूं। लेकिन यह प्रश्न इस मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं है इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ कठिनाइयां है। इस क्षेत्र में रेत का बहाव भी बहुत अधिक है और उससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यहां पर कीमतों में चढ़ाव भी अधिक है। लेकिन यह कार्य चल रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्रीमन्, उत्तर से मुझे पता चलता है कि अगले तीन वर्षों में विकास हेतु बन्दरगाहों में से तीन आन्ध्र प्रदेश में हैं यथा काकीनाड़ा विशाखापत्तनम तथा एक और है मैं यह जानना चाहूंगा कि अगले तीन वर्षों में 18 बन्दरगाहों के विकास के लिए कितनी राशि रखी गई है। पत्तनों (हार्बर) के लिए विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सातवीं योजना में मुख्य बन्दरगाहों पर मछली पालन के स्थानों

(हार्बर) के लिए 1700 लाख रुपये का परिव्यय और लघु बन्दरगाहों के लिए 1800 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। प्रत्येक हार्बर के लिए कितना परिव्यय है ये आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं है। मैं अलग से माननीय सदस्य को लिख कर दे सकता हूं।

श्री आई० रामाराय : केरल के मछुआरों को सप्लाई की गई अधिकतर यंत्रीकृत नावों में विदेशी इंजन जैसे यामाह, मर्ना, बक, तोरपीडो और कुछ भारतीय इंजन भी लगे हुए थे। विदेशी इंजनों के अतिरिक्त पुर्जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार इन नावों के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों का प्रबन्ध करने के लिए आगे आएगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम इन मछुआरों को हर सम्भव सहायता देने का प्रयत्न करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

*588. **श्री पी० ए० एन्टनी†** / **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) दिल्ली के इर्द-गिर्द के नगरों के विकास के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ग) नौएडा का एक महत्वपूर्ण उपनगर के रूप में विकसित होने के तथ्य को ध्यान में में रखते हुए यमुना के उपर पुलों का निर्माण करके नौएडा को दिल्ली के साथ मिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन 27 मार्च 1985 को किया गया है।

(ख) विस्तृत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है जिसमें परिधीय कस्बों के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं।

ऐसी योजनाओं के लिए अब तक 17.43 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है।

(ग) फ्रैन्ड्स कालोनी के प्रतिकूल पुलों केमाध्यम से नौएडा को दिल्ली के साथ मिलाया गया है।

श्री पी० ए० एन्टनी : हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के प्रस्तावित कार्यान्वन की प्रशंसा करते हैं परन्तु भारत में बहुत से दूसरे शहर, मुख्य कस्बे और राजधानियां भी हैं, जहां यही समस्या हैं। गांवों के बेरोजगार लोग रोजगार आदि की तलाश में बड़े शहरों में आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वहां गन्दी बस्तियां व अन्य समस्याएं होगी। क्या मैं यह जान सकता हू कि सभी मुख्य शहरों, कस्बों व राज्यों की राजधानियों के लिए भी इसी प्रकार की योजना है। यदि ऐसा है तो क्या मन्त्री महोदय स्पष्ट करेंगे।

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : समस्या की विशालता को देखते हुए, प्रधान मन्त्री महोदय ने भारत के विभिन्न राज्यों के सबसे अनुभवी व्यक्तियों का एक आयोग नियुक्त किया है। और वह आयोग महानगरों व अन्य कस्बों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दे रही है और वे कुछ समय बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट को पाने के बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।

श्री पी० ए० एन्टनी : जैसा मैंने पहले कहा है, कि गांवों से लोग शहरों में आ रहे हैं और गन्दी बस्तियां बननी आरम्भ हो गई है। शैक्षणिक व अन्य सुविधाओं की अपर्याप्ता के कारण मध्यम वर्गीय लोग भी कस्बे व शहरों में शिक्षा इत्यादि के लिए आ रहे हैं। क्या सरकार संलग्न नगर बनाने के लिए तैयार होगा और विशेषतया औद्योगिक क्षेत्रों में शिक्षा व अन्य सुविधाओं में सुधार करेगी।

श्री अब्दुल गफूर : प्रश्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया यह प्रश्न अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित है। मैं दिल्ली राजधानी क्षेत्र से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं जो कि मुख्य प्रश्न का विषय है। परन्तु जहां तक दूसरे राज्यों व कस्बों का सम्बन्ध है, एक प्रस्ताव है···केवल प्रस्ताव ही नहीं अपितु प्रक्रिया पहले से ही प्रचलित है अर्थात् छोटे कस्बों में भी जिनकी संख्या एक लाख तक है एकीकृत विकास कार्यक्रम चल रहा है। केन्द्र सरकार सहायता देती है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है। उन कस्बों की प्रगति के सम्बन्ध में भी हम बहुत उत्सुक हैं, जहां तक महानगरों का सम्बन्ध है। आप जानते हैं कि प्रत्येक नगर में अपनी समस्याएं होती हैं। कलकत्ता की अपनी समस्याएं हैं, बम्बई की अपनी समस्याएं हैं और झुग्गी-झोपड़ी की समस्या के सम्बन्ध में, जैसी यह दिल्ली में है वैसी ही बम्बई में भी है। उसके लिए भी योजनाएं हैं।

शताब्दी समारोह के दौरान हमारे प्रधान मन्त्री महोदय बम्बई महानगर के लिए बहुत बड़ी राशि दे चुके हैं। इसी प्रकार कलकत्ता व अन्य स्थान भी विश्व बैंक से सहायता ले रहे हैं। वे ऐसा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि धन की कमी है। विदेशी सहायता के रूप में हमें जो कुछ मिला है और जो कुछ पैसा हम दें सकते हैं, हम वह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो

इस समय दिल्ली के आस-पास के शहर हैं—जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांवा. साहिबाबाद—जब उनमें कोई डवलपमेंट नहीं है और वहां 12-12 घंटे बिजली नहीं आती बस ही नहीं मिलती और वहां की सड़कें बहुत खराब है, वहां पर जो कमर्शियल मार्किट्स हैं उनके लिए कोई साधन नहीं है तो आप कब तक यह कैपिटल रीजन बनाने के बारे में सोचते हैं ? इस तरह तो आपको इन शहरों को बनाने में एक हजार साल तक भी लग सकते हैं क्योंकि अभी तक आप दिल्ली के आसपास के शहरों को ही डवलप नहीं कर सके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको यह बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री अब्दुल गफूर : माननीय अग्रवाल जी ने जो पूछा है, इस कैपिटल रीजन बोर्ड की मीटिंग जून 1985 में हुई थी। आप जानते हैं कि यह बोर्ड बने हुए एक साल हुआ है। इसमें सारी स्टेट्स के—हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स, उनके आफिसर्स और हमारी सिनिस्ट्री के लोग हैं। जो यह मीटिंग हुई थी उसमें हरेक स्टेट ने अपना-अपना प्रपोजल दिया था कि उनकी स्टेट में कैसे डवलपमेंट किया जाए। हरियाणा की तरफ से 2621 करोड़ का, राजस्थान की ओर से 208 करोड़ का और उत्तर प्रदेश की ओर से 756 करोड़ का प्रपोजल आया था। अब फेज्ड डवलपमेंट के लिए इस कैपिटल रीजन प्लेनिंग बोर्ड ने 867 करोड़ की एक स्कीम बनाई है। वह स्कीम क्या है, जरा सुन लीजिए।

रेलवे के लिए बोर्ड ने पलवल, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक वगैरह के लिए 90 करोड़ रुपये का एस्टीमेंट दिया है। दूसरी चीज आपने टाऊन वगैरह के डवलपमेंट की कही। किसी भी टाऊन का डवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो। इसलिए बोर्ड ने अगल-बगल के टाऊंस में टेलिकम्युनिकेशन के लिए 280 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है। तीसरी चीज नेशनल हाईवेज की है। जब तक टाऊन के नजदीक नेशनल हाईवेज नहीं रहेगा तव तक उनका पूरा डवलपमेंट नहीं हो सकता। उसके लिए 97 करोड़ है। रीजनल रोड्स के लिए 120 करोड़ है। उसके बाद में डवलपमेंट आफ प्रायोरिटी टाऊंस है।

माननीय अग्रवाल जी कहते हैं कि अगल-बगल के टाउन्स में डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए हमने 90 करोड़ रु० का प्रावीजन किया है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर : जहां-जहां आपने टाउन का कहा, हम लोगों ने 867 करोड़ रुपये की स्कीम बनाकर प्लानिंग कमीशन को दी है कि आप हमको रुपया दीजिये। उन्होंने सिर्फ 35 करोड़ रुपया हएको दिया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 को उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित करने में कठिनाइयां

*578. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उनके मंत्रालय का ध्यान, भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 जिसे 24 सितम्बर, 1984 से लागू किया गया था, के कार्यान्वयन, विशेषकर संशोधनकारी अधिनियम के द्वारा धारा 17 के अन्तर्गत उपधारा 3क के रूप में एक नए उपबंध का अन्तःस्थापना किये जाने, जो अर्जन की जाने वाली भूमि को, उतनी शीघ्रता के साथ जितनी के साथ मूल अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता था, अपने कब्जे में लेने के रास्ते में रुकावट बनी है, के संबंध में सामने आई समस्याओं और कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में और उड़ीसा सरकार द्वारा बताई गई विभिन्न रुकावटों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के कार्यान्वयन में उड़ीसा सरकार द्वारा बताई गई कठिनाइयां तथा स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं।

(क) धारा 17 की उप धारा (3क) में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व अनुमानित मुआवजे के 80 प्रतिशत का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि इस स्तर पर अधिनिर्णयों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है, इसलिए कलक्टरों के लिए यह पता लगाना कठिन होता है कि भूमि के वास्तविक हितबद्ध व्यक्ति कौन हैं और मुआवजे में उनका सही हिस्सा कितना है। गलत भुगतान की सम्भावना से इसमें इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रावधान को हटाने का अनुरोध किया गया था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 में तात्कालिकता के मामलों में भूमि के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया हैं तथा यह मुआवजे का अधिनिर्णय होने से पूर्व भूमि का कब्जा लेने की अनुमति देती है। यह देखने के लिए कि जिन लोगों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया है, उन्हें अधिनिर्णय दिए जाने तक प्रतीक्षा न कराकर तत्काल मुआवजे का काफी भाग दे दिया जाए। भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम 1984 द्वारा धारा 17 में उपधारा 3(क) को लागू किया गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि भूमि का कब्जा

लेने से पूर्व हितबद्ध पात्र व्यक्तियों को अनुमानित मुआवजे के 80 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाए। उपधारा 3(क) में यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां धारा 31(2) में उल्लिखित एक अथवा उससे अधिक आकस्मिकताओं के अंतर्गत ऐसा भुगतान करना संभव नहीं है, जिसमें हिस्सों के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के नाम के झगड़े शामिल हैं, वहां धारा 31(2) के उपबंधों को लागू किया जायेगा और राशि को न्यायालय में जमा करा दिया जाएगा। धारा 17 में जोड़ी गई धारा 3(ख) में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णित मुआवजे की राशि उपधारा (3क) के अन्तर्गत दी गई राशि से कम है तो भुगतान की गई ऐसी अतिरिक्त राशि को कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीनों के भीतर लौटना होगा अन्यथा उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाए। अतः अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं तथा उड़ीसा सरकार द्वारा बताई गई कठिनाई, वास्तविक समस्या प्रतीत नहीं होती है। जहां भूमि के वास्तविक हितबद्ध व्यक्तियों तथा मुआवजे में उनके सही हिस्सों का पता लगाना कठिन होता है वहां भी धारा 17 के अन्तर्गत भूमि का कब्जा लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में धनराशि न्यायालय में जमा कराई जा सकती है। राज्यों के राजस्व मंत्रियों के 18 मई, 1985 को हुए सम्मेलन में इसे भी स्पष्ट कर दिया गया था।

(ख) दो दैनिक समाचारपत्रों में धारा 4 और 6 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन में विलम्ब होने के कारण, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में विलम्ब होता है तथा अधिग्रहण की लागत भी बढ़ जाती है। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि चूंकि अधिसूचना के सार्वजनिक नोटिस विशिष्ट स्थानों पर दिए जाते हैं और इलाकों में ढिंढोरा पीट कर दिए जाते हैं, इसलिए समाचार पत्रों में प्रकाशन को बंद किया जाए।

काफी विचार-विमर्श करने के बाद 1984 में संशोधन करके भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 में ये प्रावधान किए गए हैं कि अधिसूचना के प्रकाशन या अधिग्रहण की घोषणा को, जैसा भी मामला हो, जहां भी स्थित है उस इलाके में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में शामिल किया जाए जिनमें से एक समाचार पत्र स्थानीय भाषा में होगा। यह व्यवस्था प्रकाशन का एक अन्य तरीका है जिससे कि देखा जा सके कि जिन हितबद्ध लोगों की भूमि अर्जित की जानी है, उन्हें गजट तथा स्थानीय सार्वजनिक नोटिसों के अलावा भी भूमि अधिग्रहण की जानकारी दी जा सके।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूखंडों का आवंटन

*580. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी योजना के अन्तर्गत निम्न आय, मध्यम आय और उच्च आय वर्गों के अन्तर्गत भूखंडों के आवंटन के लिए कितने लोगों ने अपने नाम पंजीकृत कराये थे;

(ख) प्रत्येक वर्ग के कितने लोगों को भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है;

(ग) प्रत्येक वर्ग के कितने लोगों को भूखंडों का आवंटन किया जाना अभी शेष है;

(घ) आवंटन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत सभी आवेदकों को भूखंडों का आवंटन करने में कितना समय और लगेगा ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) रोहिणी योजना के अन्तर्गत भूमि के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपने आपको पंजीकृत कराने वाले विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	18,390
निम्न आय वर्ग	38,105
मध्यम आय वर्ग	25,889
योग	82,384

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत 45,445 प्लाट निम्न प्रकार आवंटित किए हैं।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	10,522
निम्न आय वर्ग	10,157
मध्यम आय वर्ग	4,766
योग :	25,445

(ग) प्रत्येक श्रेणी में पंजीकृतों जिनको अभी प्लाट आवंटित किए जाने हैं, की संख्या के बारे में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	7,868
निम्न आय वर्ग	27,948
मध्यम आय वर्ग	21,123
योग :	56,939

(घ) और (ङ) भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रतीक्षित आवेदकों को अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का आवंटन नहीं किया जा सका। ज्यों ही अतिरिक्त भूमि अर्जित कर ली जाती है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाती है, योजना के अन्तर्गत पंजीकृत शेष 1 आवेदकों को प्लाटों का आवंटन कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र

*582 **श्री मोहनलाल झिकराम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने अल्प शक्ति दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे है, जिनके निर्माण का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार ने वहन किया है और ऐसे कितने केन्द्र हैं, जिनके निर्माण-व्यय का भार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने मिलकर वहन किया है अथवा जिनका पूरा खर्च राज्य सरकार ने वहन किया है और राज्य वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में अल्प-शक्ति दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) देश में कार्य कर रहे सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की लागत अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की गई है।

(ख) सरकार की परिकल्पना पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर, अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर और अति अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर जैसे विभिन्न श्रेणियों के पर्याप्त संख्या में ट्रांसमीटर, चरणबद्ध ढंग से, स्थापित करके दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने की है।

मध्य प्रदेश को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता

*585. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सहायता की राशि सूखा पीड़ित और ओलावृष्टि से कुप्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं समझी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के लिए इन योजनाओं हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव कितनी सहायता के लिए थे; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नियमित प्लान योजनाएं हैं तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता इन कार्यक्रमों की मार्गदर्शकाओं में निर्धारित फार्मूला के अनुसार वितरित की जाती है। मध्य प्रदेश के मामले में इसी आधार पर सहायता दी गई थी। प्राकृतिक आपदाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कोई भी सहायता अभाव राहत के अन्तर्गत अग्रिम योजना सहायता के रूप में अलग से दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 हेतु प्रस्तावित आनन्तिम आवंटन नीचे दर्शाये गये हैं—

धनराशि (लाख रु०)

	(केन्द्र तथा राज्य)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3814.00
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	4114.00
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5073.61

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के रूप में अतिरिक्त संसाधनों की क्रमश: 41480 मीटरी टन तथा 41480 मीटरी टन की प्रथम छमाही की किस्त दी गई है। इन खाद्यान्नों की लागत पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। और अधिक खाद्यान्न वास्तविक कार्य निष्पादन के अनुसार बाद में दिए जाएंगे।

रोहिणी में मकान निर्माण के लिए ठेके

*587. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 में रोहिणी में मकानों के निर्माण के लिए ऐसे अनेक ठेके मंजूर किए गए थे, जिनकी निविदाएं प्रतिस्पर्धी न होने और दरें काफी ऊंची होने के आधार पर उससे पहले नामंजूर करने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने ठेके दिए गए और कुल कितनी राशि के तथा इस प्रकार के ठेकों के लिए दी गई दरों के द्वारा युक्तिसंगत दरों की अपेक्षा कुल कितना अधिक धन दिया गया; और

(ग) इस प्रकार के ठेके देने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

समस्यात्मक जनजातीय गांवों को जिला मुख्यालयों के साथ जोड़ना

*589. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्याप्त संचार साधन उपलब्ध करा कर समस्यात्मक जनजातीय गांवों को जिला मुख्यालयों के साथ जोड़ने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय उपयोजनाओं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किए जाते हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में चयनात्मक आधार पर सड़कों के विकास हेतु शत-प्रतिशत सहायक अनुदान सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कुछ सहायता उपलब्ध करा रही है।

श्वेत-क्रांति क्षेत्र के अन्तर्गत न आने वाले महाराष्ट्र के जिलों में डेयरी विकास सम्बन्धी अध्ययन

*590. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में डेयरी विकास विभाग द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि श्वेत क्रांति क्षेत्र के अन्तर्गत न आने वाले जिलों में दूध का उत्पादन श्वेत क्रांति जिलों की तुलना में विशेषकर पूंजी निवेश और उपेक्षित व्यय की दृष्टि से हर प्रकार से बेहतर है, और यदि हां, तो महाराष्ट्र और गुजरात में किए गए तुलनात्मक अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है अथवा किया गया है; और

(ग) यदि इस प्रकार के अध्ययन से बेहतर परिणाम निकले हैं, तो क्या भारतीय डेयरी निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकरण में सुधार करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) महाराष्ट्र में डेरी विकास विभाग और गुजरात राज्य सरकार ने अपने-अपने संबंधित राज्यों में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लक्ष्मी नगर में वाणिज्यिक भूमि की नीलामी

*591. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1983 में पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र में वाणिज्यिक भूमि की नीलामी की थी, जिसमें एक प्लाट स्टैंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज/पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्विसेज एसोसिएशन को दिया गया था;

(ख) क्या पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा इस भूमि के मूल्य का भुगतान 1983-84 में कर दिया गया था और उसे इस भूमि का कब्जा दे दिया गया था;

(ग) क्या पब्लिक एन्टरप्राइजेज सर्विसेज एसोसिएशन इस भूमि पर भवन का निर्माण नहीं कर सकी है, हालांकि उसने इमारत का नक्शा दिल्ली विकास प्राधिकरण को अप्रैल, 1983 में प्रस्तुत कर दिया था; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इमारत के नक्शे की मंजूरी दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) वर्ष 1983 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र में किसी भूखण्ड का नीलाम नहीं किया गया था। तथापि, इस जिला केन्द्र में 1983 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्टैंडिंग कान्फ्रेंस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज/पब्लिक इन्टरप्राइजेज सर्विसेज एशोसिएशन को एक भूखण्ड आवंटित किया गया था।

(ख) आवंटियों ने प्रीमियम का 25 प्रतिशत अर्थात् 5,59,30,000.00 रुपये की राशि जमा की। मार्च, 1985 को इस प्लाट का कब्जा सौंपा गया।

(ग) और (घ) यद्यपि पब्लिक इन्टरप्राइजेज सर्विसेज एसोशिएसन ने 15.4.85 को अपने भवन निर्माण नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए थे, फिर भी उन्होंने मालिकाना अधिकार इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज बाद में प्रस्तुत किए थे। इन नक्शों को अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि भवन प्रस्ताव का कार्यान्वयन लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र के विकास के सम्पूर्ण नक्शे को दिल्ली नगर कला आयोग के अनुमोदन की शर्त पर है। दिल्ली नगर कला आयोग ने 17 जनवरी, 1986 को हुई अपनी बैठक में कतिपय ब्यौरों का आकलन करने पर विस्तृत योजना का अनुमोदन कर दिया है।

इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम का आबंटन

*592. **डा० ए० के० पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कितनी पार्टियों/व्यक्तियों को आवंटित किया गया और प्रत्येक से किस दर पर किराया वसूल किया गया;

(ख) क्या किसी मामले में किराया रियायती दर पर वसूल किया गया था यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मार्ग-निर्देश क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ मामलों में किराये की कुछ राशि का भुगतान किया जाना अभी बाकी है; यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है और इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) प्रश्नगत अवधि के दौरान जिन पार्टियों/व्यक्तियों को स्टेडियम आवंटित किया गया था उनके नाम संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) निम्नलिखित 3 संगठनों से रियायती किराया दर वसूल किया गया था।

(I) विश्व सिंधी समाज।

(II) प्रबोधन तथा कार्यान्वियन समिति मार्फत : कांग्रेस शताब्दी (1985) समारोह समिति।

(III) अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन स्टेडियम के आवंटन की शर्तों में दी गई दरों के अनुसार निश्चित रूप से आवंटन किए गए हैं।

(ग) पार्टियों के नाम, वसूल योग्य राशि तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिए की गई कार्यवाही संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

क्र०सं०	पार्टी का नाम	आवंटन की अवधि	किराए की दर
1	2	3	4
1.	मै० कला मन्दिर चैरिटेबल सोसायटी, चावड़ी बाजार, दिल्ली	19.3.1983 (आधा)	70,000 रु०
2.	मै० लायन्स क्लब, बसन्त विहार, दिल्ली	20.3.1983 (आधा)	50,000 रु०
3.	मै० पियरलेस जनरल फाइनैंस एण्ड इन्वेसमेंट कम्पनी	12.2.1984 से 13.2.83 तक (आधा)	1,02,600 रु०

1	2	3	4
4.	मै० सरस्वती म्यूजिक कालिज	20.2.1983 (पूर्ण)	1,32,800 रु०
5.	मै० राजेन्द्र चैरिटेबल ट्रस्ट ए-52 ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1	7.3.1983 (आधा)	50,000 रु०
6.	मै० बास्केटबाल फेडरेशन आफ इंडिया	22.6.1983 (आधा)	14,250 रु०
7.	मै० दिल्ली रेसलिंग एसोशियेशन	26.7.83 से 31.7.83 (आधा)	1,28,000 रु०
8.	मै० फोर्यूम आफ यूथ सोशल वैलफेयर	13.8.1983 (पूर्ण)	1,02,000 रु०
9.	मै० क्रिकेट बोर्ड आफ इण्डिया	7.8.1983 (पूर्ण)	1,22,200 रु०
10.	मै० इंस्टीट्यूचर आफ इंजीनियर्स	17.9.83 से 18.9.83 (आधा)	64,200 रु०
11.	मै० इण्डियन कौंसिल एण्ड एग्री कल्चरल रिलेशन	9.10.1983 से 10.10.83 (आधा)	24,300 रु०
12.	विश्व सिंधी समाज	18.10.83 से 19.10.83 (आधा)	1,00,000 रु०
13.	विश्व हिन्दी सम्मेलन	28.10.83 से 31.10.83 (आधा)	1,59,600 रु०
14.	दिल्ली जमनास्टिक एसोशिएशन	18.11,83 (पूर्ण)	10,000 रु०
15.	खेल विभाग भारत सरकार	3.12.83 से 4.12.83 (आधा)	3,700 रु०
16.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	2,12.83 (आधा)	38,000 रु०
17.	भारतीय टिकवाडों संघ	28.3.83 (पूर्ण)	22,500 रु०
18.	यूनिवर्सल वैलफेयर एण्ड सर्विस धर्म पंचायत समिति	15.5.83, 22.5.83 29.5.83, 5.6.1983	1,56,900 रु०
19.	खेल विभाग भारत सरकार	15.2.84 से 21.2.84 (आधा)	12,950 रु०

1	2	3	4
20.	सचिव, रेलवे सेन्ट्रल बोर्ड, नई दिल्ली	22.2 84 से 26.2.84 (आधा)	27,500 रु०
21.	लायन्स कल्ब आफ इण्डिया, नई दिल्ली	8.4.1984 (पूर्ण)	1,28,000 रु०
22.	मै० सरस्वती म्यूजिक कालिज	13.5.1984 (पूर्ण)	91,500 रु०
23.	महावीर इन्टरनेशनल	15.9.1984 (पूर्ण)	1,01,500 रु०
24.	डेनिस जमनास्टिक प्रदर्शन	16.8.84 (आधा)	14,250 रु०
25.	एशियन फ्री-स्टाइल रेसलिंग प्रमोटर एसोशियेशन	2, 7, 14, 21 तथा 28.10.84 (पूर्ण)	28,500 रु०
26.	भारतीय टेबल टेनिस संघ	29,12.84 से 23.12.84 (आधा)	9,250 रु०
27.	खेल विभाग, भारत सरकार	10.84 से 12.4.84 (आधा)	12,550 रु०
28.	साहित्य कला परिषद्	23.1.85 से 25.1.85 (आधा)	1,14,000 रु०
29.	दिल्ली बैड-मिंटन संघ	22.2.85 से 4 3.85 (आधा)	25,900 रु०
30.	अनुप इन्टरप्राइजिज	23.3.85 (पूर्ण)	1,22,800 रु०
31.	लायन्स कल्ब	28.4.85 (आधा)	55,000 रु०
32.	प्रबोधन तथा कार्यान्वयन समिति मार्फत कांग्रेस सेंच्यूरी (1985) आयोजन समिति	6.5.85 (आधा)	62,500 रु०
33.	सरस्वती म्यूजिक कालिज	12.5.85 (आधा)	50,000 रु०
34.	भारतीय बैडमिंटल संघ	15.9.85 से 22.9.85 (आधा)	41,200 रु०
35.	दिल्ली ओलम्पिक संघ	4.10.85 से 5.10.85 (आधा)	5,775 रु०

1	2	3	4
36.	पी० जोनल मैनेजर, जीवन बीमा निगम	9.11.85 (आधा)	8,325 रु०
37.	गेम्ज कण्डक्ट टैक्निकल कमेटी के अध्यक्ष	19.11.85 से 23.11.85 (आधा)	25,900 रु०
38.	भारतीय खेल प्राधिकरण	14.11.85 से 18.11.85 (आधा)	16,280 रु०
39.	भारतीय दिल्ली वालीबाल संघ	22.12.85 से 29.12.85 (आधा)	29,600 रु०
40.	इलेक्ट्रिकल ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन	15.12.85 (आधा)	1,850 रु०
41.	अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन	3.12.85 से 4.12.85 (आधा)	14,000 रु०
42.	चीफ इलेक्ट्रोल आफिसर	17.12.85 (पूर्ण)	76,000 रु०
43.	मै० यूथ एफेयर्स एण्ड स्पोर्टस	1.2.86 से 2.2.86 (पूर्ण)	1,32,000 रु०
44.	भारतीय टेबल टेनिस संघ	4.2.76 से 10.2.86 (आधा)	12.590 रु०
45.	महानिदेशक केन्द्रीय पुलिस बल	21.2.86 से 24.2.86 (पूर्ण)	14,800 रु०

विवरण-दो

क्र०सं०	समारोह का नाम	समारोह की अवधि	बकाया राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली कुश्ती संघ	26 से 31 जुलाई, 83	131380.00	मंत्री, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, एफ० एम० (ई) को कई बार लिखा गया है परन्तु यह राशि अभी तक नहीं दी गई है।

1	2	3	4	5
2.	लता मंगेशकर नाइट के आयोजन के लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	17.8.83	129710.00	—वही—
3.	विश्व सिंधी सम्मेलन	18 से 19.10.83	87165.00	—वही—
4.	सचिव, कांग्रेस शताब्दी आयोजन	5 तथा 5 मई, 1985	5500.00	एफ० एम०/उपाध्यक्ष/दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस कार्यालय के दिनांक 9.7.85 के पत्र संख्या 23 (333) एस० ई० (ई) 111/1 जी० एस/भाग/1169 के द्वारा 5500 रु० की शेष राशि के भुगतान के लिए पत्राचार किया गया है।
5.	अध्यक्ष गेम्स कंडक्ट टेक्नीकल कमेटी, केयर आफ दिल्ली लाटरीज	19 से 25 नवंबर 85	21460.00	यह मामला मुख्य इंजीनियर (पूर्वी अंचल) से लाटरी फण्ड के लिए हिन्दुस्तान के भुगतान हेतु अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को भेजा गया है।
6.	चीफ इलेक्ट्रोल आफीसर 17.12.85 को मत पत्रों की गणना के लिए	17.12.85	77525.00	इस कार्यालय के दिनांक 5.3.86 के पत्र संख्या 23/333/एस० ई० (ई)/111/1 जी० एस०/डी० डी० ए०/खण्ड-11/465 द्वारा चीफ इलेक्ट्रोलर आफीसर को भुगतान के लिए पत्र व्यवहार किया गया है।

[हिन्दी]

श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम राहत

*593. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के इस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है कि यदि उन्हें अन्तरिम राहत न दी गई, तो वे हड़ताल कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो उस संघ की मांगों का ब्यौरा क्या है और इन्हें पूरा करने में क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई पहल का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मई, 1985 में सभी समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए 300/- रु० प्रतिमाह की अन्तरिम सहायता की मांग की, चाहें उनका वर्तमान वेतनमान कुछ भी हो। उसके बाद नेशनल कन्फेडरेशन आफ न्यूजपेपर्स एण्ड न्यूज एजेंसी एम्पलाईज आर्गनाइजेशनस से, जिसकी भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ एक शाखा है, अगस्त, 1985 में प्राप्त एक अन्य अभ्यावेदन में 400/- रु० प्रतिमाह की अन्तरिम सहायता की मांग की गई जिसकी अदायगी 1.1.1984 से की जानी है। समाचारपत्र कर्मचारियों ने अन्तरिम सहाता की तुरन्त घोषणा के लिए 2.4.1986 को एक दिन की हड़ताल की। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्डों के गठन के तुरन्त पश्चात अन्तरिम मजदूरी दरों के प्रश्न को इन बोर्डों को भेजा गया था। उनकी सिफारिशें अभी प्राप्त होनी है। सरकार ने मजदूरी बोर्डों के अध्यक्ष से पहले ही अनुरोध किया है कि वे अपनी सिफारिशें शीघ्र दें। सिफारिशें प्राप्त होते ही सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13क के अधीन उन पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

विजयनगर इस्पात संयंत्र के निर्माण में विलम्ब

*594. श्री सुरेश कुरूप : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयनगर इस्पात संयंत्र का शिलान्यास वर्ष 1973 में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तब से अब तक इस्पात संयंत्र के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस संयंत्र के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) संयंत्र का निर्माण-कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं, इसे अक्तूबर, 1971 में रखा गया था।

(ख) भूमि अधिग्रहण स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-भौतिकीय जांच, मिट्टी की जांच आदि जैसे कुछेक प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) कारखाने के निर्माण कार्य में देरी मुख्यतः धन-राशि की समग्र दिक्कत के कारण हुई है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नए इस्पात कारखानों, जिनमें विजयनगर इस्पात कारखाना भी शामिल है, के लिए 10 करोड़ रुपए की कुल योजनागत व्यवस्था की गई है। धन-राशि के इस आवंटन से, निकट भविष्य में इस कारखाने की स्थापना के लिए प्रभावी उपाय कर पाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

असम के लिए विनियमित बाजारों सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट

*595. **श्री अताउर्रहमान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने असम के लिए विनियमित बाजारों संबंधी एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और इस पर विचार करने तथा विश्व बैंक की सहायता प्राप्ति के लिए यह योजना उनके मंत्रालय को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ और इस समय इसकी क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) असम राज्य सरकार के कृषि निदेशालय ने "असम में विनियमित बाजारों के विकास की परियोजना" के नाम से परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति इस मन्त्रालय को दिसम्बर, 85 में भेजी है। तथापि, न तो असम राज्य सरकार ने और ना ही असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक की सहायता के लिए कहा है।

[हिन्दी]

बिहार में समेकित विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा गांवों को अपनाना

*596. **श्री कुंवर राम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा गांवों के अपनाये जाने के बारे में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में इस कार्य के लिए स्वीकृत किए गए स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को अमल में लाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में स्वयंसेवी संगठनों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए। उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में स्वयंसेवी एजेंसियां राज्य के 8 में से 4 कृषि विज्ञान केन्द्र चला रही हैं। ये केन्द्र कृषि और ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी कार्यवाही को बढ़ावा देने के केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कृषि उपकरणों के सम्बन्ध में गुण प्रकार नियंत्रण

5492. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उपकरणों और मशीनों के सम्बन्ध में गुण-प्रकार नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों/परीक्षण संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संस्थान कहां-कहां स्थित हैं और गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में किन विषयों में प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में एक ऐसी संस्थान की स्थापना की स्वीकृति देने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत सरकार ने तीन फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, जिनमें से एक बुदनी (मध्य प्रदेश) केन्द्रीय क्षेत्र में, दूसरा हिसार (हरियाना) उत्तरी क्षेत्र में और तीसरा गार्लेडाइने (आंध्र प्रदेश) दक्षिणी क्षेत्र में हैं। इनमें कृषि मशीनरी ने चयन, प्रचालन तथा रख-रखाव तथा उसके परीक्षण में कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार के दो और संस्थान, एक पूर्वी क्षेत्र में और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1985 के दौरान उत्प्रवासियों की संख्या

5493. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान उत्प्रवासियों की संख्या कितनी थी और वे किन-किन देशों को गए;

(ख) वे वहां किन-किन व्यावसायों के लिए गए;

(ग) भारत में वे किन-किन राज्यों के हैं;

(घ) किस-किस बंदरगाह से कितने व्यक्ति विदेश गए;

(ङ) उक्त वर्ष के दौरान भर्ती एजेंसियों से जमा के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई तथा इसी अवधि में उन्हें कितनी धनराशि वापिस की गई और 31 दिसम्बर, 1985 को उत्प्रवासी महासंरक्षक के पास कितनी धनराशि शेष थी; और

(च) उक्त जमा धनराशियों से वर्ष के दौरान कितनी आय हुई ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(ग) और (घ) ये आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) वर्ष 1985 के दौरान 1.59 करोड़ रुपये की राशि के बराबर बैंक गारंटी प्रतिभूति के रूप में उत्प्रवास महासंरक्षी के पास जमा की गई और 1985 के दौरान 26 लाख रु० की राशि की बैंक गारंटी रिलीज की गई।

(च) चूंकि प्रतिभूति बैंक गारंटी के रूप में ली जाती है, इसलिए इससे होने वाली आय का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

जनवरी-दिसम्बर, 1985 के दौरान देशवार दी गई उत्प्रवास अनुमति दर्शाने वाला विवरण

देश का नाम	कर्मकारों की संख्या
बहरीन	11,246
ईराक	5,855
जार्डन	159
सऊदी अरब	[68,938
लीबिया	2,449
ओमान	37,806
यमन अरब रिपब्लिक/पी० डी० आर० वाई०	2,090
कतार	5,214
कुवैत	5,512
संयुक्त अरब अमीरात	21,286
सिंगापुर	201
अल्जीरिया	503
अन्य	1,776
कुल :	1,63,035

विवरण-2

वर्ष 1985 के दौरान व्यवसाय-वार दी गई उत्प्रवास अनुमति दर्शाने वाला विवरण—

क्र० व्यवसाय का नाम		कर्मकारों की संख्या
1. बढ़ई		15,059
2. राज मिस्त्री		15,227
3. मजदूर		53,278
4. ड्राइवर		8,763
5. दर्जी		4,791
6. मैकेनिक		3,772
7. तकनीशियन		2,605
8. बिजली मिस्त्री		4,634
9. नलसाज		2,650
10. पेन्टर		2,678
11. स्टील फिक्सर		3,368
12. फिटर		3,047
13. अस्पताल कर्मचारी		1.205
14. आपरेटर		2,336
15. रसोइया		3,269
16. वेल्डर		1,651
17. बिक्रीकर्ता		3,372
18. परिचारिका/परिचर		2,232
19. कार्यालय कर्मचारी		2,168
20. इंजीनियर्स		537
21. फोरमेन		420
22. अन्य		25,973
	कुल :	1,63,035

"क्लूजा" तिलहन परियोजना

5494. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से उत्पादकों की सहकारी समितियों के गठन, किसानों को अधिक मूल्यों का भुगतान अथवा अपने किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में कोआपरेटिव लीग आफ यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका की तिलहन परियोजना का, उसके उद्देश्यों और वर्ष-वार लक्ष्यों की तुलना में, मूल्यांकन किया है;

(ख) "क्लूजा" द्वारा अपने किसानों को क्या प्रोत्साहन मूल्य दिए गए और उनकी तुलना में गैर-सदस्यों को क्या मूल्य दिए गए/मिले; और

(ग) क्या "क्लूजा" के किसानों की उत्पादकता में सुधार हुआ है और यदि हां, तो विभिन्न तिलहनों के लिए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तिलहन तथा वनस्पति तेल सम्बन्धी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना को "क्लूसा" तिलहन परियोजना कहना ठीक नहीं है। वास्तव में, यह परियोजना कोआपरेटिव लीग आफ यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका तथा कनाडा सहकारी संघ की मदद से क्रियान्वित की जा रही है। एक संयुक्त दल, जिसमें अमरीका सहकारी संघ/अन्तर्राष्ट्रीय विकास की संयुक्त राज्य की एजेन्सी/भारत सरकार/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड शामिल हैं, ने इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के लिए 1983 में इस परियोजना का मूल्यांकन किया। दल की सिफारिशें मोटे तौर पर संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं। कनाडा के एक समीक्षा दल ने भी हाल ही में परियोजना के इलाकों का दौरा किया और दल की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) किसान "क्लूसा" से भुगतान प्राप्त नहीं करते हैं। राज्य में तिलहन उत्पादक सहकारी संघ परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी किसानों को भुगतान करती है। मूंगफली के बाजार मूल्य और विभिन्न राज्यों में संघों द्वारा वे किन मूल्यों पर खरीद की गई, इनका तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रुपये/मीटरी टन)

गुजरात	1983-84	विपणन मूल्य	4700
		संघ मूल्य	5237
तमिलनाडु	1984-85	विपणन मूल्य	4400
		संघ मूल्य	4436
आन्ध्र प्रदेश	1983-84	विपणन मूल्य	4300
		संघ मूल्य	4347

	1984-85	विपणन मूल्य	3980
		संघ मूल्य	4600
महाराष्ट्र	1984-85	विपणन मूल्य	5085
		संघ मूल्य	5250

सोयाबीन के मामले में गत वर्ष मध्य प्रदेश में औसत विपणन मूल्य घटकर न्यूनतम 2400 रुपये प्रति मीटरी टन तक हो गया, परन्तु संघ ने 2650 रुपये प्रति मीटरी टन पर खरीद की ।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन तथा वनस्पति तेल परियोजना के तहत विकास के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न तिलहन फसलों की उत्पादकता संलग्न विवरण-2 में दी गई है । यह परियोजना इन राज्यों के कुछ चुनिंदा जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, तिलहन फसलों की उत्पादकता सिंचाई, डीजल तथा बिजली की सप्लाई, मौसम की परिस्थितियों आदि जैसे अनेक घटकों से भी प्रभावित होती हैं ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजना ने तिलहनों का समाकालित उत्पादन, अधिप्राप्ति, परिसंस्करण तथा विपणन के माध्यम से किसानों को उनके तिलहन उत्पाद के लिए अधिक मूल्य दिलाने की तथा इन कार्यों की तिलहन उत्पादकों के निजी सहकारी संगठनों को सौंपने में मदद की है । इस प्रकार तिलहनों की खेती में धन लगाकर अधिक आय प्राप्त करने के लिए इसने किसानों को प्रेरित किया है । यह किसानों के लिए आदानों अर्थात् बीज, उर्वरक तथा कृमिनाशक दवाओं आदि की ठीक समय पर आपूर्ति करने की व्यवस्था भी करता है ।

विवरण-1

यू० एस० ए० की सहकारी लीग (क्लूसा)/अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी/भारत सरकार/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड वाले संयुक्त दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

1. परिसंस्करण के लिए लाइसेंस देने की पद्धति को सरल व कारगर बनाया जाए ।

2. मंडी सम्बन्धी विश्लेषण और पुर्वानुमान लगाने के कार्यों की केन्द्रीय व्यवस्था का विकास किया जाए ।

3. इस परियोजना की कार्य नीति वार्षिक पैदावार को बहुत अधिक बढ़ाने की कोशिश करने की बजाय वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पैदावार को एक संतुलित स्तर पर वर्ष प्रति स्थिर बनाने की हो ।

4. सोसायटी सचिवों को अपना कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए ।

5. जहां किसी कृषि सम्बन्धी पद पर गैर-कृषि उम्मीदवार को तैनात करना जरूरी हो, वहां उनके लिए कृषि विषयों में गहन और औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ।

6. राज्य सरकारें और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, संघों के उच्च स्तरीय प्रबन्धक पदों पर सुअर्हत लोगों को तैनात करने तथा उन्हें इन मदों पर कम से कम तीन से चार वर्ष तक बनाए रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हों ।

7. राज्य संघों को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए और परिसंस्करण प्लांट प्रवर्धकों का अपने क्षेत्र में अर्द्ध स्वशासी कार्य क्षेत्र दिया जाना चाहिए ।

8. क्षेत्रों से बाहर कच्चा माल या तैयार माल लाने ले जाने सम्बन्धी फैसले संघ के मुख्यालय में लिए जाने चाहिए ।

9. सिंचित क्षेत्रों में बड़े प्लांट ही उचित होंगे, क्योंकि वहां पर उत्पादन, खरीद और क्षमता का अनुकूलतम उपयोग होना अधिक निश्चित होता है ।

10. राज्य संघों को धीरे-धीरे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की खरीद संबंधी सहायता लेना कम करना चाहिए और खरीद के लिए वाणिज्यिक वाहनों का यथा सम्भव इस्तेमाल शुरू करना चाहिए ।

11. खरीद कार्य वर्ष भर किया जाए ।

विवरण-2

पिछले 6 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के तिलहन और वानस्पतिक तेल परियोजना के अन्तर्गत विकास के लिए हाथ में ली गई विभिन्न राज्यों में विभिन्न तिलहनों की उत्पादकता

उत्पादकता कि० ग्रा० प्रति हैक्टार में

फसल/राज्य	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली :						
गुजरात	889	774	996	638	842	763
आंध्र प्रदेश	831	660	990	753	1031	781
तमिलनाडु	1063	862	1222	936	1027	1086

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	703	1340	1352	1317	1545	1549
महाराष्ट्र	760	733	843	769	997	1036
कर्नाटक	724	581	755	652	841	866
सोयाबीन :						
मध्य प्रदेश	579	770	765	614	752	799
तोरिया-सरसों :						
गुजरात	459	461	436	1232	1359	1225
उड़ीसा	272	447	447	460	476	448

गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि का कम उपयोग किया जाना

5495. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन किए जाने के बावजूद आबंटित राशि का काफी बड़ा भाग अप्रयुक्त रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) इस विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे तीन मुख्य गरीबी निवारक कार्यक्रम हैं :—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम। छठी योजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी आबंटित राशि अप्रयुक्त नहीं रही। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित राशि में से लगभग 97.9 प्रतिशत को उपयोग में ले लिया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम अगस्त, 1983 में ही शुरू हुआ था तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान 76.2 प्रतिशत राशि को उपयोग में लाया गया। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के अन्तिम वर्ष में राशि के उपयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी जबकि उस वर्ष के दौरान आबंटित राशि के 93.7 प्रतिशत भाग को उपयोग में ले लिया गया था। यह भी बताना उचित होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी के अन्तर्गत कार्यक्रमों को जारी रखने के उद्देश्य से 25 प्रतिशत राशि को अगले वित्त वर्ष में ले जाने की अनुमति है।

[हिन्दी]

हैदराबाद में फिल्मोत्सव के अवसर पर प्रदर्शित फिल्मों का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

5496. श्री आर० एम० भोये : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में हाल ही में आयोजित फिल्मोत्सव के अवसर पर प्रदर्शित फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। प्रक्रिया के अनुसार, इन फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए विचार किया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में दूरदर्शन सुविधा

5497. श्री टी० बशीर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितनी जनसंख्या को दूरदर्शन प्रसारणों की सुविधा प्राप्त है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी जनसंख्या को यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन सेवा इस समय केरल की लगभग 77.5 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है।

(ख) केरल में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 4 नए दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की 7वीं योजना में शामिल की गई हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, राज्य में दूरदर्शन सेवा इसकी लगभग 85.7 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री के लिए दूरदर्शन पर विज्ञापन देना

5498. डा० बी० एल० शैलेश : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड स्टेनलैस स्टील डिनर सेटों और बर्तन-भांडों जैसे नवीनतम उत्पादों की बिक्री के लिए दूरदर्शन पर विज्ञापन दे रहा हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के विज्ञापनों पर कितना धन खर्च होंने को सम्भावना है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपनी ओर से कोई विप्णन सर्वेक्षण कराया है; यदि हां, तो किस एजेंसी के माध्यम से मर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने केवल शहरों में बल्कि सम्पूर्ण देश में अपने उत्पादों की बिक्री के लिए क्या आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सैलम इस्पात कारखाने द्वारा निर्मित ठंडी बेलित स्टेनलेस स्टील की चादरों/क्वायलों के अलावा स्टेनलेस स्टील के डिनर सेटों तथा बर्तन-भांडों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से विज्ञापन देने का प्रस्ताव "सेल" के विचाराधीन है। ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से तय किया जाना है।

(ग) प्रारम्भिक विपणन सर्वेक्षण आन्तरिक रूप से किया गया था।

(घ) "सेल" द्वारा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की बिक्री के लिये अतिरिक्त रूप से आधारभूत ढांचा नहीं बनाया गया है।

प्रकाशम जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

5499. **श्री सी० सम्बु** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने प्रकाशम जिले में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण से खनिज भंडारों का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी हां। खनिजों का सर्वेक्षण एक लगातार चलने वाला कार्य है तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आन्ध्र प्रदेश का खनन व भूतत्व निदेशालय, प्रदेश के प्रकाशम जिले में काफी अरसे से सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं। अब तक के सर्वेक्षणों के फलस्वरूप, निम्नलिखित खनिज निक्षेप होने का अनुमान है :—

खनिज	भंडार
1. सीसा-अयस्क	2.69 प्रतिशत सीसा युक्त 0.3 मिलियन टन
2. चुम्बकीय लोह अयस्क	30 से 40 प्रतिशत युक्त 173.27 मिलियग टन

3. सिलिका सैन्ड	2.0 मिलियन टन—केवल सिलिका-एलाय ग्रेड
4. जिप्सम	1800 टन
5. बैराइट	1,15,439 टन—सभी ग्रेड
6. कायनाइट	32 मिलियन टन

चित्तूर जिले में हार्सले हिल्स पर टी० वी० रिले केन्द्र की स्थापना

5500. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हार्सले हिल्स पर एक टी० वी० रिले केन्द्र आरम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उसका सर्वेक्षण हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त टी० वी० रिले केन्द्र किस सम्भावित तारीख तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) चित्तूर जिले में तिरूपति में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 किलो वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की स्कीम दूरदर्शन को सातवीं योजना में शामिल की गई है। प्रस्तावित ट्रांसमीटर के लिए उपयुक्त स्थान अभी तक ढूंढा नहीं गया है।

(ग) उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने में आमतौर पर 3-4 वर्ष लग जाते हैं। संसाधनों की वर्ष-वार वास्तविक उपलब्धता के अधीन रहते हुए यह आशा की जाती है कि प्रस्तावित ट्रांसमीटर सातवीं योजना अवधि के अन्त तक चालू हो जाएगा।

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में संघों की सदस्यता का सत्यापन

5501. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या श्रम मंत्री भाखड़ा मजदूर संघ को मान्यता देने के बारे में 5 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में चल रहे कार्मिक संघों की सदस्यता का सत्यापन करने से पूर्व प्राथमिक ब्यौरे इक्ट्ठा कर लिए हैं और उनकी जांच कर ली गयी है;

(ख) क्या सत्यापन कार्य शुरू किया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सत्यापन कार्य किस तारीख तक पूरा किया जाएगा और इस बारे में क्या आवश्यक निर्णय लिया गया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) से कहा गया है कि वे भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में काम कर रही यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन शुरू करें और उसे शीघ्र पूरा करें ।

पोर्ट ब्लेयर में श्रम प्रायोग की स्थापना

5502. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय सरकार के कई संगठन कार्यरत हैं, विशेषकर निर्माण कार्य में;

(ख) यदि हां, तो क्या पोर्ट ब्लेयर में श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), का एक कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), के संगठन का एक सक्षम अधिकारी पहले ही पोर्ट ब्लेयर में कार्यरत है ।

बीड़ी मजदूरों को चिकित्सा सहायता देने हेतु धनराशि का आबंटन

5503. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तपेदिक तथा अन्य चिरकालिक बीमारियों से पीड़ित बीड़ी मजदूरों के लाभ के लिए किए गए प्रावधानों/आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार बीड़ी श्रमिकों को कुछ चिकित्सा सहायता देने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) तपेदिक तथा अन्य चिरकालिक बीमारियों के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। ऐसी बीमायिों के उपचार संबंधी व्यय को "स्वास्थ्य" शीर्ष के अधीन किए बजट प्रावधानों से पूरा किया जाता है। तपेदिक अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण करने, तपेदिक के रोगियों का घरेलू उपचार करने

तथा केन्सर के रोगियों के इलाज पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रोटोटाइप योजनाओं को अपनाया गया है।

(ग) बीड़ी मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याण उपायों संबंधी व्यय को योजनाइतर निधियों में से पूरा किया जाता है।

कटक दूरदर्शन केन्द्र पर रंगीन कार्यक्रम शुरू करना

5504. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक से केवल ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रमों को ही प्रसारित किया जा रहा है;

(ख) क्या वहाँ के उपकरण भी बहुत पुराने हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो पुराने उपकरणों को बदलने तथा कटक दूरदर्शन केन्द्र पर रंगीन कार्यक्रमों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जबकि कटक में 10 किलोवाट वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर को एक वर्ष पहले ही चालू किया गया था, कटक के कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के कुछ पुराने उपकरणों को बदलने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है।

गुजरात में वेरावल के लिए लो पावर टी० वी० ट्रांसमीटर

5505. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वेरावल के लिए लो पावर टी०वी० ट्रांसमीटर मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा और कब से चालू हो जायेगा;

(ग) इसके प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लो पावर टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) वेरावल में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई है। तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वय संसाधनों के वर्ष-वार आबंटन पर निर्भर करेगा।

(ग) वेरावल में लगाये जाने वाले प्रस्तावित अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर, इसकी सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

(घ) पालनपुर, सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, वलसाट, आहुवा और गोधरा में सात अतिरिक्त अल्प शक्ति (100 वाट) वाले टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना की स्कीमें भी दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं। इसके अलावा, भुज में अल्पशक्ति वाला एक टी० वी० ट्रांसमीटर दूरदर्शन की छटी योजना की चली आ रही स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

दूरदर्शन केन्द्रों के लिये केन्द्र निदेशक

5506. **श्री नारायण चौबे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दूरदर्शन केन्द्रों में केन्द्र निदेशक नहीं हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ख) केन्द्र निदेशकों के न होने पर ऐसे केन्द्रों का कार्य कौन देख रहा है; और

(ग) इन केन्द्रों में उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, नहीं। सभी दूरदर्शन केन्द्रों पर 1500-2000 रुपए के ग्रेड के या 1100-1600 रुपए के ग्रेड के केन्द्र निदेशक तैनात किए हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1500-2000 रुपए के वेतन मान में मंजूर पदों की रिक्तियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पैनल में शामिल अधिकारियों के उपलब्ध होते ही भर दिया जायेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम को बैंकों पर भी लागू करना

5507. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 को समस्त बैंक उद्योग पर लागू नहीं किया गया अपितु इसे केवल एक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में कार्य करने वाले बैंकों तक ही सीमित रखा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस असंगति ने बैंक प्रबंधकों को उक्त अधिनियम के विरुद्ध स्थान आदेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि खर्चे को बचाया जा सके;

(ग) क्या उचित विधान के माध्यम से इस असमानता और असंगति को दूर करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है ताकि इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक की एक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से बाहर कोई शाखा है उक्त अधिनियम को समस्त बैंक उद्योग पर लागू किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ बैंकों ने, जो प्रारम्भ में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत बैंक हैं और जो एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, बाद में राज्य से बाहर शाखाएं खोल दी हैं और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की प्रयोज्यता को चुनौती दी है। एक मामले में, बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य से बाहर शाखाएं खोलने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं होता है। एक और मामले में यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की प्रयोज्यता के खिलाफ बैंक ने स्थान आदेश प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है।

प्रौद्योगिकी का किसानों तक न पहुंच पाना

5508 **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से कृषि और अनुसंधान परिषद के अनुसंधान और विकास के लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं हालांकि उसके पास प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए एक कुशल आधारभूत ढांचा है तथा महत्वपूर्ण और नवीन "प्रयोगशाला से खेतों तक" कार्यक्रम भी है; और

(ख) क्या इसका मुख्य कारण उपयुक्त अनुसंधान के अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण परिणामों का अभाव है जैसाकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय आदि के मामले हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। भा. कृ. अ. प. की विस्तार शिक्षा प्रायोजनाएं किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में प्रथम श्रेणी की जानकारी देने और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। राज्य के कृषि विभाग की विस्तार मशीनरी सभी कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों तक ऐसी कृषि प्रौद्योगिकियों को पहुंचाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम विहार में भूखण्डों का आबंटन

5509. श्री अमर सिंह राठवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम विहार, नई दिल्ली के ब्लाक ए० 4 में 60-70 भूखण्डों का अभी तक आबंटन किया गया है;

(ख) यदि नहीं तो उन्हें कब तक आबंटित कर दिया जाएगा;

(ग) क्या इन खाली भूखंडों पर बहुत सी झुग्गियां बना ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विस्तार इन झुग्गियों को हटाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपे गए प्लाटों में से ब्लाक ए 4, पश्चिम विहार रिहायशी योजना में आबंटन हेतु केवल 5 प्लाटों खाली पड़े हैं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन प्लाटों को या तो दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए जिनकी भूमि अर्जित कर ली गई है उन व्यक्तियों को वैकल्पिक आबंटन द्वारा या जब भी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, नीलामी द्वारा बेच दिया जाएगा ।

(ग) ब्लाक ए-4, पश्चिम विहार के प्लाट नं० 10 में 6 झुग्गियां बनी हुई हैं। अन्य 4 खाली प्लाटों पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

मछुआरों में व्याप्त कुपोषण

5510. श्री मानिक रेड्डी
डा० डी० एन० रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किए गए

मछुआरों के छः समुदायों के अध्ययन के अनुसार मछुवारों में अधिक कुपोषण व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के निष्कर्षो का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) खाद्य और कृषि संगठन के बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम द्वारा मछली पालकों के छह गांवों (तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में दो-दो) जिनमें बच्चों की कुल सं० 448 है, में किए गए पोषण संबंधी सर्वेक्षण पर रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सातवीं योजना में मत्स्य पालन विकास

5511. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य-पालन के लिए विभिन्न राज्यों को किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य-पालन को बढ़ावा लेने के लिए चार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु भारत सरकार के शेयर में निर्धारित धनराशि निम्न प्रकार है :—

(1) मत्स्यपालन का विकास	1500.00 लाख रुपये
(2) डिम्पोना उत्पादन के लिए अवसंरचना संबंधी विकास	600.00 लाख रुपये
(3) मात्स्यकी जलाशॅय का विकास	400.00 लाख रुपये
(4) परित्यक्त जलाशयों का विकास और मत्स्यपालन के लिए कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग	165.00 लाख रुपये

(ग) उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई विशेष राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, योजनावार निधि की निर्मुक्ति समय-समय पर राज्यों द्वारा की गई विशेष मांगों के अनुसार की गई है, जो प्रत्येक योजना के अन्तर्गत प्राप्त वास्तविक प्रस्तावों और भौतिक प्रगति

पर आधारित होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि की निर्मुक्ति योजनाओं में बतायी गई सहायता की पद्धति के भीतर की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फैडरेशन द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस

5512. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल, भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फैडरेशन, बंगलौर के पदाधिकारियों द्वारा श्रमशक्ति भवन पर 7 अप्रैल 1986 से अनिश्चित काल के लिए क्रमिक भूख हड़ताल किए जाने का नोटिस प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और हड़ताल न होने देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फैडरेशन, बंगलौर से नोटिस प्राप्त हुआ है, जो एक मान्यता न प्राप्त फैडरेशन है। उनके द्वारा उठाए गए मसलों में से कुछ मसलों को मान्यता प्राप्त फैडरेशन द्वारा भी उठाया गया है और उपयुक्त कार्यवाई के लिए इनकी जांच की जा रही।

[हिन्दी]

राजस्थान में खानों का विकास

5513. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खानों के विकास की क्या संभावनाएं हैं तथा इस संबंध में कितनी बार सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि युवकों में बेरोजगारी को दूर करने हेतु वहां खानों का तेजी से विकास करने की आवश्यकता है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा नियमित ओर लगातार सर्वेक्षण किये जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप, गत दो दशकों में राजस्थान में अनेक खनिज निक्षेपों का पता चला है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र इन निक्षेपों के विकास में लगे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप, राजस्थान की खानों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का विकास और कृषि उत्पादों का निर्यात

5515. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि के विकास की गति को तेज करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान कृषि वस्तुओं के निर्यात में सुधार करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां' तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना):(क) सरकार विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के जरिए देश में जिसमें दूर-दराज के तथा पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। कृषि विकास को तेज करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। देश के सभी खण्डों (ब्लाकों) में, जिनमें पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्र शामिल हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। पूर्वी राज्यों में एक विशेष चावल उत्पादन शुरू किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ सके। पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लाभ के लिये पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों में मक्का प्रदर्शन की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रीय बारानी खेती परियोजना के माध्यम से बरानी खेती वाले क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) और (ग) सरकार कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक उपायों पर विचार करके उन्हें अमल में लाती है। इसमें, दीर्घावधिक निर्यात नीति तैयार करना, निर्यात की क्षमता वाली जिन्सों का पता लगाना, निर्यात की सम्भावनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना तथा संभव सुविधाओं की व्यवस्था करना, निर्यात के विकास और विपणन के लिये सहायता देना तथा अच्छी क्वालिटी/मानकों आदि की अनुरूपता शामिल है।

दूरदर्शन पर हिन्दी समाचारों से पहले राष्ट्रीय ध्वज दिखाना

5516. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर हिन्दी समाचारों के प्रसारण से पहले राष्ट्रीय ध्वज

दिखाया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस तरह दिखाया गया ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने के लिए निर्धारित विशिष्टिताओं के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि इस तथ्य को मंत्रालय की जानकारी में लाए जाने के बावजूद अब तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी का एक एक समाचार बुलेटिन शामिल है, देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाली छवियों, जो विविधता में एकता का प्रतीक है, के लोगों से शुरू होता है। तब ये छवियों भारत के एकल बहीरेख मानचित्र, जिसमें प्रतीक स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंग और अशोक चक्र होता है, में विलय हो जाती हैं। बहीरेख मानचित्र में दिखाए गए अशोक चक्र के व्यास से संबंधित मामले को दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद जिसकी सहायता से मूल लोगों विकसित किया गया था, के साथ पहले ही उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

उत्पादकों और उपभोक्ताओं को बिचौलियों के शोषण से बचाना

5517. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केवल "एग्मार्क" का लेबल लगाकर उपभोक्ता वस्तुओं का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है और यदि नहीं, तो जनवरी, 1985 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : जी नहीं। कृषि उपज (श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 द्वारा इस विभाग के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय को विभिन्न कृषि पदार्थों के लिए ग्रेड़ विनिर्देशन निर्धारित करने हेतु प्राधिकार दिए गए है। अब तक 100 श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन नियम अधिसूचित किए गए हैं जिनमें 142 कृषि तथा सम्बद्ध वस्तुएं शामिल हैं। अधिनियम के तहत एग्मार्क के अन्तर्गत वस्तुओं को श्रेणीकृत करने के लिए केवल उन्ही उत्पादकों को प्राधिकृत किया गया है जिनके पास उपयुक्त उपकरण, प्रयोगशाला की सुविधाएं, स्वच्छ श्रेणीकरण स्थल, प्रशिक्षित कार्मिक हैं। किसी भी उपज को एग्मार्क प्रदान करने के लिए एक सामान वस्तुओं में से विश्लेषण तथा विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए एक नमूना लिया जाता है। इन परीक्षणों के आधार पर उपज को उपयुक्त एग्मार्क ग्रेड दिया जाता है। बाद में इसे डिब्बों में बन्द करके उपयुक्त एग्मार्क चिन्ह लगाकर सील कर दिया जाता है। निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा

निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता है।

[अनुवाद]

कृषि लागत और मूल्यों के लिए आयोग का पुनर्गठन

5518. **श्री बंजावाड़ा पपी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि लागत और मूल्यों संबंधी आयोग में आन्ध्र प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस आयोग में शामिल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से तीन सदस्यों के नामों की कोई सूची प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग में प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ राज्य सरकारों/संगठनों/अलग-अलग व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इस प्रायोजन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से भी तीन नामों की सूची प्राप्त हुई है।

आयोग के पुनर्गठन तथा विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए नामों पर पुनर्गठित आयोग के लिए गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियों को अन्तिम रूप देते समय भी विचार किया जाएगा।

गुजरात में समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन

5519. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावाणि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कुछ दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं आदि के लिए विज्ञापन गत पांच वर्षों से बन्द कर दिए गए हैं और/अथवा नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं और ये किन स्थानों से प्रकाशित होते हैं,

(घ) ऐसे नए समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं आदि के नाम और प्रकाशन स्थान क्या हैं जिन्हें उक्त अवधि के दौरान विज्ञापन देना शुरू किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जो झूठे परिचालन आंकड़े देते हैं और अखबारी कागज के कोटे का भी दुरुपयोग करते हैं; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) गुजरात के उन समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों, जिनका उपयोग 1.1.1981 से 1.1.1986 तक की अवधि के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सरकारी विज्ञापन देने के लिए बन्द कर दिया गया था, के नाम और उनके प्रकाशन स्थानों के नाम संलग्न विवरण (1) में दिए गए हैं। विज्ञापन देने के लिए इनका उपयोग इसलिए बन्द करना पड़ा, क्योंकि ये समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र या तो छपने बन्द हो गए थे या ये सरकारी विज्ञापन देने के लिए निर्धारित नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे। "वदोदरा समाचार" "उपवन", जनज्योत", "नवसंस्कार" और "स्त्री जीवन" का उपयोग वर्ष 1985-86 के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु पुनः शुरू कर दिया गया है।

(घ) गुजरात के उन समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों, जिन्हें 1.1.1981 से 1.1.1986 तक की अवधि के दौरान विज्ञापन दिए गए हैं, के नाम तथा उनके प्रकाशन स्थान संलग्न विवरण (2) में दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

क्रसं०	समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के नाम	प्रकाशन स्थान
*1.	वदोदरा समाचार	वडोदरा
2.	लोकमान्य	राजकोट
3.	पगडंडी	भावनगर
4.	खेड़ा वर्तमान	खेडा
5.	समय	सुरेन्द्र नगर
6.	नूतन गुजरात	अहमदाबाद

7. आगे कदम	पेरताद
*8. उपवन	भरोच
*9. जनज्योति	इडार
10. नवसंस्कार	खमगत
11. फ्लैश	अहमदाबाद
12. निरंजन	राजकोट
13. नवचेतन	अहमदाबाद
14. अया डाइजेस्ट	अहमदाबाद
15. अर्पण	बड़ौदा
16. विद्युत ज्योति	राजकोट
17. कच्छ रचना	अहमदाबाद
18. कृषि विज्ञान	राजकोट
19. स्त्री जीवन	अहमदाबाद
20. वेस्टर्न टाइम्स	अहमदाबाद
21. संडे स्टैन्डर्ड	अहमदाबाद

इन प्रकाशनों का उपयोग 1985-86 के दौरान पुन: शुरू कर दिया गया था।

विवरण-2

क्रम सं०	समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम	प्रकाशन स्थान
गुजराती		
1.	सेवक	अहमदाबाद
2.	स्वराज्य	पालनपुर
3.	पंचमहल वर्तमान	गोदरा
4.	सातुछाया	दीसा
5.	शैक्षणिक प्रगति समाचार	राजकोट

6. जनयुग	राजकोट
7. लोक भूमि	बरसाद
8. तरातम	जामनगर
9. प्रेरणा पत्रिका	सिवासी
10. प्रजा समाचार	बलसाद
11. बनासबारी	पालनपुर
12. रंगतरंग	अहमदाबाद
13. धरम सन्देश	अहमदाबाद
14. निरंजन	राजकोट
15. ज्योतिश दीप	अहमदाबाद
16. सखी	अहमदाबाद
सिन्धी	
17. हिन्दू	अहमदाबाद
18. झुलेलाल	अहमदाबाद
19. चेतीचांद	नाडियांड

इन प्रकाशनों का उपयोग बाद मे 1985-86 के दौरान बन्द कर दिया गया था।

खाद्यान्नों का समर्थन/न्यूनतम मूल्य

5520. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि से देश के किसान प्रसन्न नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इसकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किसानों के इस रोष का ध्यान में रखते हुए सरकार खाद्यान्नों के समर्थन/न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने और उर्वरकों का मूल्य कम करने पर विचार कर रही है ताकि किसान गेहूं और अन्य फसल उगाने वाले क्षेत्रों में अन्य किसी प्रकार की वाणिज्यिक फसलें न उगाएं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों में हाल में घोषित की गई वृद्धि से देश के किसान आमतौर

पर अप्रसन्न नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

कमजोर सहकारी बैंकों को पुनरूज्जीवित करना

5521. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीव दृष्टि से कमजोर सहकारी केन्द्रीय बैंकों को पुनरूज्जीवित करने के लिए वर्ष 1972-73 से 1979-80 के दौरान कोई योजना कार्यान्वित की गई थी,

(ख) क्या यह योजना वित्तीय दृष्टि से कमजोर बैंकों से सम्बद्ध ऋण समितियों के सदस्यों के हित में कार्यान्वित की जा रही थी;

(ग) क्या वित्तीय दृष्टि से कमजोर बैंकों को उनके पुनरूज्जीवन के लिए अनुदान नहीं दिए हैं और उससे बैंकों की ऋण सीमा पर प्रभाव पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप समितयों के किसान सदस्यों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने की उनकी क्षमता कम हुई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त योजना को तत्काल पुनः शुरू करने का निर्णय लेने का है, जिससे कि किसान सदस्य ऋण सुविधा से वंचित न हों;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। 1972-73 से 1979-80 की अवधि के दौरान देश में चुने गए कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को नए सिरे से हालत सुधारने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना गत स्कीम चल रही थी।

(ख) और (ग) स्कीम के अन्तर्गत उन कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को, जिनके वसूल न होने वाले और सन्दिग्ध कर्जे, पिछले तीन वर्षों की अवधि की कुल संचित हानि और अन्य अतिदेय राशि उनके स्वामित्व को निधि को 50% से अधिक थी और जिनकी उपयोग नहीं की गई स्वामित्वाधीन निधि 25 लाख रुपये से कम थी, छोटे और सीमान्त किसानों के काम बकाया पड़े कर्जों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वसूल न की जा सकने वाली राशि को बट्टे-खाते में डालने के लिए सहायता दी गई थी।

विभिन्न राज्यों में अभिज्ञात किए गए कमजोर जिला सहकारी बैंकों को इस स्कीम के अन्तर्गत 876 लाख रुपए (संबंधित राज्य सरकारों से सहायता की इतनी ही राशि के साथ) की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

इस स्कीम के अन्तर्गत दी गई सहायता के बाद, किसान-सदस्यों की उत्पादन सम्बन्धी ऋण

दिए जाने की समूची स्थिति में कोई कमी नहीं आई है '

(घ) इस स्कीम को दोबारां चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों का उत्पादन और आयात

5522. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरक का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में उर्वरक के आयात करने की सम्भावना है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितनी मात्रा में उर्वरक का आयात किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) कितने लाइसेंस जारी किए जाने की सम्भावना है और इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा ये लाइसेंस कब तक जारी कर दिए जाएंगे।

कृषि मंत्री सरदार बूटा सिंह : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में उत्पादित उर्वरकों की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :

	लाख टन न्यूट्रिएन्ट्स (लगभग)
नाइट्रोजन युक्त	43.2
फास्फेटिक	14.4
	57.6

वर्ष 1985-86 के दौरान उर्वरकों के आयात की कुल मात्रा लगभग 34 लाख टन न्यूट्रिएन्ट्स होगी।

वर्ष 1985-86 के दौरान गैस पर आधारित बड़े आकार के उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस और दो आशयपत्र जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मानक आकार के सिंगल सुपर फास्फेटक (एस० एस० पी०) संयंत्रों की स्थापना हेतु 11 आशयपत्र और 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। नाइट्रोफास्फेट और कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए भी एक आशयपत्र जारी किया गया था।

(ग) जारी किए जाने वाले सम्भावित लाइसेंसों की संख्या मुख्यत: स्वदेशी उत्पादन और प्रत्याशित मांग के बीच उपलब्ध अन्तर पर निर्भर करेगी। औद्योगिक लाइसेंस, पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विभाग के परामर्श से पद्धति का पालन करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भू-स्खलन की रोकथाम

5523. **डा० के० जी अदियोडी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रपात के कारण प्रति वर्ष होने वाली गड़बड़ी से प्रतिवर्ष भूस्खलन होना साधारण बात हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो भूस्खलप की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार पर्वतीय तिरछे ढलानी में भूमि अवक्रमण से सम्बन्धित समस्याओं से अवगत है। भूमि के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनका क्रमिक योजना अवधियों में विस्तार हुआ है और इनमें विविधता आयी हैं। नीति के रूप में समेकित जलाशय प्रबन्ध योजनाओं के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार और क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार संरक्षण नीति को सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जिन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है वे निम्न प्रकार हैं :

1. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

2. बाढ़ प्रवण नदियों के प्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध।

3. झूम खेती का नियन्त्रण।

4. पर्वतीय क्षेत्र विकास योजनाएं।

5. हिमालय के क्षेत्रों में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण।

6. ग्रामीण ईंधन के लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी।

हिमालय के क्षेत्रों में भू-स्खलन के प्रकोपों को ध्यान में रखते हुए भू-स्खलन के क्षेत्रों का क्षेत्रीकरण और भू-स्खलन की रोकथाम करना नामक एक परियोजना शुरू की गई है ताकि ढलानों की स्थिरता के लिए उपाय सुझाए जा सकें, भू-स्खलन की रोकथाम के लिए उपाय किए जा सकें और जान और चल सम्पत्ति के नुकसान को रोकने के लिए पूर्व चेतावनी पद्धति तैयार की जा सके। यह परियोजना कुमाऊं-गढ़वाल क्षेत्र में शुरू की गई है।

भू-स्खलन प्रवण क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण कार्य और रख रखाव से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए इंडियन रोड़ कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय भू-स्खलन समिति गठित की है। उक्त कार्य के लिए अपनायी जाने वाली विधियां संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के अलावा समिति ऐसे क्षेत्रों का भी पता लगायेगी जिनमें भू-स्खलन के बारे में अनुसंधान और विकास पर अधिक जोर दिय।

जाना चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास के क्षेत्रों में लघु मुख्य भू-स्खलन की रोकथाम संबंधी उपाय के रूप में भू-स्खलन होने के अलग-अलग मामलों के कारणों का विश्लेषण किया जाता है और पर्याप्त निकासी का प्रावधान, किनारों की ढलानों में रद्दोबदल, तृण भूमि का प्रावधान, पुश्ती ढांचे का निर्माण जैसे संरक्षणात्तक उपाय किए जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण और अनुसंधान संस्थान की पर्वतीय ढलानों के स्थायीकरण पर कार्य पर रहा है, जिसके कारण कभी-कभी भू-स्खलन हो जाता है। संस्थान ने प्रौद्योगिकी बेलनाकार टोकरा संबंधी संरचना, रोक बांधों और जल के साथ कीचड़ के आने जाने के रोकने के लिए शीघ्र उगने वाली किस्मों के रोपण के जरिए प्रौद्योगिकी विकसित की है।

[हिन्दी]

बिहार के नालंदा और नवाबा जिलों में विश्व बैंक की सहायता से गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना

5524. **श्री कुंवर राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के नालन्दा और नवादा जिलों में किन-किन गांवों को विश्व बैंक की सहायता से पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है;

(ख) इन सड़कों के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है;

(ग) मार्च, 1986 तक इन पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) सम्पूर्ण परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) बिहार के नालन्दा जिले में विश्व बैंक की सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई सड़क नहीं है। नवादा जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच सड़कें हैं तथा इन सड़कों से जोड़े गए गांव ये हैं :—(1) रसूली (2) हाथी-आवली (3) सिऊर (4) भट्टा (5) अमावन (6) केन्दुआ (7) चाकिया (8) खातंगी (9) तिआर तथा (10) लोहानीपुर।

(ख) 86.89 लाख रुपये।

(ग) 87.22 लाख रुपये।

(घ) सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु माइक्रोवेव टावर (सूक्ष्म तरंग स्तम्भ)

5525. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए संचार विभाग के माइक्रोवेव टावरों (सूक्ष्म तरंग स्तम्भ) का उपयोग करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या अनेक देशों में माइक्रोवेव टावरों का उपयोग संचार व्यवस्था तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण दोनों के लिए संयुक्त रूप से किया जाता है; और

(ग) भारत में भी इसी तरह का समन्वय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। कुछ देश इस काम के लिए इस प्रकार के संयुक्त टावरों का उपयोग करते हैं।

(ग) भारत में माइक्रोवेव टावरों के स्थापना स्थल टी० वी० ट्रांसमीटरों के लगाने के स्थलों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। इसके अलावा, अल्प शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटरों के साथ लगाये जाने वाले मास्टों की लागत न्यूनतम है।

खनिज विकास बोर्ड का बन्द किया जाना

5526. **श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार**
डा० बी० एल० शैलेश
श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज विकास बोर्ड को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सितम्बर, 1985 में इस बोर्ड द्वारा स्वीकृत अट्ठारह परियोजनाओं का क्या भविष्य है; और

(ग) इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

काम न होने के दिनों में मछुआरों को वैकल्पिक कार्य के अवसर

5527. **श्री एम० डेनिस** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम न होने के दिनों में मछुआरों को वैकल्पिक कार्य के अवसर उपलब्ध कराने के कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) और (ख) खारे पानी में मछली पालन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 500 लाख रुपए के आउटलेट के साथ सातवीं योजना में चल रही है। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ मन्दी के समय में भी रोजगार की व्यवस्था करेगी। इस योजना के तहत लगभग 1000 परिवारों को लाभ पहुंचाने हेतु अभी तक 1060 हैक्टेयर के क्षेत्र को कवर करने की मंजूरी दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

5528. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन इस्पात संयंत्रों का विस्तार किया गया है;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान उन इस्पात संयंत्रों में किए गए विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान कुछ इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनका उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तार करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों से निम्नलिखित इस्पात कारखानों में विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है, ये योजनाएं वर्ष 1986-87 तक चलेंगी तथा वर्ष 1986-87 के लिए अन्य विस्तार योजना कार्यक्रम नहीं बनाया गया है :—

1. भिलाई — इस्पात पिण्ड का प्रतिवर्ष 40 लाख टन तक विस्तार।

2. बोकारो — इस्पात पिण्ड का प्रतिवर्ष 40 लाख टन तक विस्तार।

3. मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर — इस्पात पिण्ड का प्रतिवर्ष 2,60,000 टन तक दूसरे चरण का विस्तार।

मृतकों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुआवजा

5529. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे गृह निर्माण अथवा मल-व्ययन लाइने डालने के लिए खुदाई करने अथवा अन्य निर्माण कार्यों में कितने मजदूरों की मृत्यु हुई अथवा कितने मजदूर घायल हुए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं में कितने मजदूरों को मुआवजा/अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में क्या प्रावधान हैं; और

(घ) क्या इस अधिनियम को उदार तथा यर्थात बनाने के लिए इसकी पुनरीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान, ठेकेदार के 3 श्रमिकों की मृत्यु हुई, 7 श्रमिक घायल हुए तथा अन्य 7 श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ यद्यपि उन पर कुछ मिट्टी का ढेर गिरा था। दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक इलैक्ट्रीसियन भी घायल हुआ था। इन दुर्घटनाओं में शामिल सभी 18 व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया था। ठेकेदार की ओर से न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी लि० ने 1,20,147 रुपये की राशि जमा कर दी है। यह राशि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त द्वारा मामले का फैसला करने के बाद मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों में बांट दी जाएगी।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, सम्बन्धित प्रबन्ध समिति को आयुक्त नोटिस जारी कर सकता है, यदि ऐसी कोई दुर्घटना को जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या पूर्ण रूपेण विकलांगता आती है या मृत्यु होती है, उनके ध्यान में लाया जाता है। यदि प्रबन्ध समिति द्वारा उत्तरदायित्व स्वीकार किया जाता है तो उस मामले में प्रबन्ध समिति को अधिनियम में दी गई अनुसूची के अनुसार मुआवजे की राशि दुर्घटना की राशि दुर्घटना की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर आयुक्त के पास जमा करानी होती है। यदि प्रबन्ध समिति द्वारा उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित कर्मकार द्वारा या मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारियों द्वारा जैसी भी मामला हो, प्रस्तुत दावों पर ही आयुक्त आगे कार्यवाही कर सकता हैं।

(घ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1.7.1984 को संशोधित किया गया था तथ मुआवजे की राशि यथेष्ट रूप में बढ़ा दी गई है तथा उसे कर्मकार/मृतक की उम्र से जोड़ दिया गया है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दी गई धनराशि

5530. **श्री गंगा राम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दी गई धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और कितनी धनराशि वापिस की गई है, और धनराशि वापिस करने के क्या कारण हैं; और

(ख) उसमें से कितनी धनराशि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर खर्च की गई और क्या इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया था ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा निर्मुक्त की गई निधियों, उपयोग में लाई गई कुल धनराशि तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता पर हुए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2564/86]**

अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने निधियों का उपयोग कर लिया है। उपयोग में न लाई गई निधियो को सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा अगले वर्ष हेतु ले जाया जा सकता है। निधियों के सही उपयोग पर निरन्तर बल दिया जाता है।

[अनुवाद]

जबलपुर रेडियो स्टेशन के लिए भूमि का आवंटन

5531. **श्री अजय मुशरान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में एक पूर्ण रूप से सुसज्जित रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन के बारे में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो विवाद के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या इसके लिए अन्य उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना को छठी योजना से सातवीं योजना में अंतरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में कार्यान्वित करने और पूरा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जबलपुर में स्थायी स्टूडियो स्थापित करने की स्कीम के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट गैर-सरकारी भूमि उपयुक्त पायी गई थी। राज्य प्राधिकारियों से भूमि का अधिग्रहण करने और उसका कब्जा सौंपने का अनुरोध किया गया था। तथापि, भूमि के स्वामी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। न्यायालय केस का अभी तक निपटान नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अब करूंगा क्षेत्र में दूसरे स्थान का प्रस्ताव किया है। इस स्थान की उपयुक्तता का आकलन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह स्कीम छठी योजना की अनुमोदित स्कीम है और अब इसे सातवीं योजना में "चली रही स्कीम" के रूप में शामिल किया गया है। इस स्कीम के सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित हो जाने की उम्मीद है।

सरकारी प्रचार माध्यमों के लिए पृथक बोर्ड

5533. **श्रीमती किशोरी सिंह** / **श्री मुरलीधर माने** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों ने सरकारी प्रचार माध्यमों की दो शाखाओं के लिए अलग-अलग बोर्ड की मांग की है जैसा कि 9 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या प्रचार माध्यमों सम्बन्धी सलाहकार समिति ने भी इस मांग का समर्थन किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) से (ग) आकाशवाणी कार्यक्रम स्टाफ एसोसिएशनों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया था कि दूरदर्शन के लिए साफ्ट-वेयर सम्बन्धी जोशी कार्यदल की रिपोर्ट की आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रबन्ध बोर्डों के अधीन पूर्ण-रूपेण सरकारी विभाग बनाने के बारे में सिफारिश और उस पर माध्यम सलाहकार समिति की रिपोर्ट कार्यान्वित की जाए। उक्त दोनों रिपोर्टों की सिफारिशों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी आवास को आगे किराये पर देना

5534. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने सरकारी आवासों को अप्राधिकृत रूप से आगे किराये पर देने के मामलों का पता लगा है; और

(ख) आवंटियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1.1.85 से 31.3.86 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्वार्टरों/गैराजों की अनधिकृत उप-किराएदारी के 1825 मामलों का पता लगाया गया था।

(ख) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, आवन्टियों को क्वार्टरों में अपना सामान्य निवास साबित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। उप किराएदारी के प्रमाणित मामलों में, लोक परिसर अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही करके आवंटन मनसूखी सहित जुर्माना लगाया जाता है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बीज प्रोसेसिंग संयंत्र

5535. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में कितने बीज प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उनमें से उड़ीसा में कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं और/अथवा कितने स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय राज्य फार्म निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रजनक (ब्रीडर) बीजों और मूल (फाऊंडेशन) बीजों के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों के लिए विशेष रूप से उड़ीसा में, कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत, 22 प्रमाणीकृत बीज परिसंस्करण संयंत्र और 9 आधारी बीज परिसंस्करण संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 2 संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किये गये हैं।

(ख) कृषि विश्वविद्यालयों में प्रजनक बीज घटक के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाएं

सृजित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सहायता और आधारी बीज के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय राज्य फार्म निगम ही केवल एक केन्द्रीय एजेन्सी थी जिसके माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों के फार्म विकास घटक के लिए सहायता दी गई थी। भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा विश्वविद्यालयों को सीधे कोई सहायता नहीं दी गई।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल नहीं था और इसीलिए राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।

(ग) देश में उड़ीसा में या अन्यत्र किसानों के लिए सीधे वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	घटक (पूंजी व्यय के लिए)	ए.पी. ए.यू. आंध्र प्रदेश	एच.ए.यू. हरियाणा	पी.के.वी. महाराष्ट्र	एम.पी. के.वी. महाराष्ट्र	एम.ए.यू.	पी.ए.यू. पंजाब	आर.ए.यू. बिहार	यू.ए.एस. कर्नाटक	ओ.यू. ए.टी. उड़ीसा	एम.एल. एस.यू. राज०	एन.डी. यू.ए.टी. उ०प्र०	सी.एस. यू.ए.टी. उ०प्र०	योग
1.	प्रजनक बीज	13.67	11.16	7.42	7.44	9.37	13.65	17.80	7.68	8.05	9.35	8.32	13.76	128.27
2.	आधारी बीज													
	(अ) फार्म विकास	4.84	9.21	44.45	10.75	18.82	7.10	6.37	13.48	2.06	28.37	6.58	6.18	158.21
	(ब) परिसंस्करण संयंत्र	—	3.69	7.12	4.37	5.26	—	1.20	16.39	—	6.05	13.88	15.13	73.09
	योग	18.51	24.06	58.99	22.56	33.45	20.75	25.37	37.55	10.71	43.77	28.78	35.07	359.57

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा

5536. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1985 में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए ली गई विभागीय परीक्षा के परिणामों की केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा अभी तक घोषणा नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सारे देश में फैले 37 केन्द्रों में परीक्षा 19,20 और 21 अगस्त, 1985 को हुई थी। इस परीक्षा में 1687 उम्मीदवार बैठे थे। उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेज दिया गया है। आशा है कि परिणाम मई, 1986 के अंत तक तैयार हो जाएंगे।

दूरदर्शन द्वारा स्वयं निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण

5537. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान दूरदर्शन ने स्वयं निर्मित कोई कार्यक्रम प्रसारित किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वयं द्वारा निर्मित भावी कार्यक्रमों के बारे में दूरदर्शन की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

टैगोर की वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम

5538. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टैगोर की 125वीं वर्षगांठ मई, 1986 में पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो इस अवसर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या विशेष कार्यक्रम तैयार

किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अवसर पर आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा नाटक, गीत तथा नृत्य नाटक प्रतियोगिता प्रसारित/टेलीकास्ट करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

टैगोर की 125वीं वर्षगांठ मनाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है :—

1. **दूरदर्शन** :

(1) **बैलेट** : श्रीमती अमला शंकर और उनकी मंडली द्वारा "सामान्य क्षति"/पं० रविशंकर द्वारा संगीत/कार्यक्रम 5.5.1986 को टेलीकास्ट किया जायेगा।

(2) शान्ति निकेतन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली गुरुदेव की रिकार्डिगों पर आधारित एक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 8.5.1986 को टेलीकास्ट किया जाएगा।

(3) "रवीन्द्र नाथ ठाकुर" नामक डाक्यूमेंट्री फिल्म, जिसे फिल्म प्रभाग के लिए श्री सत्यजीत रे द्वारा बनाया गया है, 8.5.1986 को टेलीकास्ट की जाएगी।

(4) "काबुलीवाला", जो टैगोर की एक कहानी पर आधारित फीचर फिल्म है, को जून, 1986 में किसी एक रविवार को टेलीकास्ट करने का प्रस्ताव है।

(5) "रवीन्द्र संगीत सभा"—यह कार्यक्रम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जुलाई, 1986 में टेलीकास्ट किया जाएगा।

(6) इसके अलावा, सभी दूरदर्शन केन्द्र विशेषकर कलकत्ता केन्द्र वर्षगांठ के मनाए जाने की पूरी अवधि के दौरान टैगोर पर कार्यक्रम टेलीकास्ट करते रहेंगे।

2. **आकाशवाणी** :

(1) अंग्रेजी में वार्ता का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(2) रवीन्द्र संगीत को प्रस्तुत करते हुए क्षेत्रीय संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(3) "नौका डूबी" नाटक का कार्यक्रम ।

इसके अलावा, विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सार्वजनिक समारोहों को कवर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित आकाशवाणी केन्द्र अनेक विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे। अन्य आकाशवाणी केन्द्र भी अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

3. प्रकाशन विभाग : "रवीन्द्र नाथ ठाकुर चित्रमाला कथा" शीर्षक से एक पुस्तक बंगला, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है। "आजकल" (उर्दू) ने जनवरी, 1986 के अपने अंक में एक पूरे पृष्ठ की कविता प्रकाशित की है और विषय पर एक लेख "आजकल" (हिन्दी) मासिक पत्रिका में भी छपेगा।

4. फिल्म प्रभाग : फिल्म प्रभाग का सम्पूर्ण भारत के सिनेमाघरों में एक समाचार पत्रिका जारी करने का प्रस्ताव है।

5. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
6. गीत और नाटक प्रभाग
: वर्षगांठ को मनाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निर्माण कार्यों और फ्लैटों के आवंटन का पिछला बकाया

5539. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में पिछले बकाया निर्माण कार्यों और फ्लेटों के आवंटन का फ्लैटों की श्रेणी उनकी संख्या तथा स्थान सहित ब्यौरा क्या है और यह कब से बकाया है;

(ख) कितने मामलों में विकास कार्य रूका है और यह किन-किन क्षेत्रों में और कहां-कहां पर तथा कब से रूका हुआ है;

(ग) परियोजनाएं प्रारम्भ करते समय के मूल्यों की तुलना में फ्लैटों तथा विकसित भूमि के मूल्य में क्रमशः औसतन कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में ठेकेदारों को काली सूची में रखा गया अथवा उन पर जुर्माना किया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनको काली सूची में रखने अथवा जुर्माना करने के क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यह

काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(च) क्या यह सच है कि डी०डी० ए० के अपूर्ण कार्यकरण और विलम्ब के लिए जनता को नुकसान सहना पड़ता है और अधिक मूल्य देना पड़ता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उन पंजीकृत व्यक्तियों का पिछला बकाया इस प्रकार है जो विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं—

सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना, 1985

मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता	योग
2695	1396	279	4370
नवीन पद्धति योजना, 1979			
36106	51034	36809	1,23,949
स्ववित्त पोषित योजना			
			32,567

(ख) ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और लोक सभा को भेज दिए जाएंगे।

(ग) मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग/जनता के अन्तर्गत निर्मित मकानों की विक्रय लागत उस समय निकाली जाती है जब ये मकान तैयार हो जाते हैं। स्ववित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत हाल ही में तैयार फ्लैटों में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक के मध्य लागत वृद्धि हुई है। ग्रुप आवास पाकेटों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल के 62/- रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि की लागत ली गई है और फ्लेटों पर कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर लगाई गई है।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रत्येक वर्ष और अधिक मकानों के निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं। पंजीकृत व्यक्तियों का पिछला बकाया अगले 3-4 वर्षों में समाप्त कर दिए जाने की सम्भावना है।

(च) मकानों की विक्रय लागत उनके निर्माण पर निकाली जाती है। सामग्री तथा मजदूरी की लागत में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1.1.81 से ठेकेदारों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई है—

1. घटिया निर्माण कार्य करने की वजह से प्रतिबन्धित	—	33
2. सीमेंट और विटुमिन जैसी सरकारी सामग्रियों की चोरी की वजह से प्रतिबन्धित	—	11
3. घटिया निर्माण कार्य के लिए चेतावनी जारी की गई	—	2
4. स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार के लिए प्रतिबन्धित	—	2
5. कार्य आरम्भ न करने की वजह से प्रतिबन्धित	—	1
6. ठेके की शर्तों के विपरीत कार्य प्राप्त करने की वजह से प्रतिबन्धित	—	3
7. निम्न श्रेणी में पदावनत	—	1
8. बिना अनुमोदन के संविधान में परिवर्तन करने की वजह से अनुमोदित सूची से हटाना	—	2

[हिन्दी]

राजस्थान में उदयपुर के समीप दरीबा में तथा अगुचा में जस्ते के भण्डार

5540. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में उदयपुर के समीप दरीबा में और भीलवाड़ा के समीप अगुचा में भारी मात्रा में जस्ता पाया जाता है;

(ख) क्या इस जस्ते के शोधन के लिए चित्तौड़गढ़ में जस्ते का एक "सुपर स्मैल्टर" लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या जस्ता स्मेल्टर की स्थापना के लिए कोई स्थान चुन लिया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जस्ते के निर्यात से देश काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है; और

(ङ) क्या जस्ते का यह सुपर स्मैलटर लगाने का कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जस्ता-सीसा प्रद्रावक के लिए प्रौद्यो-आर्थिक दृष्टि से जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम चन्देरिया के निकट का स्थान सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया है।

(घ) जी, नहीं। हम तब भी जस्ते के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होंगे।

(ङ) जी, हां।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम

5541. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम क्या था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम को पूर्णत: कार्यान्वित किया गया है और यदि नहीं, तो उनमें से कौन से कार्यक्रमों को पूरा किया जाना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) राउरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की 18 लाख टन की वार्षिक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए 861 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है। फिर भी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) इस प्रस्ताव के विषय-क्षेत्र की समीक्षा तथा विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।

इस योजना के लिए सातवीं योजना में 360 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

सूचना केन्द्रों की स्थापना

5542. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के मुख्यालयों में सूचना केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उन स्थानों पर कब तक सूचना केन्द्र स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं :—

(1) किसी क्षेत्र/स्थान विशेष, जहां से कोई समाचार पत्र/पत्रिका नहीं निकलती, का पिछड़ापन तथा वे स्थान जहां पर समाचार पत्र सेवा अपर्याप्त है।

(2) ऐसे क्षेत्र, जहां पर राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण को विशेष रूप से प्रतिबिम्बित करने की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश के किसी भी भाग में कोई सूचना केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बागान श्रमिकों के लिए आवास बोर्ड

5543. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रमिकों के लिए एक पृथक आवास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसके लिए बागान श्रम अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा; और

(घ) प्रस्तावित आवास बोर्ड के कौन-कौन सदस्य होंगे और उसमें किस-किस को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कारखानों में उर्वरकों का भंडार जमा होना

5544. **श्री आई० रामा राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय उर्वरक कारखानों के पास उर्वरकों का विशाल भंडार जमा पड़ा है, और उन्हें उर्वरक भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करके बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात कर रही है;

(ग) उर्वरकों के भंडार को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की जा रही है;

(घ) क्या उर्वरकों के वितरण में परिवहन सम्बन्धी तथा अन्य समस्याएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उर्वरकों की ढुलाई तथा वितरण एवं उसके लिए वित्त पोषण की व्यवस्था करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) विगत कुछ महीनों में परिवहन समस्याओं और उनके विपणन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के परिणामस्वरूप कम उठान के कारण पश्चिमी क्षेत्र में कुछ उर्वरक संयंत्रों के पास भारी भण्डार है।

(ख) विद्यमान भण्डारों और वर्ष के दौरान उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन और मांग अनुमानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष आयात किए जाते हैं।

(ग) और (घ) उर्वरकों के रेल परिवहन में समय-समय पर कुछ समस्याओं का सामना किया गया था विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बन्दरगाहों और संयंत्रों से। तथापि, रेलवे के साथ विचार विमर्श तथा बैठकों के माध्यम से इनका समाधान कर लिया गया था। रेलवे द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के कारण 1985-86 में उर्वरकों का रेल परिवहन 10.5 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 13 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया।

(ङ) वर्तमान में वितरण के लिए अपेक्षित उर्वरकों की मात्रा के लिए वितरण और परिवहन आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए विद्यमान इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं को पर्याप्त समझा जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात में कच्चे लोहे की अनुपलब्धता

5545. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में कच्चे लोहे की सप्लाई में कमी के कारण ढलाई उद्योग को हो रही कठिनाई के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे स्वीकार करने में क्या कठिनाई आ रही है; और

(ख) इसे स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) गुजरात के मुख्य मन्त्री ने गुजरात लघु उद्योग निगम को देश में उत्पादित कच्चा लोहा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने, गुजरात राज्य की लघु इकाइयों को आगे सप्लाई करने तथा कच्चे लोहे पर आयात शुल्क में कमी करने के बारे में लिखा था ताकि लघु इकाइयों को आगे माल सप्लाई करने में गुजरात लघु उद्योग निगम को आसानी हो सके।

विभिन्न उपभोक्ताओं से मांग तथा देशीय उत्पादन से उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कच्चे लोहे का आवंटन गुजरात लघु उद्योग निगम के पक्ष में किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1985 के मध्य में 23,000 टन कच्चा लोहा आयात करने की अनुमति गुजरात लघु उद्योग निगम के ही पक्ष में दी गयी थी। आवंटन की तुलना में देशीय स्रोतों से सप्लाई प्रायः पूरी कर दी गई है। आयातित कच्चे लोहे पर आयात शुल्क को कम करने के बारे में गुजरात सरकार के अनुरोध की जांच की गयी थी तथा 9 दिसम्बर, 1985 को कच्चे लोहे पर सीमा-शुल्क को कम करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की गयी थी।

[अनुवाद]

स्वेच्छा सेवा-निवृत्ति योजना

5546. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का अपने निष्क्रिय कार्यकारियों से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा वर्तमान स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव

है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

प्रस्तावित योजना कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों दोनों पर लागू है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(क) फालतू जन-शक्ति को कम करके जन-शक्ति का इष्टतम उपभोग प्राप्त करना।

(ख) कर्मचारियों के आयु मिश्रण (ऐज मिक्स) में सुधार करना।

(ग) कार्यकुशलता के स्तर में व्यापक सुधार करना। प्रस्तावित योजना स्वैच्छिक है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित सन्तरे के पेड़ों को पुनः फल देने लायक बनाना

5547. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में फरवरी, 1986 के दौरान भारी ओलावृष्टि से प्रभावित सन्तरे के पेड़ों को पुनः फल देने के लायक बनाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने भी ओलावृष्टि से प्रभावित सन्तरे के पेड़ों को पुनः फल देने के लायक बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सन्तरों के वृक्षों को पुनः फल देने लायक बनाने के लिए व्यापक उपाय सुझाये गये हैं जिनमें अन्य रोजमर्रा की क्रियाओं के अतिरिक्त प्रभावित शाखाओं की कांटछांट, 2 महीने तक एक महीने के अन्तराल में रोगों के नियंत्रण के लिए फफूंदनाशि का प्रयोग, उर्वरकों की वर्धक खुराक का उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव तथा नियमित सिंचाई शामिल है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भोपाल में स्टील स्टाक यार्ड की स्थापना

5548. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने भोपाल में स्टील स्टाक यार्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

5549. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जैसे जिलों में जहां गम्भीर सूखा पड़ता है तथा बहुत कम वर्षा होती है, यह कार्य आरम्भ करने का है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, ग्रामीण विकास विभाग देश के विभिन्न भागों में ख्यातिप्राप्त अनुसंधान, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं की सहायता से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन कर रहा है। इस कार्यक्रम जो कि अक्टूबर, 1985 में शुरू किया गया था, से यह आशा की जाती है कि इसके अन्तर्गत सितम्बर, 1986 तक देश के सभी जिलों को शामिल कर लिया जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के इस समवर्ती मूल्यांकन का लाभ प्राप्त करने पर यह विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बारे में भी इसी प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने पर विचार कर सकता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दालों का आयात

5550. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड विदेशी अभिकरणों की ओर से दालों का आयात कर रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सरकार की पूर्व अनुमति से आयात कर रहा है और यदि हां, तो कितना लाभ अर्जित किया गया और कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को इससे पूर्व दालों, दुग्ध उत्पादों और वनस्पति तेलों के आयात के लिए भी एक माध्यम एजेंसी के रूप में कार्य करने को कहा गया है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को पुरस्कृत सोयाबीन, पशु चारा और एकमात्र निर्यातक और यूरोप से फालतू पशुओं के एकमात्र आयातक के रूप में भी कार्य करना होगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि आयात नीति के अन्तर्गत खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन दालों के आयात किए जाने की अनुमति है बशर्ते कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के पास संविदा पंजीकृत की गई हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयात नीति के अन्तर्गत दालों, दुग्ध उत्पादों, केसीन और खाद्य तेलों के आयात के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एक सरणीबद्ध अभिकरण के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

(घ) निर्यात नीति के अधीन सोयाबीन से निकाले गए उत्पादों/भोजन सामग्री को भारतीय सोयाबीन परिसंस्करण संगठन के पास पंजीकृत कराकर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निर्यात करने की अनुमति है। आयात नीति में, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को यूरोप से फालतू मवेशियों के एकमात्र आयातक के रूप में नामित नहीं किया गया है।

दूध का उत्पादन और उसकी मांग

5551. **श्री चित्त महाता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में दूध का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ तथा कितनी खपत हुई;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूध का कितना उत्पादन, उसकी कितनी मांग और खपत होने की संभावना है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रत्ययापन लिए गए हैं;

(ग) क्या दूध के उत्पादन से देश की दूध की मांग पूरी हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो दूध की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार दूध उत्पादन के आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यवार दूध की खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख)से(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् 1989-90 तक दूध उत्पादन का लक्ष्य 51 मिलियन टन है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1976) के भाग 3 में मांग और पूर्ति पर वर्ष 1985 और 2000 ई० के लिए दूध सहित चुनिंदा कृषि जिंसों को कुल उपभोक्ता मांग का अनुमान लगाया है, जो नीचे दिए गए अनुसार है :—

यूनिट—मिलियन टन

	1985		2000 ई०	
	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च
दूध	33.37	44.17	49.37	64.40

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुपालन और डेरी विकास के लिए 107.6 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है। आपरेशन फ्लड के अलावा, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों और केन्द्रीय योजनाओं में कई स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनमें निम्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल हैं :—

1. गहन पशु विकास परियोजना और मुख्य ग्राम योजना।
2. विदेशी डेरी नस्लों से पशुओं का संकर प्रजनन।
3. संतति परीक्षित सांडों का उपयोग करके संकर प्रजनित पशुओं में निरन्तर पारस्परिक प्रजनन ताकि अन्ततः देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त संकर प्रजनित पशुओं की नस्लें तैयार की जा सकें।
4. भारवाही पशु और दुहरे प्रयोजन के लिए पशु और भैंसों की देशी नस्लों का विकास।
5. चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भैंस का सुधार।
6. प्रजनन सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए फार्मों की अवस्थापना को मजबूत

बनाना/विस्तार करना, ताकि ग्रामीण विकास विभागों द्वारा प्रायोजित विभिन्न पशु विकास कार्यक्रमों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

7. पशु स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि बढ़ाना।

8. अच्छी किस्म के चारा बीजों का उत्पादन बढ़ाना तथा मिश्रित फार्मिंग प्रणाली अपनाना।

विवरण

(हजार मीटरी टन)**

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2010	2127	2303	2630	2500
2.	असम	464	469	482	564	549
3.	बिहार	1942	2035	2133	2235	2330
4.	गुजरात	2153	2228	2529	2442	3100
5.	हरियाणा	2187	2275	2262*	2300	2400
6.	हिमाचल प्रदेश	315	339	358	370	404.12
7.	जम्मू और कश्मीर	250	260	270	285	342.54
8.	कर्नाटक	1425	1590	1655	1400	1900
9.	केरल	908	982	1078	1060	1220
10.	मध्य प्रदेश	2282	2390	2510	2640	2784
11.	महाराष्ट्र	1756	1909	2009	2020	2358
12.	मणिपुर	60	62	63	64	66
13.	मेघालय	56	58	60	62	64
14.	नागालैंड	3.05	3.04	4.00	4.1	4
15.	उड़ीसा	310	316*	322*	328	334
16.	पंजाब	3221	3494	3599	3700	3817

1	2	3	4	5	6	7
17.	राजस्थान	3250	3300	3400	3500	3500
18.	तमिलनाडु	1738	1886	1788	1900	2846
19.	त्रिपुरा	16.5	17.5	18.00	20.00	22
20.	उत्तर प्रदेश	5728	6461	6666	6468	71000
21.	पश्चिम बंगाल	1282	1782	2013	2044	2210
22.	सिक्किम	17	18	19	19.6	20.20

** नमूना सर्वेक्षण अनुमान द्वारा पुष्टि की जानी है।

* अनन्तिम

रूई का उत्पादन

5552. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के उत्पादन में वृद्धि, उन्नत किस्म के रूई के बीज इस्तेमाल करने के कारण हुई है या खेती के क्षेत्र का विस्तार करने से हुई है;

(ख) शुष्क खेती और सिंचाई वाले क्षेत्रों में रूई की प्रति हैक्टेयर राज्यवार पृथक-पृथक उपज क्या है; और

(ग) पिछले 2 वर्षों के दौरान उपरोक्त श्रेणियों में पृथक-पृथक कितनी उत्पादन लागत आई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कपास के उत्पादन में वृद्धि मुख्य तौर पर संकर कपास के तहत बढ़े हुए क्षेत्रफल तथा समय पर बुवाई करने, सिफारिश की गई किस्मों के उन्नत बीजों का प्रयोग करने, उर्वरक का इस्तेमाल, प्रभावी पौध संरक्षण, सिंचाई आदि जैसी उन्नत कृषि पद्धतियों के कारण हुई है।

(ख) सामान्य फसल अनुमान संबंधी सर्वेक्षणों के प्रयोगों के उप-नमूनों के विश्लेषणों के आधार पर, 1982-83 से 1984-85 तक के लिए सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों के तहत कपास की प्रति हैक्टेयर राज्यवार पैदावार संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) सिर्फ कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में 1982-83 और 1983-84 के नवीनतम उपलब्ध वर्षों के लिए मुख्य फसलों की खेती उत्पादन की लागत के अध्ययन संबंधी वृहत योजना के तहत सृजित कपास के प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत संलग्न विवरण-2 में दी गई है —:

विवरण-1

सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में कपास की राज्यवार पैदावार

(लिट—कि० ग्रा० हैक्टेयर)

	1982-83		1983-84		1984-85	
राज्य	स०	अ०	स०	अ०	स०	अ०
आंध्र प्रदेश	—	—	518	329	—	—
गुजरात	339	110	—	—	475	146
कर्नाटक	374	76	495	76	—	—
महाराष्ट्र	160	95	103	46	166	85
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	144	106
पंजाब	270	164	173	135	427	274
राजस्थान	—	—	242	90	237	72
तमिलनाडु	—	—	474	71	—	—

स०=सिंचित

अ०=असिंचित

टिप्पणी : 1984-85 के आंकड़े अस्थायी हैं।

विवरण-2

कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में कपास की प्रति हैक्टेयर उत्पादन की लागत प्रदर्शित करने वाला विवरण

राज्य	वर्ष	उत्पादन लागत (रु० प्रति क्विंटल)
1	2	3
कर्नाटक	1982-83	366.77
	1983-84	357.02
मध्य प्रदेश	1982-83	354.53
	1983-84	508.89

1	2	3
पंजाब	1982-83	398.08
	1983-84	593.47

टिप्पणी 1. अनुमान अनन्तिम हैं।

2. उत्पादन के लागत के अनुमान राज्य-स्तर पर निकाले गए हैं न कि अलग से बारानी। असिंचित भूमि के आधार पर तथापि, इन राज्यों में सिंचाई के तहत क्षेत्र 1981-82 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में क्रमश: 8.3, 8.8 तथा 98.8 प्रतिशत था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां

5553. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उन कर्मचारियों के आश्रितों को जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है रोजगार प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी नियुक्तियां की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों में और ऐसी नियुक्तियां नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[**हिन्दी**]

उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए मंजूर की गई राशि

5554. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को वर्ष 1986-87 के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) उत्तर प्रदेश को मंजूर की गई कुल राशि में से कितने प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की राशि है;

(ग) क्या विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता राशि और जनसंख्या के अनुपात में भारी असमानता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री सरदार बूटा सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 1986-87 हेतु निधियों का अस्थायी आवंटन निम्नलिखित हैं—

	(लाख रुपये में)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10029.66
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	8108.00
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	8738.00
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	1305.00

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान 1.76 लाख मीटरी टन खाद्यान्न दिए जाएंगे। इन खाद्यान्नों की लागत पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ख) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 1986-87 में दी जाने वाली कुल राशि में से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अनन्तिम केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत निम्नलिखित है —

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	18.44 प्रतिशत
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	17.62 प्रतिशत
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	17.69 प्रतिशत
सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	14.14 प्रतिशत

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रति खण्ड एक समान आधार पर दी गई थी। तथापि, सातवीं योजना में परिव्यय विभिन्न राज्यों में गरीबी के वास्तविक मामलों के अनुसार विविधता के सिद्धांत पर आधारित होंगे। पहले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत आवंटन छठी योजना की भांति प्रति खण्ड बराबर के आवंटन के आधार पर होंगे तथा शेष 50 प्रतिशत आवंटन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाए गए गरीबी के मामलों के आधार पर होंगे। तीसरे वर्ष से आवंटन पूर्णतया गरीबी के मामलों के आधार पर होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संसाधनों के आवंटन में 50 प्रतिशत बल गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के लिए दिया जाएगा तथा 50 प्रतिशत बल खेतिहर मजदूरों सीमांत मजदूरों तथा सीमांत किसानों की संख्या को दिया जाएगा। सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का आवंटन कार्यक्रम में शामिल किए गए खंडों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली में बिना ढके "मेनहोल" और सड़कों पर दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु

5555. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1985-86 के दौरान बिना ढक्कन वाले मैनहोलों अथवा खुदाई किए गए नालों की असुरक्षित दीवारों के धंस जाने के परिणामस्वरूप हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सड़कों, गलियों में इस प्रकार मौत के गड्ढे मौजूद न रहे, क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बिना ढके मेनहोलों के कारण कोई दुर्घटना प्रकाश में नहीं आई है। तथापि, चार बच्चे मर गए थे, इनमें से दो क्रमशः यमुनापुरी तथा पीतमपुरा में नालों की सफाई तथा कीचड़ निकालने के लिए छोड़े गए छोटे छिद्रों से सीवर नालों में फिसल जाने के कारण तथा अन्य दो न्यू फ्रेण्ड्स कालोनी में मर गए थे जबकि वे निर्माणाधीन एक बरसाती नाले में खेल रहे थे।

रोहिणी में 9.1.1986 को एक ठेकेदार के तीन मजदूर सीवर लाइन बिछाने के लिए खाई खोदते समय जमीन धंस जाने के कारण मर गए थे।

(ख) दुर्घटना रोकने के लिए स्थल पर पर्याप्त सावधानी बरतने के अलावा, फील्ड स्टाफ द्वारा ढक्कन रहित मेनहोलों की नियमित जांच की जाती हैं तथा बिना ढक्कन वाले मेनहोलों पर तुरन्त ही ढक्कन लगा दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु से पहले अभियान भी आरम्भ किया जाता है तथा पूर्ण सर्वेक्षण किया जाता है और खोए मेनहोल ढक्कनों को बदल दिया जाता है।

फसल बीमा योजना, प्रीमियम और मुआवजा

5556. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण फसल का बीमा नहीं किया जाता है, बल्कि केवल बैंक द्वारा दिए गए ऋण ही इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) किसानों को प्रीमियम के रूप में कितनी राशि देनी पड़ती है; और

(ग) 1985-86 के दौरान फसल का कुल कितने मूल्य का बीमा किया गया और

मुआवजे के रूप में किसानों को कितनी राशि अदा की गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह सच नहीं है कि वृहत फसल बीमा योजना के अधीन ऋण की धनराशि का ही बीमा किया जाता है। तथापि, यह योजना वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों की संवितरित किये गये फसल संबंधी ऋणों से सम्बद्ध है। किये गये बीमे की धनराशि फसल ऋण का 150 प्रतिशत है।

(ख) प्रीमियम की दर गेहूं, चावल कदन्न के लिए किए गए बीमें का 2 प्रतिशत हैं और दलहनों और तिलहनों के लिए किए गए बीमे की धनराशि का 1 प्रतिशत है। छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में प्रीमियम का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर संयुक्त रूप से वहन किया जाता है।

(ग) खरीफ 1985 मौसम के दौरान किए गए बीमे की कुल धनराशि 540.8 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान दिए गए मुआवजे की धनराशि 4.52 करोड़ रुपये थी।

नाशक-कीटों के कारण फसलों को नुकसान

5557. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वरराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में नाशक कीटों के कारण फसलों को अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है;

(ख) इस नुकसान को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कीटनाशी दवाइयों की उचित किस्म पर नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 और 1985-86 में फसलों को हुई कुल क्षति के बारे में कोई सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। अन्यथा भी कृमियों के कारण फसल को हुई क्षति के बारे में कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि यह बहुत जटिल और पेचीदा कार्य है। बहरहाल, नमूना परीक्षणों और प्रयोगों के आधार पर सामान्यतः यह अनुमान लगाया गया है कि फसल, कीट, मौसम, स्थान आदि जैसे विभिन्न कारणों से फसल को हुई क्षति की मात्रा 10 से 30 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

(ख) पौध संरक्षण के क्षेत्र में सभी सरकारी नीतियों में कृमियों और रोगों के हमलों के कारण हुई क्षति से फसलों को बचाने की ओर ध्यान दिया जाता है। समेकित कृमि प्रबंध इस नीति में मुख्य कड़ी है। कृमियों के कारण फसल को हुई क्षति को कम से कम करने के

लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(1) **निगरानी और प्रबोधन**

संयुक्त निगरानी दल कृमियों के सम्भावित आक्रमण के बारे में पूर्व चेतावनी देने के लिए नियमित आधार पर प्रमुख फसलों पर कृमि प्रबोधन करते हैं ताकि समय पर कृमि नियंत्रण अभियान चलाया जा सके।

(2) **जैविक नियंत्रण**

चावल, गन्ना, कपास, तिलहन, दालें, सेब जैसी फसलों के कृमियों के जैविक नियन्त्रण के लिए प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण और इन्हें बढ़ाने का कार्य क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा शुरू किया गया है।

(3) **कीटनाशी दवाओं और उपकरणों की सप्लाई**

कीटनाशी दवाओं और पौध संरक्षण उपकरणों की समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि और उनके वितरण की व्यवस्था की जाती है।

(4) **कृमि नियंत्रण अभियान**

फसल की क्षति को कम करने के लिए विभिन्न कृमियों के विरूद्ध कृमि नियंत्रण अभियान चलाए जाते हैं।

(5) **फसल संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता**

केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों ने कृमि नियंत्रण के लिए किसानों को कृमिनाशी दवाओं की लागत, प्रचालन लागतों और उपकरणों के लिए राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है।

(6) **अनुसंधान और प्रशिक्षण**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थाओं ने कृमि सहनशील/प्रतिरोधी फसल की किस्में विकसित की हैं और कृमियों और रोगों के नियंत्रण के लिए नियन्त्रण कार्यक्रम भी तैयार किया है। विस्तार एजेंसियों और किसानों में पौध संरक्षण की नवीनतम प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग) सरकार अच्छी किस्म की कृमिनाशी दवाओं की सप्लाई के बारे में बहुत चिन्तित

है और इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य उपाय किए हैं :—

(क) पंजीकरण के प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय कृमिनाशी दवाओं के भौतिक रसायन गुणों की विवेचनात्मक रूप से जांच की जाती है और पंजीकरण समिति द्वारा उपयुक्त मानक तैयार/स्वीकार किए जाते हैं ताकि राज्य सरकारें अच्छी किस्म की कृमिनाशी दवाओं के लिए उपयुक्त मानक लागू कर सकें।

(ख) कृमिनाशी दवाओं की गुणवत्ता सम्बन्धी विशिष्टताएं भारतीय मानक संस्थान द्वारा "कृमि नियंत्रण सेक्शनल समिति" नामक विशेषज्ञ समिति की सहायता से तैयार की जाती हैं। देश में पंजीकृत उत्पादों के लिए गुणवत्ता के मानक के लिए इन विशिष्टताओं को पूरा करना अनिवार्य होता है।

(ग) अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कीटनाशी अधिनियम के प्रवर्तन के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिकारियों को अधिसूचित किया है। उक्त प्रयोजन के लिए चार महत्वपूर्ण अधिकारी हैं : अपील प्राधिकारी, लाइसेंसिंग अधिकारी, कीटनाशी विश्लेषक और कीटनाशी निरीक्षक।

(घ) गुणवत्ता नियन्त्रण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कीटनाशी अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार लाईसेंसिंग अधिकारियों को विनिर्माण लाईसेंस प्रदान/नवीकरण करते समय संविधिक सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करना जरूरी है।

(ङ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी निजी कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करें और इसके परिणामस्वरूप इस समय ऐसी 35 राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालायें हैं जिनकी प्रति वर्ष कुल विश्लेषण क्षमता 37,000 नमूनों से अधिक की है।

(च) केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि अन्य बातों के साथ-साथ कृमिनाशी दवाओं के गुण नियन्त्रण के विश्लेषण कार्यों में राज्य अधिकारियों की सहायता की जा सके।

(छ) फरीदाबाद में केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला तथा बम्बई और हैदराबाद में इसकी दो शाखा प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है।

(ज) सरकार ने चण्डीगढ़, बम्बई, कानपुर, हैदराबाद और कलकत्ता में पांच क्षेत्रीय कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए एक विशेष योजना की भी मंजूरी दी है ताकि फार्म समुदाय को अच्छी किस्म की कृमिनाशी दवायें

सप्लाई करने के लिए कृमिनाशी दवाओं के नमूनों का विश्लेषण करने हेतु राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरा किया जा सके।

(झ) केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय विभिन्न राज्यों में कृमिनाशी दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाता रहता है। यह मन्त्रालय राज्य के प्रतिनिधियों के साथ अपने सम्बद्ध राज्यों में गुण नियंत्रण के स्तर में सुधार लाने के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए बैठकें भी बुलाता है।

आकाशवाणी केन्द्र, सिलचर के कार्यक्रमों के लिए चुने गए कलाकार

5558. **श्री सुदर्शन दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के सिलचर केन्द्र के गीत और नाटक प्रभाग में कार्यक्रमों के लिए कलाकारों का चुनाव करने हेतु क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) आकाशवाणी के सिलचर केन्द्र द्वारा कलाकारों, नैमित्तिक उद्घोषकों और नाटक दलों को कार्यक्रमों के आवंटन के लिए क्या सिद्धांत अपनाए जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) संगीत और नाटक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को आरम्भ में उनकी स्वर परीक्षा के आधार पर चुना जाता है। उसके बाद उन्हें कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम देने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

नाटक के कलाकारों का चयन मुख्यतया प्रसारण के लिए चुने गए नाटकों में भूमिका के संदर्भ में किया जाता है। वर्गीकृत नाटक मण्डलियो/आवाजों को उनके अनुभव और गुणवत्ता तथा प्रसारण के लिए चुने गए नाटक की आवश्यकताओं के आधार पर बुक किया जाता है।

उड़ीसा में पेय जल सम्बन्धी सुविधाएं

5559. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 को उड़ीसा के कितने समस्याग्रस्त गांवों में जल की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है;

(ख) उड़ीसा में कितने समस्याग्रस्त गांवों में पर्याप्त पेय जल की सुविधा की व्यवस्था अभी की जानी है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक उड़ीसा में कितने और गांवों में पेय जल की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) छठी योजना के आरम्भ में उड़ीसा में 23616 समस्याग्रस्त गांव थे, जिनमें से छठी योजना अवधि में 22357 समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया गया तथा शेष 1259 गांव सातवीं योजना में शामिल किए जाने हेतु बचे हैं। 1984-85 के दौरान किए गए सर्वेक्षण में 15144 गांवों को समस्याग्रस्त गांवों के रूप में पता लगाया गया है तथा सातवीं योजना के दौरान शामिल किए जाने वाले समस्याग्रस्त गांवों की कुल संख्या 16,403 है। 1985-86 के दौरान दिसम्बर, 1985 तक 2268 समस्याग्रस्त गांव शामिल किए गए थे। सातवीं योजना का लक्ष्य ग्रामीण जनसमुदाय को पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

दूसरी हरित क्रांति

5560. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दूसरी हरित क्रांति प्रारम्भ करने के लिए योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। तिलहन, दलहन, मोटे अनाज, धान, गेहूं, कपास आदि फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र नीति और फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रमों के जरिये बढ़ाकर उसे स्थिर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और सार्वजनिक समारोहों के प्रसारण के लिए मानदण्ड

5561. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई दूरदर्शन स्थानीय समाचारों और समारोहों को दिखाने के लिए निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं कर रहा है; और

(ख) बम्बई दूरदर्शन में स्थानीय समाचारों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सार्वजनिक समारोहों को दिखाने के क्या मानदण्ड हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल):(क) और(ख) बम्बई दूरदर्शन केन्द्र सहित सभी दूरदर्शन केन्द्रों को अपने समाचारों की वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता

और यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए समाचार नीति सम्बन्धी विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हुए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की मूल बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) समाचारों की रिपोर्टिंग तथ्यात्मक, सही और वस्तुनिष्ठ हो तथा केवल उन्हीं विचारों को, जिनसे समाचार बनते हों, समाचार प्रसारणों में स्थान मिलना चाहिए।

(2) प्रत्येक समाचार कहानी का आकलन सर्वथा उसके समाचारिक मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

(3) समाचारों के चयन में, आकाशवाणी और दूरदर्शन का मार्गदर्शन यथासम्भव उच्चतम व्यावसायिक मानकों से होना चाहिए।

(4) समाचारों को तथ्यात्मकता और वस्तुनिष्ठता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, घटनाओं की पृष्ठभूमि उपलब्ध करनी चाहिए। ताकि इस प्रकार की घटनाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिले।

(5) समाचारों को तथ्यामकता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानदण्ड को पूरा करना चाहिए।

(6) विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की भागेदारी तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर उचित प्रकाश डाला जाना चाहिए।

(7) समाचार रिपोर्टिंग की शैली तथा प्रणाली को उन मौलिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करना चाहिए, जिन पर राष्ट्रीय नीतियां आधारित हैं। इन मौलिक सिद्धांतों में देश का अखण्डता, राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण तथा संसद, राज्य विधान मण्डलों और न्यायपालिका की गरिमा तथा सम्मान को कायम रखना शामिल है।

(8) मन्त्रियों के वक्तव्यों और नीति सम्बन्धी मामलों, विशेषकर प्रधान मन्त्री के वक्तव्यों, और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को समाचारों में उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। बल व्यक्तियों की अपेक्षा सूचना पर होना चाहिए।

(9) राजनीतिक विवादों पर रिपोर्टिंग में प्रसारण माध्यमों की वस्तुनिष्ठता का अनुसरण करना चाहिए। उद्देश्य विभिन्न मतों को प्रतिनिधित्व देने का होना चाहिए।

(10) अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के चयन में, उद्देश्य लोगों को विश्व की घटनाओं से सूचित करने का होना चाहिए।

शहरी जलपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता

5562. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केरल में शहरी जलपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता देने और केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम पर विचार करने का है जैसा कि ग्रामीण जलपूर्ति के मामले में किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी, नहीं।

समाचार भारती के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

5563. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों को अपना वेतन नहीं मिल रहा है और दोनों ही संगठन बन्द होने की स्थिति में पहुंच गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने दोनों संगठनों के सामने आ रही समस्याओं का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार अभिकरणों के सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनके कर्मचारियों को क्रमशः अगस्त, 1985 तथा जनवरी, 1986 से वेतन नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार को इन दोनों संगठनों की समस्याओं की जानकारी है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रही है।

भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के लिए देय मूल्य

5564. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 7 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के सम्बन्ध में देय मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य पर आधारित होता है और अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत घोषणा से पूर्व बजट प्रावधान से सम्बद्ध होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के सम्बद्ध में देय मूल्य का किस आधार पर आकलन किया जाता है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण, 1984 की धारा 5 अधिग्रहण हेतु भूमि की घोषणा से सम्बन्धित नहीं है तथा इस अधिनियम की धारा 7 भी भूमि

के अधिग्रहण की अधिसूचना से सम्बन्धित नहीं है। धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित पूरी अथवा आंशिक भूमि को अधिग्रहण करने हेतु धारा 6 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है तथा भूमि के अधिग्रहण हेतु आदेश लेने के लिए कलक्टर को धारा 7 के अन्तर्गत निदेश दिए जाते हैं।

देय मुआवजा बजट प्रावधान पर निर्भर नही करता है अथवा उससे सम्बद्ध नहीं है। मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले मुद्दे अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत दिए गए हैं जैसे कि :—

(1) धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य।

(2) भूमि का कब्जा लेते समय भूमि पर खड़ी किन्हीं फसलों या पेड़ों को लेने, उसकी अन्य भूमि से इस प्रकार की भूमि को विभक्त करने तथा कब्जा लेते समय या किसी अन्य प्रकार से उसकी अन्य चल या अचल सम्पत्ति अथवा आय के बुरी तरह प्रभावित होने के कारणों से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानियां।

(3) यदि भूमि का कब्जा लेने के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति को अपने आवास अथवा व्यवसाय की जगह को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है तो, इस परिवर्तन के लिए उचित खर्चा, यदि कोई हो।

(4) धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के समय तथा भूमि का कब्जा लेने के समय के बीच के लाभों में ह्रास के परिणामस्वरूप हुई हानियां, यदि कोई हो।

इसके अतिरिक्त, धारा 23(2) के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण के अनिवार्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर तथा धारा 4(1) के अन्तर्गत प्रकाशन की तारीख से लेकर अधिनिर्णय दिए जाने की तारीख तक अथवा धारा 23 की उपधारा 1(क) के अन्तर्गत कब्जा लेने तक, जो भी पहले हो, बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर मुआवजे की राशि को भी मुआवजे के अधिनिर्णय में शामिल करना होता है।

अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत एक वर्ष तक की अवधि के लिए 9 प्रतिशत तथा विलम्ब वाले मामले में उसके बाद 15 प्रतिशत की दर पर कब्जा लेने की तारीख से लेकर भुगतान के समय तक अथवा मुआवजे को न्यायालय में जमा करने तक अधिनिर्णत मुआवजे पर भी ब्याज दिया जाता है।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कीटनाशी दवाइयों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाना

5565. **श्री नरेन्द्र बुढानिया**
श्री सुभाष यादव } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका प्रशासन

ने कीटनाशी दवाइयों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है जिनका निर्माण करने अथवा उपयोग करने पर संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिबंध लगा हुआ था;

(ख) क्या ये प्रतिबधित कीटनाशी दवाइयां अर्थात् डी०बी०सी० में और फासवेल जो कि बहुत ही हानिकारक है, उनका भारत सहित कई विकासशील देशों में काफी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कीटनाशी दवाइयों के आयात और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस प्रकार की कोई जानकारी हमारी नजर में नहीं आई है।

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित पंजीकरण समिति ने बहुत पहले ही डी०बी०सी०पी० (डाइब्रामी क्लारो प्रोपेन) नामक कृमिनाशी औषधि का, इसके निर्जीवाणुता के प्रभाव उत्पन्न करने के कारण, भारत में आयात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसी प्रकार फासवेल (लेपटोफांस) नामक कृमिनाशी औषधि का भारत में इस्तेमाल, देर में होने वाली तंत्रिका-विषाक्तता के बारे में विवादास्पद रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए इस समिति ने अनुमोदित नहीं किया है। अतः इन दोनों कृमिनाशी औषधियों के भारत द्वारा आयात किये जाने का प्रश्न ही नहीं होता। इन दोनों कृमिनाशी औषधियों के अमरीका द्वारा अन्य विकासशील देशों को निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

किराये पर ली गई विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

5566. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराए पर ली गई विदेशी मत्स्य नौकाओं ने वर्ष 1985 में कम्पनी वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय मत्स्य उद्योग को भी वही वित्तीय रियायतें प्रदान करने का है जो विदेशी मत्स्य नौकाओं को दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985 में पकड़ी गई सकल मछली के मूल्य के 15 प्रतिशत के रूप में कम्पनीवार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) किराए पर ली गई विदेशी मत्स्यन नौकाओं को कोई वित्तीय रियायत नहीं दी जाती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारतीय कम्पनी का नाम	पकड़ी गई सकल मछली के मूल्य के 15% शेयर के रूप में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा…"000 अमरीकी डालर में
1. गोल्डन फिशरीज लि०, नई दिल्ली	314.97
2. जी०पी० मैराइन प्रोडक्टस (इण्डिया) (पी०) लि०, गुन्टूर	76.06
3. नव भारत फैरो एलोएज लि०, विशाखापत्तनम	44.16
4. श्रृम्प इण्डिया लि०, विशाखापत्तनम	38.36
5. यंग फिशरोज प्राइवेट लि०, नई दिल्ली	6.50
6. फोर सीजन फिशरीज लि०, विशाखापत्तनम	36.99
7. बाली कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लि०, मद्रास	33.21
8. लियो सी० फूड प्राइवेट लि०, नई दिल्ली	96.97
9. स्टार मैराइन फूड्स प्राइवेट लि०, विशाखापत्तनम	35.88

अपतृण नियंत्रण सम्बन्धी भारत-अमरीकी कार्यक्रम

5567. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका अपतृण नियंत्रण अनुसंधान कार्यक्रम सम्बन्धी समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन सी परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं और प्रारम्भ करने का विचार है और किन स्थलों पर अनुसंधान कार्य शुरू किया जायेगा तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) । (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) (i) केन्द्रों अर्थात लुधियाना, बंगलौर, जबलपुर, पन्तनगर, पालमपुर तथा खड़गपुर में प्रथम चरण के रूप में वर्ष 1978 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-यू०एस०डी०ए० के सहयोग से एक खरपतवार नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था । इस पर पांच वर्षों में 42.97 लाख रु० खर्च करने की व्यवस्था की गई थी ।

(ii) सात केन्द्रों अर्थात् जोरहाट, परभणी, आनन्द, फैजाबाद, बंगलौर, झांसी तथा कोयम्बटूर में इसका दूसरा चरण वर्ष 1982-83 में शुरू किया गया था । इस पर पांच वर्षों में 58.10 लाख रु० खर्च करने की व्यवस्था की गई थी ।

(iii) नौ और केन्द्रों यानी रांची, हिसार, शान्ति निकेतन, पूसा, कानपुर, त्रिचूर, भुवनेश्वर, हैराबाद तथा भा०कृ०अ०प० अनुसंधान कम्पलैक्स, शिलांग में हाल ही में इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए सहयोग के तृतीय चरण के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये । इस पर 63.85 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे ।

प्रायोजना के अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ये कार्य आते हैं—जहां पर केन्द्र स्थित है उसके कृषि जलवायवीय क्षेत्र के खरपतवारों का सर्वेक्षण करना और रासायनिक जैविक और समेकित खरपतवार नियंत्रण उपायों सहित उपयुक्त खरपतवार प्रबन्ध नीति को तैयार करना । सब्जियों, बागवानी तथा बागानी फसलों सहित विभिन्न फसलों तथा फसल प्रणालियों के लिए खरपतवार नियंत्रण के तरीकों का विकास किया जाना है ।

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए संहिता

5568. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दूरदर्शन पर वाणिज्यक विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के बारे में यदि कोई संहिता बनाई है तो वह क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि उक्त संहिता कितनी व्यापक है और वह शिक्षा सूचना और मनोरंजन के माध्यम के रूप में दूरदर्शन की भूमिका को कम नहीं करती और जनता के हितों की रक्षा करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण सम्बन्धी संहिता में यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी हां। सरकार द्वारा निर्धारित संहिता की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2565/86**] है। यह प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये विज्ञापनों पर भी लागू है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इस प्रकार के मूल्यांकन का अवसर ही नहीं आया है।

वक्फ सम्पत्ति का दिल्ली वक्फ बोर्ड को अंतरण

5569. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले सरकार ने दिल्ली में 100 से अधिक सम्पत्तियों का, जिन्हें वक्फ की सम्पत्ति होने का दावा किया जाता है, दिल्ली वक्फ बोर्ड को अंतरित करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या यह सच भी है कि अभी तक बोर्ड को एक भी सम्पत्ति नहीं सौंपी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निर्णय कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निर्णय के विरुद्ध याचिका है तथा मामला न्यायाधीन है।

मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के अंतर्गत केरल को वित्तीय सहायता

5570. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान केरल को मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) राज्य ने वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना 39.50 लाख रुपए के बजट अनुमान से 1984-85 के दौरान शुरू की गई थी और केरल को कोई अलग से आबंटन नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरित क्षेत्र पर आवासीय मकान

5571. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अनेक वर्षों से मास्टर प्लान तथा क्षेत्रीय विकास प्लानों में हरित क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा इन हरित क्षेत्रों पर कितने आवासीय मकान बनाये गये हैं; और

(ग) मास्टर प्लान तथा ले-आउट से परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फलों और सब्जियों का उत्पादन

5572. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 को भारत में फलों और सब्जियों का अलग-अलग प्रति एकड़ उत्पादन कितना था और तत्संबंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) प्रति एकड़ राष्ट्रीय उत्पादन अन्य देशों के उत्पादन की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है और क्या छठी पंचवर्षीय योजना की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि के आवंटन में कोई वृद्धि की गई;

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है, और दोनों योजनाओं के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अधिकतर फलों और सब्जियों के बारे में प्रति एकड़ उत्पादन से सम्बन्धित सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, फसल वर्ष 1984-85 के लिए पूर्वानुमान के आधार पर विभिन्न फलों और सब्जियों के बारे में प्रति हैक्टार उत्पादन सम्बन्धी उपलब्ध अद्यतन राज्यवार सूचना संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ख) भारत में फलों के प्रति हैक्टार उत्पादन तथा इसकी तुलना में अन्य देशों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, भारत में कुछेक चुनिंदा सब्जी की फसलों के प्रति हैक्टार उत्पादन और कुछेक चुनिंदा देशों में इनके उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण—2 में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं—

(1) अच्छी क्वालिटी की पौद सामग्री के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम किस्म के फ्लोद्यान लगाना।

(2) संघ शासित क्षेत्रों में केले और अन्नानास सम्बन्धी पैकेट कार्यक्रम।

(3) अच्छी क्वालिटी के सेव के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का पौध सामग्री की बढ़ी हुई सप्लाई के लिए दस राज्यों में चुनिंदा सरकारी फल नर्सरियों को बेहतर बनाने का कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में फल विकास कार्यक्रमों के लिए 1230.00 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया है, जबकि इसके मुकाबले छठी योजना के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में 234.96 लाख रुपए दिए गए थे। इसी प्रकार, फलों और सब्जियों सहित बागवानी में अनुसंधान की योजनाओं के वास्ते सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3195.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि इसके मुकाबले छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2136.72 लाख रुपए का वास्तविक खर्च हुआ था।

विवरण-1

भारत में (1984-85) फलों और सब्जियों की उत्पादकता

(कि०ग्रा०/हैक्टार)

	केला	आलू	शरककंद	टैपियोका	प्याज
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	16789	—	5429	4775	7986
असम	12971	6664	3286	—	—
बिहार	8300	9675	7190	—	8447
गुजरात	26565	32918	—	—	32960
हरियाणा	—	18613	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	3246	—	—	—
जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	—	—
कर्नाटक	5823	7103	6480	—	5765

1	2	3	4	5	6
केरल	6369	—	6588	16978	—
मध्य प्रदेश	17715	12797	6051	—	13920
महाराष्ट्र	24139	5348	13429	—	13429
उड़ीसा	9972	8546	7604	—	7905
पंजाब	—	19013	—	—	—
राजस्थान	—	—	—	—	3550
तमिलनाडु	30010	8259	9878	30900	8678
उत्तर प्रदेश	—	17023	8946	—	11593
पश्चिम बंगाल	—	21071	—	—	--
अखिल भारत	16359	14815	7523	18062	10548

विवरण-2

चुनिंदा देशों में चुनिंदा सब्जियों की पैदावार—1983

पैदावार कि०ग्रा०/हैक्टार में

क्र०सं०	देश	आलू	शकरकंद	कैस्सावा (टैपियोका)	प्याज
1	2	3	4	5	6
1.	भारत*	13549	7323	17709	10330
2.	अर्जेन्टीना	18617			
3.	बंगलादेश	10283			
4.	ब्राजील	10832	8824	10828	10873
5.	कनाडा	22352			
6.	चीन	12493	18246		12982
7.	कोलम्बिया	12500			
8.	मिश्र	15972			38824
9.	फ्रांस	26141			
10.	जर्मनी डी०आर०	17647			
11.	जर्मनी एफ०आर०	24482			
12.	इंडोनेशिया		7852	9836	
13.	जापान	28030	21309		41379
14.	नीदरलैंड	33130			
15.	नाइजीरिया		8652		
16.	पेरू	7573			
17.	पौलैण्ड	15529			
18.	रोमानिया	21371			
19.	रवाण्डा		9322		

1	2	3	4		5
20.	स्पेन	15128			
21.	तंजानिया				5231
22.	थाईलैंड		13077		
23.	तुर्की	17171	14444		
24.	यूगांडा		4872		
25.	ब्रिटेन	29995			
26.	रूस	12053			11734
27.	अमेरिका	29465			34965
28.	वियतनाम		4450		
29.	जेरे			6999	

* 1982-83 के लिए सरकारी अनुमान—(स्रोत-खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन वार्षिक पुस्तक 1983.

भारतीय प्रसारण सेवा

5573. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित भारतीय प्रसारण सेवा बनाये जाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) आकाशवाणी के उन वर्तमान कर्मचारियों की श्रेणियों और पदनाम तथा संगत वेतनमान क्या हैं जिन्हें प्रस्तावित सेवा में शामिल किया जाना है;

(ग) उन कर्मचारियों के बारे में संगत जानकारी क्या है जिन्हें प्रस्तावित सेवा में शामिल नहीं किया जाना है; और

(घ) उन्हें इस सेवा में शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) से (घ) प्रस्तावित समूह "क" सेवा अर्थात् भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के गठन हो जाने पर इसमें वे ग्रेड और वेतनमान होंगे जो किसी भी अन्य समूह "क" केन्द्रीय सेवा में पाये जाते हैं अर्थात् 700-1300 रुपए के जूनियर-टाइप स्केल से शुरू हो कर 3000 रुपये नियत स्केल तक।

यह सेवा उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको इसके नियम राजपत्र में अधिसूचित हो जायेंगे। इस समय कार्मिक विभाग के अनुमोदन के बाद नियमों की संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच पड़ताल की जा रही है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम नियोजन और निर्माण संवर्गों के उपरि उल्लिखित स्केलों के नियमित पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को इस सेवा में शामिल करने का प्रस्ताव है।

क्योंकि इरादा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम कार्मिकों का संवर्ग बनाने के लिए नई सेवा बनाने का है, अतः इंजीनियरी, प्रशासन, आदि जैसी अन्य विधाओं के कर्मचारी और संविदा कर्मचारी इस सेवा में शामिल नहीं होंगे।

"टेपियोका" का उत्पादन

5574. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सबसे उत्तम किस्म के टेपियोका के उत्पादक राज्य का नाम क्या है;

(ख) वर्ष 1984 तथा 1985 में केरल में का टेपियोका कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) क्या टेपियोका का राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है अथवा निर्यात के लिए ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) फसल वर्ष 1983-84 के दौरान केरल में "टेपियोका" का उत्पादन 39.2 लाख मीटरी टन था और 1984-85 में 39.5 लाख मीटरी टन था। यह राज्य देश में टेपियोका का प्रमुख उत्पादक है। राष्ट्रीय स्तर पर "टेपियोका" के उत्पादन का अधिकतर घरेलू खपत के लिए उपयोग किया जाता है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का दूरदर्शन से प्रसारण

5575. **श्री वासुदेव आचार्य**
श्री सुरेश कुरूप } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित गणतन्त्र दिवस कार्यक्रम को दूरदर्शन पर न दिखाये जाने के बारे में राज्य सरकार से शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन०गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने कलकत्ता तथा उत्तर पूर्वी केन्द्र, के कुछ अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोहों के टी०वी० कवरेज फीड प्राप्त करने की व्यवस्था की थी ताकि उनको दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जा सके। तथापि, माइक्रोवेव लिंक पर कलकत्ता से प्राप्त फीड तकनीकी रूप से घटिया था। अत: उसे उस रात के समाचार बुलेटिन में शामिल न करने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त कलकत्ता से इस कवरेज का टेप जिसे दिल्ली को हवाई जहाज से भेजा गया था, दिल्ली में रात देर से प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप इसे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों या उसी रात टेलीकास्ट विशेष कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका। इसलिए कवरेजों का उपयोग अगले दिनों दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में किया गया।

महाराष्ट्र में कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य

5576. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने धान, ज्वार, रुई, मूंगफली और अन्य अनाजों तथा मूंग तूर और अन्य दालों की उत्पादन लागत का अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के लिए लाभप्रद मूल्यों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के लिए क्रमश: प्रत्येक कृषि उत्पाद हेतु क्या लाभप्रद मूल्य सुझाया गया था; और

(ग) क्या उक्त अवधि के लिए उन खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया गया था ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुझाए गए विभिन्न फसलों के मूल्य निम्नवत हैं :

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिंस	फसल मौसम		
	1983-84	1984-85	1985-56
1	2	3	4
धान	252.53	274.22	298.32
ज्वार	240.40	256.62	263.16

1	2	3	4
कपास			
(1) बी-1007	804.66	916.04	938.03
(2) एच-4	—	128.26	937.94
मूंगफली	611.19	640.83	670.35
मूंग	542.66	611.22	675.78
तुर (अरहड़)	386.52	453.04	456.82

(ग) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और विभिन्न राज्य सरकारों तथा आर्थिक मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

ग्रामीण विकास आयोग की स्थापना

5577. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग (नेशनल कमीशन ऑन आर्बनाइजेशन) की तरह ही एक आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी निदेशपद क्या हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

5578. **डा० ए०के० पटेल**
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नवीनतम मूल्यांकन से इस बात की पुष्टि होती है कि इस योजना पर खर्च की गई भारी धनराशि का काफी भाग व्यर्थ जा रहा है तथा वह व्यय अन्य अधिक उपयोगी कार्यक्रमों पर दिया जा सकता है और समस्या यह है कि गरीबी हटाने के लिए किस स्तर को आधार माना जाए;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन से क्या तथ्य और आंकड़े प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या मन्जूरी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को नया रूप दिया जाएगा ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1986 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है। अक्टूबर-दिसम्बर, 1985 की अवधि के लिए हाल ही में पूरे किये गए समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों में वास्तव में यह दर्शाया गया है कि लगभग 39 प्रतिशत मामलों में सम्पत्तियों से 2000 रुपये से अधिक की बढ़ी हुई आय सृजित हुई है। लगभग 27 प्रतिशत मामलों में 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच बढ़ी हुई आय प्राप्त हुई है। लगभग 75 प्रतिशत लाभार्थियों ने महसूस किया है कि उन्हें दी गई सहायता परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थीं। 49 प्रतिशत ने कुल ऋण धनराशि के 50 प्रतिशत से अधिक को लौटा दिया है।

(ग) मजदूरी रोजगार शामिल करने से लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार की गरीबी निवारण की नीति में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मजदूरी रोजगार, के दोनों ही घटक शामिल हैं।

[हिन्दी]

भोपाल में उच्च सुरक्षात्मक पशु रोग प्रयोगशाला की स्थापना

5579. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष भोपाल (मध्य प्रदेश) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत पर एक उच्च सुरक्षात्मक पशु रोग प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने हथैखेड़ा में एशिया के सबसे बड़े संस्थान के लिए 134.89 एकड़ भूमि की व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उस संस्थान को शीघ्र स्थापित करने हेतु कोई ठोस कार्रवाई कर रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी हां, श्रीमान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का एक उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित किया जाना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास की सहायता से 1,0.6,400 अमेरिकी डालर की लागत को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान

संस्थान की सातवीं योजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार के निवेश की मात्रा कितनी होगी इसकी जांच की जा रही है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की सातवीं योजना के एक हिस्से के रूप में इस मामले में ठोस कदम उठा रही है। इस मामले से संबंधित प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। जैसे ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी, थल-कार्य (ग्राउन्ड वर्क) शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण राज्य

5580. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य और इन राज्यों के कुछ जिले सूखा-प्रवण हैं, जहां बार-बार सूखा पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे राज्यों और जिलों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पीने और खेती के लिए पानी की कमी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से लोगों को परेशानी से बचाने के लिए इन राज्य में पानी के संग्रह और उनकी सप्लाई के लिए केन्द्रीय सहायता से क्या स्थायी प्रबंध करने का विचार है?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय शामिल राज्यों तथा जिलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ये देश के मुख्य पुराने सूखा प्रवण क्षेत्र हैं।

(ग) पीने तथा खेती के लिए जल की आपूर्ति करना राज्य के विषय हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों की केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से सहायता की जाती है।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम तथा केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित मरुभूमि विकास कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, खेती के लिए उपलब्ध कराने हेतु जल संचयन ढांचों, लघु सिंचाई कार्यों, टैंकों, तालाबों, कुओं, उठाऊ सिंचाई आदि के माध्यम से जल संरक्षण और विकास किया जाता है। क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्य योजनाओं में इन्हें शामिल किया जाता है। सातवीं योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र का परिव्यय 237 करोड़ रुपये है तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 245 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

केन्द्रीय सरकार भी राज्यों की त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने में सहायता करती है जिसके लिए सातवीं योजना में 1201.22 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक (1981-91) के उद्देश्य के अनुसार यह प्रस्ताव है कि समस्त ग्रामीण जनसंख्या को पेय जल की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

विवरण

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र

राज्य	जिला	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गये खण्डों की संख्या
1	2	3
1. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम		
1. आंध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर	16
	2. चित्तूर	8
	3. कुडप्पा	6
	4. महबूबनगर	12
	5. कुरनूल	13
	6. प्रकासम	9
	7. रंगारेड्डी	3
	8. नालगोंडा	2
	उप-योग	69
2. बिहार	1. पलामू	24
	2. संथाल परगना	7
	3. मुंगेर	7
	4. रोहतास	7
	5. नवादा	9
	उप-योग	54

1	2	3
3. गुजरात	1. अहमदाबाद	2
	2. अमरेली	8
	3. भावनगर	3
	4. जामनगर	2
	5. कच्छ	7
	6. पंचमहल	7
	7. राजकोट	5
	8. सुरेन्द्रनगर	9
	उप-योग	43
4. हरियाणा	1. मोहिन्द्रगढ़	9
	उप-योग	9
5. जम्मू व कश्मीर	1. डोडा	8
	2. उधमपुर	5
	उप-योग	13
6. कर्नाटक	1. बीजापुर	11
	2. बेलारी	5
	3. बेलगांव	4
	4. चित्रदुर्ग	6
	5. धारवाड़	14
	6. कोलार	9
	7. तुमकुर	6

1	2	3
	8. गुलबर्गा	8
	9. बिदार	3
	10. रायचुर	4
	11. चिकमगलूर	1
	उप-योग	71
7. मध्य प्रदेश	1. खारगोन	7
	2. झाबुआ	12
	3. शाहडोल	6
	4. धार	8
	5. सिधि	8
	6. बेतुल	8
	उप-योग	49
8. महाराष्ट्र	1. अहमद नगर	10
	2. शोलापुर	10
	3. नासिक	10
	4. सांगली	6
	5. सतारा	4
	6. धुले	4
	7. औरंगाबाद	6
	8. जालना	1
	9. जलगांव	5
	10. बीड	6

1	2	3
	11. ओसमानाबाद	3
	12. पुणे	9
	उप-योग	74
9. उड़ीसा।	1. फूलबनी	14
	2. कालाहांडी	11
	3. बोलनगीर	8
	4. सम्बलपुर	6
	उप-योग	39
10. राजस्थान	1. अजमेर	2
	2. बसवाडा	8
	3. डूंगरपुर	5
	4. उदयपुर	3
	5. सवाई माधोपुर	2
	6. टोंक	3
	7. कोटा	4
	8. झालवाड़	3
	उप-योग	30
11. तमिलनाडु	1. धर्मपुरी	12
	2. रामानाथपुरम्	7
	3. पुडुकोटई	4
	4. पसुम्पोन मुथुरामलिंगम	6

1	2	3
	5. कामाराजर	5
	6. तिरुनेलवेली	9
	उप-योग	43
12. उत्तर प्रदेश	1. मिर्जापुर	10
	2. बांदा	10
	3. जालौन	3
	4. हमीरपुर	5
	5. झांसी	3
	6. ललितपुर	2
	7. बहराइच	14
	8. गोंडा	4
	9. खिरी	2
	10. सीतापुर	3
	11. इलाहाबाद	1
	12. चमोली	4
	13. पौड़ीगढ़वाल	10
	14. टीहरी गढ़वाल	3
	15. अल्मोड़ा	8
	16. पिथौरागढ़	5
	उप-योग	87

1	2	3
13. पश्चिम बंगाल	1. पुरूलिया	20
	2. मिदनापुर	7
	3. बांकुरा	7
	उप-योग	34
	कुल योग	615

2. मरूभूमि विकास कार्यक्रम :

गर्म शुष्क क्षेत्र :

1. गुजरात	1. बनासकंठा	7
	2. मेहसाना	2
	उप-योग	9
2. हरियाणा	1. हिसार	10
	2. भिवानी	7
	3. रोहतक	5
	4. सिरसा	4
	उप-योग	26
3. राजस्थान	1. गंगानगर	9
	2. बीकानेर	4
	3. चुरू	7
	4. झुनझुनू	8
	5. सिकर	8

1	2	3
	6. नागौर	11
	7. जोधपुर	9
	8. जैसलमेर	3
	9. बाड़मेर	8
	10. जालौर	7
	11. पाली	10
	उप-योग	84
ठण्डे शुष्क क्षेत्र		
4. हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल व स्पीति	1
	2. किनौर	1
	उप-योग	2
5. जम्मू व कश्मीर	1. लेह	5
	2. कारगिल	5
	उप-योग	10
	कुल योग	131

मदर डेरी के उत्पादों का सरकारी क्षेत्र सहकारी डेयरी यूनिटों के माध्यम से विपणन

5581. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी, दिल्ली ने अपनी नीति के रूप में अपने सम्बन्धित उत्पाद का मदर डेरी बूथों से विपणन करने हेतु देश के सभी सरकारी क्षेत्र के सहकारी डेरी यूनिटों को आमन्त्रित किया था और यदि हां, तो यह परिपत्र कब भेजा गया था और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी;

(ख) क्या मदर डेरी बूथों के सब्जी और फलों के मूल्य बहुत अधिक हैं;

(ग) क्या मदर डेरी को सब्जियां और फल केवल किसानों की सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदने होंगे और यदि हां, तो ऐसा कब से होगा; और

(घ) क्या मदर डेयरी कलकत्ता नारंगियों के सन्दर्भ में यह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मदर डेरी ने फल तथा सब्जियों की परियोजना के बूथों के जरिए अपने कुछ उत्पादों का विपणन करने के लिए हरियाणा, पंजाब तथा गुजरात जैसे कुछ सहकारी संघों से अनुरोध किया है।

(ख) मदर डेरी बूथों पर सब्जी और फलों के मूल्य अधिक नहीं हैं।

(ग) किसानों और मौजूदा सरकारी समितियों से सीधे यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में फल और सब्जियों की खरीद के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) मदर-डेरी, कलकत्ता ने नारंगियों की खरीद तथा बिक्री नहीं की है। नारंगियों की खरीद मिरिक प्राथमिक कृषि सहकारी विपणन समिति ने शुरू की थी और मदर डेरी दुग्ध खुदरा बिक्रेताओं के माध्यम से बेचा गई।

आन्ध्र प्रदेश में जल पूर्ति योजनाओं के लिए धन की कमी

5582. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि धन की कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश समस्या ग्रस्त गांवों में पी०डब्लू०एस० और आर० डब्ल्यू०एस० नामक जल पूर्ति योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। सातवीं योजना के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश का 140 करोड़ रुपये का परिव्यय है। केन्द्र द्वारा

प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 1985-86 के दौरान 1587.44 लाख रुपये की राशि नियुक्त की गई थी तथा 1986-87 के लिए अनन्तिम आबंटन 1760 लाख रुपये का है।

तूफान पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त सहायता

5583. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री एस० पलाकोंड्रायडू
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नवम्बर, 1984 में आए तूफान से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत खर्च की अधिकतम राशि के अलावा आन्ध्र प्रदेश सरकार से 449.60 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर करने के लिए लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने धन राशि खर्च किये जाने और राहत तथा पुनर्वास कार्य के लिये निर्धारित की गई समय सीमा 31 दिसम्बर, 1985 से बढ़ाकर 31 मार्च, 1986 करने के लिए भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त अनुरोधों को मान लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 449.60 लाख रुपये तक व्यय की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले को फिर से शुरू न किया जाय क्योंकि अधिकतम सीमा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा उसकी राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गये थे। तथापि, वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के लिये "सिंचाई" तथा सड़कों की मरम्मत के लिए अनुमोदित अधिकतम व्यय के उपयोग की समय की सीमा 31 मार्च, 1986 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1986-87 के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं और चावल का आबंटन

5584. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री बंगावाड़ा पपी रेड्डी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत किस किस्म के और कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का आबंटन किया जायेगा;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वर्तमान वितरण प्रभार को 15/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 25/-रुपये प्रति क्विंटल करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम/ समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/ "पी०ए०एस०एम०ए०" के अन्तर्गत योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट में नियत राशि, इस आधार पर कि दूसरी किस्त को जारी करने में प्राय: विलम्ब होता है एक ही किस्त में दी जाये; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुझाव मान लिया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण रोजगार भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 1986-87 की पहली छमाही के लिए कुल 95,560 मीटरी टन खाद्यानों का आबंटन किया गया है। वर्ष की दूसरी छमाही के लिए आबंटित की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा इस मात्रा में से किए गए उपयोग पर निर्भर करेगी। खाद्यान्नों की आधी मात्रा चावल के रूप में सप्लाई की जाएगी तथा शेष मात्रा गेहूं के रूप में। सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों की क्वालिटी उचित औसत क्वालिटी के अनुरूप होनी चाहिए।

(ख) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान अभिवेदन किया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की ढुलाई तथा रख-रखाव के खर्चों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 15 रु० से बढ़ाकर 25 रुपये किया जाना चाहिए। खाद्यान्नों की ढुलाई तथा रख-रखाव के खर्चों के लिए आर्थिक सहायता की दर बढ़ाकर 20 रु० प्रति क्विंटल कर दी गई है और राज्य धनराशि के अलावा किसी भी खर्च को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-मजदूरी घटक के रूप में अंकित कर सकती है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार या अन्य किसी राज्य से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है कि कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि एक ही किस्त में निर्मुक्त की जाए।

कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण

5585. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ एक सप्ताह में कितने प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या इन कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय कन्नड़ में प्रायोजित कार्यक्रम सप्ताह में एक बार दिखाया जाता है।

(ख) जी, हां। यदि उपयुक्त कार्यक्रम उपलब्ध होंगे, तो इनकी संख्या बढ़ा दी जायेगी।

भवन निर्माण प्रमाण-पत्र के बिना सिद्धार्थ होटल द्वारा कार्य करना

5586. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसन्त बिहार, नई दिल्ली स्थित सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल होटल भवन निर्माण प्रमाण पत्र के बिना ही कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और होटल के मालिक के विरुद्ध क्या कारंवाई करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सिद्धार्थ कान्टिनेन्टल होटल बसन्त बिहार, नई दिल्ली के लिए अभी तक भवन निर्माण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया है क्योंकि वहां पर स्वीकृति भवन नक्शों में कुछ परिवर्तन किये गये थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परिवर्तन दुरुस्त करने और भवन निर्माण प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अपेक्षित सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए इस भवन के संस्थापकों (प्रोमोटरों) को हिदायतें दी हैं।

पत्रकारों के लिए अंतरिम सहायता

5587. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ (भारत) ने पत्रकारों के लिए अंतरिम सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले को श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है। सरकार ने मजदूरी बोर्डों से पहले ही अनुरोध किया है कि वे अपनी सिफारिशें शीघ्र दें। इनके प्राप्त होते ही, उक्त अधिनियम की धारा 13-क के अधीन सरकार द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।

खेतड़ी खानों से तांबा निकालना

5588. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या इस्पात और खान** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान खेतड़ी खानों से तांबे की कुल कितनी मात्रा निकाली गई; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान तांबे की कुल कितनी मात्रा निकाली जायेगी ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) और (ख) खेतड़ी खान समूहों से वर्ष 1985-86 के दौरान तथा 1986-87 में संभावित कुल तांबा अयस्क निकासी और उसमें तांबे की मात्रा नीचे दी गई है :—

	1985-86 (अनंतिम)	1986-87 (लक्षित)
खेतड़ी खान समूह से खनिज अयस्क (लाख टनों में)	14.92	18.66
खनिज अयस्क में तांबा (धातु) (टनों में)	16,998	20,526
केवल खेतड़ी खान से खनिज अयस्क (लाख टनों में)	7.62	9.00
उपर्युक्त में तांबे की मात्रा (टनों में)	5,333	6,390

अनधिकृत कब्जाधारियों से डी०डी०ए० की भूमि मुक्त कराना

5589. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसानों से भूमि बहुत ही कम दरों पर अर्जित की थी और उस भूमि का विकास करने तथा उसे किसी काम में लाने के बजाय अनिश्चित काल तक खाली छोड़ दिया जिससे अनधिकृत कब्जाधारियों ने उस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध क्या कार्रवाही की जा रही है और अनाधिकृत कब्जाधारियों से ऐसी भूमि खाली करवाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पक्ष में दिल्ली प्रशासन भूमि का अर्जन करता है इस अधिनियम में धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना के समय प्रचलित बाजार दरों पर मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था है। जिसे उन व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए संशोधित कर दिया गया है जिनसे भूमि अर्जित की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जो भूमि उन्हें सौंप दी गई है उसे अधिकांशतः विकसित कर दिया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतिक्रमणों को रोकने के लिए अनधिकृत संरचनाओं को गिराने, खाली भूमि पर बाड़ लगाने, पर्याप्त निगरानी स्टाफ तैनात करने इत्यादि जैसे कई कदम उठाये हैं। दिल्ली में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाये गये हैं :

(i) सभी संबंधित अभिकरणों को मार्ग-निर्देशन जारी किया गया था कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण को आरम्भ में ही रोक दिया जाना चाहिए और उन्हें टिकाऊ नहीं बनने दिया जाय जिससे कि उन्हें हटाना कठिन हो जाता है।

(ii) अनधिकृत निर्माण को संज्ञेय अपराध घोषित करने और सामान्य रूप से अतिक्रमण से निपटने के कानून को सख्त बनाने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन किया गया है।

(iii) अनधिकृत निर्माणों को रोकने तथा संबंधित संगठनों में उच्च-स्तर पर इस प्रयोजन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मार्ग दर्शन निर्धारित किये गये हैं।

दूरदर्शन के चित्रमाला कार्यक्रम में मलयालय फिल्मों का शामिल करना

5590. प्रो० के० वी० थामस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन के "चित्रमाला" कार्यक्रम में मलयालय फिल्मों की अपेक्षा की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत डेढ़ वर्ष के दौरान, कथ्थकली, मोहिनीआतम, अप्पना आदि जैसी केरल की किसी भी कला को दिल्ली दूरदर्शन से नहीं दिखाया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि मकरसंक्रांति और विजयदशमी संबंधी वृतचित्र में केरल की उपेक्षा की गई है ; और

(घ) क्या प्रत्येक रविवार को क्षेत्रीय प्रादेशिक फिल्में दिखाने के कार्यक्रम में मलयालय फिल्मों को उनका उचित हिस्सा नहीं दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं । 1.1.1985 से 31.3.1986 तक की अवधि के दौरान चित्रमाला कार्यक्रमों में मलयालय के 11 गीत शामिल किए गए थे ।

(ख) जी, नही । पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष के दौरान केरल की कलाओं और संगीत से संबंधित 11 विभिन्न कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं । मलयालय फीचर फिल्मों को उनका उचित हिस्सा दिया जाता है । 1.1. 1985 से 31.3.1986 तक की अवधि के दौरान चार मलयालम फीचर फिल्में-दो राष्ट्रीय संजाल पर और दो दिल्ली तथा इसके रिले ट्रांसमीटरों से टेलीकास्ट की गई थीं ।

उर्वरक का उपयोग

5591. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक के उपयोग में बहुत भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान उर्वरक की राज्य-वार प्रति हैक्टेयर खपत कितनी है;

(ग) क्या पूर्वी राज्यों में उर्वरक के खपत की दर पंजाब और हरियाणा की तुलना में बहुत ही कम है और उर्वरक की अधिक खपत से चावल का उत्पादन शत प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। देश में उर्वरकों की खपत में अन्तर-राज्जीय विभिन्नता है। 1984-85 के दौरान उर्वरकों को राज्य-वार प्रति हैक्टार खपत और 1985-86 के दौरान अनुमानित खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) पंजाब और हरियाणा की तुलना में पूर्वी राज्यों में उर्वरकों की खपत की दर कम है। उर्वरकों के इस्तेमाल में वृद्धि करके चावल का उत्पादन यथेष्ट रूप से बढ़ाया जा सकता है। पूर्वी राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए असम, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के 420 चुनिन्दा ब्लाकों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत, विभिन्न पैकेज पद्धतियों के माध्यम से, जिसमें उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल भी शामिल है, चावल की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

राज्य का नाम	पोषकों (एन + पी$_2$ओ$_5$ + के$_2$ओ) की खपत	
	कि०ग्रा० प्रति हैक्टार (1984-85)	1985-86 (अनुमानित)
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	75.14	67.13
2. केरल	43.94	50.10
3. कर्नाटक	52.61	50.42
4. तमिलनाडु	99.94	9[illegible].56
5. गुजरात	46.28	40.41
6. मध्य प्रदेश	17.13	19.98
7. महाराष्ट्र	28.51	33.71
8. राजस्थान	11-11	11.41
9. हरियाणा	57.78	64.80
10. पंजाब	151.19	158.19

1	2	3
11. उत्तर प्रदेश	65.11	86.80
12. हिमाचल प्रदेश	22.92	24.50
13. जम्मू व काश्मीर	29.72	35.54
14. असम	4.01	5.06
15. बिहार	35.90	47.ह5
16. पश्चिमी बंगाल	54.81	60.90
17. मणिपुर	15.66	20.61
18. मेघालय	14.30	17.26
19. नागालैंड	1.76	1.76
20. त्रिपुरा	8.15	13.14
21. उड़ीसा	13.04	16.14
22. सिक्किम	13.00	13.00
अखिल भारत औसत	46.38	50.98

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की जांच

5592. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति (पैनल) नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैनल के सदस्यों के नाम क्या है ; और

(ग) उसके निवेश पद क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गांवों में निर्धनतम लोगों की अर्धभुखमरी की हालत

5593. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज और दालों समेत खद्यान्नों के उत्पादनों में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद गावों में निर्धनतम लोगों अर्ध-भुखमरी की हालत में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भुखमरी की हालत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये सरकार का कोई योजना तयार करने का विचार है ;

(ग) तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितना धन आबंटन किया गया है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1983) के 38 वें दौर के अनुसार वर्ष 1983-84 में 40.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे । 1984-85 के मूल्यों के अनुसार इस समय गरीबी की रेखा प्रति परिवार 6,400 रुपये वार्षिक आय पर निर्धारित की गई है । यह मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2,400 कैलोरी की आवश्यकता के संदर्भ में निर्धारित की गई है ।

इन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसमें स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिनमें रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण के साथ मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जैसे कई कार्यक्रम चलाये गए हैं ।

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को वर्ष 1986-87 हेतु उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधियां संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम हेतु 1986-87 के लिए केन्द्रीय आवंटन (अनन्तिम)

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम*	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम*	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम*
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1869.89	2197.00	4739.00
2.	असम	628.30	461.00	992.00
3.	बिहार	3548.86	3234.00	6973.00
4.	गुजरात	989.84	757.00	1633.00
5.	हरियाणा	345.59	214.00	461.00
6.	हिमाचल प्रदेश	218.88	138.00	309.00
7.	जम्मू और काश्मीर	321.02	170.00	374.00
8.	कर्नाटक	1086.91	1060.00	2292.00
9.	केरल	738.98	866.00	1864.00
10.	मध्य प्रदेश	2536.80	1907.00	4114.00
11.	महाराष्ट्र	1849.73	1834.00	3949.00
12.	मणिपुर	77.41	25.00	57.00
13.	मेघालय	104.08	35.00	73.00
14.	नागालैण्ड	131.64	28.00	61.00
15.	उड़ीसा	1486.02	1013.00	2187.00
16.	पंजाब	397.68	228.00	491.00
17.	राजस्थान	1261.77	892.00	1941.00

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	43.06	18.00	41.00
19.	तमिल नाडु	1896.76	1811.00	3902.00
20.	त्रिपुरा	73.38	76.00	168.00
21.	उत्तर प्रदेश	5014.83	4054.00	8738.00
22.	पश्चिमी बंगाल	2000.51	1732.00	3737.00
23.	अंदमान निकोबार द्वीप समूह	45.15	35.00	42.00
24.	अरूणांचल प्रदेश	367.15	36.00	42.00
25.	चंडीगढ़	60.73	10.00	10.00
26.	दादर और नगर हवेली	23.79	18.00	21.00
27.	दिल्ली	100.58	16.00	31.00
28.	गोआ, दमन और दीव	193.36	42.00	64.00
29.	लक्षद्वीप	30.49	10.00	10.00
30.	मिजोरम	180.68	36.00	42.00
31.	पांडिचेरी	76.75	36.00	42.00
	स्थापना व्यय	—	10.00	—
	अखिल भारतीय :	27730.62	23000.00	49400.00

*समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा बराबर की निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई भूमि के बदले किसानों को मुआवजा देना

5594. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से अधिगृहीत की गई भूमि के बदले में उचित मुआवजा देने के लिए दिल्ली के किसानों द्वारा की गई प्रार्थना की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों की मांग क्या है और सरकार किस दर पर मुआवजा देने के लिए तैयार है;

(ग) सरकार द्वारा पहले पहल मुआवजे की दर कब निश्चित की गई थी ;

(घ) क्या सरकार कीमतों में वृद्धि को देखते हुए मुआवजे की दर में वृद्धि करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस विषय से सरकार को कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) समय समय पर यथा संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली प्रशासन दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अर्जित करता है। भू-अर्जन अधिनियम, 1994 में में धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना की तारीख को मार्किट मूल्य पर मुआवजे के निर्धारण, धारा 28 की उप धारा (1) में बताए गए विभिन्न पक्षों की क्षति तथा अर्जन की अनिवार्य प्रकृति के विचार से मुआवजा निर्धारण के आधार की व्यवस्था है। एवार्ड की तारीख अथवा भूमि का कब्ज़ा लेने की तारीख तक इनमें जो भी पहले हो धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को आरम्भ होने वाली अवधि के लिए ऐसे मार्किट मूल्य के 12 प्र०श० प्रतिवर्ष की दर पर संगठित अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने के लिए भू-अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा इस अधिनियम में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है। मुआवजे की दर को भी मार्किट मूल्य के 15 प्र०श० से बढ़ाकर 30 प्र०श० तक दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भुगतान के विलम्ब अथवा मुआवजा जमा के मामले में ब्याज की दर को एक वर्ष तक की अवधि के लिए 6 प्र०श० से 9 प्र०श० प्रतिवर्ष तक तथा इसके बाद 15 प्र०श० प्रतिवर्ष बढ़ा दिया गया है। संशोधित अधिनियम में धारा 4(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एवार्ड करने के लिए तीन वर्ष की समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

(घ) और (ङ) क्योंकि मुआवजे की दर भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की जाती है अतः अधिनियम के क्षेत्राधिकार के बाहर संशोधन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना से सरकारी क्षेत्र उपक्रमो को छूट देना

5595. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों को नि:शुल्क और अधिक लाभ देने के लिए कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं और वे कब से छूट मांग रहे हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट मुख्यत: इस आधार पर मांगी जाती है कि प्रबंधतंत्र की अपनी योजनाओं के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सीय और नकद फायदे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन दिए जाने वाले फायदों से अधिक लाभकर हैं ।

(ख) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के संबंध में छूट के लिए आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं :—

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान का नाम	छूट के लिए आवेदन-पत्र प्राप्ति की तारीख
1	2	3
1.	मैसर्स मिश्र धातु निगम, हैदराबाद	20/12/84
2.	मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड, गुडगांव	11/2/85
3.	मैसर्स इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, नैनी	23/3/85
4.	मैसर्स भारत अर्थ यूवर्स लिमिटेड, बंगलौर	29/5/85
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड, बम्बई	3/7/85
6.	मैसर्स भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, रांची	1/11/85
7.	मैसर्स बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलकत्ता	6/11/85
8.	मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कलकत्ता	20/11/85

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक उप-समिति ने अभी हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन छूट की नीति की समीक्षा की और अपनी सिफारिशें कर्मचारी राज्य

बीमा निगम को दी। निगम ने फरवरी, 1986 में हुई बैठक में उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया। उक्त निगम की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छूट के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

डाक्टरों के पारिश्रमिक में प्रति बीमाशुदा व्यक्ति वृद्धि

5596. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक्टर इस बात के लिए आन्दोलन कर रहे हैं कि उनको बीमा कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिकित्सा रिपोर्ट देने के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना की पैनल पद्धति के अधीन बीमा डाक्टर यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें दी जाने वाली प्रति व्यक्ति फीस में उपयुक्त वृद्धि की जाए।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रति व्यक्ति फीस में वृद्धि की मांग पर विचार करेगी। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आगे और कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में विश्व बैंक की सहायता से गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना

5597. **श्री कुंवर राम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विश्व बैंक की सहायता से कितने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) इन सड़कों की लम्बाई कितनी है; और

(घ) इन सड़कों का निर्माण कार्य कितने चरणों में तथा कितने समय में पूरा होने की संभावना है?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) 647

(ख) 96

(ग) 657.56 किलो मीटर

(घ) निर्माण कार्य तीन चरणों में शुरू किया गया है तथा जून, 1986 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में चावल के उत्पादन की योजना

5598. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विशेष चावल उत्पादन योजना के प्रभावी कार्यान्वियन के लिये कृषि ऋण अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या पुनरीक्षा के पश्चात् योजना आयोग ने पाया कि उक्त क्षेत्र में चावल के उत्पादन में प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिये कृषि ऋण नितांत अपर्याप्त है;

(ग) क्या सातवीं योजना में पूर्वी क्षेत्र में बीस प्रतिशत खंडों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कोई कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है; और

(घ) इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिये योजना आयोग ने क्या सुझाव दिये हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के कारगर क्रियान्वयन में कृषि ऋण की कमी के बारे में पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता के सम्बन्ध में गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा है कि संस्थागत ऋण के भरपूर मात्रा में न होने के कारण आदानों के उपयोग और फार्म पर निवेश को धक्का पहुंचा है।

(ग) जी, हां। चावल का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए, पूर्वी क्षेत्र अर्थात् असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों के 20% ब्लाकों में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(घ) विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम केवल 1985-86 से ही आरम्भ किया गया है। योजना आयोग ने इस स्कीम के क्रियान्वयन की प्रगति की गहराई से समीक्षा करने का कोई कार्य हाथ में नहीं लिया है।

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित परियोजना

5599. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड ने 1984 में अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक राज्य-वार कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं अथवा कार्यान्वित करने का विचार किया है;

(ख) उड़ीसा में उत्पादन संसाधन विपणन, कृषि और प्रौद्योगिकी अनुसंधान से सम्बंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में ग्रामीण किसानों को प्रोत्साहन देने का बोर्ड का विचार है; और

(घ) क्या राज्यों में विशेषकर उड़ीसा जैसे पिछले राज्यों में अधिक प्रभावी ढंग से योजना-कार्य को कार्यान्वित करने/उस पर निगरानी रखने के लिए राज्य मुख्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर बोर्ड का विकेन्द्रीकरण करने का सरकार का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल बोर्ड ने तेल मात्रा के आधार पर तिलहन उत्पादकों को मूल्यों की अदायगी के लिए दो योजनाएं अर्थात् तिलहनों में फसल प्रतियोगिता संबंधी योजना और तिलहन पंडित पुरस्कार की योजना तथा एक मार्गदर्शी योजना शुरू करने का निर्णय किया है। फसल प्रतियोगिता संबंधी योजना राष्ट्रीय राज्य, जिला तथा खंड स्तर पर आयोजित की जानी है। दूसरी योजना आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में और इन राज्यों की चुनिंदा विनियमित मंडियों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1984-85 में उड़ीसा में तिलहनों का कुल उत्पादन 748.5 हजार मीटरी टन था। उड़ीसा में तिलहन की 55 मंडियां है। 1983-84 के दौरान, 583.11 लाख रुपए की लागत का 3564 मीटरी टन वनस्पति तेल वर्गीकृत किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उड़ीसा के कृषि तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के तहत अनुसंधान केन्द्रों की, जिनके अंतर्गत मूंगफली, तिल, कुसुम, सोयाबीन तथा गौण तिलहन कवर किए जा रहे हैं, वित्तीय सहायता कर रहा है इसके फलस्वरूप, राज्य में विभिन्न तिलहनों के लिए उपयुक्त उन्नत किस्मों तथा पैकेज पद्धतियों का पता लगाया गया और उन्हें लोकप्रिय बनाया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करना

5600. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी और मध्य पूर्व देशों में काम की तलाश करने वाले भारतीय लोगों को आप्रवास विभाग द्वारा उनको भारत वापस भेजने की स्थिति में एक तरफ के टिकट किराया जितनी राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो भारत में आप्रवास कार्यालयों द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत कितनी धनराशि एकत्र की जाती है और इस तरह जमा धनराशि का कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आप्रवासी कार्यालयों को भारतीय लोगों को वापस भेजने संबंधी कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(घ) बेरोजगार युवकों द्वारा जो कि पहली बार रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं, उनको इतनी अधिक धनराशि जमा कराने के लिए दबाव डालने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विदेश जाने वाले कर्मचारियों के हित में इस आवश्यकता को समाप्त करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां। विदेशी नियोजकों द्वारा सीधे भर्ती किए गए श्रमिकों को ही भारत वापिस आने के लिए, यदि वे मुसीबत में हैं, एक तरफ के वापिसी के हवाई जहाज के किराए जितनी राशि की प्रतिभूति जमा करनी होती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वापिस भेजने के लिए, यदि आवश्यक होता है, जमा प्रतिभूति राशि ली जाती है। रोजगार से वापिस आने पर यह राशि वापिस कर दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश को गेहूं के स्थान पर चावल की सप्लाई

5601. **श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार को गेहूं के स्थान पर चावल सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीयग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं तथा चावल की बराबर मात्रा सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश को प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की पहली किस्त निर्मुक्त कर दी गई है जिसकी मात्रा 47,780 मीटरी टन है,

जिसमें 23,890 मीटरी टन चावल तथा 23,890 मीटरी टन गेहूं हैं और इसमें 1986-87 की पहली दो तिमाहियों को शामिल किया गया है।

वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजन विकास कार्यक्रम

5602. श्री एन० डेनिस
श्री बाला साहेब विखे पाटिल
श्रीमती माधुरी सिंह
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा सिंचित कृषि के लिए बनाए गए राष्ट्रीय जल विभाजन विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस संबंध में इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए किन-किन राज्यों और जिलों का चयन किया गया है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्षा सिंचित कृषि के लिए बनाए गए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं ये हैं : (1) भूमि तथा आर्द्रता प्रबन्ध, बारानी बागवानी सहित सस्य प्रणालियां लागू करना, चारा उत्पादन तथा फार्म वानिकी; (2) आकस्मिक बीज भंडारन और पौधों और घास बीज। स्लिपों की आपूर्ति; (3) प्रशिक्षण, (4) अनुकूली अनुसंधान कार्यकलाप (5) सर्वेक्षण उपस्कर की व्यवस्था और नये औजारों का निर्माण; और (6) क्षेत्र नियमावलियां तैयार करना आदि।

(ख) अस्थायी रूप से चुंनिदा राज्यों तथा जिलों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां, अस्थायी रूप से शामिल किया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अस्थायी रूप से चुंनिदा जिलों के नाम	
1	2	3	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनतंपुर	6. हैदराबाद
		2. महबूबनगर	7. करीमनगर
		3. कुरनूल	8. खयाम
		4. नालगांडा	9. मेढ़क
		5. अदिलाबाद	10. प्रकासम
			11. बारगंल

1	2	3	
2.	असम	12. नौगांव	
3.	बिहार	13. नवादा	14. गोपालगंज
			15. रांची
4.	गुजरात	16. अमरेली	22. अहमदाबाद
		17. बनसकंठा	23. भडौंच
		18. भावनगर	24. जूनागर
		19. मेहसाना	25. कैरा
		20. राजकोट	26. पंचमहल
		21. सुरिन्द्र नगर	27. बडोदरा
			28. सावरकंथा
5.	हरियाणा	29. मोहिन्द्र गढ़	
6.	हिमाचल प्रदेश	30. विलासपुर	32. मंडी
		31. कुलू	33. ऊना
7.	कर्नाटक	34. बेलारी	40. बंगलौर
		35. बिजापुर	41. बिदार
		36. चित्रदुर्ग	42. धारवाड़
		37. गुलबर्ग	43. हसन
		38. कालार	44. मैसूर
		39. रायचूर	45. तुमकुर
			46. वेलगांव
8.	केरल	47. पालघाट	
9.	मध्य प्रदेश	48. भिण्ड	54. खारगौन
		49. दतिया	55. खाण्डवा
		50. वैतूल	56. गुना
		51. छतरपुर	57. ग्वालियर
		52. देवास	58. इंदौर
		53. धार	59. झबुआ

1	2	3	
		60. मंदसार	63. शाजापुर
		61. राजगढ़	64. शिवपुरी
		62. रतलाम	65. उज्जैन
10.	महाराष्ट्र	66. अहमदनगर	73. अकोला
		67. औरंगाबाद	74. अमरावती
		68. भिंड	75. बुलडाना
		69. धूली	76. नानदेड़
		70. जलगांव	77. नासिक
		71. सागंली	78. उसमानाबाद
		72. शोलापुर	79. परमानी
			80. सतारा
			81. वर्धा
			82. योतमल
11.	उड़ीसा	83. कोटापुट	
12.	पंजाब	84. होशियारपुर	
13.	राजस्थान	85. अजमेर	90. टोंक
		86. अल्वर	91. बांसवाड़ा
		87. भरतपुर	92. डुंगरपुर
		88. सवाई माधोपुर	93. झालवार
		89. सिरोही	94. कोटा
14.	तमिलनाडु	95. धरमपुरी	
15.	उत्तर प्रदेश	96. बांदा	
		97. हमीरपुर	
		98. झांसी	
16.	पश्चिम बंगाल	99. बांकुरा	

आपदा का सामना करने के लिए मंजूरी

5603. **श्री वेंकटवाड़ा पापी रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपदा का सामना करने के लिए विभिन्न मदों के अन्तर्गत 16 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए आन्ध्र प्रदेश से कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आपदा का सामना करने की योजनाओं के लिए 1985-86 हेतु 5.42 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय को भेजे हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	मद		रकम (करोड़ रुपए)
1.	(क) वायरलेस (पोलिस)		0.27
	(ख) वायरलेस (एच०ए०एम०)		0.15
2.	बचाव नौकाएं		0.25
3.	चक्रवात आश्रय स्थल		4·19
4.	बेली सेतु		0.56
		कुल	5.42

(ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

हैदराबाद में पक्षी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

5604. **श्री बेजावाड़ा पापी रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में पक्षी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की सातवीं योजना के प्रस्तावों की जांच पड़ताल की जा रही है और जैसे ही ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जायेंगे, हैदराबाद केन्द की स्थापना की संभावना पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम के लिए नियत धन का तूफान राहत कार्य के लिए उपयोग

5605. **श्री बेंजावाड़ा पापी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम के लिये नियत धन का नवम्बर, 1984 के तूफान राहत कार्य के लिए उपयोग किए जाने पर राज्य सरकार के सुझाव से सहमत हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) विशेष पोषाहार कार्यक्रम जैसी मद का उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग को सहायता देना है। इस प्रकार, विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से निर्धारित राशि दूसरे काम पर लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अंत: क्षेत्रीय परिवर्तन के मामले पर विचार करते समय भी यह राय दी थी कि ऐसा परिवर्तन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सुस्थापित सिद्धांतों से हटना होगा।

पीने के पानी की सप्लाई के लिए राज्यों को धन राशि का आबंटन

5606. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल सप्लाई और स्वच्छता दशक के अंत (1900) तक देश में सभी समस्या प्रधान गांवों में पीने के साफ पानी के कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में 1 जनवरी, 1986 तक कुल कितने समस्या-प्रधान गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई थी और कितने गांवों में की जानी बाकी थी;

(ग) 1990 तक सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस प्रयोजन के लिए उदार आबंटन किया है; और

(घ) 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) पेय जल की व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के प्रयासों में मदद

करती है। छठी योजना के आरम्भ में चयनित 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांवों में से छठी योजना के दौरान 1.92 लाख समस्या-ग्रस्त गांव शामिल किए गए थे तथा 1.4.1985 को 38784 समस्या-ग्रस्त गांव शामिल करते रहते थे। छठी योजना के दौरान शामिल तथा 7वीं योजना के लिए बचे समस्याग्रस्त गांवों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है। वर्ष 1985-86 के दौरान दिसम्बर, 1985-86 तक शामिल समस्याग्रस्त गांवों सहित कुल गांवों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। बाद में समस्याग्रस्त हुए गांवों का पता लगाने हेतु राज्य/संघ शासित क्षेत्र भी सर्वेक्षण कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-91) के उद्देश्यों के अनुसार सातवीं योजना के दौरान उद्देश्य यह होगा कि ग्रामीण जनता को पेय जल की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कुल 3454·47 करोड़ रुपए का परिव्यय सुलभ किया गया हैं जिसमें से 2253.25 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत है तथा 1201.22 करोड़ रुपए केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि तथा 1986-87 हेतु अनन्तिम आबंटन को क्रमश: संलग्न विवरण-3 तथा 4 में दर्शाया गया है।

विवरण-1

छठी योजना (1980-85) के दौरान शामिल किए गए समस्या-ग्रस्त गांव

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		1-4-80 को समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	शामिल किए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या (1980-85) (अनन्तिम)	सातवीं योजना हेतु बचे गांव	शेष बचे गांवों का प्रतिशत
1		2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8206	8094*	112	1.36
2.	असम	15743	8654	7089	45.03
3.	बिहार	15194	14172*	1022	6.73
4.	गुजरात	5318	4492*	826	15.53
5.	हरियाणा	3440	2122	1318	38.31
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4997*	2818	36.05
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4698	2028	2670	56.93
8.	कर्नाटक	15456	15443*	13	0.03

	1	2	3	4	5
9.	केरल	1158	1142*	16	1.38
10.	मध्य प्रदेश	24944	23845*	1099	4.41
11.	महाराष्ट्र	12935	12016*	919	7.10
12.	मणिपुर	1212	819*	393	32.43
13.	मेघालय	2927	690*	2237	76.43
14.	नागालैंड	649	424	225	34.67
15.	उड़ीसा	23616	22357*	1259	5.33
16.	पंजाब	1767	537	1230	69.61
17.	राजस्थान	19803	16043*	3760	18.99
18.	सिक्किम	296	2:2*	48	28.38
19.	तमिलनाडु	6649	6649*	शून्य	—
20.	त्रिपुरा	2800	2486	314	11.21
21.	उत्तर प्रदेश	28505	27143*	1362	4.78
22.	पश्चिम बंगाल	25243	15628*	9615	38.09
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	173	173*	शून्य	—
24.	अरुणाचलम	1740	1467	273	15.69
25.	चंडीगढ़	—	—	—	—

	1	2	3	4	5
26.	दिल्ली	99**	89	शून्य	—
27.	दादरा और नागर हवेली	--	—	—	—
28.	गोआ दमन दीव	66***	64	शून्य	—
29.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	214	127*	87	40.65
31.	पांडिचेरी	118	111	7	5.93
	कुल	230784	192024	38748	16.78

* इसमें आंशिक रूप से शामिल गांव भी शामिल है ।

**99 गांवों में से 3 गांव दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं तथा 7 गांव खाला हो गए है ।

***गोवा : 66 गांवों में से दो गांव सलाउली परियोजना में शामिल कर दिए जाएंगे ।

विवरण-2

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86 के लिए लक्ष्य	सभी श्रेणियों के शामिल गांव	1985-86 (दिसम्बर, 1985) तक शामिल समस्याग्रस्त गांवों की सं०
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1103	1910	552
2.	असम	2082	1094	1094
3.	बिहार	1022	582	514
4.	गुजरात	1000	512	572
5.	हरियाणा	506	377	377
6.	हिमाचल प्रदेश	250	274	274
7.	जम्मू व कश्मीर	392	128	128
8.	कर्नाटक	3800	7013	3150
9.	केरल	116	44	11
10.	मध्य प्रदेश	3500	3012	3612
11.	महाराष्ट्र	2500	1916	37
12.	मणिपुर	160	93	93
13.	मेघालय	250	44	44
14.	नागालैंड	100	35	15
15.	उड़ीसा	1259	2268	2268
16.	पंजाब	125	89	89
17.	राजस्थान	1600	1043	1041
18.	सिक्किम	41	21	6

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	2000	902	902
20.	त्रिपुरा	864	287	287
21.	उत्तर प्रदेश	3854	2876	2876
22.	पश्चिम बंगाल	1168	340	327
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	32		5
24.	अरुणाचल प्रदेश	300		110
25.	गोवा दमन व द्वीव	—		2
26.	लक्ष्यद्वीप	—	175	—
27.	मिजोरम	46	(सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए)	51
28.	पांडिचेरी	7		7
	कुल	28077	25695	18444

विवरण-3

1985-86 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्मुक्त* की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम०सं०	राज्य/संघ शासित	
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1587.44
2.	असम	1569.02
3.	बिहार	1527.25
4.	गुजरात	852.00
5.	हरियाणा	943.00
6.	हिमाचल प्रदेश	914.84

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	1486.00
8.	कर्नाटक	1566.05
9.	केरल	1091.00
10.	मध्य प्रदेश	2615.00
11.	महाराष्ट्र	1850.88
12.	मणिपुर	451.98
13.	मेघालय	400.00
14.	नागालैंड	428.18
15.	उड़ीसा	951.00
16.	पंजाब	691.55
17.	राजस्थान	2735.13
18.	सिक्किम	212.00
19.	तमिलनाडु	2013.15
20.	त्रिपुरा	361.00
21.	उत्तर प्रदेश	4606.00
22.	पश्चिम बंगाल	667.00
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	54.44
24.	अरुणाचल प्रदेश	68.50
25.	गोवा दमन व दीव	20.00
26.	लक्ष्यद्वीप	—
27.	मिजोरम	68 00
28.	पांडिचेरी	10.75
	कुल	29741.66

* के अन्तर्गत बंटन सहित

विवरण-4

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	अंनतिम आवंटन 1986-87
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1760.00
2.	असम	1370.00
3.	बिहार	2930 00
4.	गुजरात	1016.00
5.	हरियाणा	520.00
6.	हिमाचल प्रदेश	630.00
7.	जम्मू व कश्मीर	1900.00
8.	कर्नाटक	1254.00
9.	केरल	996.00
10.	मध्य प्रदेश	2266.00
11.	महाराष्ट्र	1934.00
12.	मणिपुर	308.00
13.	मेघालय	420.00
14.	नागालैंड	422.00
15.	उड़ीसा	1278.00
16.	पंजाब	514.00
17.	राजस्थान	2122.00
18.	सिक्किम	372.00
19.	तमिलनाडु	1544.00
20.	त्रिपुरा	350.00
21.	उत्तर प्रदेश	4615.00

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	2480.00
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	40.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	64.00
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादर व नगर हवेली	12.00
27.	दिल्ली	—
28.	गोवा दमन व दीव	46.00
29.	लक्ष्यद्वीप	10.00
30.	मिजोरम	68.00
31.	पांडिचेरी	26.00
	स्थापना पर व्यय	8.00
	कुल	31275.00

हिमाचल प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

5607. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में अनेक आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों में उपलब्ध की जाएंगी और योजना के प्रत्येक वर्ष में इस प्रयोजन के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) क्या पहले के दो वर्षों के दौरान ऐसे केन्द्रों के लिए भूमि और उपकरण प्राप्त कर लिए गये हैं अथवा प्राप्त करने की योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

आकाशवाणी :—धर्मशाला, कुल्लू, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौलस्पीति और कसौली में नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्थान के सर्वेक्षण, उपकरणों की खरीद और सिस्टम डिजाइन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़े उपकरणों के 1988-89 के दौरान प्राप्त हो जाने की संभावना है और परियोजनाओं के सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में पूरा हो जाने की उम्मीद है।

दूरदर्शन :—शिमला में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र, शिमला के मौजूदा अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर से बदलने, मंडी, बिलासपुर और धर्मशाला में अल्पशक्ति (100-वाट) वाले ट्रांसमीटरों और हमीरपुर, चम्बा, कीलोंग कल्पा और ऊना में (2×10 वाट) वाले ट्रांसमीटरों की स्कीमों को शामिल किया है। मंडी में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्रों के लिए स्थान का सर्वेक्षण पहले ही हाथ में ले लिया गया है। इस अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर को प्राथमिकता आधार पर चालू किया जाएगा। शिमला में स्टूडियो और प्रस्तावित ट्रांसमीटर के लिए स्थान उपलब्ध है। तथापि, अन्य स्कीमों के लिए स्थान के प्राथमिक आंकलन सर्वेक्षण और उपकरणों की आवश्यकताओं को अन्तिम रूप देने संबंधी कार्य पहले ही हाथ लिया जा चुका है।

सातवीं योजना में मध्य प्रदेश में आवास योजनाएं

5608. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास और शहरी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में मकान बनाने की कौन-कौन-सी योजनाओं का वित्त पोषण किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं को समय पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण छठी पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित धन राशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश को आवासीय योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश राज्य को ऋण स्वीकृतियां राज्य सरकार के आवास अभिकरणों से प्राप्त होने वाली योजनाओं पर निर्भर करेंगीं।

(ख) जी, हां।

(ग) संसाधनों की सम्पूर्ण उपलब्धता के अध्यधीन हुडको विभिन्न आवास अभिकरणों की आवश्यकताओं को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए विशेष बल देते

हुए उनके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से पूरा करने का प्रत्येक प्रयास करता है।

देश में कोको का उत्पादन

5609: **श्री टी० बशीर : क्या कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोको की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान कोको की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या केरल में सरकारी क्षेत्र में कोको की एक "प्रोसेसिंग यूनिट" प्रारम्भ करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय देश में कोको की वार्षिक आवश्यकता 3500 मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) कोको के उत्पादन के बारे में कोई सरकारी पूर्वानुमान नहीं है। वैसे, मोटे अनुमानों के अनुसार देश में पिछले वर्ष 4500 मीटरी टन कोको की फलियां खरीदी गई।

(ग) और (घ) केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम केन्द्रीय सुपारी और कोको विपणन और परिसंस्करण सहकारी लिमिटेड, मंगलौर कर्नाटक राज्य के दक्षिणी कनारा जिले में पुट्टूर में एक चाकलेट फैक्टरी लगा रहा है। आशा है कि यह फैक्टरी इस वर्ष उत्पादन शुरू कर देगी। पूरा उत्पादन होने पर इसकी क्षमता प्रति वर्ष 9400 मीटरी टन कोको की फलियों की खपत करने की है।

पारावूर क्विलोन में मत्स्य पत्तन

5610: **श्री टी० बशीर : क्या कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पारावूर (क्विलोन) में किसी मत्स्य पत्तन का विकास करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारावूर में मत्स्यन पत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा अक्तूबर, 1983 में यथा प्रस्तावित 24.94 लाख रुपए की स्वीकृत लागत से दक्षिण पारावूर में एक मत्स्यन केन्द्र विकसित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण

5611. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अपनी स्थापना से अब तक कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(ख) ऋणों की वसूली न होने के कारण कितनी राशि को ऋण बट्टे खाते में डालने पड़े; और

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की असावधानी के कारण सरकारी धन की भारी राशि अशोध्य ऋण हो गई है; और यदि हां, तो अशोध्य ऋण की राशि कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1986 तक जो ऋण मन्जूर किए तथा वितरित किए उनकी राशि क्रमश: 223.48 लाख रुपए तथा 161.42 लाख रुपए है ।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा मंजूर किए गए कुल 2.95 लाख रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाला गया है । तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 51.48 लाख रुपए की राशि को भी बट्टे खाते में डाला है जो भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम द्वारा मन्जूर की गई थी ।

(ग) निगम ने उपरोक्त राशि को बट्टे खाते में डालने से पूर्व ऋण को वसूल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । इन कदमों में टेलीकास्ट के लिए फिल्मों की व्यवस्था करना, केसों को पंच-फैसला के लिए रखना और उधार लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट डिक्री सहित कानूनी कार्रवाई करना शामिल है ।

[अनुवाद]

"माडर्नाइजेशन स्टैंप्स आन ऐनबिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5612. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत दुर्गापुर स्थित मिश्र धातु इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा संयंत्र है, क्योंकि उसमें कर्मचारियों की संख्या 7395 है जबकि अक्तूबर, 1985 में उक्त संयंत्र के परियोजना प्रतिवेदन में 3900 कर्मचारियों का प्रावधान था;

(ख) यदि हां, क्या कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ग) फालतू कर्मचारियों को किस प्रकार पुनर्नियोजित किया गया है यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1985 के "इकोनामिक टाइम्स" में "माडर्नाइजेशन स्टैप्स आन ऐनविल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है और यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या अधिक होने को ध्यान में रखते हुए मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए अधिष्ठापित क्षमता तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाते समय उपर्युक्त संयंत्र के संबंध में मजदूरी तथा उत्पादकता पर किस प्रकार विचार किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां। परियोजना रिपोर्ट में दी गई 3990 जन-शक्ति की तुलना में 31-3-85 की स्थिति के अनुसार जन-शक्ति 7395 थी। परन्तु हानि का कारण मात्र फालतू जन-शक्ति नहीं कहा जा सकता है। हानि होने के अन्य कारण हैं; पर्याप्त मात्रा में बिजली तथा कोक ओवन गैस उपलब्ध न हो सकने के कारण क्षमता का कम उपयोग, कम उत्पादन, कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बिक्री मूल्य लाभकारी न होने तथा आदानों की लागतों में वृद्धि।

(ख) और (ग) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में जन-शक्ति पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। मिश्र इस्पात कारखाने ने जन-शक्ति की आवश्यकता की व्यापक समीक्षा की है और यह पाया है कि चरण-I के विस्तार के लिए आवश्यक जन-शक्ति वर्तमान जन-शक्ति को इस कार्य पर लगाकर पूरी की जा सकती है। दूसरे कार्य पर लगाने के लिए उन्हीं विभागों में समान कार्यों में लगे लगभग 720 कामगार तथा एक विभाग से दूसरे विभाग में लगभग समान कार्यों में लगे 55 कामगार लिए गए हैं। कुल जन-शक्ति में कोई छंटनी नहीं की गई है।

(घ) जी, हां। जब इस्पात उद्योग पर राष्ट्रीय संयुक्त समिति के द्विपक्षीय मंच पर इस्पात उद्योग के मुख्य ढांचे के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा उस समय सुझाव है कि मजूरी का निर्धारण करने के लिए उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि एक मार्ग-दर्शक कारक होगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्र

5613. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कृषि के विकास के लिए देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान राजस्थान में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का चितौड़गढ़ में भी कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो चितौड़गढ़ में कब तक ऐसे केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) वर्ष 1986-87 के दौरान राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएं इसका निर्णय उचित समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति द्वारा किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए निर्धारित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में भूमि का कटाव

5614. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में भूमि/कटाव को रोकने के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी राज्यों के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) भूमि संरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि का ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार ने पहली पंच-वर्षीय योजना से देश में, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों का पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है, मृदा संरक्षण के बहु-आयामीय कार्यक्रम शुरू किये हैं। ये स्कीमें केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बाद की योजना अवधियों में परिवर्द्धित हुई हैं और इनमें विविधता आई है । पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित मृदा संरक्षण स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(1) नदी घाटी परियोजना के सम्रण-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ।

(2) बाढ़ पम्रण नदियों के सम्रण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध ।

पूर्वी क्षेत्र में समस्या वाले इलाके अभिज्ञात करने में अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के माध्यम से भी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । इस संगठन द्वारा विभिन्न किस्मों के सर्वेक्षण के अन्तर्गत लगभग 117.64 लाख हैक्टार क्षेत्र शामिल कर लिया गया है ।

2: सातवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित मृदा संरक्षण स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 1986-87 में 239 करोड़ रुपये के परिव्यय की जिसमें केन्द्रीय सरकार का 120 करोड़ रुपए का अंशदान है और शेष 119 करोड़ रुपए राज्य का अंशदान है, एक और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम" (एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०) शुरू की गई है।

इस स्कीम को समेकित जल विभाजक नीति के आधार पर चलाया जाएगा और इसमें पूर्वी क्षेत्र के राज्य शामिल किये गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों की मांगों और समग्र संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्कीमों के लिए वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर वर्षवार राज्य आवंटन आंका जाएगा। इसके अलावा, मृदा और जल संरक्षण पर सीधा प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित स्कीमें भी पूर्वी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(1) हिमालय में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण।

(2) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी।

(3) पहाड़ी इलाके के विकास का कार्यक्रम।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इलाकों में भूमि के कटाव पर नियन्त्रण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए उड़ीसा में कोरापुर में एक नये केन्द्रीय मृदा तथा जल अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति भी दे दी है।

3: पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में भूमि के कटाव की समस्या से निबटने के लिए सातवीं योजना में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 54.65 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान भी किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए धमन भट्टियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उपाय

5615: **श्री चिन्त महाता :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कार्यदल ने मंत्रालय को सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए धमन भट्टियों की उत्पादकता में वृद्धि करने के कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मन्त्रालय ने इन सिफारिशों की अग्रेतर कारंवाई के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) "सेल" तथा "इस्को"

के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की पूंजी-निवेश योजना के बारे में भूतपूर्व इस्पात सचिव श्री लव-राज कुमार की अध्यक्षता में गठित कार्रवाई दल (एक्शन ग्रुप) ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में धमन भट्टियों में प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है। उनकी सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. कच्चे माल को बेहतर तरीके से तैयार करना।

2. सिन्टर बर्डन में वृद्धि।

3. कोक के लक्षणों में सुधार।

4. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार।

5. विन्यास तथा नियंत्रण में सुधार।

6. ढलाई घर में बेहतर सुविधाएं।

7. ब्लो टाइप टावर अपनाना।

8. कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन।

9. प्रौद्योगिकी अद्यतन को बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास के सतत् प्रयास।

10. प्रशिक्षण आदि से कुशलता में सुधार।

11. कार्य के माहौल में सामान्य सुधार तथा प्रौद्योगिकीय प्राचलों में आसंजन।

"अल्पावधि में परिचालन में सुधार" के बारे में भूतपूर्व इस्पात सचिव श्री संतोष सौंधी की अध्यक्षता में गठित एक दूसरे कार्रवाई दल ने भी अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट कोयले तथा कोक से सम्बन्धित है और इसमें धमन भट्टियों के परिचालन में सुधार करके कोककर कोयले के संरक्षण के लिए उपायों की सिफारिश की गई है। इस दल ने सिन्टर के तत्वों की वृद्धि, धमन भट्टी बर्डन से चूना-पत्थर की कम से कम कमी, आवश्यक सामग्री की उपयुक्त मांग, हॉट ब्लास्ट में वृद्धि तथा कच्चे माल की क्वालिटी में सुधार जैसे उपाय अपनाने का सुझाव से दिया है।

(ग) और (घ) ये दोनों रिपोर्टें "सेल" को भेजी गई थीं। कारखानों के आधुनिकीकरण/विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए "सेल" इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

इस्पात मिलों के संयंत्रों के आधुनिकीकरण की योजना

5616 **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मिलों के संयंत्रों के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ग) इसमें से कितनी धनराशि मशीनों और तकनीकी जानकारी के आयात के लिए निर्धारित की जाएगी; और

(घ) आयात की आवश्यकता को कम करने के लिए किस सीमा तक स्वदेशी उद्योगों से अपेक्षित सामान खरीदा जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) लगभग 9[illegible]0 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है, जिससे कारखाने को 16 लाख टन इस्पात पिण्ड की अपनी वार्षिक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

राउरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की 18 लाख टन की वार्षिक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से 861 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है। फिर भी, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड इस प्रस्ताव के विषय क्षेत्र की समीक्षा तथा विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।

931 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "इस्को" (बर्नपुर) के आधुनिकीकरण का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे कारखाने को 10 लाख टन इस्पात पिण्ड की अपनी वार्षिक निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। परन्तु संसाधनों की समग्र कठिनाई को देखते हुए सातवीं योजना में इस योजना के लिए धन-राशि की व्यवस्था नहीं की गई है।

"सेल" द्वारा बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों की अड़चनों को दूर करने तथा उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही इस बात का पता चलेगा कि इन योजनाओं के लिए उपकरणों/तकनीकी जानकारी के आयात के लिए कितनी धन-राशि आवश्यक होगी तथा स्वदेशी उद्योगों से भी किस हद तक सहयोग लिया जायेगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

5617. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं के पद काफी संख्या में रिक्त पड़े हैं; यदि हां, तो इन पदों की संख्या कितनी है और ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इतनी बड़ी संख्या में पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इन पदों को भरने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

"जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन", केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यात्रा भत्ते की मांग

5618. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की "जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन" ने निश्चित यात्रा भत्ते की मन्जूरी की मांग की है;

(ख) यह मांग कब से सरकार के पास लम्बित पड़ी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में कब तक निर्णय लेने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर, 1985 से।

(ग) निर्णय यथा सम्भव शीघ्र ही लिया जाएगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन का प्रसारण केन्द्र

5619. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में एक निश्चित प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्र को दूरदर्शन नेटवर्क कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्र को दूरदर्शन नेटवर्क कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया जाना है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत दूरदर्शन नेटवर्क के अधीन लाई जाने वाली जनसंख्या तथा क्षेत्र अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन०गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां । तथापि, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन संसाधनों की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा, अत: इस अवस्था पर यह कहना संभव नहीं है कि इस विस्तार के अन्तर्गत वर्ष-वार कितना कवरेज प्राप्त होगा ।

(ग) और (घ) जी, हां । तथा, दूरदर्शन के विस्तार के लिए दूरदर्शन की सातवीं योजना में उन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का समुचित ध्यान रखा गया है जिनमें मौजूदा दूरदर्शन कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है ।

उत्तर प्रदेश में एक इस्पात स्टाक यार्ड की स्थापना

5620. **श्री हरीश रावत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर एक इस्पात स्टाक यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां पर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय से इस्पात स्टाक यार्ड बरेली में स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) लखनऊ में लोहा तथा इस्पात की बिक्री के लिए "सेल" का एक बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

बीड़ी तम्बाकू की उत्पादन लागत और उसका मूल्य

5621. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी तम्बाकू की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत क्या है और इसका प्रति हेक्टेयर औसत उपज क्या है; और

(ख). वर्ष 1986-87 के लिए एक किलो बीड़ी तम्बाकू की खरीद के लिए सरकार द्वारा क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मुख्य फसलों की कृषि लागत के अध्ययन की वृहत्त योजना के अन्तर्गत बीड़ी तम्बाकू के लागत अनुमानों का अध्ययन नहीं किया जाता। 1984-85 में तम्बाकू (सभी किस्में—वी०एफ०सी० बीड़ी आदि सहित) की औसत उपज 1098 किलोग्राम प्रति हैक्टार थी।

(ख) सरकार ने वर्ष 1986-87 के लिए बीड़ी तम्बाकू के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

कोकिंग कोल का आयात

5622. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रति वर्ष कितना कोकिंग कोल आयात किया गया।

(ख) कोयले के आयात पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) कोयले का आयात कम करने और इस्पात संयंत्रों/संसाधन प्रौद्योगिकी में सुधार लाकर स्वदेशी कोयले का प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) द्वारा आयात किए गए कोक कर कोयले की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)	लागत भाड़ा अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपए)
1983-84	4.63	37.50
1984-85	6.65	55.80
1985-86	20.34	161.80

(ग) "सेल" के इस्पात कारखानों में कोक कर कोयले का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :—

(i) भिलाई इस्पात कारखाने में धमन भट्टी नं० 2 में अकोककर कोयले के चूरे का इंजेक्शन देना।

(ii) भिलाई इस्पात कारखाने में कोक ओवनों में कोल का चार्ज अंशत: विकेन्द्रीकरण।

(iii) निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए "इस्को" की चासनाला शोधनशाला में अनुपूरक सुविधाओं की स्थापना।

(iv) चासनाला शोधनशाला की उपरी पतली परत का विकास।

(v) "इस्को" की जीतपुर शोधनशाला का पुनर्निर्माण तथा विकास।

(vi) 'सेल' के इस्पात कारखानों की आधुनिकीकरण की योजनाओं में कुछ योजनाएं शामिल हैं जिनसे कोक ओवन बैटरियों में भारित (चार्ज्ड) देशीय कोककर कोयले की क्वालिटी में सुधार करने तथा धमन भट्टियों में कोक की दर में कमी करने में मदद मिलेगी।

इस्पात कारखाने कोककर कोयले की खपत में भी कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे है :—

(i) वर्तमान सम्मिश्रण सुविधाओं का बेहतर उपयोग;

(ii) आधुनिकीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत कारखानों में सम्मिश्रण तथा यार्ड की सुविधाओं की व्यवस्था;

(iii) धमन भट्ठियों में कोयले की धूलि के इन्जेक्शन देने की प्रक्रिया अपनाना; और

(iv) स्टैम्प चार्जिंग आदि जैसी तकनीकों का अनुसंधान और विकास कार्य में इस्तेमाल।

आयात को कम करने के लिए देशीय कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) बिहार बंगाल बेल्ट में कोयले की खानों तथा शोधनशालाओं को बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना;

(ii) मानसून के दौरान शोधनशालाओं से पानी निकालना तथा शोधनशालाओं को बाढ़ से बचाने के लिए विशेष उपाय;

(iii) शोधनशालाओं की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने तथा शोधित कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कुछ शोधनशालाओं का आधुनिकीकरण;

(iv) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोयले की नई खानें खोलना तथा नई शोधनशालाओं की स्थापना;

(v) कोयला खानों/शोधनशालाओं में रेल-डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई तथा कोयले के लदान की सुविधाओं में सुधार; और

(vi) पहले से कार्यान्वित कोल परियोजनाओं का शीघ्रता से कार्यान्वयन।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

5623. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आम असंतोष को देखते हुए सरकार का विचार उनकी जांच करने तथा उनमें सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : यह सही नहीं है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दर्शकों में आम असन्तोष है। हाल ही में, कार्यक्रम सुधार नियोजन में सुधार करने के उद्देश्य से किये गये निरन्तर प्रयासों के कारण, इस माध्यम को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तथापि, दूरदर्शन के कार्यक्रम फारमेट की पुनरीक्षा करना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

मछुआरों की दशा सुधारने के बारे में डेनमार्क की सहायता से परियोजनाएं

5624. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मछुआरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में डेनमार्क सरकार के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत-डेनमार्क परियोजना से किन राज्यों को लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य के उत्तरी कनारा के ताद्री में एक समेकित मात्स्यकी विकास परियोजना स्थापित करने के लिये दिसम्बर, 1981 में डेनमार्क सरकार तथा भारत सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गये थे।

(ग) उक्त करार के मुख्य घटक निम्नवत् हैं :

डेनमार्क सरकार की वचनबद्धता :

—एक घाट एक ब्रेकवाटर और नीलाम घर, एक परिसंस्करण लाईन तथा एक नौका निर्माण यार्ड के निर्माण की व्यवस्था करना।

—प्रशीतन गाड़ियों सहित हिमीकरण घटकों की व्यवस्था करना।

—मछली पकड़ने वाले 270 जलयानों के स्थानीय निर्माण के लिये व्यवस्था करना।

—अनेक विशेषज्ञों की भर्ती, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्ययों, वेतन तथा बीमा की अदायगी।

भारत सरकार की वचनबद्धता :

—समुद्री तट पर सभी सुविधाओं के लिए उचित स्थान अधिग्रहण करना।

—डैनिश तथा भारतीय कार्मिकों के लिए स्टाफ क्वाटरों का निर्माण करने की व्यवस्था।

—परियोजना निदेशक तथा अन्य भारतीय कार्मिकों के लिए वेतन सहित परिचालन संबंधी सभी व्यय।

—सभी खर्चों की अदायगी, जो उपरोक्त में शामिल नहीं है।

दूरदर्शन पत्रकारिता को बढ़ावा देना

5625. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में दूरदर्शन के बढ़ते हुए महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी०एन०गाडगिल) : इस समय दूरदर्शन में समाचारों के लिये कोई अलग स्टाफ नहीं है। दूरदर्शन के लिये रिपोर्टरों संवर्ग बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, दूरदर्शन समाचार रिपोर्टिंग के लिये रूझान रखने वाली घरेलू प्रतिभाओं का उपयोग कर रहा है और इन लोगों को कैमरा रिपोर्टिंग पर कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, दूरदर्शन उपयुक्त पत्रकारिता पृष्ठ भूमि और टेलीविजन में रूचि रखने वाले स्वतन्त्र टी० वी० रिपोर्टरों को प्रोत्साहन देता रहा है। समाचार क्वरेज संकलन में सुधार करने, समाचारों का संपादन करने और ग्राफिक्स आदि का उपयोग करके समाचारों का चयन करने और प्रस्तुति-करण करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हुए समाचारों के क्षेत्र में बाहरी व्यावसायिकों/विशेषज्ञों की मदद से विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है। तथापि यह एक शतत प्रक्रिया है।

गुजरात में सूखा

5626. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा
श्री पी०आर० कुमार मंगलम
: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि गुजरात के अधिकांश भागों में सूखा पड़ा हुआ है;

(ख) क्या सूखा पीड़ित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; यदि हां, तो दल के क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के सर्वेक्षण के लिए किसी दूसरे दल को भेजना है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी हाल ही में उनसे मिला है; और

(च) स्थिति से निपटने के लिए गुजरात को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन और केन्द्रीय दल की, जिसने सूखे की स्थिति का मौके पर मूल्यांकन करने के लिये राज्य का दौरा किया था, रिपोर्ट के अनुसार 19 जिलों में से 17 जिले 1985-86 के दौरान राज्य में सूखे से प्रभावित थे। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने वर्ष 1985-86 के दौरान 92.48 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकार की। इसमें 986-87 के लिये 60.65 करोड रुपये शामिल है। (अप्रैल-जून, 1986 के लिए 31.37 करोड़ रुपये और अप्रैल-जुलाई, 1986 के लिए 23.28 करोड़ रुपये।)

(घ) फिलहाल कोई केन्द्रीय दल भेजने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) सूखा सहायता के लिए 1985-86 के दौरान गुजरात सरकार को दी गई सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

	मद	1985-86	1986-87	जोड़
(1)	रोजगार पैदा करना	13.00	20.62	33 62
(2)	पेय जल की सप्लाई	12 83	15.07	27.90
(3)	कृषि आदान राजसहायता	—	13.28	13.28
(4)	चारे की आपूर्ति/पशुराहत उपाय	2.42	2.36	4.78
(5)	अन्य	3.58	9.32	12.90
		31.83	60.65	92.4[illegible]

गांवों के लिए टी॰वी॰ सेटों का प्रावधान

5627. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार को गांवों के लिए कितने टी॰वी॰ सेट दिए गए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से गुजरात में, उनमें से कितने टी॰ वी॰ सेट ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और

(ग) उक्त टी॰वी॰ सेटों को किस कम्पनी से किस एजेन्सी के माध्यम से खरीदा गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी॰ एन॰ गाडगिल) : (क) जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक अवलोकन के लिए कोई टी॰ वी॰ सेट उपलब्ध नहीं किया गया है, सामुदायिक अवलोकन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर 8476 टी॰ वी॰ सैट उपलब्ध किए गए हैं या लगाए जा रहे है।

(ख) सामुदायिक अवलोकन टी॰ वी॰ सैटों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है।

(ग) ये सामुदायिक अवलोकन टी॰वी॰ सैट, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन, फोर्ड-फाउंडेशन, भारतीय इलेक्ट्रोनिकी निगम लि॰, केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी निगम लि॰ आदि जैसी विभिन्न एजेन्सियों से खरीदे गये थे।

आन्ध्र प्रदेश तट से विदेशी मत्स्य नौकाओं का हटाया जाना

5628. **श्री टी॰ बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश तट से विदेशी मत्स्य नौकाओं को हटाने के बारे में 1986 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के मछुआरों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या ये मछुआरे किराये पर ली जाने वाली विदेशी मत्स्य नौकाओं के बारे में आपत्ति कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी नौकाओं को किराये पर ली जाने वाली नीति को निरन्तर लागू रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1985 में संशोधित भारतीय सामुद्रिक जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) नियम 1982 में पारिभाषित चार्टर किए विदेशी मत्स्यन जलयानों के लिये प्रचालन के क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे जलयानों का प्रचालन, पारम्परिक मछुआरों और यन्त्रीकृत नाव चलाने वालों के हितों में रुकावट नहीं है।

(ग) और (घ) विदेशी मत्स्यन जलयान चार्टर करने की नीति के विरुद्ध विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इनकी जांच की है और छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए समुचित उपचारी कदम उठाये गए हैं। चार्टर किये जाने की नीति का उद्देश्य भारतीय चार्टर करने वालों द्वारा अनिवार्य खरीद के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि करना; प्राद्योगिकी का अन्तरण, गैर-परम्परागत मछली के लिए विदेश में बाजार स्थापित करना और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में अर्थक्षमता स्थापित करना है। चार्टर किये गए जलयानों की एक निर्धारित समय सीमा के अनुसार सूची तैयार की जाती है और इन्हें भारतीय कम्पनियों के स्वामित्व जलयानों से प्रतिस्थापित किया जाना है।

अन्य राज्यों की नौकाओं द्वारा आन्ध्र प्रदेश के मत्स्य घाटों का प्रयोग

5629. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा केरल की मत्स्य नौकायें आन्ध्र प्रदेश के मत्स्य घाटों का प्रयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिमी घाट पर कम संख्या में मछलियों के पकड़े जाने के कारण ऐसा किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं तो ऐसा करने के पूरे कारण क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) गुजरात और केरल के विशाखापत्तनम स्थित झींगा मछली पकड़नें वाली कुछेक बड़ी नौकायें (20 मीटर और इससे बड़ी) उत्तर-पूर्वी तट पर मछली पकड़ने का कार्य कर रही है। इसका कारण एक तरफ उत्तर-पूर्वी तट पर प्रति यूनिट और अधिक मछली पकड़ने के प्रयास करना और दूसरी तरफ पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में झींगा मछली पकड़ने का काम बहुत अधिक होना बताया गया है।

उड़ीसा में नारियल की पौद उगाना

5630. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल विकास के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं;

(ख) अब तक किन-किन राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय पौदशालायें स्थापित की गई हैं अथवा किए जाने का विचार है,

(ग) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ऐसी पौदशालायें खोली गई हैं अथवा खोलने का विचार है,

(घ) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा ने नारियल की अधिक पौद उगाने की परियोजना लागू करने में गहरी रूचि ली है/उल्लेखनीय प्रगति की है,

(ङ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में उड़ीसा को किस प्रकार प्रोत्साहित करने का है, और

(च) क्या इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की गई थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न नारियल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए योजना तथा गैर-योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में नारियल विकास बोर्ड को 8.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 1985-86 के दौरान नारियल विकास बोर्ड ने क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता बढ़ाने और जड़ मुरझान रोग के नियन्त्रण, नारीयल की। पौदों आदि के उत्पादन और वितरण से लिए दस परियोजनाएं कार्यान्वित कीं। इसके अलावा, नारियल विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित की, जिसके अन्तर्गत डी-एक्स-टी संकर किस्मों के लिए संकर बीज उद्यानों का रखरखाव किया गया। संकर पौदों का उत्पादन और वितरण किया गया। प्रदर्शन करने के लिए नारियल उगाने वालों को सहायता दी गई और रोग-ग्रस्त एवं अनुत्पादक नारियल जोतों को ठीक ठाक किया गया।

(ख) नारीयल विकास बोर्ड ने बंगलौर और पटना में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला और कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उडीसा, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और गोवा में आठ क्षेत्रीय नर्सरियां स्थापित कीं। निर्णय किया गया है कि इस समय कोई नया क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय नर्सरियां स्थापित न की जायें।

(ग) उड़ीसा में कटक में एक क्षेत्रीय नर्सरी खोली गई है।

(घ) उड़ीसा की परियोजना का कार्यान्वयन कार्यक्रमानुसार किया गया है।

(ङ) नारियल विकास बोर्ड ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद देने के लिए उड़ीसा में एक राज्य केन्द्र की स्थापना की है। इस राज्य में संकर पौधों के उत्पादन के लिए 40 हैक्टार का एक फार्म स्थापित किया जा रहा है। नहर के किनारों पर नारियल के और अधिक पेड़ लगाने का कार्य जारी रखा जा रहा है।

(च) केरल में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक परियोजना का कार्यान्वयन किया गया था, जिसमें मुख्य घटक के रूप में नारियल सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल थे। यह परियोजना 1977-78 से सात वर्ष की अवधि के लिए 6210 लाख रुपये की लागत से कार्यान्वित की गई थी। इसे एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था तथा 31 मार्च, 1986 को यह परियोजना समाप्त हो गई।

कर्नाटक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित डेरी योजनायें

5631. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान कर्नाटक में कितनी समेकित डेरी विकास योजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1985-86 के दौरान कर्नाटक में किसी डेरी विकास योजना को वित्तीय सहायता नहीं दी है। तथापि आपरेशन फ्लड के तहत कर्नाटक के 11 दुग्ध क्षेत्रों में भारतीय डेरी निगम द्वारा समेकित डेरी विकास कार्यक्रम को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

5632. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में पानीपत, जींद, सोनीपत, शाहबाद, रोहतक तथा पलवल में छः सहकारी चीनी मिलें केवल 90 से 100 दिनों तक ही गन्ने की पेराई कर सकीं और उसके बाद गन्ने की अनुपलब्धता के कारण बन्द हो गई,

(ख) क्या सरकार का विचार इसी प्रकार की अन्य चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने का है और क्या गन्ना उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन दिए जाएंगे, और

(ग) देश के गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं जैसा कि हरियाणा में किया गया है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। हरियाणा में 6 सहकारी चीनी मिलों में चालू वर्ष के दौरान गन्ने की कम पेराई की गई थी। और इसका मुख्य कारण यह था कि गुड़ और खाण्डसारी एककों द्वारा गन्ने का अधिकतम मूल्य दिए जाने की वजह से गन्ना उत्पादकों ने इन एककों की सप्लाई करने के लिए गन्ने को रोके रखना बेहतर समझा।

(ख) हरियाणा सरकार का सातवीं योजना अवधि (1989-90) के अन्त तक गन्ने के उत्पादन को 54 लाख मीटरी टन (5 वर्षों अर्थात् 1980-85 का औसत) के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर 70 लाख मीटरी टन करने का प्रस्ताव है। लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए किसानों को चीनी मिलों के जरिये हरियाणा सरकार द्वारा आसान शर्तों पर ऋण शीघ्र और अधिक चीनी देने वाली किस्मों के लिए प्रिमियम लीज पर राज सहायता और पौध-संरक्षण रसायनों के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार राज्य सरकार के उपायों का समर्थन कर रही है ताकि अच्छी किस्म के गन्ने के बीज सिंचाई, पौध संरक्षण उपायों, ऋण सुविधाओं लिंक सड़क आदि पर राज सहायता के रूप में किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इन प्रोत्साहनों के अलावा किसानों को गन्ने के लिए अधिक मूल्य भी दिये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत पशुपालन योजना

5633. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान आदिवासी उपयोजना और विशेष घटक योजना क्षेत्रों में कौन-कौन सी विभिन्न पशुपालन विकास योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान लाभार्थियों को दी गई सहायता और राज सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों को पशुपालन के लिए धन देना

5634. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न पशुपालन योजनाओं के कार्या-

न्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त योजना अवधि के लिए मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए अन्य राज्यों के लिए कितनी धन राशि का नियतन करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान में विभिन्न पशुपालन स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए योजना परिव्यय 570.98 करोड़ रुपये हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में पशुपालन के लिए योजना परिव्यय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सातवीं योजना परिव्यय—पशुपालन—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	1680.00
2.	असम	1950.00
3.	बिहार	2400.00
4.	गुजरात	1820.00
5.	हरियाणा	2500.00
6.	हिमाचल प्रदेश	976.00
7.	जम्मू और कश्मीर	2500.00
8.	कर्नाटक	1200.00
9.	केरल	1450.00
10.	मध्य प्रदेश	3373.00
11.	महाराष्ट्र	3776.00

1	2	3
12.	मणिपुर	530.00
13.	मेघालय	650.00
14.	नागालैंड	1200.00
15.	उड़ीसा	1400.00
16.	पंजाब	3300.00
17.	राजस्थान	1679.00
18.	सिक्किम	931.00
19.	तमिलनाडु	3000.00
20.	त्रिपुरा	1000.00
21.	उत्तर प्रदेश	2550.00
22.	पश्चिम बंगाल	3630.00
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	405.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	700.00
3.	चंडीगढ़	95.10
4.	दादर और नगर हवेली	95.25
5.	दिल्ली	859.00
6.	गोवा, दमन और दीव	600.00
7.	लक्षद्वीप	200.00
8.	मिजोरम	800.00
9.	पांडिचेरी	350.00

* डेरी विकास क्षेत्र भी शामिल हैं।

"बायो-फर्टिलाईजर" एकक

5635. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नेफेड' ने मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कितने 'बायो फर्टिलाईजर' एकक

स्थापित किए हैं,

(ख) इन यूनिटों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या इनमें से कुछ एकक घाटे में चल रहे हैं और यदि हां, तो उन्हें कितना घाटा हुआ है और घाटे के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नेफेड द्वारा मई, 1985 के दौरान केवल एक जैव-उर्वरक यूनिट मध्य प्रदेश में इन्दौर में खोला गया है।

(ख) परीक्षण के रूप में चलने के बाद, 1985 की रबी की बुवाई के मौसम से इस यूनिट ने राइजोबियम कल्चर का वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया। फरवरी, 1986 को समाप्त हुए छ: महीनों के दौरान इसने 56.61 मीटरी टन सामग्री का उत्पादन किया।

(ग) इसके प्रचालन का एक वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, अत: इसके प्रचालन के परिणाम (लाभ/हानि) जून, 1986 के अन्त में इसके लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही पता चलेंगे।

दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियों को ऋण देना

5636 **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की उन सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋणों के लिए आवेदन किया था तथा जिन्हें गृह निर्माण ऋण स्वीकृत किए गए; और

(ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति और आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा जिन सहकारी ग्रुप आवास समितियों को ऋण स्वीकृत किया है उनके नाम तथा ब्यौरो का विवरण संलग्न है।

(ख) सहकारी ग्रुप आवास आधार पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आवास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1970 से सरकार की एक अच्छी सुस्थापित नीति रही है। सहकारी ग्रुप आवास अभियान को बढ़ावा देने हेतु, सहकारी ग्रुप आवास समितियों को पूर्व निर्धारित दरों पर भूमि आवंटित की जाती है। विभिन्न सरकारी तथा अर्ध सरकारी संगठन सहकारी ग्रुप आवास

समितियों को आसान शर्तों पर ऋण स्वीकृत कर रही हैं। सहकारी ग्रुप आवास समितियों को ऋण देने वाले संस्थानों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु योजना निधियों के अन्तर्गत सरकार सांझी पूंजी अंशदान मुहैया करती है तथा बाजार ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के गारन्टीशुदा बाण्ड चलाने के लिए उन्हें प्राधिकृत भी करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जो सहकारी ग्रुप आवास समितियों के सदस्य हैं, फ्लैट की निर्माण लागत की वित्त व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहकारी कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अन्तर्गत ऋण भी ले सकते हैं।

विवरण

दिल्ली सहकारी आवास समिति लिमिटेड तथा आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड द्वारा 31-3-86 तक जिन सहकारी ग्रुप आवास समितियों को ऋण स्वीकृत किया उनकी सूची

क्र. सं.	समिति का नाम	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों में)
	दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड	
1.	सी०सी० आई०ई० सहकारी ग्रुप आवास समिति लि० सेन्ट्रल कोटेज इण्डस्ट्री इम्पोरियम, जनपथ, नई दिल्ली	46.00 10.70 (अतिरिक्त) 56.70
2.	गढ़वाल सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 19/3 लाल बहादुर सदन, गोल मार्किट, नई दिल्ली-11	37.00
3.	इकजोत सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 1514 चन्द्रावल रोड, सब्जी मण्डी, घण्टा घर, दिल्ली-7	49.00
4.	सनसाइन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, सनसाइन अपार्टमेंट ए-3 ब्लाक, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली-63	43.48
5.	सुव विहार सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, ए-4 पश्चिम बिहार, नई दिल्ली-63	27.00 2.00 (अतिरिक्त) 29.00

6.	लेक व्यूह सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 1593 मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6	45.00 15.60 (अतिरिक्त) ——— 60.60
7.	बिजनेस एण्ड प्रोफेशनल वूमैन, सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, कावेरी एपार्टमैंट, अलकनन्दा, कालकाजी एक्सटैन्सन नई दिल्ली-19	70.09
8.	सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, बोडेला, (विकास पुरी) नजफगढ़ रोड, दिल्ली (पश्चिम)	529.00
9.	जनरल स्टाफ सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, ए-100 किदवई नगर, ईस्ट, नई दिल्ली-23	62.00
10.	गस्टा सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 15-ए गेस्टा हाऊस काम्पलैक्स, ब्लाक नं० बी-3, पश्चिम बिहार नई दिल्ली-63	74.24
11.	दलजीत नगर, पुरुषार्थी सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, टी-120 बलजीत नगर, नई दिल्ली-8	32.84 10.76 (अतिरिक्त) ——— 43.60
12.	अपना घर, सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, जोन, एच/4-5 पाकेट-11, विशाखा एन्कलेव, सन्त नगर के समीप, गवर्नमेंट हायर सकण्डरी स्कूल के दूसरी ओर दिल्ली-34	34.25
13.	कश्मीरी सहायक समिति, सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, द्वारा श्री आर०एन० खचरू सैक्टर 1/क्यू-33 आर०के० पुरम नई दिल्ली-22	46.00
14.	नई दिल्ली बंगाली सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, नवेदिता एन्कलेव ए-6 पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63	82.15
15.	गुरजार सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 23 ए कमला नगर, दिल्ली-7	63.42

16. डिफेन्स मिनिस्ट्री कर्मचारी, सहकारी ग्रुप आवास समिति लि० कमरा नं० 201 साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली-11	41.05
17. आदर्श जीवन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 19/13 शक्ति नगर, दिल्ली-7	21.13
18. दिल्ली युनिवर्सिटी, नान एकेडेमिक सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 10 डी, मोरिस नगर, दिल्ली-7	30.00 8.50 (अतिरिक्त)
	38.50
19. डी० टी० सी० एम्पलाइज, सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 488/2 कृष्णा गली, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली-3	35.00 9.36 (अतिरिक्त)
	44.36
20. होमगार्ड तथा सिविल डिफेन्स, सदस्य सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, ए ब्लाक, विकास भवन, आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली-2	24.09
21. रविन्द्र सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, बी० एफ० 4, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-27	37.63 10.50 (अतिरिक्त)
	48.13
22. पुनड्रोक सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 14/491, सेक्टर-1, गोल मार्किट, नई दिल्ली-1	108.54 30.41 (अतिरिक्त)
	138.95
23. अशोक सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, एक्स 23, लोहामण्डी, नारायणा, नई दिल्ली-28	47.50
24. राजस्थानी भवन, निर्माण ग्रुप आवास सहकारी समिति लि०, 1112 कूचा नटवा, चांदनी चौक, दिल्ली-6	60.00
25. निम्न आय वर्ग, सरकारी कर्मचारी आवास निर्माण समिति लि०, समिति कार्यालय, सुन्दर विहार, दिल्ली-41	00.44
26. ईस्ट दिल्ली सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 14/22,	

डब्लू० ई० ए०, करोल बाग, नई दिल्ली-15	17.35
27. एस० बी० एम० सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, बी० 104, स्वतन्त्र भारत मिल कालोनी, शिवाजी मार्ग-15	34.80
28. इमीनाबाद सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 49/3, बंगला रोड. कमला नगर, दिल्ली-7	57.28
29. अजय सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, श्री पी० एस० जाली, क्वार्टर नं० सी० 11, ओल्ड पुलिस लाईन, राजपुर रोड, दिल्ली-54	26.00
30. अहिंसा सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 5 एम० सी० डी० फ्लैट, कमला नगर, दिल्ली-7	163.00
31. आई० एम० डी० कर्मचारी सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, डी० डी० जी० (1) का कार्यालय, औबजरवेटरी, लोधी रोड, नई दिल्ली-3	27.00
32. एयरमैन एन्ड सेलर सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, एयरफोर्स सिगनल सेन्टर, कमरा नं० 21, ए ब्लाक, सेना भवन, बेसमेंट, नई दिल्ली-11	124.60
33. आनन्द लोक सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-3	136.80
34. विराट सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 3 एच०, विजय नगर, दिल्ली-9	49.60
35. न्यू सुभाष सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 50/87, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17	41.43
36. मीना सहकारी ग्रुप आवास, समिति लि०, 2711, चूड़ीवालान, बाजार सीताराम, दिल्ली-6	52.80
37. रक्षा कमचारी सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, बी० 67, आशा पार्क, पोस्ट आफिस, तिलक नगर, जेल रोड, नई दिल्ली-18	100.00

38. रक्षा विकास सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, सी० 28/70, जनकपुरी, नई दिल्ली-18	40.60
39. शिवालिक सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, क्वार्टर नं० 628, सैक्टर 5, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22	20.30
40. लिबरल सहकारी ग्रुप आवास समिति लि० द्वारा स्टेट बैंक आफ पटियाला, 65, रीगल बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1	15.20
41. ज्योति बाग सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, दुकान नं० 6, क्वाटम लेन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-9	33.18
42. वीनस सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, आर्कीआलॉजीकल सर्वे आफ इन्डिया बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली-1	98.27
43. दिल्ली निवास सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, एच० 39, एम०सी० कालोनी, ढाका किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-9	232.00
44. दिल्ली सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, सी० 176, विवेक विहार, दिल्ली-32	126.00
45. भाग्य लक्ष्मी सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 213, घी मण्डी, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-55	119.60
46. घोलीघार सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, जी० 699, श्रीनिवास पुरी, नई दिल्ली-65	38.24
47. श्रीनिवासपुरी मित्र मण्डल सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, जी० 579, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-65	28.62
48. हिमाचल सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, क्वाटर नं० 2, भारतीय विद्या भवन स्कूल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1	42.70
49. निगम सहकारी आवास समिति लि०, म्युनिसिपल क्वार्टर नं० 57, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-1	36.15

50. लार्ड बुध सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, बी० 4/18, अशोक विहार, फ़ैज-ii, दिल्ली-52	31.80
51. कलोल सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 32, मस्जिदमोठ, फैज-i, डी० डी० ए० फ्लैट, नई दिल्ली-48	52.90
52. न्यू डीलक्स सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 128 ई०, गवर्नमेंट, क्वार्टर, देवनगर, नई दिल्ली-5	39.00
53. निर्वाण सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 2, सुन्दर नगर मार्किट, नई दिल्ली-3	180.00
54. नार्थ दूण्ड सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कालेज, नई दिल्ली-7	53.10
55. झीलकुरंजा विस्तार सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 223, झीलकुरंजा, दिल्ली-51	54.03
56. तरुण सेवक सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, ई०17/9, कृष्णानगर, दिल्ली-51	67.18
57. पंचवटी सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, कमरा 107, रेल भवन, नई दिल्ली-11	95.40
58. जयशिव सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, ए-38, पंचवटी, दिल्ली-33	79.20
59. लेबर सहकारी ग्रुप आवास समिति लि० द्वारा श्री टी० सी० राणा 296, टैगोर पार्क, दिल्ली-9	69.20
60. दिल्ली सिटीजन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 1 खैबर पास होस्टल, सिविल लाइन, दिल्ली-54	198.00
61. नेति सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, एफ० 46, कालकाजी, नई दिल्ली-19	60.25
62. गालिब मेमोरियल सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 11/1262 गली जामुन वाली, दरिया गंज, नई दिल्ली-2	88.45
63. एच० आई० एल० सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, ऋषि नगर, शकूर बस्ती, दिल्ली-34	80.56

64. ककतिग्रा सहकारी ग्रुप आवास समिति लि० 16/425, लोधी कालोनी, नई दिल्ली-3	64.24
65. सेन्ट्रल दिल्ली सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 1926, गली मैजस्टिक सिनेमा फव्वारा, चांदनी चौक, दिल्ली-6	56.38
66. नवरचना सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, 2 प्रेस प्लेस, नई दिल्ली-1	59.18
कुल योग	4835.78

आवास तथा शहरी विकास निगम लि० (गत तीन वर्षों के दौरान)

67. सी० आई० एस० आफिसर्स सहकारी ग्रुप आवास समिति, पश्चिम बिहार	29.69
68. हंस भवन सहकारी ग्रुप आवास समिति लि०, सी० बी० डी० शाहदरा	99.29
69. विराट सहकारी ग्रुप आवास समिति, रोहतक रोड	37.70
70. लोक नायक सहकारी ग्रुप आवास समिति, रोहिणी	99.99
71. एयर मैन तथा सेलर सहकारी ग्रुप आवास समिति, रोहिणी	92.83
72. बीरपुर सहकारी ग्रुप आवास समिति,	114.43
	474.03
73. लाईन आफ क्रेडिट टू० डी० सी० एच० एफ०एस० फार सी० बी० आई० जी० आई० एस०	1000.00

दिल्ली फ्लाइंग क्लब तथा दिल्ली रेस कोर्स को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानान्तरित करना

5637. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार दिल्ली फ्लाइंग क्लब तथा दिल्ली रेस कोर्स क्लब का स्थान बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नगरों में स्थानान्तरित करने के बारे में विचार करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली रेस कोर्स क्लब को इसके वर्तमान स्थान से यमुनापार क्षेत्र में किसी वैकल्पिक स्थल पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है। तथापि, फिलहाल दिल्ली फ्लाइंग क्लब को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नांगल में मैंट्रो फास्फेट एकक की स्थापना

5638. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन० एफ० एल०) का नांगल में 71 करोड़ रुपए का मैंट्रो फास्फेट एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित संयंत्र के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 15.91 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा अंश सहित 60.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत, जिसे वर्तमान मूल्य स्तरों पर अद्यतन बनाया जा रहा है, पर प्रतिवर्ष 1,63,800 टन नाइट्रोफास्फेट और 1,70,400 टन सी०ए०एन० का निर्माण करने के लिए एन०एफ०एल० द्वारा जुलाई, 1982 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

(ग) और (घ) परियोजना के विदेशी मुद्रा अंश का वित्त पोषण ओवरसीज इकनोमिक कोपरेशन फंड क्रेडिट के अधीन किए जाने का प्रस्ताव है।

कटक (उड़ीसा) में ब्राह्मणीपाल में चार्ज क्रोम संयंत्र की स्थापना

5639. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले में ब्राह्मणीपाल में चार्ज क्रोम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, ता इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ग) उक्त स्थान पर चार्ज क्रोम संयंत्र की स्थापना में कौन-कौन से देश सहायता कर रहे हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार का उड़ीसा के कटक जिले में ब्राह्मणीपाल में चार्ज क्रोम संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मैंगनीज खानें

5640. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मैंगनीज की कितनी खानें हैं;

(ख) ये मैंगनीज खाने किन राज्यों में स्थित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मैंगनीज खानों से कुल कितनी मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन हुआ है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आकाशवाणी के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र

5641. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुनती है और प्रत्येक राज्य विशेष रूप से उड़ीसा में इसके अन्तर्गत कितनी जनसंख्या आती है;

(ख) क्या उड़ीसा में अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों को अभी तक रेडियो सुविधा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे जिलों और तालुकों के नाम क्या हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के शत प्रतिशत क्षेत्र को रेडियो सुविधा के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय तथा सातवीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने के बाद के रेडियो कवरेज का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) उड़ीसा में निम्नलिखित जिलों को आदिवासी जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है :

1. मयूरभंज
2. बालासौर
3. क्योंझर
4. सुन्दरगढ़
5. सम्बलपुट
6. कोरापुर
7. फूलबनी
8. गंजम
9. कालाहांडी

ये सभी जिले कवर होते हैं, बालासौर और गंजम जिले मौजूदा आकाशवाणी ट्रांसमीटरों से पूरी तरह कवर होते हैं, शेष 7 आदिवासी जिले आंशिक रूप से कवर होते हैं।

आकाशवाणी का अपनी सातवीं योजना में उड़ीसा राज्य में 5 नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, उड़ीसा में रेडियो कवरेज बढ़कर उसकी जनसंख्या का 98 प्रतिशत तक हो जाएगा। जनसंख्या के रूप में राष्ट्रीय कवरेज 97.5 प्रतिशत होगा। देश के सभी आदिवासी जिलों में पर्याप्त रेडियो कवरेज प्राप्त होगा।

विवरण

31.3.1986 के दिन की स्थिति के अनुसार

दिन के दौरान राज्य वार कवरेज

क्रम सं०	राज्य का नाम	मौजूदा कवरेज		छठी योजना की परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर		सातवीं योजना की परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर	
		क्षेत्र %	जनसंख्या %	क्षेत्र %	जनसंख्या %	क्षेत्र % (700 करोड़)	जनसंख्या %
I· राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	90	93	93	95	98	99
2.	आसाम	75	83	87	86	98	99
3.	बिहार	85	91	99	99	99*	99*
4.	गुजरात	98	98	98	98	99*	99*
5.	हरियाणा	96	97	96	97	99*	99*
6.	हिमाचल प्रदेश	45	75	45	75	70	96
7.	जम्मू और कश्मीर	30	85	30	85	32	95
8.	कर्नाटक	77	80	92	92	95	96
9.	केरल	80	85	80	85	98	99
10.	मध्य प्रदेश	87	90	80	92	95	97
11.	महाराष्ट्र	89.5	89	97	97	99	99·
12.	मणिपुर	99*	99*	99*	99*	99*	99*
13.	मेघालय	44	46	96	96	96	96
14.	नागालैंड	90	90	95	95	96	97
15.	उड़ीसा	77	83	80	88	97	98

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	पंजाब	97	97	97	97	99*	99
17.	राजस्थान	77	78	81	94	93	90
18.	सिक्किम	44	74	70	80	70	80
19.	तमिलनाडु	94	94	96	97	99*	99*
20.	त्रिपुरा	95	96	95	96	99*	99*
21.	उत्तर प्रदेश	86	95	87	96	93	98
22.	पश्चिम बंगाल	91	94	99*	99*	99*	99*
II.	संघ शासित क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	80	80	80	80	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	75	75	98	98	98	98
3.	चण्डीगढ़	99*	99*	99*	99*	99*	99*
4.	दादरा, नागर और हवेली	99*	99*	99*	99*	99*	99*
5.	दिल्ली	99*	99*	99*	99*	99*	99*
6.	गोआ दमन और दीव	99	99	99*	99*	99*	99*
7.	लक्षद्वीप और मिनीकाय द्वीपसमूह	99*	99*	99*	99*	99*	99*
8.	मिजोरम	82	82	82	82	92	95
9.	पांडिचेरी	99*	99*	99*	99*	99*	99*
	राष्ट्रीय कवरेज	79·78	90.27	86	95	91	97.5

*इन राज्यों में कवरेज को कतिपय परिस्थितियों की विशेष आवश्यकता को गणना में लिए बिना सामान्यता 100 प्रतिशत लिया जा सकता है ।

दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत प्रोड्यूसर और कैमरामैन

5642. श्री नारायण चौबे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत प्रोड्यूसर ग्रेड-1 और कैमरामैन ग्रेड-1 की संख्या कितनी है; और

(ख) बढ़े हुए पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत कितने प्रोड्यूसर ग्रेड 1 और कैमरामैन ग्रेड-1 पदोन्नत किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय दूरदर्शन में 33 प्रोड्यूसर ग्रेड-1 तथा 30 कैमरामैन ग्रेड 1 है।

(ख) प्रोड्यूसर ग्रेड-1 सहित विभागीय अधिकारियों के नियमित सरकारी कर्मचारी समझे जाने के बाद, सहायक केन्द्र निदेशक के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनका कोटा 100 प्रतिशत है।

कैमरामैन ग्रेड 1 के लिए अगला उच्च ग्रेड वीडियो एक्जीक्यूटिव का है।

पश्चिम विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों में उचित जल सप्लाई

5643. श्री चिन्तामणि जेना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की कमी के कारण ए-4 ब्लाक, पश्चिम विहार, नई दिल्ली के सभी पार्क उजड़ गए हैं;

(ख) क्या पार्कों की पाइपलाइनें भी अवरुद्ध पड़ी हैं;

(ग) क्या पार्क में ग्रिल्ज और झूले भी टूटे पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इन पार्कों की स्थिति में सुधार करने और पानी की उचित सप्लाई करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पश्चिम विहार, नई दिल्ली के ए-4 ब्लाक के पार्कों में पानी की कमी है।

(ख) पार्कों में अभी तक पाइप लाइनें नहीं बिछाई गई हैं।

(ग) सब मिलाकर पार्कों की ग्रिलें अच्छी दशा में हैं। झूले टूट गए थे तथा ये मरम्मत के

लिए निकाल लिए गए हैं।

(घ) नलकूप की व्यवस्था तथा पाइप लाइन बिछाने के कार्य को दिल्ली विकास प्राधिकरण दो माह में पूरा कर देगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को गेहूं की बजाय चावल का आवंटन करना

5644. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों में कार्यरत श्रमिकों को सप्लाई करने के लिए गेहूं की बजाय चावल का आवंटन करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने अभिवेदन प्रस्तुत किया है कि केरल के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गेहूं खाने के आदी नहीं हैं और इसलिए वे गेहूं को अपनी मजदूरी के भाग के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। अत: गेहूं के स्थान पर चावल सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) 1986-87 के दौरान खाद्यान्नों की आवंटित मात्रा में से आधी चावल के रूप में तथा शेष गेहूं के रूप में देने का निश्चय किया गया है।

उड़ीसा में उर्वरक केन्द्रों के लिए धन राशि का आवंटन

5645. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में शुष्क भूमि क्षेत्रों और सिंचाई वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के बिक्री केन्द्रों/अतिरिक्त बिक्री केन्द्रों में वृद्धि करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान कितना धन आवंटित किया गया और क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है;

(ख) उड़ीसा में ऐसे कितने केन्द्र हैं और कितने और खोलने का विचार है तथा वे कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(ग) उड़ीसा में किन-किन स्थानों को चालू वर्ष में उर्वरक संवर्धन अभियान और किसान मेले, विशेषकर मृदा परीक्षण आदि के बारे में आयोजित करने के लिए चुना गया है अथवा चुना जाएगा।

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लौह और इस्पात के कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई

5646. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार की छड़ों (इलैक्ट्रोड किस्म), माइल्ड स्टील, सी० आर० सी० ए० स्टील शीट आदि जैसे लौह और इस्पात के कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण उत्तरी क्षेत्र के इंजीनियरी एककों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसा कच्चा माल स्वदेशी स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) लोहा तथा इस्पात की सामग्री की अपर्याप्त सप्लाई के कारण उत्तरी भारत के इंजीनियरी एककों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है उत्तरी भारत में "सेल" के स्टाकयार्डों में तार छड़ों तथा ठंडी बेलित चादरें/क्वायलों समेत इस्पात का काफी बड़ा भण्डार है। परन्तु यह सत्य है कि उत्तरी भारत में अप्रैल, 85 से जनवरी, 86 की अवधि के दौरान इस्पात की सप्लाई वर्ष 1984-85 की इसी अवधि की तुलना में कुछ हद तक कम रही।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद की पीने के पानी की आवश्यकता के लिए कृष्णा नदी के जल को मोड़ना

5647 **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार का विचार हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों के पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृष्णा नदी के जल को मोड़ने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजना के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी विकास मंत्रालय में ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण

5648- श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्षम अधिकारियों द्वारा किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश राज्यों ने यह बताया है कि अधिकतर किसानों ने उर्वरकों के उपलब्ध होने के बारे में शिकायत की हैं; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को आवश्यकता के समय उनकी सप्लाई सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों का भण्डार बनाए रखने के लिए गोदामों के निर्माण जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उर्वरकों की मांग के बारे में पूर्वानुमानों का एक अध्ययन करने का काम जुलाई, 1976 में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौंपा गया था। इसने जुलाई, 1980 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उर्वरकों की मांग संबंधी पूर्वानुमान मिलने के अलावा इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि उर्वरकों के इस्तेमाल पर असर करने वाले विभिन्न पहलुओं में उर्वरकों के उपलब्ध न होने तथा उर्वरकों के इस्तेमाल से लाभ मिलने को अनिश्चितता का प्रभाव केवल 13.8 प्रतिशत होता है।

(ग) किसानों द्वारा उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण संलग्न है।

विवरण

उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

1. स्वदेशी उत्पादन और आयात के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में तथा उचित समय पर उर्वरकों का उपलब्ध होना सुनिश्चित किया गया है।

2. ऐसे चुनीन्दा जिलों में उर्वरकों की बढ़ावा देने का एक गहन अभियान शुरू किया गया है जहां पर इनकी खपत की क्षमता तो है पर वर्तमान खपत कम है। इस योजना के अन्तर्गत 1981 में 67 जिले थे। अब इस संख्या को बढ़ाकर 104 कर दिया गया है।

3. देश भर में उर्वरकों की ढुलाई ब्लाक स्तर तक सरकारी खर्च से की जाती है जबकि पहले ऐसा रेल के गंतव्य-स्थान तक के लिए ही किया जाता था।

4. 15.8.81 से वितरक एजेंसियों के लिए वितरण लाभ में लगभग 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। 20.5.83 से इसमें और अधिक वृद्धि कर दी गई है।

5. उर्वरकों सहित कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणों की राशि जो 1979-80 में 136 करोड़ रुपए थी बढ़कर 1980-81 तथा 1981-82 में 200 करोड़, 1982-83 में 250 करोड़ रुपए और 1983-84, 1084-85 तथा 1985-86 में 260 हो गई।

6. खपत केन्द्रों के निकट ही उर्वरकों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिये बिक्री केन्द्रों की संख्या को, जो 30.11.1981 को 1.11 लाख थी बढ़ाकर 31.3.85 को 1.56 लाख कर दिया गया है।

7. उर्वरकों के मूल्यों की वृद्धि के कारण समर्थन मूल्यों को बढ़ाकर लागत लाभ का अनुपात उपयुक्त रखना सुनिश्चित बनाया गया है। यद्यपि 1982-83 में एक किलोग्राम नाइट्रोजन पोषक खरीदने से लिये 4.19 कि० ग्रा० धान की जरूरत होती थी तथापि 31.1.86 से उर्वरकों की कीमत में की गई वृद्धि के बावजूद इसकी खरीफ के लिए केवल 3.60 कि.ग्रा० धान की जरूरत होगी।

स्विचिंग इक्विपमेंट यूनिट के लिए नेल्को का प्रस्ताव

5649, **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित सरकारी क्षेत्र का एल्यूमिनियम एकक, नेल्को, एक सहायक गतिविधि के रूप में इन्सूलेटेड स्विचिंग इक्विपमेंट का निर्माण करने के लिए क्षमता स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और उसने इस परियोजना के लिए विदेशी जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो स्विचिंग इक्विपमेंट यूनिट के बारे में नेल्को के प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या स्विचिंग इक्विपमेंट के बाजार तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र, के अन्य एकक भी क्षेत्रों के प्रसार की योजना बना रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है।

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

बेरोजगार व्यक्तियों के सम्बन्ध में आंकड़े

5650- **श्री मानिक रेड्डी**
श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग अथवा केन्द्रीय साख्यिकीय संगठन के पास देश में बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध है, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : इस बारे में अनुमान सातवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (खण्ड 11) के अध्याय 5 में दिए गए है। जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है, मार्च, 1985 में सामान्य स्तर को बेरोजगारी लगभग 92 लाख थी।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले

5651- **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में श्रम न्यायालयों और श्रम आयुक्तों के कार्यालय में विचाराधीन मामलों की संख्या क्या है और 31 दिसम्बर, 1983, 31 दिसम्बर, 1984 और 31 दिसम्बर, 1985 को इनकी राज्यवार संख्या क्या थी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए अन्तरिम राहत

5652. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए अन्तरिम राहत की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है और अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) श्रम जीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार व समाचारपत्र कर्मचारियों की विभिन्न एसोसियेशनों ने सभी समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए 200/- रुपये से 400/-रुपए प्रतिमाह तक

अन्तरिम राहत देने की मांग की है। इन अभ्यावेदनों को श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन सरकार द्वारा गठित किए गए मजदूरी बोर्डों को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है। सरकार ने मजदूरी बोर्डों से पहले ही अनुरोध किया है कि वे अपनी सिफारिशें शीघ्र दें। इनके प्राप्त होते ही उक्त अधिनियम की धारा 13-क के अधीन सरकार द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।

फैरो एल्याज कारपोरेशन द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन

5653. **श्री अनंत प्रसाद सेठी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैरो एल्याज कारपोरेशन ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां तो कब से और इस समय उक्त निगम की कुल बिक्री कितनी है;

(ग) फैरो एल्याज कारपोरेशन का अब तक कुल उत्पादन कितना है;

(घ) क्या उपर्युक्त एकक शत-प्रतिशत निर्यात एकक है; और

(ङ) यदि हां, तो फैरो एल्याज कारपोरेशन द्वारा अब तक किये गये निर्यात उत्पादों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) सम्भवत: माननीय सदस्य चार्ज क्रोम के उत्पादन के लिए डी०पी० नगर, रान्दिया, बालासौर जिले, उड़ीसा में स्थित मैसर्स फैरो अलॉयज कारपोरेशन लि० की शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई के बारे में जानकारी चाहते हैं। इस इकाई में 7 अगस्त, 1983 से वाणिज्यिक उत्पादन होना शुरू हुआ है। कम्पनी के 30 जून, 1985 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में इस इकाई में कुल 17.32 करोड़ रुपए और चालू वित्त के प्रथम आठ महीनों में (जुलाई, 1985 से फरवरी, 1986 तक) 12.80 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इस इकाई में 7.8.83 से 28.2.1986 तक कुल 86589 टन चार्ज क्रोम का उत्पादन हुआ है।

(ङ) 7.8.1983 से 28.2.86 तक 43.86 करोड़ रुपए मूल्य (जहाज तक निष्प्रभार मूल्य) के कुल 80531 टन मात्रा का निर्यात किया गया था।

रोजगार कार्यालय में रोजगार कार्ड की नवीकरण की अवधि

5654. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
डा० बी० एल० शैलेश
श्री मानिक रेड्डी
श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार कार्यालयों में रोजगार कार्डों की नवीकरण की अवधि तीन वर्ष से घटा कर एक वर्ष करने का मामला राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्यदल के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों में नवीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने के मामले पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यदल की 11 और 12 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में हुई विशेष बैठक में विचार किया गया था। इस मामले पर कोई मतैक्य नहीं हो सका और इस पर विचार करना आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छूट रहित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

5655. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छूट रहित प्रतिष्ठानों की भविष्य निधि संगठन को देय भविष्य निधि की बकाया राशि 31 मार्च, 1982 में 31.36 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 31 मार्च, 1985 को 52.29 करोड़ रुपये हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दो वर्षों में बकाया राशि में इतनी तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निराशाजनक कार्य-निष्पादन से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय की कार्यकुशलता का पता चलता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) बकाया राशि में वृद्धि के सामान्यतः निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

(1) औद्योगिक रुग्णता;

(2) न्यायालयों द्वारा दोषी प्रतिष्ठानों पर अपर्याप्त दण्ड लगाना;

(3) न्यायालय द्वारा जारी किए स्थगन आदेश;

(4) न्यायालयों द्वारा आदेश दी गई पुनर्निर्माण योजनाओं का लंबित रहना;

(5) प्रतिष्ठानों की कामबन्दी/तालाबन्दी;

(6) राज्य सरकारों के राजस्व वसूली तंत्र द्वारा बकाया राशि को वसूल करने में धीमी प्रगति;

(7) भविष्य निधि की जमाराशि के अन्तरण में चूक के लिए कतिपय बड़े प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में छूट को रद्द करना और इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में वृद्धि ।

(ग) जी, नहीं, । इस अवधि के दौरान वास्तव में वसूल किए गए भविष्य निधि अंशदान से संगठन के कार्य निष्पादन का बेहतर पता लगाया जा सकता है, जो निम्नानुसार है :—

वर्ष	रुपये करोड़ों से
1981-82	3243.96
1982-83	3697.41
1983-84	4204.25
1984-85	4744.73

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी में रिक्त पद

5656. **सैयद शहाबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 को आकाशवाणी में उप-महानिदेशक के स्तर के और केन्द्र निदेशक के विभिन्न ग्रेडों के कुल कितने पद थे;

(ख) क्या इन सभी पदों के लिए भर्ती नियम बनाये गये हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1986 को प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद रिक्त थे;

(घ) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे पदों की सरकार कितनी है जो छः महीने से अधिक समय से रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1,1.86 को आकाशवाणी में उप-महानिदेशकों तथा केन्द्र निदेशकों के संवर्ग में पदों की संख्या इस प्रकार थी :—

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत संख्या
1.	उप महानिदेशक	5
2.	केन्द्र निदेशक (चयन ग्रेड)	22
3.	केन्द्र निदेशक (साधारण ग्रेड)	101

(ख) जी, हां।

(ग) 1.1.1986 को उप महानिदेशक तथा केन्द्र निदेशक (चयन ग्रेड और साधारण ग्रेड) के संवर्ग में रिक्तियां इस प्रकार थीं :—

क्रम संख्या	पद का नाम	रिक्ति स्थिति
1.	उप महानिदेशक	4
2.	केन्द्र निदेशक (चयन ग्रेड)	3
3.	केन्द्र निदेशक (साधारण ग्रेड)	25

(घ) उप महानिदेशक तथा केन्द्र निदेशक (चयन ग्रेड और साधारण ग्रेड) के संवर्ग में जो पद 1.1.1986 को छः महीने से अधिक समय से खाली थे, उनकी संख्या इस प्रकार थी :—

क्रम संख्या	पद का नाम	उन पदों की संख्या जो 1.7.85 से पहले खाली थे
1.	उप महानिदेशक	2
2.	केन्द्र निदेशक (चयन ग्रेड)	शून्य
3.	केन्द्र निदेशक (साधारण ग्रेड)	19

(ङ) इन रिक्तियों को पैनल के सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सका।

आकाशवाणी में रिक्त पड़े कार्यक्रम संवर्ग के पद

5557. श्रीमती गीता मुखर्जी
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम संवर्ग में लगभग 40 प्रतिशत पद गत

कुछ महीनों से रिक्त रहने के कारण सामान्य कार्य में बाधा आ रही है और उसमें सीमित कर्मचारियों पर दबाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और उनको भरने में देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। कार्य भी नहीं रुका है। नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ आकाशवाणी का 88 केन्द्रों का विशाल संजाल है। इस प्रकार के विशाल संजाल में सेवानिवृत्ति/एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति या विस्तार आदि, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नये पदों के सृजन के कारण रिक्तियां स्वाभाविक रूप से होंगी। अकेले कार्यक्रम संवर्ग में, विभिन्न श्रेणियों में स्टाफ की स्वीकृत संख्या लगभग 2400 है, जिनमें से लगभग 20 प्रतिशत पद पदोन्नति के विरुद्ध न्यायालय के स्थगन आदेशों, पैनल के उम्मीदवारों सीधे नामजद उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने आदि के कारण रिक्त हैं। प्रक्रियाओं को तत्परता से पूरा करने तथा अनुमोदित/पैनल के उम्मीदवारों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

संसद सदस्यों को सामान्य पूल आवास का आबंटन/उनसे आवास खाली कराना

5658. **सैयद शहाबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिनके पास 1 जनवरी, 1986 को सामान्य पूल आवास के टाइप ई-III, ई-II और ई-I के मकान हैं;

(ख) उपर्युक्त (क) में उन सदस्यों के नाम क्या हैं जो सरकार के हाल के निर्णय के अनुसार वर्तमान आवास के हकदार नहीं हैं;

(ग) क्या उन्हें वर्तमान आवास को खाली करने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो क्या उन्हें एक निर्धारित तारीख तक आवास खाली करने को कहा गया है; और

(घ) क्या पात्रता निर्धारित करते समय पात्रता-पद की अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है और यदि हां, तो क्या पद पर बने रहने की न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न-1 विवरण में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न-2 विवरण में दी गई हैं।

(ग) अधिकांश संसद सदस्यों, जिनके दखल में टाइप-VIII तथा VII के बंगले हैं तथा

जो संसद सदस्यों को सामान्य पूलवास के आवंटन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित मार्गों निदेशनों के अनुसार उनके दखल में वास के टाइप के पात्र नहीं हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे लोक सभा राज्य सभा की सम्बन्धित आवास समितियों द्वारा आवंटित किए जाने वाले अपने पात्र के छोटे मकानों में चले जायें तथा उच्च टाइप के बंगलों को तत्काल खाली करें। कुछ मामलों में संसद सदस्यों को उनके राजनैतिक पार्टियों के नेता होने, संसद में संसदीय पार्टियों के नेता होने के नाते राजनैतिक पार्टियों के लिए कार्यालय वास की आवश्यकता आदि जैसे विभिन्न कारणों से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से टाईप-8 तथा टाईप-7 के बंगलें आबंटित किए गए थे। इसलिए, उनसे ये बंगले खाली करने का अनुरोध नहीं किया गया है। टाइप-6 बंगले/फ्लैटों के दखलकारों से भी उनके दखल के वास को खाली करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण-1

1-1-1986 की स्थिति के अनुसार सामान्य पूल वास के टाईप ई०-III, ई०-II तथा ई०-I के दखलकार संसद सदस्यों के नाम।

क्रम सं० संसद सदस्य का नाम सर्वश्री	क्र० सं० संसद का नाम सर्वश्री
1. सी० पी० एन० सिंह (लोक सभा)	13. श्रीमती माधुरी सिंह (लोक सभा)
2. ए० पी० शर्मा (राज्य सभा)	14. राम चन्द्र विकल (राज्य सभा)
3. जी० के० मूपानेर (राज्य सभा)	15. अशोक गैहलोत (लोक सभा)
4. वासुदेव आचार्य (लोक सभा)	16. जगजीवन राम (लोक सभा)
5. श्रीमती शीला कौल (लोक सभा)	17. दरबारा सिंह (राज्य सभा)
6. भगवत झा आजाद (लोक सभा)	18. बीर सैन (लोक सभा)
7. श्रीमती एच० चन्द्रशेखर (लोक सभा)	19. राव बीरेन्द्र सिंह (लोक सभा)
8. श्रीमती रोडा मिस्तरी (राज्य सभा)	20. कमलापति त्रिपाठी (राज्य सभा)
9. वी० एन० पाटिल (लोक सभा)	21. जगन्नाथ राव (लोक सभा)
10. एन० के० पी० सालवे (राज्य सभा)	22. डा० ए० के० पाटिल (लोक सभा)
11. कल्पनाथ राय (राज्य सभा)	23. सी० माधव रेड्डी (लोक सभा)
12. ए० एस० चौधरी (राज्य सभा)	24. पी० सी० सेठी (लोक सभा)

1	2
25. श्रीमती सुखवन्स कौर (लोक सभा)	48. पी० के० थुंगन (लोक सभा)
26. एस० एस० महापात्र (राज्य सभा)	49. कुमारी कमला कुमारी (लोक सभा)
27. वीरेन्द्र पाटिल (लोक सभा)	50. श्याम लाल यादव (लोक सभा)
28. कमल नाथ (लोक सभा)	51. श्रीमती अकबर जहान बेगम (लोक सभा)
29. चरण सिंह (लोक सभा)	52. दिपिन घोष (राज्य सभा)
30. जगन्नाथ कौशल (लोक सभा)	53. अहमद एम० पटेल (लोक सभा)
31. दिनेश सिंह (लोक सभा)	54. गुलाम रसूल कार (राज्य सभा)
32. श्रीमती कृष्णा कौल (राज्य सभा)	55. श्रीमती वी० आर० सिन्धिया (राज्य सभा)
33. दलबीर सिंह (लोक सभा)	56. श्रीमती ऊषा मल्होत्रा (राज्य सभा)
34. बी० एम० मोहन्ती (लोक सभा)	57. जयदीप सिंह (लोक सभा)
35. एम० सी० भण्डार (राज्य सभा)	58. तारिक अनवर (लोक सभा)
36. चन्द्रशेखर सिंह (लोक सभा)	59. एम० एस० गुरुपद स्वामी (राज्य सभा)
37. कल्याणासुन्दरम (राज्य सभा)	60. जयपाल रेड्डी (लोक सभा)
38. जे० के० जैन (राज्य सभा)	61. श्रीमती अमरजीत कौर (राज्य सभा)
39. महेन्द्र प्रसाद (राज्य सभा)	62. जी० एस० मिश्रा (लोक सभा)
40. दिग्विजय प्रताप सिंह (लोक सभा)	63. औसकर फर्नांडिस (लोक सभा)
41. फतेसिंह राव गायकवाड़ (लोक सभा)	64. पी० शिवशंकर (राज्य सभा)
42. तपेश्वर सिंह (लोक सभा)	65. खुशवन्त सिंह (राज्य सभा)
43. जितिन्दर प्रसाद (लोक सभा)	66. चौधरी राम सेवक (राज्य सभा)
44. श्रीमती वैजन्तीमाला बाली (लोक सभा)	67. श्रीमती मनोरमा पाण्डे (राज्य सभा)
45. पी० उपेन्द्र (राज्य सभा)	68. धर्मगज सिंह (लोक सभा)
46. मौलाना असरुल हक (राज्य सभा)	69. शमीम अहमद सिद्दीकी (राज्य सभा)
47. अभिताभ बच्चन (लोक सभा)	70. शिवेन्द्र बहादुर सिंह (लोक सभा)

1	2
71. एल० के० अडवानी (राज्य सभा)	76. असलम शेरखान (राज्य सभा)
72. आर० प्रभु (लोक सभा)	77. रामेश्वर ठाकुर (राज्य सभा)
73. शिव प्रसाद साहू (लोक सभा)	78. पी० एल० खण्डेलवाल (राज्य सभा)
74. शलीमनी (राज्य सभा)	79. सी० के० जफर शरीफ (लोक सभा)
75. मनोज पाण्डे (लोक सभा)	80. श्रीमती सुमति ओरियोन(लोक सभा)

विवरण-2

1-1-1986 की स्थिति के अनुसार सामान्य पूल वास के टाईप-ई०III, ई०-II तथा ई०-I के दखलकार, जो कि ऐसे वास के लिए पात्र नहीं हैं, संसद सदस्यों की सूची

क्रम संख्या	संसद सदस्य का नाम (सर्वश्री)	क्रम संख्या	संसद सदस्य का नाम सर्वश्री
1.	सी० पी० एन० सिंह (लोक सभा)	14.	रामचन्द्र विकल (राज्य सभा)
2.	ए० पी० शर्मा (राज्य सभा)	15.	अशोक गहलौत (लोक सभा)
3.	जी० के० मूपानौर (राज्य सभा)	16.	दरबारा सिंह (राज्य सभा)
4.	वासुदेव आचार्य(लोक सभा)	17.	वीरसेन (लोक सभा)
5.	श्रीमती शीला कौल (लोक सभा)	18.	राव वीरेन्द्र सिंह (लोक सभा)
6.	भगवत झा आजाद (लोक सभा)	19.	कमलापति त्रिपाठी (राज्य सभा)
7.	श्रीमती एम०चन्द्र शेखर(लोक सभा)	20.	जगन्नाथ राव (लोक सभा)
8.	श्रीमती रोडा मिस्तरी (राज्य सभा)	21.	सी० माधव रेड्डी (लोक सभा)
9.	वी० एन० पाटिल (लोक सभा)	22.	पी० सी० सेठी (लोक सभा)
10.	एन०के०पी० सालवे (राज्य सभा)	23.	श्रीमती सुखवन्स कौर (लोक सभा)
11.	कल्पराथ राय (राज्य सभा)	24.	एस० एस० महापात्र (राज्य सभा)
12.	ए० एस० चौधरी (राज्य सभा)	25.	वीरेन्द्र पाटिल (लोक सभा)
13.	श्रीमती माधुरी सिंह(लोक सभा)	26.	कमल नाथ (लोक सभा)

1	2
27. जगन्नाथ कौशल (लोक सभा)	48. श्रीमती ऊषा मलहोत्रा (राज्य सभा)
28. दिनेश सिंह (लोक सभा)	49. जयदीप सिंह (लोक सभा)
29. श्रीमती कृष्णा कौल (राज्य सभा)	50. तारिक अनवर (लोक सभा)
30. दलबीर सिंह (लोक सभा)	51. एम० एस० गुरुपदस्वामी (राज्य सभा)
31. बी०एम० मोहन्ती (लोक सभा)	52. श्रीमती अमरजीत कौर (राज्य सभा)
32. एम० सी० भण्डारे (राज्य सभा)	53. जी० एस० मिश्रा (लोक सभा)
33. चन्द्रशेखर सिंह (लोक सभा) अब पात्र हैं।	54. औसकर फर्नान्डिस (लोक सभा)
34. कल्याणा सुन्दरम (राज्य सभा)	55. खुशवन्त सिंह (राज्य सभा)
35. जे० के० जैन (राज्य सभा)	56. चौधरा राम सेवक (राज्य सभा)
36. महेन्द्र प्रसाद (राज्य सभा)	57. श्रीमती मनोरमा पाण्डे (राज्य सभा)
37. दिग्विजय प्रताप सिंह (लोक सभा)	58. धर्मंगज सिंह (लोक सभा)
38. फतेसिंह राव गायकवाड़ (लोक सभा)	59. शमीम अहमद सिद्दीकी (राज्य सभा)
39. तपेश्वर सिंह (लोक सभा)	60. शिवेन्द्र बहादुर सिंह (लोक सभा)
40. जितेन्द्र प्रसाद (लोक सभा)	61. आर० प्रभु (लोक सभा)
41. मौलाना असरुल हक (राज्य सभा)	62. शिव प्रसाद साहू (लोक सभा)
42. पी०के० थुंगुन (लोक सभा)	63. सलीम अली (राज्य सभा)
43. कुमारी कमला कुमारी (लोक सभा)	64. मनोज पाण्डेय (लोक सभा)
44. श्याम लाल यादव (लोक सभा)	65. असलम शेर खान (राज्य सभा)
45. श्रीमती अकबर जहान बेगम (लोक सभा)	66. रामेश्वर ठाकुर (राज्य सभा)
46. अहमद एम० पटेल (लोक सभा)	67. पी० एल० खण्डेलवाल (राज्य सभा)
47. श्रीमती बी०आर० सिन्धिया (राज्य सभा)	68. श्रीमती सुमती ओरियोन (लोक सभा)

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण

5659. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड का विचार अपने कुछ उर्वरक संयंत्रों को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड का जिन उर्वरक संयंत्रों को आधुनिक बनाने का विचार है उनके नाम क्या हैं;

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इफको कलोल, काण्डला और फूलपुर स्थित अपने चालू संयंत्रों को आधुनिक बनाने का विचार रखती है।

(ग) और (घ) आधुनिकीकरण कार्यक्रम की कुल लागत 130-00 करोड़ रुपए रखी गई है जिसमें से 18-754 करोड़ रुपए की राशि निम्न प्रकार पहले ही अलग रख दी गई है :—

	रुपए करोड़ में
1- कलोल	12-312
2- काण्डला	3-650
3- फूलपुर	2-792
योग	18-754

कार्यक्रम में उपकरण लगाना, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए परिवर्तन रिफार्मर पुनरोद्धार, उर्जा बचत, आधुनिकीकरण, विश्वसनीयता, सुरक्षा आदि शामिल हैं।

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मै आपको बारी-बारी से बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री एस०जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आपको कैसे पता चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने हाथ खड़े करें। मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : गत शनिवार मेरे चुनाव क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे सेना के कर्मचारी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान नीचे आये और सारे क्षेत्र में लूट खसोट की और लगभग 200 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस पर वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित रूप में मुझे दें। मैं जांच करूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : सेना के कर्मचारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान रेलगाड़ी से बाहर आये और बच्चों तथा औरतों को पीटा। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस बारे में वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित रूप में मुझे दें। मैं जांच करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हमारे अन्दरुनी मामलों में पाकिस्तानी हस्तक्षेप बहुत चिन्ताजनक रूप से बढ़ रहा है। आज ही समाचार पत्र में हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है। जिया-उल हक हमारे पंजाब और तमिलनाडु जैसे अन्दरुनी मामलों के बारे में कहते रहते हैं और उन्होंने फिर कहा है। उन्हें आशा है कि तमिलनाडु में भी बगावत होगी। उन्होंने भारत के अन्दर की राजनैतिक गतिविधियों के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने साइचिन ग्लेशियर क्षेत्र में भारत के हमले के बारे में भी कहा है और वास्तव में उन्होंने शिमला समझौते को नकार दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते है ? आप मुझे बतायें।

प्रो० के० के० तिवारी : हम भारत-पाक संबंधों पर एक वाद-विवाद की मांग कर रहे हैं।

विदेश मन्त्री यहां हैं उन्हें इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। आपको इस चिन्ताजनक ढंग से बिगड़ती स्थिति पर पूरी चर्चा की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि यह हमारी सुरक्षा से सम्बन्धित है। भारत-पाक संबंधों पर भी एक चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए। हमने सूचनायें दी हैं। आपको इस पर पूरी चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सूचना को मन्त्री महोदय तक पहुंचा दूंगा। हम देखेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यह पहले ही सर्व विदित है कि आतंकवादी पाकिस्तान में प्रशिक्षिण प्राप्त हैं। अब वे हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं ······ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी ने भी इसके बारे में जिक्र किया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हम चाहते हैं कि गृह मन्त्री इस बारे में एक वक्तव्य अवश्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टी० बशीर, क्या आप भी वही मामला उठा रहे हैं ?

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मैं एक पंक्ति जोड़ रहा हूं। साथ ही पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में एक गुरिल्ला युद्ध संस्थान स्थापित किया है और हम सभी के लिए यह एक बहुत चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से जांच करने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है। 30 तारीख का वाकया है कि तमाम एम० पीज० आ रहे थे, रेलवे में हम लोगों का रिजर्वेशन था, लेकिन रेलवे वालों ने जगह नहीं दी। चेन-पुलिंग हुआ, उसके बाद पास होल्डर्स को हटा-हटा कर किसी तरह जगह दी गई और इसमें 55 मिनट लगे। हम लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन उन्होंने गलत एफ० आई० आर० लाज किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मै इस पत्र को सम्बन्धित मन्त्री महोदय तक पहुंचा दूंगा और मैं जाच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : यह अखबारों में दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। मै सभी व्यक्तियों को बुलाऊंगा। आज मैंने इस तरफ से शुरू किया है कल मैं उस तरफ से शुरू करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैं सभी लोगों को बुलाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरफ से मैं शुरू करूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज मैंने इस तरफ से शुरू किया है कल मैं उस तरफ से शुरू करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : समाचार पत्रों में बार-बार ये खबरें छपती रहती हैं कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से काफी विकिरण निकलता है। यह सरकारी उद्यम के विरूद्ध प्रचार है परन्तु ऐसी खबरें है और जनता भारत इलेक्ट्रानिक्स के बारे में बहुत अधिक संदेह करती है। विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री यहां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे इसे लिखित रूप में दें।

श्री सी० पी० ठाकुर : मैंने दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पत्र को संबंधित मन्त्री तक पहुंचा दूंगा।

श्री सी० पी० ठाकुर : कोई 10-15 रिपोर्टें हैं। इन पर चर्चा होनी चाहिए। यह सरकारी उपक्रम के विरूद्ध प्रचार है।

श्री दिनेश सिंह (प्रताप गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय आप पश्चिमी भारत में विशेषत: महाराष्ट्र, गुजरात और असम सहित देश के अन्य भागों में भी गम्भीर सूखे की स्थिति से अवगत हैं। इन मसलों पर राज्य सरकारों ने तदर्थ आधार पर विचार किया है जो कि ज्यादा संतोषजनक नहीं है मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह जल-नीति सम्बन्धी वक्तव्य के साथ आगे आयें विशेष कर इसलिए क्योंकि देश का जल ग्राफ नीचे जा रहा है और यह भूमिगत जल का असमन्वित

दोहन है जिसके कारण बहुत गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। कृषि मन्त्री यहां हैं और वह जानते हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जल ग्राफ नीचे जा रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह भूमिगत जल के उपयोग के बारे में नीति सम्बन्धी वक्तव्य के साथ आगे आयें।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही हमने सूखे से सम्बन्धित मामलों पर कई बार चर्चा की है। फिर भी मन्त्री महोदय आपके सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : शोभराज के गायब होने से लोक सभा में काफी गर्मा-गर्मी पैदा हुई थी और अब जबकि वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह पुलिस बधाई की पात्र है। पुलिस को हमेशा बुरा-भला कहा जाता है हम नहीं जानते कि यह कौन सी पुलिस है। हम उनकी बड़ाई में कुछ कहना चाहेगें। क्या गृह मन्त्री जी इस पर एक वक्तव्य देगे ?

दूसरे हम देखते हैं कि रोजाना हमारे पुलिस वालों को जान से मारा जाता है। अधिकतर मामलों में उन्हें कैदियों को अदालत में ले जाने के दौरान मार दिया जाता है। मुझे मालूम है कि कैदियों को जेल के दरवाजे पर ही रिमांड दे दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : रहमान जी मुझे बताइए आप चाहते क्या हैं ?

श्री अताउर्रहमान : क्या मन्त्री जी वक्तव्य देगें—रिमांड देने की प्रक्रिया के संबंध में···

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मुझे लिखित में दीजिए। मैं उसे मन्त्री जी तक पहुंचा दूंगा।

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : अखबारों से पता चला है कि जोधपुर जेल में हजारों युवाओं पर लाठियां चलाई गई जिसके परिणामस्वरूप वे घायल हो गए। उन्हें जेल के कर्मचारियों और अन्य कैदियों ने घायल किया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया बैठ जाइए।

श्री चरनजीत सिंह वालिया : क्या सरकार वक्तव्य देगी ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : यह बहुत गंभीर मामला है। जोधपुर जेल में विचाराधीन कैदियों को पीटा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : किसने पीटा ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जेल के सुरक्षा अधिकारियों ने। वे विचाराधीन कैदी है **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य की समस्या है। इसे यहां मत उठाइए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : राज्य की समस्या नहीं है। कृपया मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुन चुका हूं। मेरा विनिर्णय है कि यह राज्य की समस्या है। मैं यहां इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आप मुझे आधा मिनट का समय क्यों नहीं देते?

उपाध्यक्ष महोदय : मै बता चुका हूं। यह राज्य की समस्या है। यहां चर्चा करने की अनुमति मैं नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात मैं पहले कह चुका हूं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : उन पर भारत सरकार मुकदमा चला रही है। भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के कारण उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जिन लोगों को पीटा गया है उनमें से अधिकतर गंभीर रूप से घायल हैं और इनमें से अधिकतर महिलाएं तथा शिरोमणि गुरू द्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को आपने लिखित में नहीं दिया है और आप इसे यहां उठा रहे हैं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आपको ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह के मामलों में अन्य सभी लोगों ने लिखित में नोटिस दिया हैं। आपको भी लिखित में देना चाहिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) **:** मैंने नियम 193 के अन्तर्गत एक सूचना और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एक सूचना भी दी है। श्रीलंका की सेना की योजना अब उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में एक बड़ा हमला करने की है। इस आशय की एक खबर 4 अप्रैल के 'हिन्दू, में भी छपी है। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा सेना के कमांडर इन चीफ ने जाफना के लोगों को एक बड़े हमले की चेतावनी दी है और उनसे कहा है कि वे अपने घरों को खाली कर दें। इस समय यह स्थिति है। यहां तक कि श्रीलंका की वायु सेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने वाला पाकिस्तान वायुसेना का एक अफसर भी वहां है। तो, इससे पता चलता है कि श्रीलंका की सेना वहां भारतीय तमिलों की जातीय समस्या का सैनिक समाधान करना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि विदेश मन्त्री वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुझाव आगे भेज दूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : कम से कम इसे तो कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हेतु लिया जाना चाहिए ...... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका पत्र मन्त्री जी तक पहुंचा दूंगा। बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे...... (**व्यवधान**) इसे कार्यवाही वृतांत में तो शामिल किया ही जा चुका है ... (**व्यवधान**) श्री जयपाल रेड्डी।

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत ही गंभीर मामला है। वे श्रीलंका में नरसंहार कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इसमें भाग ले रहा है... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को उठा चुके हैं। अब श्री रेड्डी।

प्रो० के०के० तिवारी : विदेश मन्त्री जी यहां चुपचाप बैठे हैं और वक्तव्य नहीं दे रहे हैं...... (**व्यवधान**) आप मन्त्री जी से कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा के दौरान उन्होंने इस मामले में उत्तर दिया था।

प्रो० के० के० तिवारी : आप इसे इस तरह से नहीं ले सकते कि ...... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने इसे गंभीरता से लिया था और उस समय हर बात का विस्तार से उत्तर दिया था। वह स्पष्ट कर चुके हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : जितनी जल्दी हम इस सबंध में कुछ करेंगें उतना देश की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं ... (**व्यवधान**) मैं पूछ नहीं सकता। कृपया बैठ जाइए। अब श्री रेड्डी (**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : पिछले तीन सालों से हम दर्शन की बात कर रहे हैं पर श्रीलंका की समस्या का हल नहीं हुआ। सरकार क्या कर रही है...... (**व्यवधान**) विदेश मंत्री जी यहां है...... (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैं सरकार और सदन का ध्यान एक बहुत ही खतरनाक घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने कंधे पर रख कर चलाए जा सकने वाले 'स्टिनमंर' नामक खतरनाक किस्म के मिसाइल सप्लाई किए हैं। सभी जानते हैं कि अमरीका इस तरह के मिसाइलों को

सप्लाई अपने निकटतम साथियों को ही करता है। वे अब अफगान विद्रोहियों को दिए जा रहे हैं। अपने कड़वे अनुभव से हमें मालूम है कि अफगान विद्रोहियों को जो भी हथियार दिए जाते हैं, वे पंजाब में आतंकवादियों के हाथों में पहुंच जाते हैं। ऐसे में भारत में विमानों की कोई सुरक्षा नहीं रह जाती। वस्तुतः बड़े पैमाने पर भय और संन्देह है कि शायद स्टिमंर मिसाइल के इस्तेमाल के कारण ही हाल ही में भारतीय वायुसेना के दो विमान लापता हो गए हैं। मैं गृह मन्त्री जी से अथवा जो भी संबंधित हो, चाहे रक्षा मन्त्री नागर विमानन मन्त्री या विदेश मन्त्री हो उनसे अनुरोध करूंगा कि वह हमें बताएं कि इसका सामना करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : सदन भारत-पाक संबधों की चर्चा की मांग के सम्बन्ध में एकमत है महोदय, अब आप देख सकते हैं कि कितना मतैक्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं मन्त्री जी से तथ्यों का पता लगाने के लिए कहूंगा। मैं आपका सुझाव आगे पहुंचा दूंगा। आपके स्थगन प्रस्ताव पर मैंने अपनी सहमति नहीं दी है। केवल तथ्यों का पता लगाने के लिए मैं इसे आगे पहुंचा दूंगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : पाकिस्तान ने प्रशिक्षण के लिए एक और स्कूल की स्थापना कर दी है······**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को बहुत से सदस्य पहले ही उठा चुके हैं ! अब श्री राव ।

श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाडा) : त्रिपुरा नेशनल वालंटियर के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में हत्याएं की जा रही हैं। मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त संगठन द्वारा लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस तरह की हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री जी से पता लगाने के लिए कहूंगा।

श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव : सरकार को एक वक्तव्य देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के प्रेजीडेन्ट जिया उल हक भारत के मामले में दखल दे रहे हैं······**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे तिवारी जी पहले ही उठा चुके हैं। इसे दोहराइए मत।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : तिवारी जी कह रहे थे, मैं उनके साथ हूं, अच्छे काम के लिए तेलुगु देशम वाले भी आपका साथ देते हैं·········(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

———

12.12 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन्स नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मास कम्युनिकेशन्स नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ मास कम्युनिकेशन्स नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2473/86**]

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1986-87 की परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2474/86]

(2) वर्ष 1986-87 की अान्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2475/86]

(3) वर्ष 1986-87 की इलैक्ट्रानिक्स विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्ककण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2476/86]

बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 19̈8-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2477/86]

12.14 म०प०

लोक लेखा समिति

21 वां तथा 39 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) वाहनों के लिये दोषपूर्ण संगटकों का निर्माण और विदेशों से दोषपूर्ण उपकरणों को खरीद के सम्बन्ध में समिति के 151वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

(2) संघ उत्पादन-शुल्क-प्रसाधन सामग्री और उत्पादन छिपाने के सम्बन्ध में समिति के 208वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

12.15 म०प०

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन का ठेका देने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : इस सदन के माननीय सदस्यों को एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 12 मार्च को हुई बहस का स्मरण होगा। कुछ सदस्यों ने ठेका देने के निर्णय में सरकार द्वारा देरी किये जाने के परिणाम-स्वरूप परियोजना को लागू करने में होने वाली देरी पर

चिन्ता व्यक्त की, कुछ सदस्यों ने देरी के कारण लागत में होने वाली वृद्धि का जिक्र किया कुछ सदस्यों ने यह टिप्पणी की कि परियोजना में देशी भागीदारी को अधिकतम करने पर जोर दिया जाये। सदन को यह भी स्मरण होगा कि मैंने अपने उत्तर के दौरान यह कहा था कि हालांकि ठेके को अन्तिम रूप देने में लगभग दो से तीन महीने की देरी हुई है, फिर भी इससे परियोजना लागत में की जाने वाली सम्भव कमी के रूप में हमें लाभ होगा और हम अब भी उर्वरक तथा विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को कार्यक्रम के अनुसार बनाए रखने और लागू करने में सक्षम होंगे। मैंने यह भी कहा था कि सरकार द्वारा लिया जाने वाला अन्तिम निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय हित में होगा।

2. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने इस ठेके के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया है। 3,4.1936 को प्राप्त चार संशोधित निविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर फ्रांस के मैसर्स स्पाईं केपेग (मैसर्स एस०पी०आई०ई०सी०ए०पी०ए०जी) के नेतृत्व वाले संघ को एच० बी० जे० पाइपलाइन के निष्पादन का कार्य देने के लिए आशय-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी बोली कुल विश्लेषण के बाद न्यूनतम पाई गई।

3. नई निविदाएं मांगने हेतु लिए गये निर्णय के परिणामस्वरूप हम अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा स्रोतो के खर्च में कमी करके उसे बचाने में सफल हुए हैं। वर्तमान विनिमय दरों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। हमें अधिक आकर्षक उधार पैकेज भी प्राप्त हुआ है। टेलि कम्युनिकेशन, कन्सल्टेन्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० लारसन एण्ड टुबरो तथा पुंजसन्स जैसे कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भागीदारी के रूप में पर्याप्त देशी घटकों को परियोजना में शामिल करना सुनिश्चित किया जा रहा है। परियोजना में देशी भागीदारी को अधिकतम सुनिश्चित करने में हम सफल होंगे जिससे भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपनी विशिष्टता बनाने में हमें सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त विशिष्ट सामान्य इंजीनिरी वस्तुओं तथा सिविल इंजीनियरी तथा स्थापना कार्य के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र के भारतीय उप-ठेकेदारों का भी उपयोग किया जाएगा। अतः हमें संतोष है तथा मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य भी मुझसे सहमत होंगे कि जिस ठेकेदार को हमने इसके लिए चुना है उसके द्वारा बनाई गई हमारे देश में इस पहली मुख्य उच्च दबाव वाली क्रास कन्ट्री गैस पाइपलाइन सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ होगी।

4. काम शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा तथा जैसा कि मैंने पहले सदन में आश्वासन दिया था उसके अनुसार यह सुनिश्चित करने का हमारा पूरा प्रयास होगा कि परियोजना के क्रियान्वयन की गति को बिना किसी रूकावट के पूर्व कार्यक्रम के अनुसार बनाए रखा जाए, तथा प्रयोगकर्ता उद्योगों की गैस की आवश्यकताओं को उनके कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाए।

5. निष्कर्ष के रूप में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि अब लिया गया निर्णय परि-

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

योजना के हित में हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सम्माननीय सदन सर्वसम्मति से मेरे विचार से सहमत होगा तथा यह हमारे राष्ट्रीय हित में होगा।

———

12.18 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में बायो गैस संयंत्रों की अविलंब स्थापना के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं :—

"मध्यप्रदेश में गोबर गैस प्लाण्ट की योजना जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही है वह एकदम असफल है क्योंकि अधिकारी योजना का सही ढंग से परिपालन नहीं करते हैं। यदि विभागीय अधिकारी लगन से काम करें तो बेशक ये योजना गांवों में लोकप्रिय बन सकती है। पर देखा जाता है कि गांवों में कहीं गड्ढा खोदा जाता है, तो कही अधूरा है, कहीं ड्रम लगाया गया है, तो कहीं पाइप लाइन बिछाई गई है। इस तरह तीन साल तक कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है । किसान परेशान हैं और अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गए हैं और इस लाभदायक योजना का सख्त विरोध करने की स्थिति में खड़े हैं। यदि इस योजना का प्रतिवर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसके अनुसार कार्य पूर्ण हो जाता, तो वास्तव में लाखों क्विंटल जलाऊ लकड़ी की खपत बच सकती थी और जंगल के ऊपर दबाव को कम किया जा सकता था, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ये लोकप्रिय योजना बदनाम हो रही है।

बस्तर जिले में, कोण्डा गांव ब्लॉक में सन् 82 से 85 तक 19 आदिवासी किसानों को ये स्कीम दी गई पर अब तक केवल एक ही किसान का काम पूर्ण हुआ है। इस तरह पूरे जिले में 32 हैं, उनमें सैकड़ों स्कीम अधूरी आदिवासियों के मकानों में पाई जाएंगी। इसमें केन्द्र शासन से अनुरोध है कि उद्योग विभाग द्वारा आयोग को सख्त निर्देश दें, ताकि अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए और दोषी अधिकारियों को विलंम्ब के लिए दण्ड दिया जाए।"

[अनुवाद]

(दो) नर्सों, कम्पाउन्डरों, ड्राइवरों आदि को प्रशिक्षण देने के लिये देश के प्रत्येक पिछड़े जिले में एक संस्थान खोलने की आवश्यकता

श्री आई० रामा राय (कासरगोड़) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबों विशेषत: पिछड़े लोगों जैसे हरिजनों गिरिजनों के उत्थान को काफी महत्व दिया गया। प्रत्येक गरीब परिवार

के कम से कम एक सदस्य को समृद्ध देशों में भेज कर आर्थिक पिछड़ापन दूर किया जा सकता है तथा अत्यन्त आवश्यक विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकती है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक पिछड़े जिले में केन्द्रीय स्कूल की तरह एक संस्था स्थापित की जाये जिसमें नर्सों, कम्पाउन्डरों चालकों तथा मैकेनिकों का प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रशिक्षण के बाद उन दुर्भाग्य पूर्ण परिवारों के तरुणों का विदेशों में हमारे दूतावासों द्वारा रोजगार दिलाने में सहायता दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव है प्रथम प्रयास के रूप में एक ऐसा संस्थान कसारगौड़ में, जोकि केरल का अत्यन्त पिछड़ा जिला है, स्थापित किया जाये।

(तीन) भारत वैगन कंपनी, मुजफ्फरपुर, बिहार को पश्चिम बंगाल के एक रुग्ण औद्योगिक एकक के साथ मिलाने के प्रस्ताव को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री राम श्रेष्ठ खिरवर (सीतामढ़ी) : महोदय, केन्द्रीय उद्योग मन्त्री के पास भारत वैगन कंपनी को पश्चिम बंगाल के एक रुग्ण औद्योगिक एकक के साथ मिलाने का प्रस्ताव है जो कि उक्त भारत वेगन कंपनी तथा उसके कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा क्योंकि भारत वैगन कम्पनी सदा लाभ में चलती रही है तथा इसका भविष्य उज्जवल है। इस वर्ष भी भारत वैगन कम्पनी को 20 लाख रुपए का लाभ हुआ है। भारत वैगन कम्पनी में कभी हड़ताल अथवा बन्द नहीं हुआ तथा इसके कर्मचारी काफी संतुष्ट है। अत: भारत वैगन कम्पनी मुजफ्फरपुर को किसी भी अन्य एकक के साथ न मिलाया जाये, इसे अकेला छोड़ दिया जाए।

(चार) केरल के संपूर्ण मालाबार क्षेत्र को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : जनता तथा सरकार के बीच एक सजीव दृश्य श्रव्य सम्पर्क होने के कारण दूरदर्शन देश में एक महत्वपूर्वक भूमिका निभा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य, जानकारी देना- शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है।

भारत सरकार की यह नीति प्रतीत होती है कि दूरदर्शन सुविधाएं देश के कोने-कोने में पहुंचे। परन्तु दुर्भाग्य से दूरदर्शन संप्रेषण सुविधाओं का आयोजन करते समय केरल के मालाबार जिलों की अवहेलना की गई है। मालाबार क्षेत्र में राज्य के छ: प्रमुख जिले आते हैं। जिनमें प्रमुख राज्य की लगभग आधी जनसंख्या रहती है। आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद मालाबार में कोई भी उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर केन्द्र नहीं है न केवल विन्ड, कसारगौड़ मालापुरम जिलों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है बल्कि उनके कई क्षेत्र, जिनमें कालीकट तथा कन्नानौर के बीच पड़ने वाले कई गांव तथा नगर आते हैं कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्रों से बहुत दूर हैं।

कालीकट तथा कन्नानौर में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर हैं और इनके कारण इन दोनों शहरों के बीच में रहने वाले लोगों के लिए तब तक दूरदर्शन सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता जब तक सरकार या तो वर्तमान ट्रांसमीटर केन्द्रों की क्षमता नहीं बढ़ाती अथवा बीच के किसी स्थान जैसे माहे में जो कि संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी में है अथवा बड़ागरा में, ये दोनों कालीकट कन्नानौर के बीच स्थित है, एक नया ट्रांसमीटर केन्द्र नहीं लगाती। अत: इन क्षेत्रों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में तुरन्त दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

(पांच) देश में बाल श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए अविलम्ब कदम उठाने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में करोड़ों बाल मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए सन् 1985 में बाल मजदूर बिल पास किया, जिसमें जोखिम के कामों में 15 वर्ष से कम के बच्चों को काम पर लगाने की मनाही, बाल मजदूरों के काम के समय में कमी तथा सभी राष्ट्रीय तथा अन्य त्योहारों की छुट्टियों का हकदार बनाया गया, किन्तु इन सभी कानूनों को ताक पर रख कर बाल मजदूरों के स्वामी उनके शोषण की गति और भी तेज कर दिए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 6 प्रतिशत बच्चे बाल मजदूर हैं हालांकि कानूनन ये काम पर नहीं लगाए जा सकते हैं। मालिक बाल मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी भी नहीं देते। हर बाल मजदूर को कई महीनों तक बिना मजदूरी के भी काम करना पड़ता है और उसके बाद ही मजदूरी देनी शुरू की जाती है। विभिन्न शहरों और कस्बों से इकट्ठे किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 4.19 प्रतिशत बाल मजदूरों को मजदूरी बिल्कुल नहीं दी जाती है। 20 प्रतिशत मजदूरों को 50 रुपये महीने की नाममात्र की मजदूरी दी जाती है जबकि 15 प्रतिशत बाल मजदूरों को 50 रुपये 100 रुपये प्रति मास मिलता है। 45.16 प्रतिशत को हर महीने वेतन के रूप में 100 से 300 रुपये तक मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यदि जल्दी ही बाल मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाये गये तो उनका सम्पूर्ण देश में शोषण होता रहेगा।

अतः मैं श्रम मन्त्री जी से मांग करता हूं कि बाल मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए तथा उनको अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अविलम्ब आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें ताकि बाल मजदूरों का शोषण रोका जा सके।

[अनुवाद]

(छः) शक्ति चालित हलों के सभी पुर्जों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट दिये जाने की आवश्यकता

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : शक्ति चालित हल को, जो कि विशेषतौर पर उन छोटे तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिनके पास 5 हैक्टेयर तक भूमि है। सरकारी अधिसूचना संख्या 64/86 अध्याय 82.30 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। परन्तु 'मोडवाट्' लागू किये जाने के कारण तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 द्वारा उत्पाद शुल्क को युक्ति युक्तपूर्ण बनाये जाने के कारण ये आदेश ये आपेक्षित लक्ष्य के विरुद्ध हो गए हैं। नये नियमों के अनुसार सभी आदानों पर चाहे वे केपटिव आधार पर बनाए गए हों। अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त किए गए हों। उत्पाद शुल्क लगेगा। इस सम्बन्ध मे मेरा निवेदन है शक्ति चालित हल बनाने में लगभग 80% ऐसे उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं जिस पर उत्पाद-शुल्क देय होता है। अन्ततः इससे शक्ति

चालित हल के मूल्य में 4500 से 5000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। छोटे तथा सीमांत किसानों को अपनी निम्न आर्थिक स्थिति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शक्ति चालित हल उद्योग पर भी इसका काफी कुप्रभाव पड़ता है। हाल ही में 25 अश्व शक्ति या उससे कम शक्ति के ट्रेक्टरों को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया गया है। शक्ति चालित हल कृषि समाज के गरीब वर्गों के उपयोग में आता है तथा उन्हें तथा उनके पुर्जों तथा कच्चे माल को जैसे इंजनों तथा टायरों को पूर्णत: उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(सात) बिहार राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु वहां एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि ऊर्जा के बिना आर्थिक प्रगति आजकल सम्भव नहीं। बिहार की आर्थिक हालत सभी योजनाओं तथा विकास के उपायों के बावजूद गिरी है और यहां के लोगों की आय आजादी के बाद से गिरते-गिरते अब सब राज्यों से कम हो गई है। एक कारण जो इसके जड़ में स्पष्ट मालूम पड़ता है, वह है बिजली की कमी। बरौनी और मुजफ्फरपुर में बिजली की नयी इकाई को चालू करने पर बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता 1354 मेगावाट हुई है। औसतन 30 से 50 प्रतिशत तक ही इसका उत्पादन होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिजली की कमी रहेगी। इस कमी के कारण कृषि, उद्योग तथा बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में भी दिक्कत हो रही है। कृषि के लिए तो यदा-कदा ही बिजली मिलती है। कितने ही उद्योग बिजली के अभाव में बिहार में बंद हो गए और बच्चे जब शाम में पढ़ने बैठते हैं, बिजली के चले जाने से उनकी पढ़ाई में भी हर्ज होता है।

बिहार बिजली बोर्ड का काम भी सराहनीय नहीं रहा है। एक जांच समिति जो इसके तकनीकी तथा प्रशासनिक मुद्दों को सही रूप में जांच कर इसकी कमियों को पूरा करने तथा इसको सुधारने के विषय में बतलाये, इसकी आवश्यकता है। केन्द्र की ओर से कहलगांव बिजली-घर के घरों में तेजी से बनने का निर्देश हो। कर्णपुरा में जो थर्मल पावर बनने की बात है उसमें भी शीघ्रातिशीघ्र उसके बनाने की दिशा में पहल करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की बिजली की कमी की पूर्ति होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए बिहार में एक नया आणविक बिजली घर बनने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि बिहार जैसे पिछड़े प्रान्त के लिए एक ऐसे आणविक बिजली घर बनाने की दिशा में पहल करें।

[अनुवाद]

(आठ) दूरदर्शन के नेटवर्क कार्यक्रम में तेलुगु कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता

श्री जी० भूपति (पोद्दापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् तेलुगु देश की लोकप्रिय भाषाओं में से है। यह कर्नाटक संगीत का माध्यम है। यह भरत नाट्यम की आत्मा है। आंध्रप्रदेश के 6 करोड़ लोगों के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, तथा महाराष्ट्र के बहुत से लोग इस भाषा को

[श्री जी० भूपति]

बोलते हैं। दिल्ली बंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में तेलुगू भाषी लोग हजारों की संख्या में रहते हैं और उनकी संख्या हिन्दी भाषी लोगों के बाद दूसरे नम्बर पर है

इन तथ्यों के बावजूद दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक भी कार्यक्रम तेलुगू का नहीं होता। विश्व की मधुरतम भाषा तेलुगू के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इस भाषा की उपेक्षा करके दूरदर्शन ने भारतीय संस्कृति की आत्मा की विशेषतः दक्षिण भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की है।

अतः मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री से निवेदन करता हूं कि लाखों लोगों के लाभ के लिए दूरदर्शन पर तेलुगू कार्यक्रम शुरू किए जायें।

——— — —

12.31 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87

[जारी]

[अनुवाद]

ऊर्जा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ऊर्जा मन्त्रालय के नियन्त्रणधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी तथा उस पर मतदान होगा।

श्री मोतीलाल सिंह।

मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री मोती लाल सिंह (सीधी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बांधव विद्युत तापघर के विषय में उस दिन बोल रहा था। उसके बारे में मध्य प्रदेश शासन से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन वह अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया। इसी के साथ मांड विद्युत तापघर जो रायगढ़ जिले में पड़ता है उसके सम्बन्ध में भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है वह भी अभी तक स्वीकृत नहीं हुए है। उसके बारे में कोयले की उपलब्धता का प्रश्न खड़ा किया जाता है कि कोयला कहां से लाया जाएगा, किस खदान से लिया जायगा, इसका निर्णय न होने की वजह से अभी तक उसको लम्बित रखा गया है। अगर इन दोनों ताप विद्युत केन्द्रों को स्वीकृति मिल जाती है तो मध्य प्रदेश की विद्युत की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

12.32 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।]

इन विद्युत केन्द्रों की स्थापना और इनसे ग्रामीण अंचलों तक बिजली ले जाने के लिए जो वन संरक्षण अधिनियम है उसमें कुछ लचीलापन लाना पड़ेगा और उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कुछ जंगलों को काटना पड़ेगा। इसलिए अगर ग्रामीण अंचलों तक बिजली ले जाना चाहते हैं और गांवों के लोगों को बिजली देना चाहते हैं तो कुछ जंगल काटने ही पड़ेंगे। तो इसके ऊपर आप विचार कर के पहल करने का कष्ट करें।

विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निर्माणाधीन है लेकिन वहां पर जिन गांवों को विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए लिया गया है उन गांवों के लोगों को समुचित मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है और न उनको कहीं जमीन मिल पायी है जहां वे अपने मकान बना कर रह सकें जिस से वहां के लोग बहुत परेशान हैं। जब तक उन लोगों को बसने के लिए जमीन नहीं मिलती है तब तक उन की यह परेशानी बनी रहेगी। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस विद्युत केन्द्र का शिलान्यास करते वक्त यह कहा था कि यहां के लोगों को विस्थापित होने के बाद मुआवजा देने के साथ-साथ बसने के लिए जमीन और रोजगार भी देना होगा। लेकिन यह काम अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर वह विशेष रूप से ध्यान देंगे।

इसके अलावा यहां की जो मुसीबतें और मुश्किलें हैं उनको निपटाने के लिए एक कमेटी वहां पर निर्माण कर दी जाय कि जिससे वहां के जो झगड़े होते हैं उन को उस कमेटी के माध्यम से तय कर के उस का निर्णय आप के पास भेजा जा सके।

जहां तक ग्रामीण अंचलों में बसने वाले गरीब लोगों को बिजली देने का सवाल है उसके लिए ग्रामीण अंचलों तक बिजली की लाइन ले जाने के लिए जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का उसमें जब तक कुछ संशोधन नहीं करेंगे तब तक वहां तक लाइन नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि उनके बीच में जंगल पड़ते हैं और जब तक उनमें से कुछ जंगलों को काटेंगे नहीं, तब तक ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोगों को बिजली की लाइन नहीं दे सकेंगे। इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश शासन ने सीदी जिले की दो जल विद्युत परियोजनायें-गोपद तथा बोधघाट-केन्द्र के समक्ष प्रस्तुत की है परन्तु अभी तक उनके सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इन योजनाओं की ओर मन्त्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए।

हमारे मध्य प्रदेश में बहुत से स्थानों पर खदानें हैं। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र में जो चिरमिरी की खदान है वहां पर मजदूरों की दशा बड़ी दयनीय है। कोयला खदानों में जो मजदूर काम करते है उनके लिए पानी की, बिजली की, अस्पताल व शिक्षा की कोई विशेष सुविधा नहीं है। खदानों में काम करने वाले मजदूरों को जो पानी दिया जाता है उसकी खुली हुई टंकी रहती है, उसमें कचड़ा भी रहता है और जानवर भी उसमें मर जाते हैं। मजदूरों के पीने के लिए उसी पानी का उपयोग किया जाता है जबकि अधिकारी लोग अच्छे पानी का प्रयोग करते हैं।

[श्री मोती लाल सिंह]

कोयला खदानों में जो कोयले का उत्पादन होता है उसमें से बहुत सा कोयला बाहर जल जाता है। उसका उत्पादन तो दिखाया जाता है लेकिन वह जल जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। इस प्रकार से सरकार को बड़ा घाटा होता है। कोयले की चोरी भी बहुत होती है। इसके सम्बन्ध में भी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में सिंगरौली में जहां कहीं लोगों की जमीनें अधिग्रहण की गई हैं उसके लिए उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। आपका जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है उसके लिए कोयला विभाग में जो खदानें हैं उनके लिए जो जमीनें ली जाती है उसके लिए केवल तीन-चार हजार मुआवजा दिया जाता है। इस सम्बन्ध में आपको कोल बेयरिंग ऐक्ट में संशोधन करना होगा ताकि लोगों को ठीक प्रकार से उचित मुआवजा दिया जा सके। **(व्यवधान)** मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं मन्त्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए। उन मजदूरों की दशा आज भी वही है जैसी कि पहले थी। वही प्राइवेट कम्पनियों द्वारा बनाने हुए मकानों की आवासीय व्यवस्था चल रही है। उनमें नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनके लिए वहां पीने के पानी तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मुझे ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए खुशी है। सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को बधाई दूंगी कि उन्होने विद्युत विभाग को सिंचाई मंत्रालय से अलग कर दिया है और ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत और कोयला विभाग से जोड़ दिया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत मौजूदा विद्युत में वृद्धि की जा सके।

राज्यों और क्षेत्रों के बीच विद्युत के आदान-प्रदान और केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से राज्यों को बिजली की सप्लाई करने के लिए भी एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की जरूरत है। राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का विकास एक विकासोन्मुख प्रक्रिया है जिसे विभिन्न ट्रांसमिशन प्रणालियों को परस्पर जोड़-कर और एकीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राज्यों के मध्य समानता लाने के लिए यह बहुत जरूरी है। आशा है माननीय मन्त्री इस ग्रिड की यथा संभव शीघ्र स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे ताकि देश भर में विद्युत कटौती और विद्युत टैरिफ में समानता हो जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में विद्युत का उत्पादन निश्चय ही समान होगा।

राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में भारी असंतुलन है। उदाहरण के लिए महा-राष्ट्र में 94% गांवों का और कर्नाटक में 87% गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। पर मैंने देखा है कि मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में केवल 28-30% गांवों में ही बिजली की

व्यवस्था की गई है। इसलिए इस मामले में कुछ समानता लाना बहुत जरूरी है। गांवों में बिजली की व्यवस्था करते समय हरिजन बस्तियों और अन्य क्षेत्रों को, जहां दलित वर्ग के ये लोग रहते हैं, बहुत उपेक्षा की गई है। आजादी के 38 सालों के बाद भी ये लोग अंधेरे में ही रह रहे हैं। अत: मेरा सुझाव है कि बिजली की व्यवस्था करने के मामले में इन बस्तियों और कालोनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपात उपाय के तौर पर इन सभी हरिजन बस्तियों, कालोनियों और अन्य क्षेत्रों में, चाहे वे कहीं भी बसी हो, बिजली की व्यवस्था की जाए।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि तथा विभिन्न राज्यों में बिजली सस्ती दरों पर दी जा रही है। इसकी कीमत 10 गुनी तो बढ़ चुकी है इसमें वृद्धि के बाद उत्पादन लागत में भी दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है। हम शुल्क दर में कमी कैसे करें ? मैं चाहती हूं कि मंत्री जी उत्तर देते समय इसका जवाब दें।

मैंने देखा है कि पम्प सेटों के लिए बिजली प्राप्त करते समय किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान रुपया उधार लेकर कुआं खुदवाते हैं। और जब पम्प सेट तैयार हो जाता हैं तो उसे चालू करने में वर्षों लग जाते है। गांव स्तर पर पम्प सेटों को बिजली देने में किसी भी हालत में देरी नहीं की जानी चाहिए। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले को उस सम्मेलन में उठाएं जिसमें राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री भाग लेंगे।

महोदय, इस समय हम एक और समस्या का सामना भी कर रहे हैं। लकड़ी के खम्बे लगाए जाते हैं जो कि पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। उनके स्थान पर जल्दी नए खम्बे लगाने की जरूरत है। इन क्षतिग्रस्त खम्बों के कारण जान माल को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह उन राज्य सरकारों, गैर-सरकारी व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन दें जो एन०आर०ए० फंड से साधन जुटाकर या अपने साधनों से लघु हाइड्रो परियोजना स्थापित करने के लिए लिए राजी हों।

मैंने अखबारों में पढ़ा है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों या संस्थाओं को विद्युत यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी पर इस सम्बन्ध में स्पष्ट मार्ग-निर्देश नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं कि कहां और किससे और किस सीमा तक उन्हें सम्पर्क करना चाहिए। वे ऊर्जा का उत्पादन कैसे करेंगे, इसके बाद प्रभार शुल्क क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति निजी या संस्थागत स्तर पर ऐसी किसी परियोजना को स्थापित करना चाहता है तो यह सब बातें उसे शुरू में बताई जानी चाहिए।

मैं अब गैर-पारम्परिक ऊर्जा सम्बन्धी वर्तमान नीति पर आती हूं। मैं इसका अवश्य ही

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

समर्थन करती हूं। मन्त्रालय ने सिंचाई कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई के लिए गांव स्तर पर सौर ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना करने के विशेष यत्न किए हैं। इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

गोबर गैस संयन्त्र का आजकल देश भर में प्रचलन है लेकिन यह संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और इससे लाभ उठाने वालों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भुगतान करने में बहुत कठिनाई हो रही है। गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वह पूरा नहीं हो रहा है और वे संतोषजनक ढ़ंग से काम नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह मामले की जांच करें

अब मैं ऊर्जा संरक्षण की बात करूंगी। एक सर्वेक्षण किया गया है जिसके अनुसार ऊर्जा के संरक्षण के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि से वर्ष से एक चल निधि बनायी जाएगी। अनुमान है कि औद्योगिक क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपए की ऊर्जा की बचत होगी। मेरा सुझाव है कि आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत ऊर्जा संरक्षण के लिए उपकरणों की लागत में कटौती की अनुमति दी जाए। ऊर्जा संरक्षण उपकरण की खरीद के लिए आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ऋण इक्विटी अनुपात के मौजूदा मापदंड में ढ़ील दी जाएं। ऊर्जा संरक्षण उपकरण की खरीद पर उत्पादन शुल्क और बिक्री कर तथा आयातित उपकरण पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाए। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम काम करने वाली कम्पनी और निजी व्यक्तियों के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की जाए।

अध्ययन के अनुसार कोई विशेष निवेश किए बिना लगभग 15-20% ऊर्जा की बचत करना संभव है। अनुमान है कि इस समय 1100 करोड़ रुपए लागत की ऊर्जा की जो सालाना बचत हो रही है वह सातवीं योजना के अन्त तक 2750 करोड़ रुपए और इस शताब्दी के अन्त तक 5000 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगी। यहां मैं डा० सोवा आर श्री देश पांडे द्वारा किए गए ओ०आर०एफ० अध्ययन को उद्धृत करना चाहूंगी। उनका कहना है कि अनुसंधान की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है पर ये सुविधाएं अधिकांशत सरकारी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। बहरहाल ऊर्जा संरक्षण और उद्योग में ऊर्जा के अधिकतम उपयोग की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए। संरक्षण और अधिकतम उपयोग आवश्यक है और इस पर जो कुछ पैसा लगाया जाएगा वह व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि ऊर्जा के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता।

अब मैं कर्नाटक की मांगों पर आती हूं। कर्नाटक में कालिन्दी की दो यूनिटें हैं। एक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दूसरी का निर्माण अभी हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दूसरा चरण अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया है।

रायचूर ताप बिजली संयंत्र के बारे में मुझे बताया गया है कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन करने के लिए प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया गया था पर कुछ तकनीकी कठिनाइयों के

कारण इसका उद्घाटन नहीं किया जा सका। हाल ही में मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि वहां विस्फोट हुआ था। कहा जाता है कि वह विस्फोट पानी के दबाव के कारण हुआ था। मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि सरकार ने विस्फोट के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और भविष्य में इस प्रकार के विस्फोटों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए क्योंकि ऐसा दो बार हो चुका है। पहली बार उन्होंने कहा था कि टरबाइन फट गई है। दूसरी बार विस्फोट हो गया। कुछ तकनीकी कठिनाईयों के कारण प्रथम चरण और द्वितीय चरण को वे अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि किन बाध्यकारी कारणों से इस परियोजना में इतनी बड़ी भूल हुई।

कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े ने आपसे बंगलौर स्थित 120 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित गैस टरबाइन के लिए ईंधन की सप्लाई करने का अनुरोध किया है। आप जानते ही हैं कि बंगलौर में बिजली की बहुत कमी है। इसलिए उन्होंने मंत्री जी से अनुरोध किया है कि बंगलौर स्थित 120 मेगावाट क्षमता के गैस टरबाइन के लिए पर्याप्त ईंधन की सप्लाई की जाए। मंत्री जी कृपया इस पर विचार करें। उन्होंने कोलार, इंदी, बिदार और जमाकंडी स्थित लघु विद्युत केन्द्रों के बारे में भी अनुरोध किया है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने मंत्री जी से चर्चा भी की थी। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

सभा इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि कर्नाटक राज्य भयंकर सूखे की चपेट में है और बिजली और पानी की भारी कमी का भी सामना कर रहा है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्थिति अगले 10 सालों तक बनी रहेगी। ऊर्जा पर निर्भर अधिकतर संयंत्र बन्द होने वाले हैं। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा करें और देखें कि कर्नाटक को बिजली मिले ताकि कर्नाटक को मिलने वाली बिजली की मौजूदा सप्लाई में वृद्धि...

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : केवल एक मिनट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पं० बंगाल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम योजनाएं हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में आणविक ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना की गई है। जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और बिहार में राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कारपोरेशन की योजनाएं हैं। मेरे राज्य में रायचूर में ताप बिजली संयंत्र को छोड़कर ऐसी कोई योजना नहीं है और इस संयंत्र का दूसरा चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अत: राज्य में एक आणविक संयंत्र लगाना आवश्यक है। कैगा में एक आणविक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। मुझे बताया गया है कि पर्यावरण असन्तुलन के कारण कैगा में इस संयंत्र की स्थापना में कुछ रूकावटें आई हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संयंत्र की स्थापना के बारे में क्या विचार कर रही है—क्या वे इस संयंत्र को लगाने जा रहे हैं अथवा संयंत्र स्थापना के विचार को त्याग रहे हैं।

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं माननीय सभापति महोदय की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया।

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, मैं उन विद्युत इकाईयों, जो उत्पादन शुरू करने वाली हैं, के आंकड़ों के बारे में नहीं कहना चाहता। किन्तु एक बात जिस पर मुझे खुशी है और जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्र सरकार ने महसूस किया है यद्यपि कुछ देर से किया है। कि इस राष्ट्र के आधुनिक निर्माण में विद्युत की क्या भूमिका है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने अच्छी वृद्धि की हैं। परन्तु मुझे यहां बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस्पात की भांति विद्युत क्षेत्र में भी मेरे राज्य उड़ीसा की पूर्ण अवेहलना क्यों की जा रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

पिछले दिनों आप द्वारा दिए गए सुझाव से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि उड़ीसा को सुपर ताप विद्युत स्टेशन से वञ्चित क्यों किया जाये जिसका उड़ीसा को बहुत दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है और मेरे विचार में अब यह विश्व बैंक के पास विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सच है अथवा नहीं। अब तक मैं उन सभी दस्तावेजों और पत्रों को पढ़ चुका हूं जो हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। परन्तु उनमें मुझे तालचेर में बनाये जाने वाला सुपर ताप विद्युत स्टेशन कहीं नहीं मिला।

दूसरा, जैसाकि आप जानते है यह सिद्ध हो चुका है कि जल विद्युत पर निर्भरता पूर्ण विफलता हैं क्योंकि ऐसी परियोजनाओं में हमको हमेशा कुदरत पर निर्भर रहना पड़ता है। यद्यपि हम कह रहे हैं कि हम केवल कुदरत पर निर्भर हैं; मैं इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। जब विद्युत एवं जल स्रोतों की मांगों पर चर्चा होगी तब मैं इस सम्बन्ध में बोलूंगा।

जैसाकि हम इस्पात कारखानों और दूसरे उद्योगों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, यह उचित समय है कि हमें जलाशयों के आधुनिकीकरण के बारे में भी सोचना चाहिए। सभी जलाशयों में पानी का स्तर संतोषजनक ढंग से कायम क्यों नहीं किया जाता है। इसके कई कारण है; परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि विद्युत विभाग इस पहलू पर गौर नहीं कर रहा है। यह केवल इसके उत्पादन पहलू पर ही ध्यान दे रहा है।

आप जानते हैं कि उड़ीसा में विद्युत उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है। कुछ दिन पूर्व आपने ही कहा था कि उड़ीसा को आणविक विद्युत उत्पादन संयंत्र से क्यों वञ्चित किया जाये। जैसाकि इकॉर्नामिक सर्वे ऑव इंडिया में कहा गया है, वे कहते हैं कि उड़ीसा में छटी योजना अवधि में भी विद्युत क्षेत्र में कोई अधिक सुधार नहीं हुआ था। इस वर्ष के प्रथम चरण में भी कोई अधिक सुधार नहीं हुआ है; इसलिए केन्द्र सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की सहायता तब तक देने से मना कर दिया है जब तक वे अपनी कार्यक्षमता को साबित नहीं कर देते। ठीक है कुछ भी हो मैं इसका स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं खासतौर पर उड़ीसा की बात कर रहा हूं। महोदय, मैं आपके जरिए यह बात माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

आपको यह याद होगा कि जब आप उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष थे, पिछले कई सालों से मेरे विचार में जब से उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना हुई है तब से उन्होंने उड़ीसा विधान सभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट कभी भी नहीं दी। यह बात हमने उठाई थी और आपके निर्णय के अनुसार उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट दी थी; और उस रिपोर्ट की लेखा परीक्षा नहीं की गई थी। मुझे अभी भी शक है कि अभी तक भी उड़ीसा के राज्य बिजली बोर्ड की लेखा परीक्षा हुई है अथवा नहीं।

इसलिए, जैसाकि आणविक और ऊर्जा सलाहकार बोर्ड में सुझाव दिया गया है कि राज्य बिजली बोर्ड का कार्यभार केन्द्र को सम्भाल लेना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से इस बात का समर्थन करता हूं। यदि आप राज्य बिजली बोर्ड की कार्य प्रणाली पर ध्यान दें, विशेषरूप से उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के विषय में, आपको बहुत गड़बड़ मिलेगी। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को दोषी नहीं ठहराऊँगा क्योंकि केन्द्र सरकार के सहायता प्रदान करने के बावजूद भी विशेषतौर पर उड़ीसा में ताप विद्युत उत्पादन के विषय में 1984-85 और 1985-86 में उड़ीसा सहित चार राज्यों को 96 करोड़ रुपये दिय गये—वहां उचित विद्युत उत्पादन नहीं किया गया है। पिछले शुक्रवार को जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिया था, उनमें से कुछ ने इस बात का जिक्र किया था कि उन विद्युत केन्द्रों में हाल ही में सुधार किया गया था, 1976-77 की उत्पादन क्षमता की अपेक्षा तालचेर की उत्पादन क्षमता अभी भी बहुत कम है। इसलिए इन परिस्थितियों में उड़ीसा में विद्युत क्या भूमिका निभा रही है ? उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्ष 1980 में विद्युत उत्पादन 300 मे०वा० से 350 मे०वा० था। उस समय उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं हो रहा था उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने एक घोषणा की थी कि वे एक हजार दिनों में एक हजार करोड़ रुपए की पूंजी लगा कर एक हजार उद्योग लगाने जा रहे हैं। परन्तु व्यवस्थित उत्पादन के बिना आज एक उद्योग कैसे तरक्की कर सकता है। वर्तमान में उड़ीसा में 80% विद्युत कटौती है। मैं केन्द्र सरकार को दोष नहीं देता। इसके लिए मैं पूर्णरूप से उड़ीसा सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं। इसलिए, इस सम्बन्ध में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वे पूर्णरूप से राज्य विद्युत बोर्ड का कार्यभार नहीं सम्भाल रहे हैं, कम से कम जहां किसानों के साथ लेन देन की बात है वहां तो उन्हें राज्य बिजली बोर्डों का कार्यभार सम्भालना चाहिए।

महोदय, उड़ीसा में बहुत से लिफ्ट सिंचाई स्थल हैं जो पूर्णरूप से विद्युत पर निर्भर हैं। लिफ्ट सिंचाई विद्युत आपूर्ति की कमी की वजह से बेकार हैं। सूखा पीड़ित क्षेत्रों में सरकार करोड़ों रुपए व्यय कर रही है। जब मैंने यह प्रसंग उठाया तब आपने कहा था कि यह राज्यों से सम्बन्धित है। कुछ दिन पहले, उड़ीसा में सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि विद्युत न मिलने के कारण एक हजार लिफ्ट सिंचाई स्थलों में से बहुत से लिफ्ट सिंचाई स्थल कार्य नहीं कर रहे हैं। हजारों एकड़ कृषि भूमि विद्युत न मिलने के कारण बेकार हो रही है। महोदय, जब उन क्षेत्रों को सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा तो केन्द्र सामने आयेगा और राज्य केन्द्र से सहायता के लिए सैंकड़ों हजारों करोड़ रुपये की मांग करने लग जायेंगे। तब यह केन्द्र का विषय बन जायेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार के दृष्टिकोण की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय और यह सभी मेरे से इस बात पर सहमत होंगे कि उड़ीसा में

[श्री शरत देव]

कोयले के बहुत से भण्डार हैं। तालचेर कोयला खान देश में पुरानी कोयला खानों में से एक है। मैं जानता हूं कि कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने विभाग को दो भागों में बांट दिया है और मैं यह देखकर हैरान हूं कि दोनों भाग मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : उनमें से एक उत्तर प्रदेश में होना चाहिए।

श्री शरत देव : इसका समान वितरण होना चाहिए ताकि राज्य के हितों की रक्षा की जा सके। यदि यह नहीं किया जाता है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केन्द्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है ? महोदय, इसी तरह आई०बी० घाटी में कोयले के भारी भण्डार मिले हैं। यहां तक कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने उड़ीसा में कोयला विभाग स्थापित करने के लिए मना कर दिया है। किन परिस्थितियों के तहत केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव को नहीं मान रही है।

कुछ दिन पहले एक माननीय मंत्री कह रहे थे कि राज्य सरकार ने इस आई० बी० घाटी परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपए प्रदान किये थे। कृपया माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि जब यह परियोजना योजना आयोग द्वारा मंजूर नहीं का गई है तो कैसे उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है तथा इस विशेष परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपये मंजूर कर दिये हैं ?

1.00 म० प०

अगर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की सहायता नहीं करेगी तो उड़ीसा जैसे गरीब राज्य के लिए इतनी बड़ी परियोजना को चलाना कैसे संभव होगा ?

अन्त में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 4777 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसका उत्तर इस सदन में 1-4-1986 को दिया गया था। इस प्रश्न के जवाब में यह कहा गया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग द्वारा उड़ीसा की 7 जल विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। यद्यपि मैं उड़ीसा से आता हूं, फिर भी मुझे हैरानी होती है कि वे कौन सी परियोजनायें हैं जिनको मंजूरी तथा स्वीकृति दी गयी है और कब उनको चालू किया जाना है। मैं इस बारे में जानकारी चाहता हूं।

हाल ही में, कटक जिले में केन्द्रपाड़ा में कृषक द्वारा आन्दोलन किया गया था। मैं उस क्षेत्र से आता हूं। वहां लगभग एक हजार लिफ्ट सिचाई बिन्दू है, लेकिन तकरीबन उन सबको बिजली की कमी के कारण बन्द कर दिया गया है। बिजली में कटौती करने का जो समय दिया गया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों में हस्तक्षेप करें और देखें कि उड़ीसा में कृषकों को कठिनाई न हो और उनको पर्याप्त बिजली मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट मांगें उपस्थापित की हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सदन के माननीय सदस्यों ने ऊर्जा के दूसरे स्रोत बिजली पर काफी विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान कोयले से सम्बन्धित जो ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण वस्तु है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में पूरा हुआ। पहला सन् 1971 में सम्पूर्ण कोकिंग कोक "टीसको और इसको" के कैपटिव माइन्स को छोड़कर राष्ट्रीयकरण किया गया और देश को सुपुर्द किया गया। दूसरा चरण 1973 में पूरा हुआ जबकि देश के संपूर्ण कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्र के हाथ में सौंपा गया। इससे काफी लाभ भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रीयकरण के प्रिएम्बल में इन्दिरा जी के नेतृत्व में स्व० श्री मोहन कुमार मंगलम जी ने राष्ट्रीयकरण का औचित्य बताया था। उसमें उन्होंने यह कारण बताया था कि इसका वैज्ञानिक उत्खनन नहीं हो रहा है, इसलिए वैज्ञानिक उत्खनन होना आवश्यक है। कोकिंग कोल का जो दुर्लभ स्रोत है, उसकी हिफाजत ठीक तरह से नहीं हो रही है। प्राइवेट सैक्टर में कम लागत के कोयले को निकालकर बाकी कोयले को छोड़ दिया जाता था इसलिए इसकी हिफाजत करना जरूरी था मजदूरों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था, वह भी रोकना था उत्पादन की जो अनिवार्य आवश्यकता राष्ट्र को थी, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था। यह दृष्टिकोण भी बड़ा महत्वपूर्ण था। पांचवां दृष्टिकोण इसलिए अपनाया गया था कि कोयले के खदान की सुरक्षा के लिए एक सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी थी, जो प्राइवेट सैक्टर से संभव नहीं था।

1.04 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

समस्त राष्ट्रीयकरण के बाद 1800 करोड़ रुपए सुरक्षा के कार्यों पर खर्च हुए हैं। हमारा जो उत्पादन उस जमाने का 75 मिलियन मैट्रिक टन था, वह बढ़कर दुगुना हो गया। उससे भी आगे लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस राष्ट्रीयकरण के बाद एक बहुत बड़ी बात देश के अन्दर हुई। इंदिरा जी, साढ़े सात लाख मजदूरों की जिन्दगी में नई रोशनी लाई, उससे गरीबी हटी है। उसके बाद से कोयले की कीमत आठ गुनी बढ़ी है, मजदूरी भी बढ़ी है। कोयला खदान के मजदूरों की मजदूरी तिगुनी बढ़ी। कोयले की जो वृद्धि हुई है, वह आठ गुना है। जो वृद्धि हुई है वह दूसरे देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान में कोयले की जो कीमत है, वह संभवत: अभी भी कम है। इससे जिस लाभ की अपेक्षा देश को या इस विभाग को होनी चाहिए थी, वह लाभ नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि जो इन्क्रीजींग कास्ट थी, उससे इसमें सहूलियत जरूर हुई।

इसलिए सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम कीमतें बढ़ाएं, उसके साथ-साथ हम उनसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का आग्रह

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

नहीं करते लेकिन उनसे इतनी अपेक्षा तो जरूर रखते हैं, क्योंकि हमारे मंत्री जी सारे देश के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति हैं, अपनी उपलब्धियों के लिए वे सारे देश में मर्यादित हैं और उनके डायनामिज्म से हम सभी भली प्रकार परिचित हैं, यहां हम उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि जहां आप कोयला विभाग के मंत्री हैं, वहीं आप विद्युत मंत्री भी हैं इसलिए जहां विद्युत क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का सवाल है, उसकी टाउनशिप का सम्बन्ध है, यदि आप किसी टाउनशिप में जाकर उन मजदूरों के घर और मकान देखें, उनके बाल-बच्चों के खेलने के लिए पार्क और जमीन देखें, चारों ओर हरियाली और दवा-दारू, अस्पताल और एम्बूलैंस आदि की व्यवस्था को देखें, उनके बच्चों के पठन-पाठन और शिक्षा की व्यवस्था तो वे सारी चीजें अच्छी हैं, चारों तरफ अच्छी दिखाई देती हैं लेकिन दूसरी तरफ, जैसा यहां पर हमारे एक माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक बात कही, पुराने समय में आज से 60-70 साल पहले उनके लिए जो मकान और घोड़े बने थे, वे आज भी वैसे ही हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। उनके घरों के सामने गन्दी नालियां बहती हैं और वैसे वातावरण में ही उनकी सारी जिन्दगी बीतती है और वे अनहाइजीनिक एटमोस्फियर में जिन्दा रहते हैं। उनके मकान भी ठीक से नहीं बन पाये हैं। इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

हाल ही में, मैंने एक प्रश्न के जरिए पूछा था कि कोयला खदानों के मजदूरों के कल्याण के लिए कितनी राशि खर्च की जाती है तो मुझे उसके उत्तर में कुल राशि 3442 करोड़ रुपये बताई गई, जो राशि मंजूर की गई थी उसमें खर्च की गई राशि मात्र 2597 करोड़ रुपये है इसके अलावा भी कई तरह की विषमताएं मेरे देखने में आई हैं, जो मैं आपके, सामने रखना चाहता हूं।

भारत कोकिंग कोल, जो कि कोयला के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था और कोयला विभाग का महत्वपूर्ण उपक्रम है, उसमें पिछले वर्ष भवन निर्माण के लिए 640 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था, जब कि खर्च मात्र 306 करोड़ रुपए ही हुए। जलपूर्ति के लिए 157 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जब कि मात्र 52 करोड़ रुपये खर्च किये गये जब कि वहां गर्मी के दिनों में पीने के पानी का चारों ओर हाहाकार मचा रहता है। इतना ही नहीं, यह राशि खर्च करने के बाद भी समस्या का कोई स्थाई हल नहीं निकला, बल्कि यह राशि मात्र ट्रकों के जरिए जल की आपूर्ति हेतु खर्च की जाती है और इस तरह वहां पीने के पानी की कठिनाई अब भी बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी स्थिति में सुधार लाने की दिशा में पग उठायें। वही स्थिति चिकित्सा के क्षेत्र में है : जहां पिछले वर्ष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत कोकिंग कोल लि० में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, उसके अगेन्स्ट केवल 34 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। आबंटित राशि की कमी है, लेकिन मजदूरों के कल्याण के कार्यों की देखरेख करने वाले वहां जितने अधिकारी हैं, वे उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। यही स्थिति अन्य कम्पनियों में भी है। सेन्ट्रल कोलफील्ड में चिकित्सा के लिए जहां 219 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन व्यय केवल मात्र 32 करोड़ रुपये हुए। इसलिए सभी जगह एक जैसी स्थिति है। मजदूरों के सामने पेयजल की कठिनाई है, वैसे खर्चा तो काफी किया जा रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड में 1984-85 में शिक्षा के लिए 122 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु खर्च

सिर्फ 47 करोड़ रुपये हुए। उसी तरह सैन्ट्रल कोल फील्ड में शिक्षा के लिए 155 करोड़ रुपये का प्रावधान था और खर्च केवल मात्र 87 करोड़ रुपये हुए और इन सब में सबसे कम राशि, शिक्षा के मामले में, भारत कोकिंग कोल की रही है। इन सारी बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वे स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठायें। वैसे मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं क्योंकि कोयला विभाग में पहले भ्रष्टाचार जिस प्रचण्ड रूप में व्याप्त था, उन्होंने बड़ी कठोरता और निर्ममता से पेश आकर उसे बहुत कम कर दिया है और इसके बड़े उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं। हम इसको नजर अंदाज नहीं कर सकते क्योंकि भ्रष्टाचार ही हमारे देश में विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने अनेक जोखिमों तथा खतरों की परवाह न करते हुए भ्रष्टाचार उन्मूलन का संकल्प लिया है और इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। कस्टम में पुरस्कार की परम्परा कायम कर भ्रष्टाचार को हटाया गया है और भ्रष्ट अधिकारी भी हटे हैं। काला धन्धा करने वाले व्यवसायियों के घरों पर छापे भी डाले गए हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि ये प्रतिशोध गामी तथा प्रतिक्रियावाद के संवाहक शक्तियां देश के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जो अभियान है, उसको विफल करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदया, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोयला विभाग में वैसे तो हमारे सभी अधिकारी ईमानदार और कर्मठ हैं और राष्ट्रीय भावना तथा समाजवादी कार्यक्रमों में लगे रहकर पूरी योग्यता के साथ देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाने के लिए सक्षम हैं लेकिन उसके साथ-साथ कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो भ्रष्ट हैं और हमारे कार्यक्रमों को नष्ट कर देना चाहते हैं। माननीय मन्त्री जी ने बड़े-बड़े कदम उठाकर कुछ बड़े अधिकारियों को सजा दी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जैसे हाल ही में कोयला विभाग में रेलवे के एक अवकाश-प्राप्त अधिकारी को इस आशा के साथ भेजा गया था कि वे कोयला विभाग के प्रबन्ध को ठीक करेंगे और उसमें अनुशासन लायेंगे परन्तु उनके आने के बाद न तो विभाग में कुशलता आई बल्कि मजदूरों में आतंक जरूर पैदा हो गया और कोयला खदानों में जितने हार्ड-कोक ओवन्स थे, वे सारे के सारे बन्द कर दिए गए। नतीजा क्या हुआ कि कोयला कर्मी आज चिल्लाते हैं आपकी मदद चाहते हैं। वहां पर हजारों मजदूर लगे हुए थे वे कहां काम कर रहे थे, वे किस विभाग में काम कर रहे थे, उनके नाम किस रोजनामचे में दर्ज हैं। आज आपने सरपलस मजदूर उनको बना दिया है। जो अपने विभाग का महत्वपूर्ण-अंग हैं, उनको आपने बन्द कर दिया और कोयले के वे भट्ठे आज कुत्ते और बिल्लियों की विश्राम और क्रीड़ास्थली बने हुए हैं। इन पर जो खर्च किया गया है, उनको रिवाइव करने में कितना खर्च करना पड़ेगा, यह आपको पता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार की आपकी घोषणा हुई है कि जिनकी जमीनें कोयला खदानों में गई हैं, हम उनको नौकरी नहीं देंगे। आप इतने विशाल हृदय हैं, "आई के आस, बढ़ाई के प्यास, विसास में क्यों विष घोलिए जू ?" आपके आने से लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ी हैं। जिनके खेतों के लिए पानी नहीं है, अण्डर ग्राउण्ड माइनिंग की वजह से जिनके कुओं के तथा तालाबों के पानी सूख गये हैं, ऐसे लोगों की जमीनें खदानों में चली गई हैं, जिनके पास अपने जीवन-निर्वाह का कोई साधन नहीं रहा है, अगर

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

ऐसे लोगों के बच्चों को आप नौकरी नहीं देंगे, तो यह हमारे लोगों के लिए कहर ढाने का विषय होगा। इससे हमें बड़ी परेशानी होगी। मैं आपका विशेष समय न लेकर मंत्री जी का ध्यान कुछ सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी उन सुझावों के ऊपर संजीदगी से ध्यान देंगे। पहली बात यह है कि कोयला खान के अन्दर काम करने के वातावरण को ठीक किया जाए और टोकरी लेकर के लोडिंग करने की जो प्रथा है, उसको बन्द किया जाए क्योंकि आने वाले समय में इस काम के लिए मजदूर नहीं मिल पाएंगे इसलिए इस बारे में कोई नई टैक्नोलोजी अपनाकर कोई टैक्नीकल व्यवस्था इसके लोडिंग की करने का प्रावधान कीजिएगा। तब जाकर भविष्य में आपकी प्लानिंग ठीक होगी। दूसरी बात यह है कि झरिया और रानीगंज की कोयला खदानों में अच्छी किस्म के कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाए जिसके अभाव में आपके तमाम उद्योग ठीक से नहीं चल पा रहे है और आपको परेशानी हो रही हैं और चौथी बात यह है कि कोकिंग कोल को उत्पादन के लिए प्राथमिकता दी जाए। 1957 से इस बात पर डिबेट चल रही है कि कोयले का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाए, लेकिन यह विषय हमारी डिबेट का विषय बनकर रह गया है जबकि दूसरे देश इस कार्य में काफी आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें इसमें सफलता मिली है। चौथी बात यह है कि हमारे रैस्क्यू स्टेशनों की हालत अच्छी नहीं है और कोयला खदान के अन्दर वेंटीलेशन की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसकी ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। एम्बुलेंस और दवा की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए।

पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह से मिलिट्री के अन्दर दवा और चिकित्सा की व्यवस्था 'रहती है, उसी तरह से कोयला खदान में काम करने वाले लोगों को जो कि जीवन को जोखिम में डालकर देश के लिए काम करते हैं, चिकित्सा और दवाईयों की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैडम अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं एक और महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि भारत कोकिंग कोल के अन्दर एक ऐसा संयंत्र लगाया गया है जिसमें 96 हजार लीटर प्रति दिन डीजल खर्च होता है। अगर आप ऐसे संयंत्रों को बैठाएंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए तो आपको ऊर्जा के दूसरे साधनों को बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैंने इस बारे में सुझाव भी दिया है कि ऐसे इलाकों में आपको पिटहैड सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन लगाने की योजना बनानी चाहिए, वही कारगर होगी। जहां ऐसे इलाके हैं, जहां ईलीगल माइनिंग हो रही है, जहां कोयले के अक्षय भण्डार हैं, जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वहां पर आप पिटहैड सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन लगाइए, तब आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और बिजली की आपूर्ति भी बढ़ाई जा सकेगी।

मैडम जब कोई यहां से बोलता है, तो उसकी कठिनाइयों को रियलाइज करना चाहिए। जब आप यहां से बोलती होंगी, तो आपको भी कठिनाई महसूस होती होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदया, मैं मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाल ही में मैंने समाचार पत्रों में एक खबर पढ़ी थी जिसका शीर्षक था, "टाटा विद्युत इकाई 95 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है"

"ट्रॉम्बे में टाटा विद्युत कम्पनी की 500 मेगावाट इकाई ने मार्च में 9.526 प्रतिशत क्षमता हासिल कर ली है और उसने 3543.50 लाख युनिट बिजली पैदा की।

कम्पनी के अनुसार, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए इसकी शुल्क दर 89 पैसे प्रति यूनिट है जबकि महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड की दर 95 पैसे प्रति यूनिट है और अन्य उपभोक्ताओं के लिए 101 पैसे थी। कलकत्ता में, शुल्क दर 102 पैसे प्रति यूनिट है।"

इससे यह प्रकट होता है कि प्रबन्धक चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजि क्षेत्र, क्या कर सकता है। प्रबन्धकों की क्षमता परिणामों से प्रतिबिम्बित होती है। अगर आप कलकत्ता विद्युत आपूर्ति कम्पनी को देखे तो आप पायेंगे कि यह लगभग 75-76 प्रतिशत क्षमता पर काम करती है। यह मेरा आंकड़ा है और इसमें संशोधन की गुंजाईश है, लेकिन स्थिति लगभग यही है। उसी प्रकार के राजनैतिक माहौल तथा कानून तथा व्यवस्था की उसी स्थिति में कलकता विद्युत आपूर्ति कम्पनी 75 से 76 प्रतिशत क्षमता पर उत्पादन करती है जबकि राज्य विद्युत बोर्ड सारे भारत की औसत उत्पादन दर जो 50 प्रतिशत है के बराबर भी उत्पादन नहीं करता है, यह लगभग 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक उत्पादन कर रहा है। अगर यह प्रबन्धक वर्ग के कारण नहीं है तो किस के कारण है? सामग्री वही है, हर चीज वही है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक का संचालन एक लिमिटेड कम्पनी द्वारा किया जा रहा है और दूसरे का राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। वे उस वर्ग में भी नहीं आते जो 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन कर रहा है, अर्थात औसत दर ...... (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पश्चिमी बंगाल के बन्देल एवं शान्तालडिह के अलग-अलग आंकड़े क्या है?

श्री भोलानाथ सेन : मेरे पास यहां आकड़े उपलब्ध नहीं है किन्तु मैं आपको इस पुस्तक में दिए गए आकड़े बता सकता हूं। उन राज्य बिजली बोर्डों के नाम जो पचास प्रतिशत से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। पृष्ठ 4 पर दिए गए हैं जो पचास प्रतिशत से अधिक उत्पादन कर कर रहे है वे है: राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, गुजरात बिजली बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश ...... (**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : बन्देल व शान्तालडिह के बारे में स्थिति क्या है?

श्री भोलानाथ सेन : बन्देल व शान्तालडिह का यहां उल्लेख नहीं है। जिसका उल्लेख नहीं है उस पर समय बरबाद करने का कोई फायदा नहीं है—(**व्यवधान**) मेरा मुद्दा राजनीति पर

[श्री भोलानाथ सेन]

आधारित नहीं है आप कार्यवाही न करने का समर्थन कर सकते है। बगांल का आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है किन्तु वहां बिजली क्यों नहीं है। सार यह है कि ये सब बातें लिखित हैं और मुझे यकीन है कि माननीय मन्त्री ने इससे सम्बन्धित विवरण प्राप्त कर लिया है। यहां मुझे पता चलता है कि सरकार यह देखने के लिए समितियों का गठन कर रही है कि आवश्यकतानुसार सन्तोषजनक रूप से बिजली का उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है। मुझे यकीन है कि वे कारणों को जानने के लिए पश्चिमी बंगाल भी गए है। क्या माननीय मन्त्री उन कारणों की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि स्थिति को ठीक किया जाये ताकि पश्चिमी बंगाल को बिजली का उत्पादन न होने से मोहताज न होना पड़े। चाहे कोई भी कारण हो उसे प्रभावशाली ढंग से दूर किया जाना चाहिए।

दूसरा विषय वितरण एवं पारेषण से सम्बन्धित है जो दयनीय स्थिति में है। मुझे याद है कि एक समय 100 प्रतिशत ऋण राज्य बिजली बोर्ड को दिया गया था। डी० वी० सी० एवं अन्य द्वारा संयुक्त रूप से उत्पादित बिजली आवश्यकता से अधिक थी परन्तु तब बिजली की सप्लाई बीच-बीच में रुक जाती थी क्योंकि पारेषण प्रणाली प्रभावशाली नहीं थी। वह इतना भार वहन नहीं कर सकती थी। यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इतनी ज्यादा पारेषण हानियां क्यों है? यदि मुझे ठीक से याद है तो भारत में संसार के अन्य देशों की तुलना यह लगभग 20% अधिक है। मैं समझता हूं कि चीन में यह 8 प्रतिशत है। इतनी अधिक पारेषण हानियां क्यों हैं और कारखानों में, गावों में एवं अन्य स्थानों में इतनी अधिक विद्युत की चोरी को क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ ने कहा है कि विद्युत की दस प्रतिशत कमी से 7,000 करोड़ रुपये की वार्षिक उत्पादन हानि हो सकती है। कृपा करके यह देखें कि पारेषण हानियों को कम से कम किया जाए। यदि चीन ऐसा कर सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास व्यक्ति है। हमारे पास तकनीक है।

दूसरा पहलू यह है कि जैसे श्री पी०आर० दास मुंशी ने कहा है कि हमारा निजी क्षेत्र बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आपने बोंड चालू किए हैं। बहुत थोड़े समय में इन बोंडों के अधिक हिस्से खरीद लिए गए हैं। यदि आप अखबार तथा आर्थिक पत्रिकाएं देखे तो आपको पता चलेगा कि जो भी बोंड जारी किए जाते हैं जो भी शेयर जारी किए जाते है लोग उन्हें समय से पहले खरीद लेते है और अधिक हिस्से खरीद लेते हैं। लोगों के पास पैसा है। इसलिए मैं आपको पूछता हूं कि आप विभिन्न विद्युत संस्थानों के पूंजी निवेश में वृद्धि क्यों नहीं करते? जो भी आबंटन है उसे आप केवल विद्युत की बिक्री करके वरन शेयर डिबेन्चर और बोन्ड जारी करके भी बढ़ा सकते है।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। यह पुस्तक पढ़ते समय मुझे यह ज्ञात हुआ है कि भारत के पहले आणविक शक्ति केन्द्र का निर्माण भारत सरकार एवं भारत में अमरीकी कम्पनी द्वारा किया गया था। भारत में दूसरा अणु शक्ति संयंत्र कनाडा सरकार की सहायता से

निर्मित किया जाना था परन्तु हमारे परमाणु विस्फोट के तुरन्त बाद कनाडा सरकार ने सहयोग देना बन्द कर दिया और हम अकेले ही आगे बढ़ते रहे। अब हम कुल लागत में से 10 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की सहायता से परमाणु केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। कच्चा माल भी देश में ही उपलब्ध है। यदि इस 10 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के भाग को और कम कर दिया जाये तो हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है और हम ऐसा कर सकते हैं। परमाणु केन्द्र वातावरण को स्वस्थ और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखते है। ताप प्रणाली की अपेक्षा परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनाना एवं वितरण करना बहुत आसान है। इसका एक कारण यह है कि हमने पारेशन में कुशलता प्राप्त नहीं की है और हम पारेषण में 20% विद्युत खो देते है। इस प्रकार यदि इन परमाणु सयंत्रो की स्थापना औद्योगिक केन्द्रों के पास की जाए तो इस हानि से बचा जा सकेगा। दूसरा पहलू भी है और वह यह है कि यदि इन परमाणु ऊर्जा केन्द्रों को बिहार, उड़ीसा या पश्चिमी बगांल में स्थापित किया जाता है तो आपको कोयले, कोयले की किस्म आदि पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैंने पश्चिमी बगांल के राज्य बिजली बोर्ड से पूछताछ की थी कि आप उतना उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं जितना आप 1976 और 1977 में आपात काल के दौरान कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि "मुख्यत कोयले की घटिया किस्म और अनियमित सप्लाई एवं कोयले की खानों व विद्युत सयंत्रों में अनुशासन की कमी के कारण औसत उत्पादन कम हुआ है।" अब यह लोगों की काम करने की इच्छा पर निर्भर करता है। लोगों को अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि कोयला घटिया किस्म का है जिसकी धुलाई की आवश्यकता है। उसके साथ-साथ वैगनों की सप्लाई समय पर नहीं की जाती है। ये मुख्य कारण है जिन्हें केवल सरकार द्वारा सुधारा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा के मामले में यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जहा तक कोयले की खानों का सम्बन्ध है रानीगंज से धनबाद तक ईस्ट्रन कोल फील्ड्स और बी०सी०सी०आई० कार्यरत है। वहां मफिया शासन चल रहा है। यह कैसे हो सकता है कि सारी कोयला खाने एवं सी०आई०एल० की अन्य इकाईयां लाभ कमा रही है परन्तु बी०सी०सी०एल० और ई०सी०एल० घाटे में जा रहे हैं। मुझे यह जान कर हैरानी होती है कि कुछ अधिकारी मंत्री से भी आगे बढ़ गए हैं। ये लाभ (जैसा हमें पहले बताया गया था) हानियों में इस प्रकार क्यों बदले गए ? और कितनी हानि हुई है ? ई०सी०एल० और बी०सी०सी०एल० में सबसे अधिक घाटा हुआ है।

वहां कोई कानून एवं व्यवस्था नहीं है। राज्य की कानून एवं व्यवस्था पर निर्भर मत रहो। कृपा करके कोई हल निकालिए ताकि कानून एवं व्यवस्था को नियन्त्रण में रखा जा सके और कोयले से भरे ट्रकों को पैसे के भुगतान के बिना न ले जाया जो सके। आपको खानों के मुहानों पर क्या हिसाब किताब होता है उसे जानकर हैरानी होगी। यह हिसाब किताब कौन करता है ? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने कहा है कि तुलाई बिजली सयंत्रों पर की जानी चाहिए। यह सबसे अच्छी बात है जिसे किया जाना चाहिए। शायद वे कहेंगे कि यह रेलवे वालों के लिए है और रेलवे के लिए कहेंगे कि ऐसा कोयले वालों के कारण हुआ है, लेकिन आपको उपभोक्ता का ध्यान रखना होता है अन्य किसी का नहीं, उत्पादक का भी नहीं। राज्य के कर्मचारी उत्पादक है किन्तु आपको उपभोक्ता को ही ध्यान में रखना चाहिए। उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना चाहिए

[श्री भोलानाथ सेन]

कि "अमुक किस्म का कोयला अमुक मात्रा में मैंने प्राप्त किया है" इस प्रकार के आदेश का मैं स्वागत करता हूं यदि पहले ही इसे पास कर चुके हैं।

समय कम है और सभापति महोदया शायद मेरे भाषण जारी रखने से पूर्णतया खुश नहीं है। परन्तु वे दयालु हैं। हमारे राज्य पश्चिमी बगाल के राज्यपाल ने बजट-सत्र के अपने उद्घाटन भाषण में इस प्रकार कहा था :

> "अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए कई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित पड़े हैं इसमें 26,00 मेगावाट वाली सागरडिघी परियोजना, 630 मेगावाट की बाकरेश्वर योजना और डी०पी०एल० की 210 मेगावाट की सातवी इकाई शामिल हैं। यह आशा की जाती है कि केन्द्र सरकार इन प्रमुख परियोजनाओं के लिए शीघ्र ही अपनी स्वीकृति दे देगी।"

महोदया, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया यह देखें कि इन परियोजनाओं को जल्दी स्वीकृति प्रदान की जाये क्योंकि जब तक आप लोगों को बिजली नहीं देंगे वे सम्पन्न नहीं बन सकतें, वे शक्तिशाली नहीं बन सकते और वे भविष्य की ओर तेजी से नहीं बढ़ सकते।

अतः जनता को शक्ति शीघ्र दी जानी चाहिए। (**व्यवधान**) हर व्यक्ति शोर मचा सकता है, परन्तु यह बात अच्छी नहीं है। मैंने केवल वही बात कही है जो राज्यपाल ने कही थी। (**व्यवधान**)

मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैंने इसे समाचार पत्र में पढ़ा था कि जहां तक बकटेश्वर परियोजना का सम्बन्ध है उसके लिए पूंजी बाहर से आनी है। वे संयंत्र लगायें तथा उसका प्रबन्ध करेंगे, और जैसे ही उन्हें अपना धन वापस मिल जाता है, वे वापस चले जायेंगे, जब तक सरकार यह न कहे कि आप प्रबन्ध चलाते रहिये। यदि स्थिति यह है तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। मुझे पता चला है कि सोवियत संघ भी इसमें भाग लेना चाहता है लेकिन मुझे उनकी शर्तें पता नहीं। जो भी बाहर से भारत में धन लेकर आता है और तकनीकी जानकारी लाता है, उसका स्वागत होना चाहिये। अत: हमें धन की कमी की बात नहीं करनी चाहिये (**व्यवधान**) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है : कि कोला घाट परियोजना स्तर-2 शीघ्र पूरी करने को हम बहुत उत्सुक हैं जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं हमने भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिडेट, को परियोजना को 'टर्नकी' के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।"

परन्तु महोदया, अभी भी काम चल रहा है। मैं नहीं जानता कि ये कब पूरे होंगे।

बताया गया है कि कोयले के लिए रायलटी मांग रहे थे। ये व्यावसायिक कार्य बिजली

परियोजना, रेलवे, कोयला सभी व्यापारिक कार्य हैं। अब राज्य सरकार कोयले के लिए रायलटी के लिए कह रही है। कोयले की रायलटी के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार कहती है कि रायलटी के बारे में निर्णय न होने के कारण हम कोयले पर उपकर 3% बढ़ा रहे हैं। कुछ राज्य 30% उपकर लेते हैं। अतः कृपया इस सारी प्रणाली को इस तरह चलायें कि ऊर्जा तथा कोयले के प्रत्येक पहलू पर हमारे अधिकारी सक्षम रूप से प्रबन्ध करें तथा भविष्य में हमारे कार्य अधिक प्रभावी हों। भविष्य हमारा हो न कि विदेशी। हम तरक्की करना चाहते हैं। हम मंत्री महोदय से, जो कि व्यावहारिक व्यक्ति हैं, सहायता चाहते हैं। मुझे उनकी व्यावहारिकता का पता है तथा इन परियोजनाओं को तुरन्त मंजूरी देनी चाहिए, धन की कमी नहीं है। यह मेरा निवेदन है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदया, चूंकि विषय लम्बा है तथा समय कम है अतः मैं एक ही पहलू अर्थात ऊर्जा पर बात करूंगी जो कि इस समय विचाराधीन प्रश्न है अर्थात कोयला तथा उससे संबंद्ध जनशक्ति।

इससे पहले कि मैं इस विषय को लूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री भोलानाथ सेन द्वारा व्यक्त इन विचारों का मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूं कि पश्चिम बंगाल की बकाया पड़ी विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दी जाये। इस मांग का मैं हृदय से समर्थन करती हूं।

मैं विद्युत क्षेत्र को अछूता छोड़ना नहीं चाहती परन्तु समयाभाव के कारण मैं सीधी अपनी बात को लेती हूं। महोदय, मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात बतायी है :

> "कोल इण्डिया लिमिडेट की अपनी ही जन-शक्ति 6.70 लाख कर्मचारियों की है जोकि उद्योग के लिए सबसे मजबूत परिसम्पत्ति है।"

यह अंतिम बात है जिसका कि मैं समर्थन करती हूं। यह वास्तव में सबसे बड़ी परिसम्पत्ति है। इतना कहने के बाद मैं मंत्री महोदय का ध्यान जन-शक्ति—उनके साथ प्रबन्धकों के रवैये तथा संबद्ध समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। अभी पहले यह ठीक बताया गया है कि कोयला क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ी है, 1983-84 में यह प्रति व्यक्ति पारी पर 0.81 थी, 1984-85 में 0.87 तथा 1985 में उसी अवधि में 0.81 की तुलना में 0.82 हो गयी है और वर्ष 1985 86 के दौरान इसके प्रति व्यक्ति लिफ्ट में 0.88 होने की उम्मीद है। इस प्रकार उद्योग के मुख्य आधार जन-शक्ति ने निश्चित रूप से अधिक कार्य किया है।

कृपया ध्यान दें कि 1983 में राष्ट्रीय कोयला मजूरी करार लागू हुआ था। आपने भी स्वीकार किया कि कार्मिकों ने आपकी बात रखी है। उन्होंने उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाया

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

है। इस स्थिति के बावजूद आज 7 अप्रैल है, मंत्री महोदया भली प्रकार जानते हैं कि 'एटक', 'सी टू', एच०एम०एस० तथा इन्टक ने संयुक्त रूप से 9 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया है। इसका कारण क्या है ? यह वेतन वृद्धि के लिए नहीं है। यह राष्ट्रीय कोयला मंजूरी करार में आवास सुविधाओं; पेय जल की व्यवस्था, शिक्षा सुविधाओं, चिकित्सा, सुविधाओं, सुरक्षा उपायों, सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के सम्बन्ध में उपबन्धों को लागू करने के लिए है। यह किए गये मंजूरी करार के अनुसार है।

सभी जानते हैं कि सरकार, प्रबन्धों कर्मचारियों के बीच करार किया गया था तथा कामगार भी इसमें पार्टी थे। और यह समझौता चार वर्षों 1983,1984, 1985, और 86 के लिए था।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह 1986 में समाप्त हो जायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्होंने काफी धैर्य रखा है। उन्होंने सभी कठिनाइयों में निर्वाह किया है। परन्तु मुझे इसमें सुधार नहीं दिखाई देता। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे इसके अभ्यस्त हैं। प्रबन्धकों ने इस बारे में क्या किया। हमें इस मांग और इस दावे पर ध्यान देना है, ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा किया नहीं गया। प्रश्न यही है। यदि उसका कोई आधार है तो स्वभावत: मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 9 तारीख से पहले कार्यवाही करें। आज 7 तारीख है। यदि सभी श्रमिक संगठन किसी न्यायोचित उद्देश्य के लिए मांग करते हैं तो स्वभाविक है कि औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार नहीं होगा। यदि आपकी भूल है तो आपको उसे सुधारना चाहिए।

इसलिए मैं उनकी मांगों के लिए कुछ कहना चाहती हूं।

मैं एक महत्वपूर्ण बात सेवा निवृंत होने वाले कर्मचारियों के बारे में कहना चाहती हूं। बात यह है कि यह पूरा कार्य भारी भरकम है। यह भारी भरकम कार्य इसलिए है कि कामगारों को सरकार द्वारा एक निश्चित आयु के बाद सेवानिवृत किया जाता था। ताकि उनकी सेहत बिल्कुल खराब न हो जाये और सेवा में रहते हुए अच्छा कार्य कर सकें। यह अत्यन्त रोचक बात है। यह जानते हुए भी कि यह जोखिम भरा कार्य है प्रबन्धक उन्हें सेवानिवृंत नहीं करते। वे सोचते हैं कि "इस व्यक्ति का विनाश होने दो।" कुछ समय बाद उसकी सेहत बिल्कुल गिर जायेगी तथा हम उसे सेवानिवृंत नहीं करेंग तथा इस प्रकार उसके आश्रितों का दायित्व नहीं लेना पड़ेगा वे चाहे मृत्यु को प्राप्त हों अथवा अस्पताल में दाखिल हों, उनका जो भी हो हमें इसकी चिन्ता नहीं है, हम इस अभिवयन से बच जायेंगे।" अतः यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है। इस खण्ड की ही अवहेलना नहीं की जा रही अपितु यह अत्यन्त अमानवीय कार्य है। जन-शक्ति के प्रश्न पर सरकार की नयी नीति क्या है जिसके लिए रोजगार की स्थिति विषम हो गई है। कम से कम जन-शक्ति का हिसाब लगाने की नीति का आधार क्या है। मैं इस नीति से सहमत नहीं हूं। जन-शक्ति में

किसी प्रकार की कटौती से मैं सहमत नहीं हूं। बहुत से अन्य मामलों में बचत की जा सकती है। जन-शक्ति के मामले में भी कोई ढंग होना चाहिए। इस वार्षिक रिपोर्ट में ही बताया गया है कि 31.3.85 से 31.12.85 के 9 महीनों में इ०सी०एल० में कार्यकारियों की संख्या में 87 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। कार्यकारियों की कुल संख्या कितनी है। सामान्यतः 2698। जो कि 9 महीने में 2785 हो गई। कामगारों की संख्या पर भी ध्यान दें। इसका अर्थ है कि कामगारों के पदों की संख्या में 566 की कमी हुई। आपकी नीति क्या है ?

(व्यवधान)

कार्यकारियों ने सभी पद ले लिए। कामगारों का चाहे जो भी हो। स्थिति यही है। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी। एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। कोयला खानों से महिला कामगारों को निरन्तर हटाया जा रहा है। अपने संसदीय सेवाकाल के पिछले 5 वर्ष में मैं सदा तथ्य तथा आंकड़े देते हुए इस प्रश्न को उठाती रही हूं। अभी पिछले दिन मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि सिंगरेनी कोयला खान से एक हजार महिला कामगारों को सेवानिवृत किया जा रहा है। इससे पहले सरकार उनसे किसी पुरुष को नामांकित व्यक्ति देने को कहते थे।

(व्यवधान)

इस सम्बन्ध में मैं एक बात बताना चाहती हूं। कि जन-शक्ति के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। इसी कारण हड़तालें होती हैं। इस अन्य मामलों को भी लेते हैं। उस ओर के मेरे मित्रों ने पीने के पानी की समस्या का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

उन्होंने पेय जल की स्थिति बतायी है तथा मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। विपक्ष के सदस्यों ने कई अन्य बात कहीं हैं, जिनका उल्लेख किए बिना मैं एक-दो प्रश्न को लेना चाहती हूं जो सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित हैं। यह दर्शाया गया है कि दुर्घटनाएं अब कम हो रही हैं। परन्तु उनकी संख्या फिर बढ़ गई है। हम 1983 के आंकड़े लेते हैं। इ०सी०एल० में 1983 में दुर्घटनाओं में 27 जाने गयीं, 1984 में 30 तथा 1985 में 35 व्यक्तियों की जानें गयीं। अतः दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कम न होकर बढ़ रही है। यह स्थिति इ०सी०एल० की ही नहीं सी०सी०एल० तथा अन्यों की भी है। सी०आई०एल० में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिनमें 19 व्यक्ति मरे। कुल आंकड़े 157 थे। वर्ष 1983-84 के आंकड़े 129 हैं तथा 1984-85 में संख्या बढ़कर 143 हो गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सुरक्षा उपाय उस रूप में नहीं बरते जाते, जैसे कि बरते जाने चाहिएं।

(व्यवधान)

आवास के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी। बेशक सभा में बहुत से आंकड़े बताये गये हैं। जहां तक मेरी सूचना है पिछले चार वर्षों के दौरान मजूरी करार पर हस्ताक्षर होने के बाद

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

आवासों की संख्या में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से कोयला मजदूरों के पक्ष में हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध करती हूं।

अब मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगी कि सरकार हमेशा प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की बात करती रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस कोयला उद्योग में श्रमिकों के प्रबन्ध में हिस्सा लेने की बात लागू नहीं हुई है। 'आइटक' बहुत इच्छुक है और दूसरों को भी बहुत इच्छुक होना चाहिए। सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।

अन्त में मैं एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगी। लोगों में यह गलतफहमी है कि कोयला श्रमिकों को बहुत अधिक मजदूरी मिलती है कोयला उद्योग में सभी समस्याओं की यही जड़ है।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहती हूं कि कितनी बार कोयले के मूल्य बढ़े थे और उसी के अनुसार कितनी बार श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई गई थी। श्रमिकों की कोई मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। वास्तव में इसमें कोई तत्व नहीं है। लाभ व हानि के सम्बन्ध में मुझे बात समझ में नहीं आई है और मैं मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगी। मैं समझती हूं कि 26 मई, 1985 को जे० बी० सी० सी० आई० की बैठक में मौखिक रूप से कहा गया था कि कम्पनी को लाभ होने वाला है हास्यास्पद बात यह है कि वास्तव में आप नहीं जानते कि कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि, क्योंकि मैं समझती हूं कि पिछले चार वर्षों से इस कम्पनी ने कोई संतुलन पत्र नहीं बनाया है। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह ठीक है या नहीं। अगर तुलन पत्र नहीं बनाया है, तब कोई कैसे जान सकता है कि लाभ हुआ है या हानि। मैं इस मुद्दे का स्पष्टीकरण चाहती हूं।

मैं आशा करती हूं कि मन्त्री जी प्रभावकारी ढंग से हस्तक्षेप करके सभी मुद्दों का, जिनको मैंने उठाया है, उतर देंगे।

श्री सी०पी० ठाकुर (पटना) : सभापति महोदय, ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द कहने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। सरकार ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया है। इस वर्ष इसने बिजली की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाया है। आज के समय में विद्युत संबंधी आयोजना बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक मान्य तथ्य है कि अधिकांश देशों में बिजली के उपयोग और अर्थ व्यवस्था के विकास में गहरा संबंध होता है। यद्यपि हमने भारत में इस क्षेत्र में प्रगति की है, अब भी हमारे देश में ऊर्जा की खपत विश्व की औसत खपत की 1/8 है और अगर आप उन्नत देशों के साथ तुलना करें तो यह 1/100 से कम है।

क्योंकि समय बहुत सीमित है, मैं केवल कुछ मुद्दों को ही उठाऊंगी। मैंने मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को भी पढ़ा है। उसमें एक स्पष्ट गलती है। विभाग कहता है

कि इस विद्युत विभाग के कार्यकरण की देखभाल 6 स्कन्धों द्वारा की जाती है। लेकिन अनुसंधान और विकास के लिए कोई स्कन्ध नहीं है। अनुसंधान और विकास के लिए एक अलग स्कन्ध होना चाहिए। वहां पर विद्युत मन्त्रालय के लिए वैज्ञानिक सलाहकार पेनल है लेकिन उस पेनल में भी 'रिसर्च' शब्द का उल्लेख नहीं है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों के निर्माण में परम्परागत और परमाणु विद्युत संयंत्रों दोनों में अनुसंधान की काफी गुंजाइश है तब हम पारेषण क्षति को कैसे कम कर सकते हैं और अपनी क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के स्रोत से हम सबसे अच्छी ऊर्जा कैसे बना सकते हैं। अतः अनुसंधान की काफी गुंजाइश है। इस समय अधिकांश देशों में विद्युत अनुसंधान काफी उन्नत चरण पर है अर्थात वहां 'फ्यूजन प्रौद्योगिकी' को अपनाया जा रहा है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि विद्युत के कुछ क्षेत्रों में भारत रूस के साथ सहयोग कर रहा है। मैं नहीं जानती कि क्या सरकार फ्यूजन प्रौद्योगिकी में रूस के साथ सहयोग करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि भारत का भविष्य विद्युत में 'फ्यूजन प्रौद्योगिकी' पर निर्भर है। यह सफल होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस शताब्दी के अन्त तक यह काफी सफल हो जायेगा। ड्यूट्रियम जो इसमें इस्तेमाल होता वह पानी से प्राप्त होता है जिसकी कोई कमी नहीं है। भारत को इस 'फ्यूजन प्रौद्योगिकी' का प्रयोग करना चाहिए और इस क्षेत्र में रूस से सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

इस प्रतिवेदन में दूसरी त्रुटि विभिन्न राज्यों के विद्युत मंडलों के कार्यकरण के बारे में है। अधिकांश विद्युत मंडलों को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है। 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विद्युत मंडलों में डूब गयी है। कम से कम मैं बिहार राज्य विद्युत मंडल के बारे में जानता हूं कि यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। किसी चेयरमैन के लिए कुछ समय तक टिकना कठिन है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति जाता है तो वह यह देखता है कि वह अपने मालिकों के माफिक नहीं है और वह जल्दी ही मंडल छोड़ देता है। अगर बेईमान व्यक्ति जाता है तो वह इस हद तक पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि वह डूबते हुए जहाज के लिए और भार बन जाता है और जहाज तेजी से डूबने लगता है। अधिकारी उसे हटा देते हैं। इसलिए विद्युत मंडलों के कार्यकरण में सफलता प्राप्त करना कठिन है। इसलिए सरकार को सभी विद्युत मंडलों का राष्ट्रीय करण करना चाहिए और उन्हें अपने अधिकार में लेना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने सम्भवतः विद्युत मंडलों के कार्यों से निरुत्साहित होकर कहा है कि विद्युत को निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र को देना चाहिए। लेकिन मेरे विचार से किसी को भी इस हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए और अगर हम अपनी प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार कर लें तो बोर्ड के कार्य में सुधार हो जायेगा। मैं सुझाव देता हूं कि इन बोर्डों के कार्य की जांच करने के लिए एक समिति बनायी जानी चाहिए जिससे कुछ सुझाव दिये जा सकें। उन राज्यों में कुछ कठिनाई हो सकती है जिसमें विरोधी दल शासन करते हैं, लेकिन उन राज्यों में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जहां कांग्रेस दल द्वारा शासन किया जाता है। बिहार में, जहां का शासन कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जाता है, विद्युत बोर्ड का कार्य निराशाजनक है।

[श्री सी०पी० ठाकुर]

बिहार में विद्युत स्थिति पर विचार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में बिहार की अधिष्ठापित क्षमता और बिजली की खपत दोनों *मामलों में उपेक्षा की गई है। यह* बड़े राज्यों में सबसे कम है। संयंत्र भार अनुपात के संबंध में भी बिहार की स्थिति ठीक नहीं है।

हाल ही में सरकार का यह वक्तव्य कि जिन राज्यों में अच्छा काम नहीं हो रहा है उन्हें दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कमी कर दी जायेगी, एक अच्छी नीति नहीं है क्योंकि राज्यों में बिजली की कमी से ये राज्य और पिछड़ जायेंगे। किसी भी चीज उद्योग या कृषि के विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है। मेरे विचार से बिहार की सहायता की जानी चाहिए।

कहलगांव सुपर तापीय बिजली घर का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। चूंकि बिहार में बिजली की कमी है, इसलिए वहां अल्पावधि और दीर्घावधि आयोजना होनी चाहिए। अल्पावधि आयोजना में छोटे संयंत्रों को चालू किया जाना चाहिए और दीर्घावधि आयोजना में सरकार को दो या तीन सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस प्रतिवेदन में एक दूसरी त्रुटि यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वी क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसके पीछे कुछ तर्क अवश्य होंगे क्योंकि वहां कोयला है इसलिए वह उस क्षेत्र को कोई भी परमाणु विद्युत संयंत्र नहीं देना चाहती है। लेकिन केवल कोयला ही मुख्य नहीं है। जिस समय आप परमाणु विद्युत संयंत्र किसी क्षेत्र को देंगे तो कई सहायक उद्योग इस क्षेत्र के आसपास विकसित हो जायेंगे और परमाणु ऊर्जा के विषय में विचार शुरू हो जायेगा और अनेक उद्योग वहां स्थापित हो जायेंगे। अत: मन्त्री जी से मेरा दृढ़ अनुरोध है कि वह बिहार के लिए एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर विचार करें।

कनक पुरा में एक छोटा तापीय विद्युत संयंत्र लगाने का विचार किया जा रहा था। उस पर विचार किया जाना चाहिए। संभवत: पतरातू तापीय विद्युत संयत्र में मशीनें बहुत पुरानी हो गई हैं। उन्हें बदलने की आवश्यकता है। उन्हें बदला जाना चाहिए और प्रदेश की विद्युत आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस प्रान्त का स्थान स्वतन्त्रता के बाद प्रति व्यक्ति आय में चौथा था जो अब सबसे नीचे आ गया है। अगर विद्युत स्थिति को नहीं सुधारा गया – 14000 उद्योग रुग्ण हैं तो बिहार में सुधार नहीं किया जा सकेगा। बिहार राज्य की सहायता के लिए बहुत कुछ विद्युत मन्त्री पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका अभारी हूं । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी है । तीन-चार बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पहली बात यह है कि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन पहले घाटे में चलता था, लेकिन खुशी की बात है कि अब वह प्राफिट कमाने लगा है । इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं । रूरल इलैक्टिफिकेशन का जो बिजली देने का तरीका है, उसमें कुछ सुधार होना जरूरी है । जो सूखे या हिल्ली एरियाज है, उसमें से रेवेन्यु रिटर्न न मिलने के कारण कई योजनाएं ठप्प पड़ी हैं । इसके लिए नार्म्स में परिवर्तन करके उसमें सुधार लाना जरूरी है । मैं अपने चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र की बात आपको बताता हूं । एग्रीकल्चर के लिए कम से कम समय लगना चाहिए लेकिन छह-छह साल एग्रीकल्चर पम्प के लिए भी बिजली नहीं मिलती । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 34 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और महाराष्ट्र के लिए तीन हजार करोड़ से कुछ ज्यादा का प्रावधान किया गया है । अभी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने भी यह तय किया है कि हम सहकारी समिति के माध्यम से बिजली का वितन वितरण करेंगे । उनके चेयरमैन ने यह कह दिया है मद्रास में हमें खुशी है कि यह संस्था बहुत अच्छी चल रही है । मैं यह चाहूंगा कि बिजली के वितरण के लिए ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियां बनाइए, उसके कारण अधिक से अधिक काम और भी आगे बढ़ेगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 45 परसेंट से ज्यादा हमारे पम्प के लिए बिजली नहीं मिलती । हर साल 2·2 मिलियन घर बन जाते हैं लेकिन एक मिलियन घरों को ही बिजली दी जाती है । यह सब कैसे पूरा कर पायेंगे । एक पम्प को किसी गांव में बिजली देने के बाद आपके रिकार्ड में यह आ जाता है कि गाव पूरा हो गया 'विलेज इलैक्ट्रिफाइड' । यह नार्म्स तय कीजिए कम से कम कि इतने परसेंट पम्प को बिजली मिलेगी या पच्चीस परसेंट कम से कम दी जायेगी, नहीं तो फिर आपका काम बन जायेगा क्योंकि पचास परसेंट गांवों को बिजली पहुंच गई है और एक लाख दो हजार गांवों को बिजली देने जा रहे हैं । मैं यह चाहूंगा कि खाली एक पम्प या एक घर को बिजली न दें बल्कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में पम्प को बिजली देनी चाहिए। गांवों और शहरों के लिए बहुत फर्क हो गया है । एग्रीकल्चर और गांव मिलाकर दस प्रतिशत भी बिजली नहीं मिलती । बाकी बिजली शहर के लिए चली जाती है । गांवों में इन्डस्ट्री नहीं लगती क्योंकि बिजली का बेक-डाउन गांवों में काफी होता है और बिजली भी कम मिलती है । इसके लिए एश्योरेंस मिलना चाहिए । हमारे मराठी में एक कहावत है "शिवा-शिवी का खेल", वैसे ही बिजली का काम चलता है । नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन ने भी यह रिकेमन्ड किया है 1976 की रिपोर्ट में कि अन्डरग्राउन्ड वाटर जितना एक्सपायेट करना चाहते हैं, उतना नहीं कर पाए हैं । इस कारण ज्यादा से ज्यादा बिजली गांवों या किसानों को कैसे देंगे । रिसॉब सोर्स आफ एनर्जी के बारे में भी कहना चाहूगा । 'फिक्की'' ने यह कहा है कि दस परसेंट बिजली की बचत भी हो जाए, लासेज में तो देश के लिए बड़ा फायदा हो सकता है । जो व्यापारिक संस्था है । और जो उद्योगपतियों की संस्था है, उसके मैंबर ने चोरी करना बंद कर दिया, उसके मैम्बर के लिए अपील करना जरूरी है, मेरे ख्याल से सरकार से हम भी आग्रह करेंगे कि चोरी पकड़नी

[श्री बालासाहेब विखे पाटिल]

चाहिए और इसके लिए भी रेड्स करना आवश्यक हो गया है। लाईन लासेज, ट्रान्समिशन लासेज और पावर लोड फैक्टर में सुधार होना चाहिए। उसके अलावा चोरी भी कम होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जा श्री बसन्त साठे 2 बजे बाद-विवाद का उत्तर देंगे। सूची में कई वक्ता है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संक्षेप में बोलें और अपने मुख्य विचार ही रखें।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : रिनीवल सोर्स आफ एनर्जी के लिए सौ करोड़ रूपए का प्रावधान आपने किया है। रिमोट एरियाज के लिए मैं चाहूंगा कि बायोगैस, बायोमास और जो भी सोलर एनर्जी हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान होना चाहिए या कुछ सेंस लगा दीजिए जिससे रिनीवल सोर्स आफ एनर्जी के लिए ज्यादा पैसा मिल सके। महाराष्ट्र के लिए 6750 मैगावाट बिजली की मांग है और कुछ प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि गैस टरबाइन का प्रोजेक्ट एक हजार करोड़ का है।

2·00 म० प०

एक प्रोजैक्ट बैजनाथ का है, एक प्रोजैक्ट कुराड़ी का है, एक प्रोजैक्ट चन्द्रपुर का है और इसी तरह अनेक प्रोजैक्ट महाराष्ट्र सरकार की ओर से केन्द्र को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की मांग को देखते हुए, वहां के किसानों और इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए, जल्दी से जल्दी यहां से उन तमाम प्रोजैक्ट्स की स्वीकृति राज्य शासन को भिजवा दें।

आखिर में, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय न होने के कारण कई बातें नहीं कह सकूंगा, कि आज किसान को देने के बाद कम से कम 6 महिने और ज्यादा से ज्यादा एक साल तक आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी लेकिन आपको किसानों के हित में कोई ऐसा टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाना होगा। अन्यथा हमारी खेती घाटे का सौदा बन जाएगी और किसान भी बैंकों का डिफाल्टर बनता जा रहा है। इसलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मैं मानता हूं कि यह स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का काम है लेकिन स्टेट बोर्ड की भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ पैसे की मजबूरी है, वही चोरी-चकोरी भी होती है, उस स्थिति में भी सुधार लाकर किसान को जल्दी से जल्दी बिजली देने के लिए, मंत्री जी को पहल करनी चाहिए और मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा० के० जी० आदियोडी (कालीकट) : सभापति महोदय, मैं कर्मठ और प्रभावशाली ऊर्जा मन्त्री को बधाई देते हुए अत्यधिक प्रसन्न हूं। उन्होंने घोषित किया है कि विद्युत उत्पादन की कोई सीमा नहीं है, तथा विद्युत उत्पादन पर व्यय की कोई सीमा नहीं है और विद्युत के इस्तेमाल की भी कोई सीमा नहीं है। वे हमारे समक्ष उपस्थित समस्याओं से पूरी तरह से अवगत हैं और इसीलिए वे अपने कार्य के लिए पूर्णत: वचनबद्ध है।

2000 ई० तक हमारी विद्युत की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। 1955 में हम लगभग 2300 मेगावाट बिजली उत्पादित करते थे और अब विद्युत उत्पादन 43000 मेगावाट से अधिक है। हमारे देश के उच्च वैज्ञानिकों की हाल की खोजों के अनुसार यदि हम भारत में अपने ऊर्जा संसाधनों की तुलना परिमाण के रूप में कोयले के तुल्य बिलियन टन में करें तो स्थिति इस प्रकार है : कोयला—112; तेल—0·6; गैस—1·5; हाइड्रो प्रतिवर्ष 0·16; पी० एच० डब्ल्यू० आर० में यू०—1.2; एफ० बी० आर० में यू०—100 और थोरियम—600 अत: केवल थोरियम ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है जिसे हम निर्यात करने जा रहे हैं।

जहां तक जल विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है मेरे छोटे से राज्य केरल में कुछ प्रमुख और चालू परियोजनायें हैं। जिनमें से वर्ष 1983-84 में वर्षा की कमी के कारण और परेषण और वितरण की कुछ असफलताओं के कारण राज्य विद्युत बोर्ड को 14 करोड़, रु० का घाटा हुआ है। सूखा केरल के लिए एक बहुत ही आम बात है। हर वर्ष वहां या तो बाढ़ या सूखा आ जाता है। जब कभी वहां सूखा पड़ता है तो निश्चय ही वहां बिजली की कमी होती है। जिसके परिणामस्वरूप विद्युत कटौती करनी पड़ती है, एच० टी० और इ० ए० टी० लाईन में बिजली की कटौती होती है और आवश्यक सेवाओं को चालू रखने के लिए भी विद्युत सप्लाई में कमी करनी पड़ती है। इस प्रकार राज्य अपने आपको एक विकट स्थिति में पाता है। केवल एक ही स्रोत जल विद्युत परियोजनाएं उपलब्ध है वह हर वर्ष बाढ़ के कारण ऊपरी मिट्टी बह जाती है और जलाशय तल गाद से ऊंचे हो जाते हैं और ये जलाशय आने वाले समय में फुटबाल और टेनिस के मैदानों के लिए उपयुक्त हो जायेंगे। यही बात नदी के तलों के साथ है। केरल में सैकड़ों नदियां हैं। पश्चिमी घाट और समुद्र के मध्य औसतन दूरी 100 किलोमीटर है। स्थलाकृति के कारण सारा पानी कुछ ही घंटों में समुद्र में बह जाता है। इसलिए वहां एक ऊंची सतही जमीन, मध्यम सतही जमीन, और निम्न सतही जमीन बन जाती है। निम्न सतही जमीन जो कि समुद्र तल से नीचे है हमेशा कुछ स्थानों पर समुद्री जल से भरी रहती है। इसलिए बाढ़ के दौरान सारी ऊपरी मिट्टी बह जाती है और सभी नदी तल ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि केरल में कोई उद्योग लगाया जाए तो विद्युत अत्यन्त आवश्यक है। यह धारणा है कि केरल के पास फालतू बिजली है। प्राय: तमिलनाडु, कर्नाटक और पड़ोसी राज्य विद्युत सप्लाई की मांग करते रहते हैं परन्तु हम इस स्थिति में भी नहीं हैं कि केरल के उद्योगों को ही विद्युत सप्लाई कर पायें और विद्युत की कमी के कारण परिष्कृत मशीनरी हर

[डा० के० जी० आदियोडि]

साल बरबाद हो रही है। दुर्भाग्यवश हमारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में और बिजली बोर्डों से सम्बन्धित परेशानियों के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। मेरे सभी साथी बिजली बोर्डों के बारे में शिकायत कर रहे हैं और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि बोर्डों को उनके अच्छे कार्यों के लिए बधाई दूं। जब बिजली बोर्ड की स्थापना की जाती है तब उनका प्रमुख ध्येय अपने ही साम्राज्य का निर्माण करना और अपने कर्मचारियों की तथा दूसरों के हितों की रक्षा करना हो जाता है न कि जनता का भला करना या हमारे देश की विद्युत प्रणाली में सामान्य सुधार करना। इसलिए इसके राष्ट्रीयकरण करने या किसी प्रकार या अन्य तरह से बिजली बोर्ड को पुनः सुधारने के लिए माननीय सदस्यों में से कईयों के द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत है क्योंकि वहां परेषण में होने वाला घाटा अत्यधिक है। इस प्रकार बांधों के निर्माण में और विद्युत की सप्लाई तथा वितरण में भी काफी घाटा है।

यदि आप वहां जायें और वितरण कार्य स्थल का जायजा लें तो पायेंगे, कि वहां काफी माल बर्बाद किया जाता है और इससे किसी को कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए हमारे अनुमान के अनुसार सबसे अच्छी बात यह होगी कि उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोतों का बिना और देर किए दोहन किया जाए। 'बायो-मास', भू-गर्भीय ताप, ज्वारभाटा और समुद्र, पवन ऊर्जा और अन्य सभी चीजों के लिए हमें इन प्रतिलभ्य ऊर्जाओं पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों को सौंप दिया जाना चाहिए या सहकारी जन आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए या कार्य इन्हें उसे सौंप दिया जाना चाहिए। यदि ये सभी लघु ऊर्जा इकाइयां विद्युत बोर्डों को सौंप दी गई तो फिर से वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोचेंगे और जलीय या तापीय या आणविक विद्युत उत्पाद के बारे में नहीं सोचेंगे। इन सब छोटी चीजों के लिए कई इन्जीनियर और कर्मचारी लगाये जायेंगे और इससे निश्चित रूप से घाटा होगा। इसलिए सहकारी-जन-आंदोलन शुरू किया जा सकता है, सहकारी क्षेत्र भी इसके साथ जोड़े जा सकते हैं, जब तक कि हमारा ग्रामीण स्तर पर सौर ऊर्जा को लगाने के कार्य के लिए एक अच्छा ढांचा न होगा तब तक हम देश की मांग को धन की कमी के कारण पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे।

मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं और मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैडम चेयर पर्सन, मुझे बहुत कम समय दिया गया है, इसलिए मैं केवल सवाल रख रहा हूं क्योंकि मैं अपने माननीय मन्त्री जी की योग्यता में बहुत विश्वास रखता हूं। सातवीं योजना में तीस हजार मैगावाट आपको बिजली चाहिए और आप जनरेट करेंगे केवल 22495 मैगावाट। आप लोन ले रहे हैं और आपने कह दिया है लोन वालों को कि डिबेंचर इश्यू होंगे और सोलह परसेंट ब्याज दिया जाएगा तथा इसके साथ-साथ आपने यह भी कह दिया है कि डिबेंचर्स खरीदने वालों को इन्कम टैक्स से भी छुटकारा मिलेगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फायदा केवल बिजनैस कम्युनिटी को ही होगा जिससे आपकी

बिजली भी घाटे में रहेगी। आप बिजली पैदा करने के लिए सरकार के माध्यम से कर्जा ले लेते हैं, लेकिन पैदावार जितनी बढ़ानी चाहिए उतनी बढ़ती नहीं है।

आप पहले 50.4 प्रतिशत काम करते थे और आज आप कुल काम 50.1 परसेंट कर रहे हैं, तो जो आप प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, वह काम आप नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में क्या परसेंटेज है और दूसरी स्टेट्स में क्या परसेंटेज है। जो बात आप कह रहे हैं, उस पर विचार कर लें। लोन लेना आसान है, लेकिन काम कौन करेगा ? मुझे आशा नहीं कि यह काम हो जायेंगे।

आपका 430 करोड़ रुपया रेलवे बोर्ड पर कोयले का बकाया है। आप ही कोल विभाग के इंचार्ज हैं और मन्त्री भी हैं। यह बतायें कि यह कोयले का हिसाब कब से बाकी है, कब से आप मांग रहे हैं और कब आप वसूल कर लेंगे ? यह मालूम नहीं है। जितना आपने कोयला दिया है, रेलवे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर 170 करोड़ रुपया आपका बकाया है, वह आपको कब मिलेगा और कब आप ले सकेंगे ?

आप जो कह रहे हैं कि हम बिजली पैदा कर देंगे, मैं समझ रहा हूं कि आपकी न तो पर-कैपिटा यूटिलिटी बढ़ रही है और आपका काम दिनोंदिन···

[अनुवाद]

यहां कहा गया है—

> "इस बीच राज्य विद्युत बोर्डों के द्वारा, जो कि एन० टी० पी० सी० से उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर विद्युत प्राप्त करते हैं, बिलों का भुगतान न करने की समस्या चिन्ता का कारण बनती जा रही है। एन० टी० पी० सी० अपने कार्य में सुधार कर सकें इसमें उसकी सहायता करने के लिए यह वांछनीय है कि राज्य विद्युत बोर्ड लगभग 170 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करें।"

[हिन्दी]

तो आप रुपया सबसे मांगते हैं, लेकिन वह रुपया वसूल होता नहीं है। इधर आपके ट्रांस्मिशन लासेज कितने हैं, वह आप जानते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स की बहुत लम्बी लिस्ट है—

[अनुवाद]

यहां कहा गया है—

> "कुल 8865 करोड़ रुपये के निवेश की 21 विद्युत परियोजनायें जिनकी प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है भूमि अर्जन में विलम्ब जैसे कारणों से पिछड़ गयी···"

[श्री मूलचन्द डागा]

[हिन्दी]

आपका परफार्मेन्स इतना है, जितना आप सोचते हैं। मेरे ख्याल से आपका परफार्मेन्स सुधर नहीं रहा है। बिजली बोर्ड आपके कब्जे में नहीं है और न काम करते हैं। आपकी सैंटर की अथौरिटी चाहे डेसू हो या कोई हो, कोई काम नहीं करता। न सरकारी अफसर या कर्मचारी आपके कब्जे में हैं।

आप देख रहे हैं कि बजली के कर्मचारी फिटिंग भी ठीक नहीं करते। लगभग 500 घटनाएं साल में दिल्ली और बम्बई में होती हैं। अगर आप कहेंगे कि आग लग गई तो,

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री डागा जी आपको अपना भाषण समाप्त करना है। अन्यथा मैं मन्त्री जी को बोलने के लिए कह दूंगी।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : लगभग 85 परसैंट घटनाएं बिजली के कारण होती हैं और 15 परसैंट आग के कारण होती है। देश में यह तो आपके कर्मचारियों की हालत है।

आपने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हमारा कोयले में घाटा होगा। आपने कहा है कि 1986-87 में कोयले में 400 करोड़ रुपये का घाटा होगा, 50 हजार आदमी ज्यादा हैं, यह आप खुले तौर पर कह रहे हैं। आपका बयान साफ है। करप्शन वहां ज्यादा है, चोरी की रिपोर्ट मौजूद है। कोयले की 6 बार कीमत भी बढ़ा दी है। आप कर क्या सकेंगे ? हमारे यहां कहावत है कि कुए में भांग पड़ी है। जहां कोयले में घाटा, बिजली बोर्ड में घाटा और आप कहते हैं कि 30 करोड़ मेगावाट पैदा कर सकेंगे।

[हिन्दी]

आप कर्जा ले रहे हैं, बनिया आपसे 16 परसैंट ब्याज ले लेगा, अगर नहीं दे पाये तो दावा करेगा और आपकी मशीन कुर्क करा लेगा। आप उसको 16 परसैंट ब्याज देंगे और उस पर भी इन्कमटेक्स माफ, यह गवर्नमेंट घाटे का सौदा कर रही है।

परफार्मेन्स के बारे में आप यह बतायें कि कितने अधिकारियों से आपने इस्तीफे दिलायें और कहा कि आप घर जाइये, आराम कीजिये। परफार्मेन्स के बारे में सारे बिहार वाले बोलते हैं। इनकी गर्दन भी नीची नहीं होती। बिहार के कोल माइन्स के हजारों-हजार लोग बेकार हैं। माफिया के बारे में ये खुद ही मानते हैं, ये उसके मूक समर्थक हैं।

2.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आप सोचिए कि बिहार की हालत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आप आ गये हैं, इसलिए दो मिनट और दे दें।

[अनुवाद]

"इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के बारे में गणित विशेषज्ञ दल ने इस कम्पनी के अधीन कार्यरत कम से कम 25 खानों को बन्द करने का सुझाव दिया है। इस समय सरकार के विचाराधीन विस्तृत प्रतिवेदन में दल ने यह अनुमान लगाया है कि इस कम्पनी में 50 हजार श्रमिक फालतू हैं।"

[हिन्दी]

साठे साहब जैसा कोई इतना साफ मिनिस्टर नहीं आया है। इनके यहां कैसे अफसर हैं, यह इन्होंने भी कबूल किया।

[अनुवाद]

"वी० पी० सिंह ने अपने बजट भाषण में कहा है कि कोयला ऊर्जा का "प्राथमिक महत्वपूर्ण साधन है।" लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि इस प्रमुख उद्योग की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। ऊर्जा मन्त्री श्री बसन्त साठे ने हाल ही में साफ-साफ बतलाया है कि कोल इंडिया लिमिटिड ने 1984-85 में 90 करोड़ रु० का नुकसान उठाया है और इसे 13 करोड़ रु० का लाभ नहीं हुआ है जैसा कि उन्होंने सदन को पहले सूचना दी थी।"

[हिन्दी]

यह खुद काफी सजग आदमी थे। इन्होंने कहा कि गलती हो गई है। वह खुद भी जानते हैं कि इतना घाटा है और इस प्रकार की हालत है।

[उपाध्यक्ष महोदय ने घंटी बजायी]

उपाध्यक्ष महोदय आप घंटी बजाते हैं, आप कुछ मदद करिए। आप इन लोगों की घंटी बजाइए। हमारे दूसरे मंत्रीगण भी बैठे हैं। उनकी हमारी तरफ ठंडी नजर नहीं है।

कहा जाता है कि कोयले और बिजली का आपस में पूरा सम्बन्ध होता है, लेकिन दुख है कि दोनों में घाटे का धंधा चल रहा है। साठे साहब अगर कोई जादू की छड़ी लेकर आयें तभी कुछ सुधार हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी का ध्यान दामोदर घाटी निगम की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार मजदूरों का सहयोग चाहती है, लेकिन यह खेद की बात है कि दामोदर घाटी निगम की कर्मचारी यूनियन को, जो कि एक बहुमत वाली

[श्री पीयूष तिरकी]

यूनियन है, पिछले चार वर्षों से मान्यता प्राप्त नहीं है और वे लोग पुनः मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कितने ही अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने भी इसके लिए अनुरोध किया है लेकिन आपकी ओर से पुनः मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस प्रकार यह आपका इस बात के बिल्कुल विपरीत है कि मजदूरों के सहयोग की सभी जगह बहुत आवश्यकता है। अगर सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होना चाहती है तब मजदूरों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मजदूर यूनियन सरकार के साथ सहयोग करना चाहती है। इसलिए दामोदर घाटी निगम को भली प्रकार चलाने व उसका विकास करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आपके पास समय व इच्छा होनी चाहिए। अगर आप उनके साथ सहयोग करना चाहते है तब कर्मचारी यूनियन को शीघ्र ही मान्यता दी जा सकती है।

उत्तरी बंगाल एक सीमा क्षेत्र है और भूटान पड़ोसी देश है और भूटान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। सरकार ने वहां चुक्खा परियोजना स्थापित की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अब भी देरी की जा रही है। अगर इस योजना को निश्चित समयानुसार दो वर्ष पहले चालू कर दिया गया होता तो कुछ समस्याएं अवश्य खत्म हो गई होती। कुछ तकनीकी कठिनाइयां दूर नहीं हुई हैं। भूटान, उत्तरी बंगाल के 5 जिले और आसपास के क्षेत्रों का विकास इस परियोजना पर निर्भर है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि इस परियोजना की वास्तविक स्थिति क्या है क्योंकि उत्तरी बंगाल पांच जिले के लोग इस परियोजना के पूरा होने की बहुत समय से इन्तजार कर रहे हैं क्योंकि चाय बागानों के विकास के अतिरिक्त वहां और कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। चाय बागानों से बहुत लाभ होता है। इनसे सरकार को 700 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। परन्तु फिर भी उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं दी जाती है। उन्हें बिजली की आवश्यकता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि चुक्खा परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए।

दूसरी परियोजना जलडागा परियोजना है, यह भी जल्दी पूरी की जानी चाहिए। पिछले 10 से 15 वर्ष में से इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने में कुछ देर हुई है। इससे उत्तरी बंगाल व दूसरे जुड़े क्षेत्रों को बिजली मिलेगी जिसकी इन्हें बहुत आवश्यकता है। लेकिन मुझे पता चला है कि इस परियोजना में देरी कुछ इसलिए की गई है क्योंकि किसी इन्जीनियरों ने इसे दोषपूर्ण पाया है। इसको अभी स्वीकृति दी जानी है यह अभी पूरी नहीं हुई है।

मैं सरकार के रवैये और दामोदर घाटी निगम की कर्मचारी यूनियन के बारे में और सरकार के रवैये के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अलीपुरद्वार असम के कुछ हिस्से, कूच बिहार, दार्जिलिंग और दूसरे पास लगते क्षेत्र चुक्खा परियोजना से लाभान्वित होंगे।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी स्टेट जम्मू

कश्मीर का मामला मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाना चाहता हूं। जहां तक साठे साहब का ताल्लुक है वह बड़े ही डायनेमिक आदमी हैं और उनके दिल में बड़ा दर्द है। वह ज्यादा से ज्यादा पावर जेनरेट करना चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। लेकिन इनका ध्यान हमारी पश्मादा रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ बहुत ही कम जाता है। वहां पर काफी अरसे से तीन चार प्रोजेक्ट शुरू करने का वायदा किया हुआ है। उसमें से कुछ के लिए तो कुछ काम किया है लेकिन बाकी के लिए वादा किया हुआ है। जो सलाल प्रोजेक्ट है उसका तो काम बड़ा अच्छा चल रहा है और जो इसके चेयरमैन हैं मिस्टर ओबेराय और दूसरे इंजीनियर और अधिकारी जो वहां काम करते हैं वह काफी एफिश्येंट हैं और परसनल इन्टरेस्ट से काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी ही मुकम्मिल हो जाएगा और वहां से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी।

लेकिन दो चार प्रोजेक्ट बहुत जरूरी हैं। एक तो दूलहस्ती प्रोजेक्ट है जो किस्तवाड़ के पश्मादा इलाके में पड़ता है जो हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आजाद का इलाका है। करोड़ों रुपये खर्च करके वहां बिल्डिगें और सड़कें बनाई गई हैं लेकिन डैम का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उसके बारे में सुनते हैं कि कभी किसी एक पार्टी के साथ कान्ट्रैक्ट करते हैं कभी फारेन कोलेबोरेशन की बात करते हैं। तो मेरी गुजारिश यह है कि इसके ऊपर जल्दी से काम शुरू किया जाए ताकि इससे पावर जेनरेट हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके।

दूसरा प्रोजेक्ट है कश्मीर वेली के उड़ी प्रोजेक्ट, वहां भी काम शुरू किया जाए। जहां तक पावर का सवाल है सबसे सस्ता पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जेनरेशन है और इसका जम्मू कश्मीर रियासत में इतना स्कोप है कि मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान के किसी दूसरे राज्य में उतना स्कोप नहीं है। वहां पर लद्दाख में दरिया सिन्ध, कश्मीर वैली में दरिया झेलम, और जम्मू और पूंछ एरिया में दरिया चनाब है, और पूंछ में दूसरा दरिया है। काफी इससे पावर जेनरेट हो सकती है और काफी लोगों को लाभ मिल सकता है। अगर ये उसके लिए कोशिश करें और पैसे दें तो नये प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं और काफी पावर जेनरेट हो सकती है।

साठे साहब जम्मू कश्मीर स्टेट से और इस इलाके से काफी अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहां पर जाकर काफी काम इन्होंने पार्टी का भी किया है और गांव-गांव में जाकर वहां के लोगों की हालत देखी है। सलाल प्रोजेक्ट के मुकम्मिल होने पर तकरीबन 100 गांव हैं जहां के रहने वाले लोगों पर इसका असर होगा। वह सारे गांव, जब डैम बनेगा तब उसमें समा जायेंगे इसलिए किसी दूसरी जगह उन लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने पैसा मोहैया किया है और जो साधन मौहैया किए वह वहां पुराने हिसाब से है इसलिए मेरी गुजारिश है कि उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा फंड्स मोहैया करें और उन लोगों को रिहैबिलिटेट करें। मैं यह नहीं कहता कि आप पैसा दें बल्कि आप उनको बसाने के लिए बन्दोबस्त कर दें ताकि वे दर-बदर न हों और वे अपना गुजारा कर सकें।

[श्री जनक राज गुप्त]

इसके अलावा कुछ मजदूर ऐसे हैं जो कान्ट्रेक्ट बेसिस पर व्यास में रहे और सलाल में रहे और इस तरह से 15-20 साल से वे इस महकमे के मुलाजिम हैं लेकिन अब आप उनको निकाल देना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, पहले भी इस बारे में आपसे बातचीत की है कि जो लोग 20 साल से आपके यहां काम कर रहे हैं वे अब किसी दूसरी जगह जाने के काबिल नहीं रह गए हैं। आप उनको निकालने के बजाय भले ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ले जायें तो बेहतर रहेगा। आप उनको दूरहस्ती में ले जायें, वेस्ट बंगाल में ले जायें, केरल ले जायें या कहीं भी ले जायें ताकि वे अपनी गुजर-बसर कर सकें लेकिन उनको निकालना नहीं चाहिए।

इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे यहां कोई भी ऐसी इण्डस्ट्री नहीं है जिसको पूरी तरह से बिजली मोहैया होती हो। हरएक को जेनरेटर लगाने पड़ते हैं। बिजली की यह किल्लत गांवों में, हरिजन बस्तियों में और इण्डस्ट्री वालों के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए जब तक हमारे यहां सलाल प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता या दूरहस्ती का काम पूरा नहीं हो जाता या जब तक पंजाब से हमें बिजली नहीं मिलने लगती, तब तक जम्मू के नजदीक एक थर्मल पावर स्टेशन बनाना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जरूरियात कुछ हद तक पूरी हो सकें। बस यही मेरी गुजारिश है।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा। सबसे पहले मैं ऊर्जा विभाग के अनुदान की मांगों का समर्थन और स्वागत करता हूं तथा इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि सातवीं योजना में भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता दी है। हम आशा करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन की जो इकाइयां अधूरी पड़ी हुई हैं वह अब पूरी हो सकेंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में उदाहरण के लिए अनबरा विद्युत योजना काफी दिनों से अधूरी पड़ी थी। इसी प्रकार से भाली मनारी तथा टेहरी बांधी योजनायें पैसे के अभाव में अधूरी पड़ी हुई थीं लेकिन अब हमें आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान देकर इन योजनाओं को पूरा किया जाएगा तथा विद्युत उत्पादन बढ़ेगा। इस मन्त्रालय का कार्य एक बड़े योग्य मन्त्री देख रहे हैं और यह ऊर्जा का विषय बड़ा मार्मिक है अतः अब तक की अधूरी योजनाओं को वे तेजी से चलायेंगे और जनता की आकांक्षायें पूरी करेंगे—यह हमारी पूरी आशा है।

मेरा एक निवेदन और है। यह ठीक है कि सातवीं योजना में ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है और इस बात की कोशिश की जाएगी कि देश में अधिक बिजली पैदा हो ताकि खेती एवं उद्योग के लिए उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके किन्तु जितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होगा उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी। केवल सरकारी क्षेत्रों में इतनी अधिक क्षमता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है जितनी की मांग होगी अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट क्षेत्र में भी छोटी-छोटी योजनाओं के लिए जो मांग की गई है, बिजली का उत्पादन करने के सम्बन्ध में, उनकी अनुमति आपको देनी चाहिए ताकि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का जहां तक सम्बन्ध है उसको बीस सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है किन्तु इधर मैं देख

रहा हूं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य बहुत ढीला पड़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जाने से खेती का उत्पादन बढ़ता है तथा वहां पर बिजली होने पर छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं जिससे बेरोजगारी भी कम होती है। बिजली की कमी से ये काम नहीं हो सकते। आपको जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है, उसके द्वारा मेरे क्षेत्र के 3 ब्लाक लिए गए। प्रत्येक ब्लाक में 10 गांव का भी बिजलीकरण नहीं हो पाया है। जब हम लोग पूछते हैं तो बताया जाता है कि इतने ब्लाक ले लिए गए हैं और इनके गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से ऊर्जा मन्त्री जी से निवेदन है कि जो विकास खण्ड लिए गए हैं, उनका पूर्ण विद्युतीकरण कराया जाए, उसके लिए धन दिया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों की बात मैं सबसे अधिक जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत हाथ है और इन क्षेत्रों का बिकास बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। बिना बिजली के विकास सम्भव नहीं है, इसलिए आप अधिक से अधिक बिजली दीजिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय ऊर्जा मन्त्री जी मिर्जापुर गए थे, वहां पर इन्होंने देखा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ग्रामोद्योग कालीन उत्पादन का है। इस ग्रामोद्योग से कालीन का उत्पादन होता है और 3 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। वहां के लोगों का कहना है कि मिर्जापुर, भदोही और उसके आसपास के इलाहाबाद, जौनपुर आदि क्षेत्रों में, जहां पर कालीन बनाया जाता है, वहां पर 24 घंटे बिजली दी जाए। ये कालीन विदेशों को भेजे जाते हैं, इनका निर्यात होता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिए कालीन उत्पादक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली दी जाए ताकि कालीन का उत्पादन बढ़ सके और उत्पादन बढ़ने से अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कालीन उत्पादन क्षेत्र मिर्जापुर, भदोही के लिए 24 घंटे बिजली दिलाने की कृपा करें और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण में तेजी लाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री वासुदेव आचार्य : श्रीमन् मेरा नाम भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय पहले ही समाप्त हो चुका है। आप विधेयक पास करते समय अपनी बात कह सकते है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर के पश्चात् आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही मंत्री जी को बोलने के लिए कह चुका हूं। मंत्री महोदय के उत्तर के बाद, आप अन्तिम रूप से अपने सुझाव या स्पष्टीकरण दे सकते हैं। हां मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त सांठे) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में हिस्सा लिया और इस क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सर्वप्रथम मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा जहां तक ऊर्जा का सम्बन्ध है। अगर हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि के निष्पादन और उपलब्धियों पर विचार करें, तो हम देखेंगे कि वास्तव में स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है।

वास्तव में जब हम 1947 में आजाद हुए थे तब हमारी स्थापित क्षमता 1,700 मेगावाट थी और पांच विलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध थी। उसके केवल 35 वर्षों बाद, राष्ट्र इस बात पर गर्व कर सकता है कि आज हमारे पास 17.00 मेगावाट स्थापित क्षमता की तुलना में 46,000 मेगावाट स्थापित क्षमता है और हम 5 विलियन यूनिट की तुलना में 170 विलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं अतः यह राष्ट्र की उपलब्धि हैं जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब कि 1947 में एक मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित करने में और पैदा करने में छः लाख रुपये लगते थे। आज उतनी ही एक मेगावाट की लागत एक करोड़ रुपये है। इसका अर्थ है। अगर आप वास्तविक रूप से विचार करे और लागत और कीमत को हिसाब में लें तो यह बहुत कम होनी चाहिए थी। आप यह जो 34,000 करोड़ रुपये की राशि है, यह 22,000 मेगावाट विद्युत पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, यह बड़ा लगता है, परन्तु यह वर्तमान मूल्यों पर हैं, और इसके अलावा, ये मूल्य बढ़ते रहते हैं। जब हम इस 34,000 करोड़ रुपये को रखते हैं तो सामान्य मुद्रास्फीति की दर को हिसाब में नही लिया जाता है। अगर प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से सामान्य मुद्रास्फीति को हिसाब में लिया जाये तो आप देखेंगे, कि लागत बहुत ऊंची आएंगी; और जब तक कि इस धन की व्यवस्था न हो तो आप इतनी भी क्षमता नहीं जुटा पाएंगे। स्थिति की वास्तविकता यह है।

परन्तु जैसा कि मैंने बताया, कार्य-निष्पादन के तौर पर, हमारे विभाग तथा लोगों ने अच्छा कार्य किया है। जैसा कि मैंने कहा, हमने यूनिटों का रिकार्ड उत्पादन किया है, 170 अरब यूनिट, तथा सैक्टरों ने भी इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया है। अगर आप उपलब्धियों पर विचार करें तो आप देखेंगे कि केन्द्रीय क्षेत्र में हम 9320 किलोवाट विद्युत का प्रतिष्ठापन कर सके हैं। सातवीं पंच-वर्षीय योजना की यह योजना है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या आप इसे पूर्ण रूप से कर पाए हैं ?

श्री बसन्त साठे : 1985-86 में नयी क्षमता—4460 मेगावाट जोड़ी गई थी। उपलब्धि 4524 मेगावाट है। अर्थात, लक्ष्य का 95 प्रतिशत और 4224 मेगावाट की नयी क्षमता अभी तक के किसी भी वर्ष का सबसे अधिक है।

1.4.86 को प्रतिष्ठापित क्षमता 46,664 मेगावाट है। यह पिछले वर्ष से 16.3 प्रतिशत अधिक है। अतः हमारी उर्जा उत्पादन की प्रगति यह थी।

ऊर्जा उत्पादन 1984-85 में 157 अरब यूनिट था जिसमें से 38.5 अरब यूनिट केन्द्रीय क्षेत्र में था। 1985-86 में 176 अरब यूनिट का कार्यक्रम था। हमने उस कार्यक्रम को पूरा कर दिया है यह 1984-85 की तुलना में 8-6 प्रतिशत अधिक है। यह लक्ष्य इस तथ्य के बावजूद प्राप्त किया गया है ज्यादातर राज्यों में कम वर्षा के कारण पन-विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में 9 प्रतिशत की कमी रही। तापीय और परमाणु विद्युत उत्पादन लक्ष्य से 4.57 से अधिक था और उसने पन-विद्युत उत्पादन की कमी को पूरा कर दिया। 1985-86 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में 39.5 अरब यूनिट के लक्ष्य की तुलना में विद्युत उत्पादन 44.5 अरब यूनिट हुआ था। अतः आप देखेंगे कि कार्य-निष्पादन बुरा नहीं रहा है।

अब मैं संयंत्र भार कारक को लेता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है। कुछ लोगों ने कुछ राज्यों की आलोचना की है। कुछ ने अन्य राज्यों की आलोचना की है। परन्तु उसके बाद स्थिति यह है। ताप बिजली घरों के कार्य निष्पादन में 1985-86 में और सुधार हुआ है जिसमें 50 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 52.4 प्रतिशत पी० एल० एफ० प्राप्त किया हैं। तथा 1984-85 में 51.1 प्रतिशत पी० एल० एफ० प्राप्त किया गया था। मैंने अपने लोगों से पूछा था कि इस एक प्रतिशत का क्या अर्थ है। सारे देश में 1 प्रतिशत पी० एल० एफ० की वृद्धि लगभग 500 मेगावाट बिजली के बराबर है। अगर आप इतनी बिजली उत्पन्न करना चाहें तो यह 500 करोड़ रुपए मूल्य के प्रतिष्ठापन के बराबर है। इसी प्रकार से 1 प्रतिशत बचत का भी यही अर्थ है। बहुत से सदस्यों ने ऊर्जा संरक्षण की बात की है; विद्युत पारेषण में होने वाली क्षति में बचत आदि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और 500 मेगावाट मूल्य की बिजली बचा सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह जानकार खुशी होगी कि दक्षिण क्षेत्र में विशेष रूप से पी० एल० एफ० 54.9 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 64.6 प्रतिशत था उनकी उपलब्धि सबसे अच्छी रही है यद्यपि कुछ राज्यों में पन-बिजली के पी० एल०एफ० को हिसाब में नहीं रखा गया है क्योंकि हम उसे पी० एल० एफ० में नहीं रख सकते।

श्री अमल दत्त : ठीक यही बात है कि पी० एल० एफ० ऊंचा क्यों है क्योंकि पन-बिजली शिखर को हिसाब में लेती है जबकि ताप-बिजली घर आधार हिसाब में लेते हैं।

श्री वसन्त साठे : हम यहां पन-बिजली को हिसाब में नहीं ले रहे हैं।

श्री अमल दत्त : इसी लिए तो मैं कह रहा हूं ...(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : हम ताप बिजली की ताप बिजली से तुलना कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : जहां पर आप पूर्ण रूप से ताप-बिजली पर निर्भर करते हैं वहां आपको ताप-बिजली के बारे में आधार एवम् शिखर दोनों का ध्यान में रखना होगा और रात को शिखर पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है और इसी कारण जो राज्य पूर्ण रूप से ताप-बिजली पर निर्भर करते हैं वहां पी० एल० एफ० नीचे चला जाता है जबकि उन राज्यों में यह ऊंचा है जहां पन-बिजली के द्वारा सर्वोच्च उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। आपके अधिकारियों ने आपको यह बताया होगा।

श्री बसन्त साठे : हां, मैं मानता हूं। परन्तु मैं आपको बताऊं कि जब मैं पी० एल० एफ० की बात करता हूं तो मैं केवल ताप-बिजली को लेकर कर रहा हूं। (**व्यवधान**) पन-बिजली के बारे में भूल जाइये।

श्री अमल दत्त : मैं शिकायत नहीं कर रहा (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : हम अपने को दुविधा में क्यों डाल रहें हैं ? (**व्यवधान**) मुझे शिखर भार और दूसरे भार कारक के बारे में जानकारी है—हम पी० एल० एफ० की दक्षिण क्षेत्र के ताप-बिजली घर, उत्तर क्षेत्र के ताप-बिजली घर की बात कर रहे हैं, हम पन बिजली घरों की बात नहीं कर रहे। अत: हमें तुलना करने दे—

श्री अमल दत्त : आपको दोनों के बारे में बताना चाहिए। एक साथ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप स्वीकार कर लें, कठिनाई यह है।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : आप उनके साथ तुलना कर रहे हैं जो तुलनात्मक नहीं हैं। (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : मैं जानता हूं कि आप एक विद्वान व्यक्ति है।

श्री अमल दत्त : दुर्भाग्य से, मैं हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह काफी है। कृपया बैठ जाइये।

श्री अमल दत्त : ताप-बिजली की ताप-बिजली से तुलना कीजिए।

श्री बसन्त साठे : यही मैं कह रहा हूं। आप मुझे पन-बिजली के साथ तुलना करने के लिए कह रहे हैं। वह मैं कर नहीं सकता।

अत: महोदय, दक्षिणी क्षेत्र में यह 54.9 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 64.6 प्रतिशत हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया है। पश्चिमी क्षेत्र में यह 55.8 प्रतिशत है। वहां पर भी वृद्धि हुई

है परन्तु तुलनात्कक रूप से कम है।

अब, किसी ने केन्द्रीय क्षेत्र के बारे में कहा था—वे निजी क्षेत्र तथा केंद्रीय क्षेत्र की तारीफ कर रहे थे। परन्तु क्या मैं आपको बता सकता हूं कि कार्य-निष्पादन में सुधार के मामले में मुख्य भूमिका केंद्रीय क्षेत्र के संयंत्रों की थी जिन्होंने 53 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 61.9 प्रतिशत पी० एल०एफ० की प्राप्ति की है ? उदाहरण के तौर पर, सिंगरौली के केंद्रीय स्टेशन में यह 68.8 प्रतिशत है, कोरबा का पी० एल० एफ० 74.4 प्रतिशत है, रामगुंडम का 72.1 प्रतिशत, नेवेली में 74.9 में प्रतिशत है। अतः समग्र रूप से केन्द्रीय क्षेत्र का कार्य प्रदर्शन अच्छा है। और कुछ राज्यों ने भी, मेरा मतलब राज्यों के विद्युत घरों से है—मैं यह कहूंगा कि न केवल केन्द्र ने बल्कि राज्यों ने भी अच्छा कार्य किया है। उदाहरण के तौर पर आंध्र-प्रदेश को लीजिए। आंध्र प्रदेश में राम गुन्डम राज्य विद्युत बोर्ड 90.4 प्रतिशत पहुंच गया और उसके बाद विजयवाड़ा ने 88.9 प्रतिशत महाराष्ट्र में पारले ने 67 प्रतिशत, तमिलनाडु में तूतीकोरन ने 65 प्रतिशत, तमिलनाडु में नेवली ने, जैसा मैंने पहले बताया 74 प्रतिशन सफलता प्राप्त की है। परन्तु कमी कहां है और हमें क्यों घसीटा जा रहा है ? कारण यह है कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ताप-बिजली का उत्पादन समान रूप से बहुत कम रहा है। हरियाणा में 1985 में यह 32.8 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश—37.3 प्रतिशत, बिहार 34.1 प्रतिशत, उड़ीसा में 31.7 प्रतिशत पश्चिम बंगाल-12.2 प्रतिशत—**आखिर में आप खुश हो सकते है।**

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : क्यों ? क्या आपने उनसे पूछा है कि क्यों ऐसा है? वे अधिक उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि वे कहते हैं कि रात को इसे कोई भी नहीं कर सकता।

केवल रात में पूरा उत्पादन के द्वारा पी० एल० एफ० में वृद्धि की जा सकती है। यह अन्यथा नहीं हो सकता। आप इसके विश्लेषण में भी जाइए। क्योंकि यदि वे रात में पूरी क्षमता में उत्पादन करते हैं तो पी० एल० एफ० बढ़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप जारी रख सकते हैं।

श्री बसन्त साठे : महोदय, यदि इन्हें विश्वास भी दिला दिया जाए है तो भी दत्ता जी अभी तर्क दे सकते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : आप उद्योगों को रात में काम करने की अनुमति नहीं देते। आप उन्हें हतोत्साहित कर रहे है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब, आप मंत्री जी की बात सुनें आप अन्त में कोई भी स्पष्टीकरण पूछ

सकते है। मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री वसन्त साठे : यदि किसी तरह आप अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं और अन्तरीय शुल्क देते हैं ताकि वे रियायती टैरिफ पर रात को काम कर सकें। परन्तु आपका राज्य बिजली बोर्ड इसको नहीं कर रहा है। आप इसके लिए मुझे दोष क्यों दे रहे हैं।

श्री अमल दत्त : रियायत भी दी जा रही है।

श्री वसन्त साठे : पश्चिम बंगाल में 26.3 प्रतिशत है। सबसे कम असम में 27.5 है। इसका कारण यह है कि पूर्वी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन कम हो गया है तथा यह उपलब्ध नहीं है। हमारे पास इस प्रकार की स्थिति है। इससे परिषण के दौरान होने वाली क्षति शामिल है। पारेषण में क्षति 21 प्रतिशत है। जैसा कि मैंने अपने एक उत्तर में कहा है कि तकनीकी कारणों से पारेषण में क्षति हो सकती है आप कह सकते हैं कि यह क्षति लगभग 8-10 % या 10-12 % तक होती है। बाकी पारेषण में क्षति चोरी के कारण होती है। और लोगों के अन्दर यह गलत धारणा है कि कृषि कार्यों के लिए उपयोगकर्त्ताओं द्वारा अधिकतर चोरी की जाती है। यह सही नहीं है।

जितनी बिजली का हम उत्पादन करते हैं, उसमें से शायद लगभग 17 प्रतिशत कृषि प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को जाती हैं उद्योगों को 80 प्रतिशत दी जाती है। इन उद्योगों में वास्तविक चोरी होती है। इसलिए, हम अधिकतर राज्यों की सिफारिश करते हैं कि इस चोरी को रोकने के लिए उन्हें कठोर दण्ड के उपबन्ध बनाने चाहिए। कुछ राज्य इसे कर रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि वितरण कार्य तथा उत्पादन भी आज राज्य क्षेत्र में है और राज्य क्षेत्र में 85 प्रतिशत बिजली पैदा की जाती है और उसे वितरित भी किया जाता है। इसलिए उन्हें सुधारक उपाय लेने चाहिए। हमने उन्हें मनाने उन्हें कुछ कानून बनाने के लिए राजी करने की कोशिश की है। जिसके द्वारा इसको किया जा सकता है। यदि 10 प्रतिशत तक इन क्षतियों को कम किया जा सके तो इसका अर्थ होगा 5000 मेगावाट बिजली का उपलब्ध होना। आज वे इस चोरी के द्वारा राजस्व की हानि उठा रहे हैं। यदि वे इसे बचा सकें तो वे राजस्व भी अर्जित करेंगे। मैं कानून को बनाने का समर्थन करता हूं।

जहां तक राज्य बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है इसका कोई फायदा नहीं है कृषि की आर्थिक सहायता देना अच्छा है इसे करिए। हम इसे कर रहे है। आज कृषि के लिए औसतन प्रभार लगभग 20 पैसा है। कुछ राज्य इसे वास्तविक रूप से प्राय: निशुल्क देते है। परन्तु आपको उत्पादन लागत से कम पैसे में बिजली की सप्लाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से आपको हानि होगी। महोदय, क्या आप राज्य बिजली बोर्ड की हानियां जानते हैं ?

इस योजना के अन्त तक लगभग 11 हजार करोड़ रुपया हानि होने का अनुमान है। यह हास्यास्पद होगा। कोई भी राज्य बिजली बोर्ड कभी भी टिक नहीं सकेगा। राज्य बिजली

बोर्डों के रख रखाव और निष्पादन को सुधारने के लिए हमने 500 करोड़ रुपये की सहायता दी है। परन्तु इस सभी सहायता के साथ और आर० ई० सी० आर्थिक सहायता के साथ जो राज्य बिजली बोर्डों को दी गई है, यदि वे ऐसे ही निरन्तर कार्य करते है तो यह संभव नहीं होगा। आर० ई० सी० आर्थिक सहायंता पहले और आर० ई० सी० सहायता के बाद हानियों के कारण बहुत अधिक है। यदि आप 1974-79 की अवधि लेते हैं तो आर० ई० सी० आर्थिक सहायता से पहले 652 करोड़ रुपए था। 1980-85 में यह अर्थात आर०ई०सी० आर्थिक सहायता पहले यह, 4285.4 करोड़ रुपए था। आर० ई० सी० आर्थिक सहायता के बाद यह 1080 करोड़ रुपए है। यह अनुमान लगाया गया है। कि 1985-86 तक यह 11757 करोड रुपए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में शुल्क कितना है और कितनी अधिक आर्थिक सहायता है। कृषि क्षेत्र को बेची गई बिजली से प्रति यूनिट ओसत वसूली 1974 में लगभग 17.87 रुपया था और 1886 में 29.69 रुपया था। तब उद्योग से इसे वसूल किया जाए। आपको कहीं से तो वसूली करनी होगी। आप "खेद है" नहीं कह सकते हैं और लगातार आर्थिक सहायता देते हुए लगातार हानि नहीं उठाते रहेंगे" इसलिए यदि आप कुछ राज्यों के विभिन्न प्रभारों को देखें जैसा कि मैंने पहले कहा था, वे ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। वे ठीक कार्य क्यों कर रहे है ? उसका कारण यह है कि यदि आप आन्ध्र प्रदेश को लो जिसका प्लांट लोड फैक्टर 64 है इसका मतलब है कि लागत भी कम आती है। यह देखें कि उत्पादन लागत 47.25 रुपए है। वे 49.98 रुपए लागत के और लाभ का 2.23 रुपए प्रति यूनिट वसूली करते है।

लेकिन बिहार में 106.10 रुपए लागत है क्योंकि उपभोक्ता से वे उत्पादन लागत का 87.69 रुपए लेते है।

उत्पादन की अधिक लागत के कारण यदि यह अधिक भी है तो भी हम आर्थिक सहायता देते हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि कृषि के आगे भी आर्थिक सहायता दी जाती है जब आप 87.69 रुपए में से 87.41 रुपए प्रभार लेते है। तब बिजली बोर्ड किस प्रकार से लाभ कमा सकते है।

गुजरात में हालांकि उत्पादन लागत अधिक है, वे 89.70 रुपए की वसूलीकर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। सौभाग्य से तमिलनाडु भी लाभ कमा रहा है तमिलनाडु में 72.63 रुपए लागत है और वे 76.59 रुपए शुल्क ले रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में उनकी लागत 90.16 रुपए है। वे 79.87 रुपए का शुल्क ले रहे हैं और इसलिए हानि उठा रहे है।

कर्नाटक में, वे 56.58 रुपए शुल्क लेते है और वे हानि में चल रहे है।

केरल में, उनकी लागत 35.36 रुपए है और वे 35.10 रुपए शुल्क लेते है तथा वे हानि पर चल रहे हैं।

[श्री वसन्त साठे]

उत्तर प्रदेश में उनकी लागत 76.14 रु० है और वे 82.11 रु० शुल्क के रूप में लेते है तथा वे अभी भी लाभ कमाते है हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे कम लागत वाले राज्यों में से एक है।

मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सौभाग्य से हमारे सरकारी क्षेत्र के सभी प्रभाव इकाईयों ने लाभ कमाया है अपने निष्पादन का यह प्रतीक है।

1984-85 के दौरान एन०टी०पी०सी० ने 136 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है 1985-86 की अवधि में इसने 212 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।

एन० एच० पी० सी० 31 करोड़ रुपये कमाएगी।

आर० ई० सी० 123 करोड़ रुपये

एन० पी० सी० सी० 8.5 करोड़ रुपये

परन्तु इतना सब कहने के बाद मैं उपलब्धता के बारे में कहना चाहता हूं, यदि आप मांग और प्रायोजना को देखें तो आप पाएंगे कि देश में हमारी बिजली के 80 % का उपयोग गहन ऊर्जा का प्रयोग करने वाले 8 उद्योगों द्वारा किया गया है। मैंने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र द्वारा 80 प्रतिशत का उपयोग किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 प्रतिशत जाता है। 80 प्रतिशत में से जो औद्योगिक क्षेत्र को जाता है। गहन ऊर्जा का प्रयोग कर रहें 8 उद्योग कुछ 80 प्रतिशत का उपयोग करते है जिसमें अल्युमीनियम, लोहा और इस्पात, वस्त्र रसायन, उवरंक, सीमेंट, कागज और कोयला खानें हैं।

जैसा कि कोई तर्क दे रहा था कि यदि वहां बिजली को बचाया जाता है और यदि इन उद्योगों में अच्छे तकनीकी उपाय अच्छा परिवर्तन, बेहतर प्रबन्ध और इन सभी प्रयासों के द्वारा बचत की जाती है तो जैसा कि बताया गया है कि इन सभी प्रयासों के द्वारा यदि 10 प्रतिशत की भी बचत कर सके तो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत भारी बचत हो जाएगी। अत: एक तरफ तो हम संरक्षण पर बल दे रहे है और दूसरी तरफ पी० एल० एफ० के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए बल दे रहे है जो मैंने देश के सामने और सभी पूर्वी क्षेत्रों के सामने रखा है वह यह कि हमें यथाशीघ्र 60 पी० एल० एफ० के लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। वे सब ऊपर आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हरियाणा में पानीपत तथा ओबरा भी गया था जहां श्री पनिका जी थे; मैं बिहार के पतरातू स्थान पर गया और मैं उड़ीसा के तालचेर में भी गया। जहां तक सम्भव है, हम सहायता करने का प्रयास करते हैं और उसके परिणाम मिल रहे हैं। वे योग्य हैं। हमारे लोग अपने कार्य को करने के योग्य है। मैं उसे जानता हूं। हम इसमें बेहतर प्रबन्ध और अनुशासन तथा कुछ उपाय कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, मैं बिजली के दृश्य पर अधिक नहीं बोलना चाहता

हूं। परन्तु जहां तक कोयले का सम्बन्ध है मैं यथा सम्भव कम कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

जहां तक हमारे उत्पादन का सम्बन्ध है हालांकि हम 154 तक पहुंच गए है, कोयले का मूल्य बराबर ऊपर रहना हैं। यह क्यों बढ़ता जा रहा है और इसको कोई तुलना नहीं है तथा कभी हानि पूरी नहीं होती है इसका एक कारण यह है कि इसके उत्पादन की लागत का अनुपात और मूल्य बहुत अधिक है। आप देखेगें कि जब भी हम मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कहते है और मैं आपको लाभ तथा हानि का विवरण दूंगा कि लाभ और हानि का उत्पादन की लागत मूल्य से सीधा आपसी सम्बन्ध है और मैं आपको इस समय यह बात बताऊगा कि उत्पादन की लागत क्यों अधिक है। 1973-74 में उत्पादन की औसत लागत 46.36 थी। राष्ट्रीयकरण के बाद ये प्रशासनिक मूल्य हैं। पिट हेड मूल्य 37.50 रुपये है। यदि आप लगभग 10 रुपये कम का थोड़ा कम देते है तो आप किसी एकक से लाभ कमाने की आशा नहीं कर सकते इसी तरह, आप देखेगें कि 1974-75 में लागत 55.27 थी। मूल्य 47 में से 7.7 कम करके दिया गया था। 1975-76 में यह 69.12 था; 1976-77 में यह 75-66 था 1977-78 में यह 82.46 था। 1978-79 में यह 87.0 था। साधारण मुद्रास्फीति के कारण न कि पूरी तरह से श्रम के कारण इन सभी चार वर्षों में लागत बढ़ रही थी यदि सूचकांक ऊपर जाता है तो महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होती है, मजदूरी भी बढ़ती है; राष्ट्रीयकरण के बाद से कर्मचारियों की संख्या में लगभग 2 लाख वृद्धि हुई है। अतः यह कहना ठीक नही है कि कर्मचारियों को कोयला क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु इन चार वर्षों के लिए फिर भी क्या मूल्य दिए गए थे 1978-79 में 1986 की अपेक्षा यह 64.92 था। 1979-80 में इसमें वृद्धि हुई थी। 1980-81 में लागत 105 से 123 तक बढ़ी थी। हमने कौन सा मूल्य दिया था ? यह 101 था। यह प्रशासनिक मूल्य है।

आप जान जायेंगे कि किसी भी उद्योग में लागत में कुछ और जुड़ जाता है। जब आप कीमत निर्धारित करते हैं तो आप लागत से कुछ अधिक ही पाते है। वर्ष 1981-82 में यह 134 रु० थी, हमारे द्वारा अदा की गई कीमत 128 रुपये थी, और 1982-83 में यह

3.00 म० प०

152 रु० थी। और यह 152 रु० से बढ़कर 190 रु० हो गई। 2 वर्षों तक हमने 145 रुपए कीमत अदा की जब यह बढ़कर 208 रु० हो गई तो हमने कीमत 183 रु० अदा की। और इस वर्ष जब यह बढ़कर 215 रु० हो गई तो हमने कीमत 210 रु० दी है। परन्तु 1983 में एक और नया तथ्य सामने आया। हमने प्रत्येक 4 साल के लिए वेतन समझौता किया। क्या आप जानते हैं कि समझौता तीन वर्षों की बकाया भुगतान राशि सहित किया गया और इस बकाया राशि से 250 करोड़ रुपये का अन्तर पड़ा ? हमें 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने पड़े थे। निःसन्देह यह राशि उनकी वैध बकाया राशि है। परन्तु इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक तरफ आप लागत मूल्य नहीं देते हैं और दूसरी ओर आप लाभ भी चाहते हैं। परन्तु ताज्जुब की बात ओ० एन० एस० है। आप चीन के बारे में बात कर रहे हैं। आप दूसरे देशों की बात कर रहे हैं। हमारे देश में एक व्यक्ति द्वारा एक

[श्री वसन्त साठे]

पारी में दिया गया कार्य आउटपुट मैनशिफ्ट कितना है ? श्रीमती गीता मुखर्जी ने श्रमिकों के योगदान का भी जिक्र किया है। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने पूरे जीवन में श्रम क्षेत्र में कार्य किया है और सर्वप्रथम मेरी सहानुभूति हमेशा श्रमजीवी वर्ग के प्रति है परन्तु हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जहां तक आधार भूत उद्योगों का सम्बन्ध है हमने क्या किया है। यदि हम उनकी कीमत ऊंची रखते हैं तो इस रूपरेखा पर आधारित बाकी बचे हुए सभी उद्योगों की कीमत भी बढ़ जाएगी। यदि कोयला महंगा है तो विद्युत महंगी हो जाती है। यदि विद्युत महंगी हो जाती है तो आप इस्पात नहीं बना सकते क्योंकि इस नई प्रौद्योमिगिकी में इस्पात बनाने के लिए विद्युत भट्ठी की आवश्यकता होती है जिसके लिए विद्युत की आवश्यकता है। यदि आप बिजली नहीं देते हैं तो आप नया इस्पात कैसे बनायेंगे ? इसलिए आप इस्पात नहीं बना सकेंगे। एल्यूमिनिमिय बनाने में बिजली अधिक खर्च होती है। हमारे पास उत्तम एल्यूमिनियम स्रोत हैं परन्तु हम एल्यूमिनियम का उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए हमें विद्युत दर सस्ती करनी चाहिए। यदि आप कोयले को जो विद्युत उत्पादन की आधार भूत मद है, इतना महंगा कर देते हैं तो आप विद्युत को कैसे सस्ता कर सकते हैं ?

एक व्यक्ति द्वारा एक पारी में किए गए कार्य का अनुपात देखिए। ओ० एम० एस० में हमारा देश एक अन्य देश की तुलना में बहुत नीचे है। हमारे देश में एक व्यक्ति द्वारा एक पारी में किया गया कार्य 0.86 अथवा 88 है यद्यपि यह चार अंक और बढ़ गया है। आस्ट्रेलिया में 13.9 है अमरीका में 16.3 है; हमारे मित्र देश चीन में 2.1 है। और क्या आप प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन आमदनी—एक व्यक्ति द्वारा एक पारी में किए गए कार्य के अनुपात के बारे में जानते हैं ? प्रति व्यक्ति की एक पारी की आय भारत में 98 रुपए है जबकि चीन में 12 रुपए है और अमरीका में 88 रुपए है तथा आस्ट्रेलिया में 84 रुपए है। इसका क्या अर्थ है ? यद्यपि आस्ट्रेलिया में उनकी प्रतिदिन आय 1168 रुपए है और अमरीका में 1436 रुपए है क्योंकि उनका एक व्यक्ति द्वारा एक पारी में किए गए कार्य का उत्पादन⋯(व्यवधान) मैं भारत में एक श्रमिक द्वारा किए गये उत्पादन के सम्बन्ध में उसकी आमदनी की बात कर रहा हूं। उसकी आमदनी 98 रुपए है क्योंकि उसका वेतन लगभग 1800 रुपए प्रति महीना है।

श्री अमल दत्त : क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि एक श्रमिक को एक पारी में 98 रुपए मिलते हैं ?

श्री वसन्त साठे : 98 रुपए प्रति पारी अनुपात है। भारत में उसे 85 रुपए प्रति पारी मिलते है जबकि चीन में आठ घण्टे की पारी में उसे 24 रुपए मिलते हैं। (व्यवधान) चूंकि उसे 1800 रुपए प्रति महीना मिलते हैं और यह राशि लगभग उतनी ही पड़ेगी। आप 2000 रुपए को 26 दिनों में विभक्त कर दीजिए और आपको ज्ञात हो जाएगा कि कितनी राशि मिलती है। (व्यवधान) मैंने कहा है कि 1800 रुपए कम से कम औसत हैं; मैं सभी कर्मचारियों के औसत की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : मन्त्री जी, इनकी तकलीफ यह है कि आपने भारत की प्रशंसा की वहां तक तो ठीक है लेकिन चीन की बुराई क्यों कर दी। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : आपको इस बारे में खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं है बात यह है कि यदि एक व्यक्ति द्वारा एक पारी में किया गया कार्य··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री वसन्त साठे : इस देश में हमने लगभग 5000 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसका निर्णय संसद के हाथ में है क्योंकि यह सार्वजनिक धन है। राष्ट्रीयकरण के समय कुल निवेश 50 करोड़ रुपए था जबकि उत्पादन 770 लाख टन था। शोषण हो रहा था; खान मालिक शोषण कर रहे थे और यही कारण है कि श्री मोहन कुमार मंगलम ने यहां यह कहा कि इनका 'राष्ट्रीयकरण होना चाहिए" और हम सबने इसका समर्थन किया था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात अकेली कोयला खनन के मामले में मुख्य रूप से मशीनीकरण के लिए हमने 5000 करोड़ रु० खर्च कर दिए हैं और जैसा मैंने कहा कि दो लाख कर्मचारियों और पुनःस्थापन के साथ परिणाम यह है कि आपने केवल 700 लाख टन ही अधिक उत्पादन किया है। परन्तु चीन ने जितना अधिक उत्पादन किया वह लगभग हमारे 1949 में हुए उत्पादन (व्यवधान) कृपा करके मेरे भाषण में व्यवधान मत डालिए— 7000 लाख टन के बराबर था जो सामूहिक रूप में मंत्रीकरण द्वारा 2.1 % एक व्यक्ति द्वारा एक पारी में किये गए कार्य की व्यवस्था करके किया गया। और यदि आप एक व्यक्ति द्वारा एक पारी में किए गए कार्य की दर को 1.5 प्र० तक भी बढ़ा लेते तो जो नुकसान हो रहे हैं वे पूरे हो जाएंगे। यह किसकी जिम्मेदारी है ? उस देश में हमने क्या किया है ? श्रमिक वर्ग को एक बात महसूस होनी चाहिए अर्थात् यदि आप समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं तो बुनियादी सुविधायें भी सस्ती होनी चाहिएं। आप अधिक इस्पात बनाइये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इस्पात उद्योगों में ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले और वे शहरी क्षेत्रों में आने के लिए बाध्य न हों। यदि अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है यदि अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है तो कोयले पर आधारित उद्योगों को अधिक विद्युत उपलब्ध होती है। यह हमारा ध्येय होना चाहिए। (**व्यवधान**) अधिक मांग करने की हमारी नीति है। हम दोनों की खूबियां चाहते हैं। हम चीनी अनुशासन नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि एक कर्मचारी को 24 रुपए दिए जाएं। हम नहीं चाहते कि प्रति टन 12 रुपए दिए जाएं। हम प्रति व्यक्ति प्रतिपारी कार्य 2.1 नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को उनके सभी अधिकार मिलें परन्तु कोई उत्तरदायित्व न हो।

सभी मांगें हैं। वे उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। औसत 1800 रुपए है। आप इसकी अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध प्रति व्यक्ति आय से तुलना करें। इसलिए ऐसा क्यों कहते हैं कि हम

[श्री वसन्त साठे]

अधिक उत्पादन नहीं करेंगे ? मैं मजूरी को कम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें साथ-साथ···ये किसकी जिम्मेदारी है ?

आखिर यह किसका पैसा है ? कौन सी अर्थव्यवस्था के बारे में हम कह रहे है ? यदि हम चाहते हैं कि यह देश समृद्ध हो तो क्या आप इस प्रकार की संकुचित अर्थव्यवस्था को आधार बना रहे हैं अर्थात ऊंची लागत को बढ़ावा देना और फिर ऊंची कीमतें। हम केवल अन्तराष्ट्रीय बाजार में ही नहीं अपितु अपने देश के बाजार में भी ठहर नहीं पा रहे हैं 8000 रुपये प्रतिटन पर इस्पात कौन ले सकता है ? 710 रुपए प्रतिटन पर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन कोयला ले सकता है ? अन्ततः यह किसे देना पड़ेगा ? कौन लगाएगा ? हमारी जनसंख्या का केवल एक छोटा वर्ग जो मुश्किल से आठ करोड़ है इस उच्च लागत वाली अर्थव्यवस्था को झेल सकता है। यदि आप उत्पादन नहीं करते हैं और अधिक उत्पादन करने की योजना नहीं बनाते है और आधारभूत ढांचे को अधिक सस्ता और कम लागत का नहीं बनाते हैं तो हमारे अधिकांश लोग निर्धन बने रहेंगे।

मैं वाद-विवाद का कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता इसीलिए मैंने कहा है कि इसे प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि हम अपनत्व की भावना पैदा करें। यह केवल कर्मचारियों की या प्रबन्धकों की जिम्मेदारी नहीं है। यह सबकी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है। एक कार्य का नया परिवेश बनाया जाना चाहिए—भाग लेने वाला परिवेश। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों को मन्त्री महोदय के भाषण में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। उन्हें पूरा करने दें। फिर अन्त में आप स्पष्टीकरण मांगे।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : दूसरे पक्ष के मेरे मित्र एक बात को नहीं समझते हैं। मैं उनके साथ लगभग गत दो वर्षों से भागीदारी के सम्बन्ध में सहमत होने के लिए चर्चा करता आ रहा हूं।

श्री अमल दत्त : हम सहमत हुए है।

श्री वसन्त साठे : यदि एक यूनियन सहमत होती है तब दूसरी यूनियन इसके बिलकुल प्रतिकूल बात करती। एक यूनियन कहती है कि हमें केवल गुप्त मत दान ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी यूनियन कहती है कि हमें इसका केवल पूछताछ करके पता लगाना चाहिए। (व्यवधान) मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि आप प्रबन्ध में किसका प्रतिनिधित्व चाहते हैं ? यदि कर्मचारियों के भाग लेने की बात है तब कर्मचारियों को चुनाव करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कर्मचारी संघों का चुनाव करें और आप संघों द्वारा भाग लेना चाहते हैं तब एक शर्त हैं यह कि जो संघवाद में विश्वास नहीं रखते हैं और जो किसी भी संघ के सदस्य नहीं हैं उन्हें संघ बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने एक प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा था कि हम उन

सदस्यों की जो संघों से सम्बन्धित नहीं है। सभी संघों से एक सूची लें। संघ सूची दें कि ये मेरे कर्मचारी है। वस्तुतः इनकी कुल संख्या काम कर रहे। कुल कर्मचारियों का संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : कभी-कभी ऐसा होता है। (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : इसलिए महोदय, मैंने कहा कि मुझे एक सूची दें। जब आप ये सूचियां दे दें तो वे सभी जो संघों में हैं निर्वाचक मण्डल होंगे। तब हम यूनियनों के चुनाव करेगें। आज, यहां लगभग 20 से 25 यूनियनें हैं। यह एक अव्यवस्थित स्थिति है। हम फिर भी कहेंगे कि ठीक है ये यूनियन हैं और वोट दें और डाले गए वोटों के अनुपातिक आधार पर ही नहीं, बहुमत के आधार पर भी प्राप्त मतों के अनुपात से हम उन्हें प्रबन्ह में प्रतिनिधित्व देंगे। वे जो 40% मत प्राप्त करेंगे उन्हें प्रबन्ध में 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जो 30% मत प्राप्त करेगें उन्ने प्रबन्ध में 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जो 15 प्रतिशत प्राप्त करेगें उन्हें प्रबन्ध में 15 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी प्रकार लगभग सभी यूनियनें सहमत हुई हैं। परन्तु ये विचार-विमर्श एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं। क्योंकि मैं ईमानदार रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी कर्मचारी प्रबन्ध में भाग लें। मैं जानता हूं कि भाग लिए बगैर उत्पादन की, उत्पादकता की, कार्य करने की अच्छी दशाओं की समस्या को एक दम हल नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार में इसके लिए यूनियन का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। एक यूनियन ने आज फिर कहा है "हम इस प्रस्ताव पर भी राजी नहीं है। हम केवल गुप्त मतदान चाहते है।" क्या यह तर्क संगत है ? गुप्त मतदान से तात्पर्य है कि किसी भी कर्मचारी को जो यूनियन का सदस्य भी नहीं है, वोट देने का अधिकार है और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यह कैसे हो सकता है कि एक कर्मचारी जो यूनियन में विश्वास नहीं रखता है को वोट डालने का और यूनियन का चुनाव करने का अधिकार हो। क्या यह युक्ति है ? एक तरफ तो गति-रोध है और दूसरी तरफ आप हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं ? मैं इन सभी लोगों से निवेदन करता रहा हूं कि ये सभी एन० सी० डब्लू-3 मागें तय की जा सकती है। एक मांग के बारे में मेरी अपनी धारणा है। मैंने जे० सी० डब्लू० पी० की बैठक में भी बताया था कि "देखिए यदि हम जो निवृत हो रहे हैं उन पर निर्भर रहना मान लें तो केवल उनकी निर्भरता ही मानी जाएगी।" यह एक संविधानिक कानून हो सकता है। (**व्यवधान**) आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका : वरीयता दी जानी चाहिए।

श्री वसन्त साठे : हां मैं वह समझ सकता हूं। इसलिए यह भी सुलझाई जा सकती है। प्रत्येक समस्या का समाधान मिल सकता है। महोदय, मैं कोयला क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों से यहां उपस्थित माननीय सदस्यों के माध्यम से निवेदन करूंगा। हमारे ऐसे उत्तम संबंध हैं और जैसा मैंने कहा कि मैंने कभी भी किसी से मिलने से इन्कार नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुझे श्रमिकों से सबसे पहले लगाव है। मैं उनके साथ जिन्दगी भर कार्य करता रहूंगा, मैं उनके साथ बैठने को इच्छुक हूं।

[श्री वसन्त साठे]

आइए, हम विरोध के बजाय विचार विमर्श से समस्यायें सुलझायें। एक बार जब हड़ताल होती है तो आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है ? इस वर्ष कार्य दिवसों की क्षति 97000 है। एक दिन में सात लाख लोगों के हड़ताल करने का अर्थ है 7 लाख कार्य दिवसों की क्षति। मैं यह बार-बार कहता रहा हूं। मैं स्वयं जे०सी०डब्लू०पी० की बैठक में गया था। मैं प्रत्येक से यह कहते हुए आग्रह करता रहा कि कृपया इस मामले को न उलझाओ। यह आवश्यक नहीं हैं और हम ये सब समस्यायें सुलझा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : एक समझौता किया गया था, परन्तु यह कार्यान्वित नहीं किया गया। यहां हम समझौते की बात कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उनका समझौता एक वर्ष पश्चात् खत्म हो जायेगा।

श्री वसन्त साठे : जैसा मैंने कहा कि हम उसे वरीयता देंगे। परन्तु कानून न बनाइये। यह वैसे ही कहना है कि इसके बाद कोयला उद्योग में बाहरी आदमी कभी नौकरी प्राप्त नहीं कर पायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आप क्यों सहमत हुए ?

श्री वसन्त साठे : क्या आप मुझ से जबरदस्ती बात मनवाना चाहते हो ? आप क्यों सहमत हुए से क्या मतलब है ? आप इस तरह का तर्क नहीं कर सकते। यदि यह गलत है, यदि यह असंवैधानिक है तो निश्चित ही यह असंविधानिक है हमें उस पर चिपके नहीं रहना चाहिए... (व्यवधान) आपने उसके लिए दबाव डाला क्योंकि इस्पात क्षेत्र में एक ऐसा समझौता हुआ था। मुझे बताया गया है कि उन्हें इस्पात में स्थगन आदेश मिला। इसी प्रकार का एक समझौता इस्पात में हुआ था इसीलिए उन्होंने कोयला क्षेत्र में भी दबाव डाला और कहा "आप ऐसा ही समझौता करें जैसा इस्पात में हुआ था, तत्कालीन प्रबन्धक सहमत हुआ। उच्च न्यायालय ने इस्पात क्षेत्र को स्थगन आदेश दिया। यदि आप सहमत हो तो हम इस पर भी उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए सहमत हो सकते हैं। हमें इस मामले को भी भेजना चाहिए। हम इसमें मत लें परन्तु सिद्धांत रूप में ऐसी कोई बात न करें जो न केवल कर्मचारियों के हित के विरुद्ध हों परन्तु सारे देश के हित के विरुद्ध भी न हो। मैं इसी की वकालत आपके साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। हम इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रहे हैं जबकि हम बातचीत करना चाहते हैं ? आपने बन्द करने का फैसला क्यों किया ? मैं आपकी क्षमता से अवगत हूं। यदि देश की सारी यूनियनें सहमत हों, यदि वे बन्द ही करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? आम इसे रोकेंगे। परन्तु घाटे में कौन रहेगा ? आपको क्या हासिल होगा ?

यह तो केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन एक बात याद रखें।

किन्तु दुनियां भर में सबसे काम उत्पादन का यह क्या रवैया है, अधिकतम वेतन उद्योग की आधारभूत संरचना को मंहगा बनाना और 5000 करोड़ रुपये जो सार्वजनिक धन है, जो गरीबों का पैसा है को बरबाद करना ? आपको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं तो मैं इस बारे में संसद से जानना चाहूंगा, क्योंकि यह लोक-धन है यह जनता का धन है और उसी को इसका प्रयोग करने दें। लेकिन आप 75 करोड़ लोगों को लूट नहीं सकते।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह कैसा रवैया है ? आपने पिछले नौ मास के दौरान कार्यकारी पदों की संख्या 87 तक बढ़ा दी है और अकार्यकारी पदों की संख्या में 550 पदों की कमी कर दी है। क्या आप इसे स्पष्ट करेंगे ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या श्रमिकों के प्रति आपकी यही सहानुभूति है ?

श्री वसन्त साठे : यहां भी आप गलत हैं...(**व्यवधान**) क्या आप जानते हैं कि वह संख्या कैसे बढ़ी है ? यह इसलिए है क्योंकि हमने अकार्यकारी कनिष्ठ पदों की कार्यकारी वर्ग में पदोन्नति कर दी है। इसी कारण, कार्यकारी वर्ग की संख्या बढ़ गयी है। हमने उनको फायदा पहुंचाया है। आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रमिकों की संख्या 550 से कैसे कम हो गयी है ? (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : एक क्षेत्र में ही 50 हजार श्रमिक फालतू हैं...(**व्यवधान**) आप सारे उद्योग का नाश करेंगे।

अब, एक एकड़ भूमि को लेने से व्यक्तियों के विस्थापित होने के बारे में नई नीति क्या है। क्या हम तबाही लाते हैं ? जिन व्यक्तियों को विस्थापित कर दिया है उनके सम्बन्ध में समझौता क्या हुआ है ? भूमि से विस्थापित प्रत्येक व्यक्ति को कोई नौकरी अवश्य दी जानी है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है।

श्री वसंत साठे : मैं उच्चतम न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कभी नहीं करूंगा।

अगर एक कृषक के पास एक एकड़ सिंचित भूमि है तो इससे उसकी मासिक आय क्या होगी ? जब हम किसी की भूमि अधिग्रहीत कर लेते हैं तो प्रत्येक उसे सिंचित भूमि कहने लगता है, इससे पहले यह वर्षा पर आधारित थी। श्री बिखे पाटिल आप इसके विशेषज्ञ हैं। एक आदमी कितनी कमाई कर लेता है ? श्री अमल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि प्रतिमास एक एकड़ भूमि से कृषक कितनी शुद्ध आय प्राप्त कर सकता है ? 200 रुपये प्रतिमाह।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप कृषकों की आय की तुलना क्यों नहीं करते...(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं।

[**हिन्दी**]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : यह देश किसानों का है, हम लोग किसानों के देश में रहते हैं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृषि उत्पादन पर कितना धन लगाया जाता है ?... (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : अगर आप 200 रुपये मानते हैं तब क्या होता है ? आप कहते हैं कि हम पुनर्वास की जिम्मेवारी लेने के इच्छुक हैं। मैं संसद से निवेदन कर रहा हूं कि हम उस परिवार के पुनर्वास की जिम्मेवारी लें : यदि आप यह कहना चाहते हैं कि आप जो मुआवजा देते हैं जो 10000 रुपये या 13000 रुपए या 20000 रुपए है, चाहे राशि कितनी भी है, इसके अतिरिक्त उस परिवार की जीवन भर भरण पोषण की पूरी जिम्मेवारी लीजिए। 200 रुपए या जो कुछ भी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, आपको उनको प्रतिमास देना चाहिए। फिर भी, एक व्यक्ति को रोजगार देना और उसको एक घंटे के कार्य के लिए और कतई कार्य न करते हुए प्रति माह 1800 रुपए देने की बजाय, यह ज्यादा लाभदायक होगा।...(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री नारायण चौबे : हम आपकी बात को तो समझ गए लेकिन आपने यह किताब क्यों लिखी, यह हमारी समझ में नहीं आता। जो किताब हमारे सामने रखी है, उसको लिखने का क्या मतलब है, यह बताईये।

[**अनुवाद**]

श्री वसन्त साठे : उत्पादन 0.86 प्रतिशत है। यदि यही उत्पादन आप भारत में प्राप्त करना चाहते हैं... (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : इस देश में हजारों करोड़ रुपये का काला धन है। यह आपकी किताब में लिखा हुआ है। हम सिर्फ यह चीज प्राप्त करना चाहते हैं... (**व्यवधान**)

3.27 म० प०

[**श्री शरद दिघे पीठासीन हुए**]

सभापति महोदय : इस ढंग से कोई वाद-विवाद नहीं होगा। माननीय मंत्री को चर्चा का

जवाब देने दें। कृपया बैठ जाइये। व्यवस्था बनाये रखिए...(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : कार्य क्या है ?...(**व्यवधान**)

मैं पूछना चाहती हूं कि मेरे राज्य में बिजली में कितनी कटौती की जाती है।...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस तरह कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया मंत्री जी को पहले से ही शुरू किये गए वाद-विवाद पर जवाब देने दीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : श्रीमान, जैसा मैंने कहा है, मुख्य रूप से घाटे की स्थिति बी० सी० सी० एल० और ई०सी०एल० में है। वह क्षेत्र, उसके बारे में तो प्रत्येक सदस्य भ्रष्टाचार, माफिया और चोरी के बारे में कह रहा था। और मैं खुले तौर पर कहता रहा हूं और यहां भी मुझ पर विश्वास करें, इसे सिर्फ वास्तविक सहयोग से ही रोका जा सकता है। और किसी ढंग से आप उन्हें नहीं रोक सकते। भ्रष्ट लोगों को अच्छी तरह से कौन जानता है, चोरों और माफिया लोगों को बेहतर कौन जानता है ?...(**व्यवधान**)

इसलिए उन्हें सही दिशा में लाने का कार्य जारी रखें।...(**व्यवधान**)

मैं इस विषय में आपको एक बात बताऊंगा। मैं पूर्ण स्थिति के बारे में सोच रहा हूं। मैं अलग-अलग दलों के बारे में नहीं सोच रहा हूं और किसी एक दल पर दोष नहीं लगा रहा हूं और दूसरे लोगो को गाली नहीं दे रहा हूं। यह उचित तरीका नहीं है। प्राय: हमारी कितनी राष्ट्रीय शक्ति इन परस्पर कलह और बेबुनियाद सामान्य झगड़ों में ही नष्ट हो जाती है। इसलिए, मैं प्रत्येक से यह अनुरोध करता हूं कि, यदि श्रमिकों तथा उनके कल्याण के लिए आपके दिल में प्यार है तो कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। श्रमिकों के सही और प्रभावित सहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करें। और फिर इसे उन पर छोड़ दीजिए। और उनको लक्ष्य बताइए। यह वह बात है जिसकी राष्ट्र आप से अपेक्षा करता है। और इसी से उत्पादन की आशा की जा सकती है। बहरहाल, यदि आप 50 करोड़ रुपए में एक उपकरण प्राप्त करते हैं और जो प्रतिदिन 13 टन उत्पादन करने के योग्य है, क्या आप उस उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे ?

श्री अमल दत्त : लेकिन वे काम नहीं करते हैं।

श्री वसन्त साठे : कौन नहीं करता है काम ? (**व्यवधान**) इस प्रकार मैं, जो कुछ मैं कह रहा हू वह यह है कि इस देश में हमारे लोग उत्तम काम करने के योग्य हैं। उन्होंने यह बार-बार कर दिखाया है। उनको विश्वास में लें, और उनमें भाई चारे की भावना पैदा करें; और मुझे पक्का विश्वास है कि वे उत्तम काम करेंगे। यह तो हुआ कोयले के सम्बन्ध में।

[श्री वसन्त साठे]

अन्त में, मैं यह एक बार फिर कहूंगा : यह सिर्फ निवेश है। यह सिर्फ एक आधारभूत संरचना है। मुख्य आधारभूत संरचना कोयला है। मैंने पहले से ही इस विषय तथा आप और हमें क्या करने की आवश्यकता है के बारे में बता दिया है। लेकिन यह ऊर्जा के लिए एक निवेश है।

ऊर्जा पर वापिस आते हुए, मैं अपना भाषण गैर परम्परागत साधनों तक सीमित रखूंगा। परम्परागत साधनों का परीक्षण हमने किया है और देखा है, लेकिन जहां तक मूलरूप से इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है धूप सही साधन है, जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में हैं। जो हमारे पास तथ्य, आंकड़े और परियोजनायें हैं, मैं उनका वर्णन नहीं करना चाहता हूं। हम पवन, बायो-मास, बायो-गैस और सौर-ऊर्जा की लाखों मेगावाट ऊर्जा के संबंध में बात कर सकते हैं। मेरे विचार में, सबसे महत्वपूर्ण सौर-ऊर्जा है।

श्री अमल दत्त : आपने जल ऊर्जा को नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : यह एक नियमित, चिरस्थायी साधन है, लेकिन यह परम्परागत है। मैं कह रहा हूं कि अगर हम कुछ सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को यथा संभव प्रोत्साहन और उस पर पूंजी निवेश कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि हमने दूरदराज स्थित खाड़ियां जैसे आदिवासी गांव में इसका परीक्षण किया है ? एक ही साल में लगभग 10 लाख रुपए का पूंजी निवेश करके सारे आदिवासी गांव को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया गया है। उनकी पूरी जिन्दगी ही बदल गई है। आज वे गोबर गैस, बायो-मोस से चलने वाले गैसिफियर के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं। वहां सब घरों में ऊर्जा अर्थात ईंधन और गैस है जिससे लकड़ी की बचत होती है उन्होंने वृक्ष बोए हैं। इससे उन्हें ऊर्जा ही नहीं मिल रही बल्कि अपने पशुओं के लिए चारा भी मिल रहा है। हर किसी को ऐसे स्थानों पर जाकर देखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : हमें वहां ले चलिये।

श्री वसन्त साठे : मैं आपको ले जा सकता हूं या फिल्म दिखा सकता हूं लेकिन सांसद देश में कहीं भी जाने के लिये स्वतंत्र हैं (**व्यवधान**) आप स्वयं जाइये ताकि आपको यह न कहना पड़े कि मैं आपको ले गया (**व्यवधान**) संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं। सामूहिक प्रयास का यही मतलब होता है। हम इसे बढ़ा कैसे सकते हैं अर्थात एकीकृत ऊर्जा एकीकृत ऊर्जा ग्राम या ऊर्जा ग्राम की धारणा को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं ?

सवाल यह नहीं है कि इसे सरकार, नौकरशाही या कोई अन्य एजेंसी करती है। खाड़ियां में, गांव के सारे लोगों ने जिनकी संख्या लगभग एक हजार है, एक ऊर्जा सहकारी समिति का गठन कर लिया है। उन्होंने मिलकर कहा कि "यह काम हम करेंगे, आप केवल हमारी सहायता कीजिये। आज देखकर विश्वास करना पड़ता है। आज उनके पास तीनों—गोबर गैस, बायो मास और सौर

ऊर्जा है। उनके पास टेलीविजन तथा फ्रिज हैं। वे मुर्गी पालन-पशुपालन यथा अन्य छोटे उद्योग चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गांवों में बिजली हो तो मैं आपको यह सब बताऊंगा। आपने हमारे मित्र द्वारा उत्तर प्रदेश में आयोजित उर्जा ग्राम प्रदर्शनी देखी होगी। क्या आप सच में चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर हो? जब हम एक गांव वाले से ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा संबंधी उसकी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत खाने पकाने के लिये ईंधन की हैं। आज तो लकड़ी जलाई जा रही है। हम जानते हैं कि इससे इस देश को कितना परिस्थिति की नुकसान हो रही है। अगर हम गोबर गैस और बायो मास का इस्तेमाल करे तो अनेक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। एक परिणाम तो यह होगा कि बेकार पड़ी चीज का इस्तेमाल हो जाता है अन्यथा उससे गन्दगी ही फैलती इस तरह इससे गैस और उर्वरक मिलता है। तो इस सारी प्रणाली के अनेक लाभ हैं। सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण विकास संबंधी हमारी सारी अवधारणा की बात करते हैं बहरहाल हम संसाधनों की बात करते हैं—हम क्या कर सकते हैं अगर गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधन विभाग को चमत्कार कर दिखाने, उर्जा गांव बनाने, चूल्हा, धुंआ रहित चूल्हा, गोबर गैस आदि के लिए 100 करोड़ रु० की अल्प धनराशि ही दी गई है? तो सदन से मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास के हमारे समस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसके लिये हमने योजना में काफी धनराशि निर्धारित की है, ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण विकास किया जा रहा है। अगर हम इस अवधारणा के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और अगर सदन इस विचार का समर्थन कर उसे स्वीकार करें तो सच मानिए बहुत कम समय में हम प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा कर सकते हैं और चुनौती स्वीकार कर सकते हैं कि इस देश को सातवीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर बनाना है।

मैं प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे की बारीकी में नहीं जाना चाहता। बोलने वाले प्रत्येक वक्ता ने अपने राज्य में, उड़ीसा में किसी परियोजना के बारे में बोला है। इस बारे में मैं उनसे निजी तौर पर बात करूंगा; मैं उनसे मिल सकता हूं; उन्हें लिख सकता हूं। सदन से मेरा निवेदन है कि ऊर्जा मूलभूत जरूरत है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता से देश की प्रगति का पता चलता है। आप जानते हैं कि कितना अन्तर है कनाडा, अमरीका, यूरोप जैसे विकसित देशों में औसतन 8,000-10,000 किलोवाट ऊर्जा प्रति व्यक्ति उपलब्ध है जबकि भारत मे 170 किलोवाट/ अन्तर देखिए। यह भी भ्रमोत्पादक है।

शहरी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में केवल 20 प्रतिशत तो हमारी 80 प्रतिशत जनता के लिए प्रति व्यक्ति 30 किलोवाट ऊर्जा उपलब्ध है। अंतर देखिए। आकाश ही सीमा है। अगर आपके पास अधिक ऊर्जा नहीं है, अधिक विद्युत नहीं है तो प्रगति निरर्थक हो जाएगी। अगर आप संतुलित विकास चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक ऊर्जा होनी चाहिए तभी उद्योग वहां जा सकते हैं। तो, आधारभूत संरचना होनी चाहिए। यह याद रखिए। अगर ऊर्जा सस्ती नहीं है तो अधिक इस्पात उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अगर अधिक इस्पात नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते। इसलिए, इस बात को

[श्री वसन्त साठे]
ध्यान में रखिए और हमारे समक्ष जो लक्ष्य हैं, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हमारी नीति को समर्थन देने की कोशिश कीजिए । मैं माननीय सदस्यों को सहयोग और सुझाव देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं ।

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : उच्च तापीय विद्युत केन्द्र का क्या हुआ है जिसके लिए आपने आश्वासन दिया था ।

श्री वसन्त साठे : हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री शरत देव : कोयला विभाग की क्या स्थिति है ।

श्री वसन्त साठे : अभी कुछ नहीं ।

श्री शरत देव : मुझे समझ नहीं आता कि आप हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

गीता पर आप हाथ रखकर नहीं कह सकते हैं लेकिन जो बोलिए सच तो बोलिए । सुपर थर्मल आएगा या नहीं ?

श्री वसन्त साठे : आयेगा ।

श्री शरत देव : आएगा तभी सैटिस्फाइड हो जायेंगे ।

श्री नारायण चौबे : आयेगा जरूर, पता नहीं कब आयेगा, कैसा आयेगा ?

श्री शरत देव : ईब प्रोजेक्ट होगा या नहीं ?

श्री वसन्त साठे : कह नहीं सकते ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं ऊर्जा मन्त्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं बशर्ते कि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता हो कि उसके कटौती प्रस्तावों को अलग से रखा जाए ।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : अब मैं ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को मतदान के

लिए रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23 से 25 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिकृत संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	ऊर्जा मंत्रालय				
23.	कोयला विभाग	24,76,37,000	2,36,63,84,000	1,23,81,87,000	10,33,24,18,000
24.	विद्युत विभाग	36,69,55,000	2,45,81,00,000	1,83,82,74,000	12,22,25,00,000
25:	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	15,95,89,000	58,33,000	79,79,46,000	3,91,67,000

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1986-87—[जारी]

[रक्षा मन्त्रालय]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सदन रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 17 से 22 को चर्चा और मतदान के लिए लेगा। इसके लिए छः घंटे निर्धारित किए गए हैं।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के

भीतर सभा-पटल पर पत्तियां भेज दें। जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिखी हो, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की कम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी। अगर किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 17 से 22 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए
रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च 1986 को सदन स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	रक्षा मन्त्रालय				
17.	रक्षा मन्त्रालय	89,50,51,000	23,72,04,000	4,43,27,55,000	1,18,60,21,000
18.	रक्षा पेंशनें	91,74,88,000	...	4,58,74,37,000	...
19.	रक्षा सेवाएं थलसेना	9,10,96,20,000	...	45,54,81,02,000	...
20.	रक्षा सेवाएं नौसेना	1,13,35,00,000	...	5,66,75,00,000	...

21. रक्षा सेवाएं वायुसेना.	3,11,23,80,000	...	15,56,15,42,000	...
22. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	1,82,08,00,000		9,10,40,00,000

सभापति महोदय : श्री अय्यपू रेड्डी शुरू कर सकते हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : जहां तक रक्षा मंत्रालय का संबंध है, उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। अब मंत्रालय सीधे प्रधान मन्त्री के अन्तर्गत आ गया है। आमतौर पर इससे यह समझा जाता है कि सरकार रक्षा मंत्रालय के कार्य निष्पादन को लेकर बहुत गम्भीर है। लेकिन दुर्भाग्य से आज प्रधान मन्त्री रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित चर्चा में भाग लेने, ध्यान देने या सुनने के लिए यहां उपस्थित नहीं है।

एक तरह से रक्षा मन्त्रालय के लिए यह दर्जा बढ़ने की बात है, पर जहां तक सदन का संबंध हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह दर्जा घटाना है क्योंकि मांग प्रस्तुत करते समय प्रधान मंत्रा उपस्थित नहीं हैं।

महोदय केन्द्रीय बजट के प्रत्येक रुपए में से रक्षा मंत्रालय का हिस्सा केवल 14 पैसे और विकास के लिए या केन्द्रीय सरकार की विकास योजनाओं का हिस्सा 22 पैसे है। हमारी 2/3 विकास योजनाएं रक्षा के लिए हैं।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बात निश्चित रूप से अधिक प्रतीत होता है। किन्तु सुरक्षा और विकास, दोनों को ही साथ साथ चलना होगा क्योंकि सुरक्षा के बिना विकास असुरक्षित होगा और विकास के बिना सुरक्षा अर्थहीन। अत: हम यदि चाहें भी कि विकास पर सुरक्षा से अधिक खर्च किया जाए तो भी वर्तमान स्थिति में हम आने वाले लम्बे समय तक अपने सुरक्षा व्यय में कटौती करने की स्थिति में नहीं होंगे। सम्भावना यह है कि सुरक्षा व्यय प्रति वर्ष बढ़ता ही जाएगा।

महोदय, हम एक संतुलन स्थापित करना है और हम आशा करते हैं कि कुल बजट में एक रुपये में 14 पैसे सुरक्षा पर खर्च करने होंगे और जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयत्न कररना चाहिए। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि सुरक्षा के लिए आवंटित एक-एक पैसा योजना बनाकर खर्च किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप सुरक्षा मजबूत होनी चाहिये।

मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन से बात शुरू करता हूं। इस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ सुधार है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ

[श्री अय्यपू रेड्डी]
के हस्तक्षेप और ईरान के अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होने के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के अमेरिका के रक्षित क्षेत्र में आने को नोट किया गया है। यह तथ्य भी नोट किया गया है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं और संभवत: चीन पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता के विकास में उसकी सहायता कर रहा है और पाकिस्तान को अमरीका द्वारा सभी आधुनिक हथियार निर्बाध रूप से सप्लाई किए जा रहे हैं। इस बात को भी नोट किया गया है कि आधुनिक शस्त्रों में क्रांति आई है जिससे नक्षत्र युद्ध होने का खतरा है, नई किस्म के अन्तरिक्ष हथियार बन गए हैं और वर्तमान परम्परागत हथियार अप्रचलित हो गए हैं। अन्त में यह भी कि विदेशी ताकतों द्वारा भारत में सशस्त्र विद्रोह द्वारा अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध है यह यर्थार्थवादी दृष्टिकोण है।

एक बात यह भी नोट की गई है कि चीन और सोवियत रूस के बीच संबंध सुधर रहे हैं और संभवत: तीन या चार वर्षों में उनके बीच सम्बन्ध सामान्य हो जायेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं; हम अन्यथा नहीं चाहते। यह नोट करना भी यथार्थपूर्ण है कि चीन सोवियत सीमा से अपनी सैनिक टुकड़ियां हटाकर तिब्बत सीमा पर लगा देगा और इससे हमारे ऊपर अधिक दबाव पड़ेगा।

इन सबके बाद आइए, अब हम सेना की तुलनात्मक शक्ति देखें। चीन में सेना की संख्या 40 लाख है। लगभग 4 लाख लोग वायुसेना में हैं और 33.5 लाख लोग नौसेना में हैं और उनके पास इसी अनुपात में शस्त्र हैं पाकिस्तान यद्यपि छोटा है, हमारी सेना से आधी संख्या में सेना रखता है। उसकी सेना लगभग 4.5 लाख है और उसके पास बेहतर हथियार और तोपखाना आदि हैं अब हम यह कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा नीति क्या होनी चाहिए। हम अभी तक परम्परागत हथियारों से काम चला रहे हैं। हम इसमें सुधार करने का प्रयत्न करना चाहते हैं।

आणविक क्षमता और आणविक निवारक क्षमता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में कुछ नहीं कहा गया। यद्यपिहमारे प्रधान मन्त्री कहते रहे हैं कि हम ये शक्ति प्राप्त कर भी सकते हैं परन्तु यह बात प्रतिवेदन, में नहीं कही गई है। इसे किया जाये अथवा न किया जाए की इस दुविधा का निवारण करना होगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारा विकल्प सीमित हो गया है। यद्यपि हमने आणविक निरस्त्रीकरण संधि से बाहर रहने के निर्णय को बड़े जोरदार ढंग से उचित ठहराया है और हम बड़ी ताकतों द्वारा अपनी आणविक शक्तियां बढ़ाने और अन्य देशों को यह शक्ति प्राप्त करने से रोकने की आलोचना करते रहें हैं, परन्तु हमने अभी तक आणविक क्षमता अर्जित करने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है।

हम वास्तव में यही कहते रहे हैं कि हम कोई भी विकल्प चुन सकते है। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि अब समय आ गया है जब हमें इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करना होगा और यह कहना होगा कि हम निश्चय ही आणविक शक्ति प्राप्त करेंगे। हमें 'मिलर ऑन दि डी' की भांति

यह कहना चाहिए कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और कोई मुझ से ईर्ष्या नहीं करता। मैं लार्क पक्षी की तरह गाता हूं और निश्चित होकर सो जाता हूं।" किन्तु यह केवल एक सपना होगा। आज का यथार्थ यही है कि भारत जैसे देश के लिए आणविक क्षमता अर्जित करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस देश में यह चर्चा चलती रही है और अब सबका यही मत है कि इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। हमें अपनी सेना को श्रेष्ठ हथियार देने चाहिये। मेरे विचार में सभी व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे। लागत-लाभ अनुपात को ध्यान में रखते हुए भी परम्परागत हथियारों पर करोड़ों रुपये खर्च करने से बेहतर होगा आणविक शक्ति प्राप्त करना। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें आणविक शक्ति प्राप्त करनी होगी और इसके लिए हमें क्षमायात्वक बनाने की आवश्यकता नहीं। चाहे यह विचार कितना भी अनाकर्षक क्यों न लगे चाहे हमारी भावनायें इसके विरुद्ध हों, आणविक निरस्त्रीकरण का समर्थक देश होने के नाते हमारी स्थिति चाहे कुछ भी हो, किन्तु यह अत्यावश्यक है और हमें वर्तमान स्थिति को यथार्थ रूप में देखना होगा और अपनी सुरक्षा नीति का मूल्यांकन करना होगा कि हमें आणविक शक्ति प्राप्त करनी है और यह जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। इसमें कोई उलझन दुविधा या संदेह नहीं होना चाहिए। और हमें इस बात के लिए विश्व के किसी भी व्यक्ति के प्रति क्षमायाचक नहीं होना चाहिए।

विश्व में हथियारों की दौड़ में इतना परिवर्तन आया है कि आज युद्ध मैदान में नहीं बल्कि प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केंद्रों से लड़े जाते हैं। एक ओर अत्यधिक खतरनाक हथियारों में सुधार की होड़ और दूसरी ओर इन भयानक हथियारों का मुकाबला करने की होड़ जारी है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के देशों में, जहां प्रत्येक छह में से एक वैज्ञानिक सुरक्षा अनसंधान या हथियारों की फ़ैक्ट्रियों में लगा हुआ है, इस काम पर अरबों डालर खर्च किए जा रहे हैं। आज यह बिल्कुल स्पष्ट है। आज के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में एक लेख छपा है जिसमें रूस द्वारा हथियारों पर खर्च किए जा रहे धन के सम्बन्ध में बताया गया है। बेहतर होगा यदि मुझे इस लेख में से कुछ पैरा पढ़ने की अनुमति दी जाये ताकि हथियारों में अनुसंधान और विकास के महत्व को बताया जा सके : इसमें कहा गया है कि :

> "पेंटागन की रिपोर्ट के एक अनुमान के अनुसार 1990 तक सोवियत संघ एक ऐसा "प्रोटोटाइप पार्टीकल बीम" हथियार का परीक्षण कर लेगा जिससे उपग्रहों की इलेक्ट्रानिक्स व्यवस्था में गड़बड़ की जा सकेगी। यह हथियार उपग्रहों को नष्ट करने के लिए बनाया जायेगा और कुछ ही वर्षों में एक शस्त्र ऐसा बना लिया जो वास्तविक रूप से प्रक्षेपास्त्रों और 'वारहैडस' को नष्ट कर सकेगा।

> "सोवियत संघ के पास बल गति ऊर्जा से शस्त्र तैयार करने के कई अनुसंधान कार्यक्रम हैं। यह टंगस्टन या मौलिब-डेनम जैसी भारी धातुओं के कणों की धारा है जिसे वायु में 5 कि.मी. प्रति सैकेण्ड और अंतरिक्ष में 60 कि०मी० प्रति सैकेण्ड की गति से बन्दूक से छोड़ा जा सकता है। 1990 के अन्त तक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों का मुकाबले करने के लिए अन्तरिक्ष

[श्री अय्यपू रेड्डी]

आधारित रक्षा की बल गति ऊर्जा दूरगामी प्रणाली का विकास कर लिया जाएगा। किन्तु अल्प समय में इससे कम दूरी पर मार करने के लिए अन्तरिक्ष पर आधारित प्रणाली द्वारा अंतरिक्ष रक्षा केन्द्र का विकास किया जा सकेगा या चहुं ओर गतिशील उपग्रह द्वारा निकट से आक्रमण किया जा सकेगा।"

इस लेख से यह स्पष्ट है कि आणविक अस्त्रों में कितना अनुसंधान किया जा रहा है और इन हथियारों के नाम समझना कठिन है तथा इनकी तकनीक, विधि तथा प्रयोजन आश्चर्यजनक हैं।

वस्तु स्थिति यह है कि सोवियत संघ में 9 लाख इंजीनियर और 10,000 वैज्ञानिक सुरक्षा प्रयोगशालाओं में काम कर रहे है और उनके सुरक्षा परिव्यय का 20 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान पर खर्च होता है। इसी लेख मे यह भी बताया गया है कि 300 बिलियन डालर से भी अधिक धन नक्षत्र युद्ध नीति के लिये निर्धारित किया गया है। अब पूरे विश्व में स्थिति को देखते हुए सुरक्षा अनुसंधान पर हम कितना व्यय कर रहे हैं ? महोदय, पिछले वर्ष यह राशि 300 करोड़ रुपये थी यह हमारे कुल परिव्यय का केवल 3 प्रतिशत है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष यह राशि 3.80 करोड़ रुपये या 350 करोड़ रुपये है। 1965 में सुरक्षा आपूर्ति विभाग अपने उपकरणों, हथियारों, तोपखानों तथा बुनियादी सुविधाओं का देश में ही निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू किया था। 20 वर्ष बीत चुके हैं। किन्तु इन वर्षों में प्राप्त उपलब्धि नगण्य है। हम 50 प्रतिशत निर्माण भी स्वदेश में करने में सफल नहीं हुए। मैं पूछ रहा हूं कि गलती कहाँ पर हुई है। क्या हमारे वैज्ञानिक इतने कुशल नहीं है ? क्या हमारे तकनोशियन इतने कुशल नहीं हैं। महोदय, आई० आई०टी० संस्थानों से पास होने वाले 60 प्रतिशत छात्र विदेशों में जा रहे हैं और हम केवल 'प्रतिभा पलायन की बात कर रहे हैं। वे विदेशों में जा रहे हैं। हम उनके लौटने की आशा कर रहे हैं और वे लौट नहीं रहे। क्या हमारे पास गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्यम नहीं हैं ? निश्चित रूप से नहीं। हमारे लोग कुछ भी करने में सक्षम हैं। क्या हमारे पास मेहनती कामगार नहीं हैं ? क्या हमारे पास बुद्धिमान कामगारों की कमी है ? निश्चित रूप से नहीं। हमारे कामगार उतने ही कुशल, सक्षम और बुद्धिमान हैं जितने कि जापान, अमेरिका या रूस के कामगार। यदि ऐसा है तो, इन सभी आवश्यकताओं, श्रमशक्ति, तकनीकी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी, तथा अन्य सुविधाओं के बावजूद भी हम 1965 में रखे गए उद्देश्य के अनुरूप स्वदेश में निर्माण करने में असफल क्यों हैं ? कृपया इस संबंध में स्थिति की पुनरीक्षा करें। वास्तव में 1982-83 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिवेदन में डी०डी०एस० के कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई थी। अतः कृपया इस की पुनरीक्षा कीजिए।

जहां तक सुरक्षा अनुसंधान संगठन का सम्बन्ध है, मैं उन्हें मुबारक देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है। इस प्रतिवेदन में वैमानिकी, हथियारों तथा तोपगाड़ियों आदि में उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। हम एम०बी०टी० तथा एल०ए०टी० प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे हैं। पिछले वर्ष हमने अपने एम०बी०टी० का नाम अर्जुन रखा है। इसका 10000 घंटे तक परीक्षण किया जाना है। 5000 घंटे तक परीक्षण कर लिया गया है और 5000 घंटे अभी शेष हैं। मैं आशा करता हूं कि

हम अपने एम०बी०टी० में स्वदेशी इंजिन लगा सकेंगे और आने वाले 2-3 वर्षों के बाद हम एल० ए० टी० बना सकेंगे ।

अनुसंधान विकास में लगे हुए हमारे युवा वैज्ञानिकों ने मिजाइल, राकेट तथा अन्य हथियारों के क्षेत्र में अच्छा काम किया है । मैं उन्हें बधाई देता हूं । मुझे ऐसी कुछ मिजाइलें देखने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन्हें वे विकसित कर रहे हैं । उन्होंने अच्छा काम किया है और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । जहां तक इस पहलु का संबंध है, यदि आवश्यक हो तो हमें अधिक निवेश भी कर सकते हैं ।

4.00 म० प०

महोदय, सियाचिन ग्लेशियर में अनधिकार प्रवेश रोकने के लिए मैं अपनी सेना को बधाई देता हूं । मैंने स्वयं अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को देखा है तथा मैं चाहता हूं कि किस प्रकार की जलवायु में रहकर उन्हें काम करना पड़ता है, परन्तु हमें अनुसंधान करना होगा तथा ऐसी जलवायु के लिए उपयुक्त नवीनतम उपकरण उन्हें देने होंगे ।

पिछली बार नौसेना के बारे में मैंने कहा था कि हमें अपनी नौसेना में कुछ सुधार करने हैं और काफी हद तक इसका विस्तार करना है । वास्तव में जो पनडुब्बियां बनाई जाने वाली हैं । उनके निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि हिन्द महासागर में महाशक्तियों के सभी तरह के जहाजों, जंगी जहाजों तथा निगरानी हथियारों, एवं पनडुब्बियों की भरमार है । अत: यह आवश्यक है कि लगभग 7000 किलोमीटर तक तट की रक्षा करने के लिए हमें एक अच्छी नौसेना की व्यवस्था करनी होगी । इस पहलू पर मैं कहना चाहूंगा कि विमान वाहक सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में हो रही चर्चा के बारे में मैं कहूंगा कि रक्षा मन्त्रालय इस सदन में प्रति ईमानदार नहीं रहा है । किस कारण वार्षिक प्रतिवेदन में 'हर्मील' की खरीद का कोई जिक्र नहीं है ? क्या हमें इस बारे में सदन में चर्चा शुरू होने पर भी यह खबर सिर्फ अखबारों में ही पढ़ने को मिलेगी । किसी ने भी हमें यह जानकारी नहीं दी कि विमान वाहक 'हर्मीज' की खरीद पर सरकार का क्या रूख है ? एक तरफ तो जोर-शोर से यह सुनने में आ रहा है कि 'हर्मीज' की खरीद अवश्य ही करनी चाहिए । यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि यह कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं । सच तो यह है कि 'इन्डियन एक्सप्रेस' में आज छपी खबर के अनुसार इसकी कीमत लगभग सौ करोड़ रुपये हैं और हमें यह एकदम सस्ती कीमत पर मिल रहे हैं । अमरीका इनकी खरीद भारत में न होने दिये जाने की कोशिश कर रहा है । इसी बात को अपील की गई है । शुक्रवार के अखबार 'हिन्दू' में 'हर्मीज' की खरीद के परिणामों के बारे में छपा है । उनका कहना है कि इसकी लागत पांच सौ करोड़ रुपये होगी । इसमें बहुत ज्यादा अन्तर है । 'इंडियन एक्सप्रैस' के मुताबिक इनकी लागत सौ करोड़ रुपये है परन्तु 'हिन्दू' के अनुसार 500 करोड़ रुपये तथा आपत्काल के दौरान यह तय होगा । अत: इसका कोई फायदा नहीं है । अनिर्णीत वाद-विवाद हो रहा है । हम नहीं जानते कि सही बात क्या है । मुझे आशा है कि हर्मीज की खरीद के सम्बन्ध में मंत्रालय

स्थिति स्पष्ट करेगा। परन्तु नौसेना को सुदृढ़ करने की वैसे ही आवश्यकता है तथा नौसेना पर अधिक खर्च किये जाने की जरूरत है तथा हमें अपने देश के अनुसार जंगी जहाजों तथा निगरानी जलपोतों का निर्माण करना होगा। मुझे खुशी है कि नौसेना ऐसा करने में कामयाब रही है तथा वह आई० एन० एस० 'गंगा', अन्य जंगी जहाजों एवं निगरानी जहाजों को बनाने में कामयाब रही है।

भारतीय वायु सेना के दो विमानों के नष्ट हो जाने से मैं अत्यन्त दुखी हूं। हमें नहीं मालूम है कि उन्हें क्या हुआ है। मंत्रालय के इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये था। **(व्यवधान)** मेरा मतलब है,······के कारण क्या थे।

एक माननीय सदस्य : यह इसकी जांच कर रही है।

प्रो० एम० जी० रंगा (गुन्टूर) : उसे नहीं मालूम।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : इस तरह की दुर्घटनायें भविष्य में न हों और जहां तक इनविमानों की खरीद का सम्बन्ध है, मिग विमान, जगुआर विमान तथा इनको बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मेरे विचार से हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेंगे तथा हम कुछ वर्षों के अन्दर ही इस स्थिति में होंगे कि हमें विदेशी विमान नहीं खरीदने पड़ेंगे। सभी जानते हैं कि युद्ध सामग्री की खरीद में अत्यधिक निहित स्वार्थ होते हैं। जैसे ही पाकिस्तान नये हथियार खरीदता है तो यह जरूरी नही है कि हम भी उनकी देखादेखी 'नाटो' या अन्य देशों से हथियार खरीदने की होड़ करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने ऊपर निर्भर रहना है। हमें अपने हथियारों के निर्माण अपने देशी आयुध कारखानों तथा शस्त्रागार तथा तोपखानों को प्रोत्साहन देना होगा।

4.5 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

अन्त में एक महत्त्वपूर्ण बात कहूंगा कि हैदराबाद में स्थित रक्षा प्रयोगशाला को राज्य सरकार ने उसके विस्तार प्रेक्षापेस्त्रों और राकेटों का परीक्षण करने के लिए काफी पैसा दिया है। स्वाभाविक ही है कि हैदराबाद में स्थित रक्षा प्रयोगशाला को, जिसका कि शीघ्र ही विस्तार होने वाला है, राज्य सरकार सभी तरह की सुविधायें देने को तैयार है।

एक आयुध कारखाना मेड़क में स्थित था। परन्तु इंजन बनने के कारखाने को हटा दिया गया था। मुझे आशा है कि इंजन बनाने का कारखाना को मेडक में ही लगाया जाएगा। आयुध कारखाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने दो जगहों का सुझाव दिया है तो करीम नगर तथा दूसरा श्री सैलम आयुध कारखाने के बारे में मैं इतना ही कहूंगा नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन इसके विरुद्ध है। मैं आयुध कारखाना बोर्ड से अपील करूंगा कि वे इस बात की जांच करें। अगर आप कहते हैं कि आयुध कारखाने 26 करोड़ रुपये, 30 करोड़ रुपये, 35 करोड़ रुपये समयोपरि भत्ते के रूप में खर्च करते हैं। यह असामान्य है। लोक लेखा समिति के अनुसार समयोपरि भत्ता उत्पादन से सम्बन्धित होना चाहिए। उत्पादन की बात जब आती है तो हम कहेंगे कि यह लक्ष्य से

[श्री अय्यपू रेड्डी]
कहीं बहुत कम है। मैं आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता। आंकड़े अभी उपलब्ध हैं। जिन लक्ष्यों को पूरा करना था उनमें 50 अथवा 40 प्रतिशत कमी आई है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

स्टोर के मामले में भी 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 1982-83 में यह घाटा 5 करोड़ रुपये का था। पिछले वर्ष यह घाटा 10 करोड़ रुपये का था। स्टोर सम्बन्धी घाटे की राशि बढ़ती जा रही है तथा माल का पूरा लेखा-जोखा आज तक का नहीं है। आपको 'स्टोरकीपिंग' व्यवस्था को आधुनिक बनाना होगा, इसको कम्प्यूटर की सहायता से संचालित करना होगा। बम्बई में स्थित नौसेना स्टोर, जो कि सौ एकड़ भूमि में है, अव्यवस्थित स्थित में है। स्टोरकीपिंग के सम्बन्ध में एक अच्छे सक्रिय संगठन की आवश्यकता है। इन सभी स्टोरों के आधुनिकीकरण करने एवं वहां कम्प्यूटर लगाये जाने की आवश्यकता है। इन सभी स्टोरों में बर्बादी एवं नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इन चीजों को रोकना होगा।

श्री एडुआर्डो फंलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, विपक्ष के हमारे साथी श्री अय्यपू रेड्डी ने जो भाषण दिया है मैंने उसे बहुत ही ध्यान से और दिलचस्पी से सुना है। परन्तु उनके भाषण में जो गलत बयान हुई है और गलत धारणायें उत्पन्न हो गई हैं, उनमें से कुछ को सुधारने की कोशिश करने के लिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। इनसे पूर्व वक्ता ने शुरूआत इस प्रकार की थी कि विकास के मुकाबले में हम रक्षा पर एक तिहाई खर्च कर रहे हैं जबकि विकास पर दो तिहाई करते हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैंने कहा था 22 पैसे विकास पर, 14 पैसे रक्षा पर। जो कि विकास को दो तिहाई हुआ। यही मैंने कहा था।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : मेरे विचार से इस वक्तव्य में सुधार किए जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि मैं इस मसले को पूर्व वक्ता के साथ मिलकर उठाऊं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : बजट एक नजर में—एक उपनाम दिया गया है।

श्री एडुआर्डो फंलीरो: मैं उस बात पर भी आऊंगा।

आरम्भ में रक्षा सम्बन्धी विकास के बारे में हमारा कोई विस्तार करने का इरादा नहीं है। रक्षा विकास कार्य करने का हमारा उद्देश्य किसी राज्य के क्षेत्र को हथियाने का नहीं है। हमारे रक्षा प्रयासों का एक मात्र उद्देश्य इस देश की अखंडता को सुरक्षित रखना है और इस देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि हमारी जनता विकास कर सके और विकास प्रक्रिया केवल शान्ति और सुरक्षा के वातावरण में ही हो सकती है। हमारे रक्षा प्रयासों का यही उद्देश्य है और यदि इस बात को—इस सदन के पूर्व दृष्टान्त को ध्यान में रखा जाए जो कि इस लोकसभा के गठन के समय से हमेशा ध्यान में रखा गया है, तो संसद के समक्ष यह प्रश्न ही पैदा नहीं होगा कि रक्षा

प्रयोजन के लिए सरकार को कितना धन मंजूर किया जाए। देश की रक्षा सम्बन्धी हित सर्वोपरि है और उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए हम उन पर अधिक या कम खर्च कर रहे हैं यह प्रश्न ही अपना नहीं होता।

हमारे देश की सुरक्षा, शान्ति और समृद्धि का यही मूल आधार है। क्या मैं यह भी कह सकता हूं कि यह मूलभूत बात से भिन्न है। अगर आप अपने पड़ोसी देशों को देखें और विश्व के और देशों को देखें तो आप पायेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में हमारा रक्षा व्यय विश्व में सबसे कम हैं। हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत रक्षा प्रयोजनों के लिए खर्च कर रहे हैं जबकि संयुक्त राज्य अमरीका 7 प्रतिशत और सोवियत संघ लगभग इतना ही धन ब्रिटेन भी लगभग 7 प्रतिशत खर्च कर रहा है जबकि स्वयं पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है, हमसे ज्यादा रक्षा पर व्यय कर रहा है। जबकि उसे रक्षा प्रयोजनों के लिए काफी विदेशी मदद भी मिलती है। हम इस सदन में रक्षा मंत्रालय के लिए धन मंजूर करते समय कोई संकोच नहीं कर सकते और न ही किया है तथा मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि रक्षा कार्य पर व्यय दलगत दृष्टिकोण से अलग रखकर किया जाता है तथा निःसंदेह ही जो पैसा इस पर खर्च करते हैं वह इस देश की जनता का ही पैसा है। यह कोई करोड़ों रुपये का मामला नहीं है। प्रत्येक रुपया आम आदमी का पैसा है जिसके समिति संसाधन हैं। इस संदर्भ में हमें यह देखना चाहिए कि हम मंत्रालय के व्यय में से एक भी पैसे की कटौती न करें। एक रुपया, एक पैसा भी किफायती ढंग से खर्च किया जाए।

अपने उत्पादन का देशीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में अपने सहयोगी के विचार से मैं सहमत होऊंगा। मैं उनका निश्चित रूप में समर्थन करूंगा तथा मुझे विश्वास हैं कि इस बात पर हम सभी एकमत हैं। अगर हम प्रयास करें तथा पैसे को विदेशों में भेजने की बजाय यदि हम अपने देश की रक्षा के लिये हथियारों के निर्माण पर करोड़ों रुपये देश में ही खर्च करें तो निःसंदेह ही हमें ऐसा करना चाहिए। एक गलत धारणा उत्पन्न हो गई है। यह गलतधारणा इस वाद-विवाद में सामने आयेगी। क्योंकि हमें देश के अन्दर जो दिक्कत सामने आ रही है वह है पर्याप्त सामग्री का अभाव। रक्षा के सम्बन्ध में हम आवश्यकता से अधिक गोपनीयता का वर्गीकरण किए जाने के डर से आक्रान्त है। किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह आम व्यक्ति के लिए ही कठिन नहीं अपितु संसद सदस्य के लिए भी उतना ही मुश्किल है। अगर इस सदन में कुछ बोलना चाहें तो हमें इस पर कोई सामग्री नहीं मिल पाती। संसद सदस्य को इधर-उधर जाकर, 'हिन्दू' और 'इन्डियन एक्स प्रैस' समाचार पत्रों या किसी अन्य समाचार पत्र आदि से सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है। आम तौर पर यह संसद सदस्य के साथ होता है और इसका कारण है आवश्यकता से अधिक गोपनीयता वर्गीकरण किया जाना जिससे हमारा ध्यान लम्बे समय से इस ओर लगा हुआ है। कल मुझे बताया गया था कि कश्मीर विवाद का इतिहास रक्षा मंत्रालय का ऐतिहासिक अनुभाग तैयार करता है। कश्मीर विवाद 1948 में उत्पन्न हुआ था। इसका इतिहास रक्षा मंत्रालय के ऐतिहासिक

[श्री एडुआर्डो फलीरो]

अनुभाग द्वारा तैयार किया गया तथा दस वर्ष पूर्व पूरा किया गया। यह दस्तावेज, जिसमें 1948 की घटनाएं लिखी हुई हैं तथा महत्त्वपूर्ण हैं, अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इस किताब को पूर्ण किए दस वर्ष बीत चुके हैं जिसमें कि 1948 की घटनायें दी गई हैं तथा रक्षा मंत्रालय के अनुभाग द्वारा यह किताब बनाए हुए दस वर्ष बीत गए हैं। अभी तक रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इसे प्रकाशित करने की इजाजत नहीं दी है जिसमें कि 1948 की घटनाओं का इतिहास हैं और स्वयं इसी विभाग द्वारा तैयार की गई है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। (व्यवधान) और भी बहुत सी बातें हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : विस्तार में मत जाइए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैंने रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज को पढ़ा है। पृष्ठ 121 पर निम्नलिखित बात है :—

"संस्था द्वारा जो कदम उठाए गए हैं; उससे यह बात परिलक्षित होती है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी उन तकनीकी पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिनसे वे प्रभावित हैं।"

और मैं इस बात को जोर देकर कहता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति के सम्बन्ध में पहली बार व्यवयासिक अध्ययन किया गया। अब 25 वर्षों से हमारे यहां वायुयान उद्योग तथा सैनिक विमान शक्ति उपलब्ध है। 25 वर्ष के बाद, पहली बार, सैनिक युद्ध सामग्री में वायुयान वायुशक्ति पर हमारे पास एक शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध हो पाया है। वास्तव में इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारे यहां अच्छे वैज्ञानिक हो अथवा हमारे पास विश्व की उच्चतम प्रौद्योगिकी हो किन्तु यह आवश्यक है शैक्षणिक अध्ययन केवल रक्षा मंत्रालय के सीमित दायरे तक ही सीमित न रखा जाये अपितु यह अध्ययन देश भर के लोगों के लिए सुलभ हो जाये। मेरे विचार से यह बात विन्सटन चर्चिल ने कही थी कि "युद्ध को केवल जनरलों पर छोड़ने के गंभीर परिणाम हो सकते है।" जनरलों को पूरा सम्मान देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। वे वास्तव में अत्यन्त कुशल हैं। हमारे सुरक्षा सेनाएं भी बहुत कुशल हैं। कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक देशवासियों का प्रबल समर्थन रक्षा बल को प्राप्त न हो, वह रक्षा बल व्यर्थ है। जनता को प्रत्यक्ष रूप से रक्षा सेनाओं, थलसेना नौसेना और वायुसेना, के साथ जुड़े रखना होगा। जैसा कि मैं किसी और संदर्भ में कह चुका हूं। लोगों की थलसेना, लोगों की नौसेना और लोगों की वायुसेना होनी चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि आम जनता अधिक से अधिक संख्या में रक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में पूर्णत: शामिल रहे और उनके प्रति पूर्णत: निष्ठावान हो। और निस्सन्देह यह निष्ठा तभी संभव हो सकती है जब जनता को इस बात की जानकारी हो कि हमारे सामने क्या-क्या चुनौतियां है और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार क्या प्रयत्न कर रही है। यह जानकारी तभी प्राप्त की जा सकती है जब अध्ययन किए जाएं जब इस जानकारी का प्रसार किया जाए।

यदि हम इस आशंका से नहीं घबराते है तो जैसा कि मैं कह चुका हूं कि अधिग्रहण किए जाने का और गोपनीयता नष्ट होने का भय बेकार होगा।

सुरक्षा पर्यावरण का मामला वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तु यदि आप रक्षा मंत्रालय पर सम्बन्धित लोक सभा में हुए वाद-विवाद को देखें तो पाएंगे कि इसके बारे में इनमें पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। इन चर्चा में युद्धनीति सम्बन्धी पर्यावरण और सुरक्षा पर्यावरण और कभी-कभी अन्य मामलों के नुकसान के बारे में चर्चा हो चुकी है।

कुछ अन्य मामलों की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किन्तु मुझे डर है कि उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा पर्यावरण के सम्बन्ध में क्या मैं बता सकता हूं कि विश्व के देश किस स्थिति में है, विश्व की दो महा शक्तियों के बीच में विरोध के कारण क्या-क्या स्थितियां पैदा हुई हैं और हम पर लादी गई हैं। हमें प्रसन्नता थी और बहुत समय के बाद बहुत सारी आशायें बंधी हुई थी कि सोवियत रूस और अमरीका दोनों के नेता कि......

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस प्रकार की अनपेक्षित टिप्पणियां करना उचित नहीं है। यदि आपको कोई शंका है, आप खड़े होकर पूछें। आप बार-बार टिप्पणियां क्यों कर रहे है ?

श्री ममता बनर्जी (जादवपुर) : यह उनकी आदत है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : हम इस देश के लोग विशेष रूप से प्रसन्न थे जब राष्ट्रपति रीगन ने यह घोषणा की थी कि "मतभेद युद्ध से नहीं सुलझाये जा सकते हैं, और मतभेद, तथा वैचारिक असमानता है बल प्रदर्शन द्वारा दूर नहीं हो सकती है अपितु केवल बातचीत से ही शांति स्थापित की जा सकती है और सह-अस्तित्व प्राप्त किया जा सकता है।" किन्तु खेद है, कि जेनेवा में जो हमने जो इतनी आशाएं बांधी थी जल्दी ही उन पर तुषारापात हो गया क्योंकि अमरीका की नौसेना ने क्रीभीया की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया था, इसके अतिरिक्त हाल ही अमरीका सेना खाड़ी देशों में आ धमकी जिससे लीबिया को खतरा पैदा हो गया। हमारे पड़ोस में कराची में 1971 की उसकी युद्ध का कुख्यात 'इन्टर प्राइज' जमा हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि अमरीका के प्रशासन और पेंटागन ने इनसे कोई सबक नहीं सीखा है। अमरीकी आलोचक तथा अमरीकी सेना विश्लेषक अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि अमरीका का यह मनमाना रवैया स्वयं अमरीका के हित में नहीं है; 1970 के दशक पहले के वर्षों मे वियतनाम के मामले में अमरिका ने जो भूमिका निभाई थी वह भी उनके हित में नही थी तथा 1970 दशक के अंतिम वर्षों में ईरान के मामले में अमरीका की अपनी भूमिका उनके अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थी और आज जो कुछ वे मध्य अमरीका में कर रहे हैं वह भी उनके राट्रीय हित में नहीं हैं। उनकी नीति उनके राष्ट्रीय हित में हैं अथवा नहीं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो केवल इस बात का

है कि उनकी गतिविधि से हमारी अपनी सुरक्षा को क्या खतरा पैदा होता है यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो आज से लगभग एक या दो वर्षों पूर्व जब अमरीका ने पाकिस्तान को एफ 16 वायुयान बेचे थे तब उसी सभा में बहुत ही भावुकता से और खतरे की अशिका से उस पर चर्चा की गई थी। आज क्या हो रहा है एफ16 से भी अधिक खतरनाकऔर आधुनिकतम हथियार हाल ही में पाकिस्तान को दिये गये हैं। अफगानिस्तान से होने वाले खतरे के आधार पर जो हारयून प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार अफगानिस्तान से होने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए जलयानों के विरुद्ध प्रयोग में लाये जाने वाले जलपान विरोधी जो प्रेक्षपास्त्र सप्लाई किये गये हैं; उसका भी कोई औचित्य नहीं है निश्चित रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं भी, कभी भी कोई समुद्र नहीं रहा है इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि वह आधुनिकतम प्रौद्योगिकी है जो केवल अमरीका के पास है। उसके पास वे हथियार है जो अत्यधिक खतरनाक हैं वे कुछ समय पूर्व लेबनान के साथ युद्ध में सीरिया की सम्पूर्ण वायुसेना को 2 दिन के अन्दर नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए इजराइल ने इनका प्रयोग किया था। उसके पास 'स्ट्रीजर' जिसका यहां उल्लेख किया जा चुका है, 'रैड आई', सोल्डर-फायर्ड राकेट लांचर आदि हैं और अब यह चर्चा है कि 'ई 2 सी हाकी', जो कि एक एरियल अर्ली वार्निग एयर क्राफ्ट (ए०ई० डब्लू) है, पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये वे हथियार हैं जो एफ-16 एस से कई गुने अधिक खतरनाक और अधिक घातक हैं। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देना उनके अपने ही राष्ट्रीय हित में नहीं है, विश्व सुरक्षा के विरुद्ध है, शांति चाहने वाले मानव मात्र के विरुद्ध है, विशेष रूप से तृतीय विश्व के लोगों के विरुद्ध है क्योंकि इनका प्रयोग केवल तृतीय विश्व के विरुद्ध किया जाएगा; इससे पहले भी पाकिस्तान इनका प्रयोग हमारे विरुद्ध कर चुका है। इसलिए, रक्षा मंत्री इस देश की सुरक्षा के लिए जितनी भी राशि की मांग करें, हम उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा और शांति बनाये रखना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है और सुरक्षा और शांति के बिना विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं। इस समय हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आप जो हथियार प्राप्त कर रहे हैं कि वे कितने अच्छे हैं। इस मामले में हम अपने जनरलों पर पूरा विश्वास करते हैं जिन्होंने कई बार अपना कौशल सिद्ध कर दिखाया है—हम उनकी सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्यपरायणता पर विश्वास करते हैं। किन्तु इसके साथ ही हमारा विशेष अनुरोध है कि हमारा उत्पादन अवश्य ही बढ़ना चाहिए और पिछली बेंच पर बैठने वाले के रूप में, मैं स्वयं ही कह रहा हूं कि पिछले कुछ दशकों में रक्षा संबंधी सामग्री का देश के उत्पादन करने में हमने जो प्रगति की है, उससे मैं कदापि सन्तुष्ट नहीं हूं।

हमारे पास सर्वोत्तम किस्म की परमाणु प्रौद्योगिकी है। मैं बार-बार चलने वाद इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि हमें आणविक अस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। अथवा नहीं किन्तु मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिकों की जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, यदि थोड़े समय की सूचना पर ही आणविक अस्त्रों का निर्माण करना पड़े तो सकते हैं। चूंकि हम पूर्ण शांति, विश्व में पूर्णतः आणविक-अस्त्र निषेद्ध के प्रति वचनबद्ध है, इसलिए हमने इन अस्त्रों का उत्पादन नहीं किया है किन्तु मुझे विश्वास है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे आणविक क्षेत्र के वैज्ञानिक इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। अनेक मामलों में उन्होंने ऐसी

[श्री एडुआर्डो फलीरो]

प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है जो विश्व के किसी भी भाग की प्रौद्योगिकी से बेहतर है। तथापि, प्रश्न यह उठता है कि इतनी योग्यता होने के बावजूद भी हम अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी में और अस्त्र-शस्त्रों निर्माण के मामले में हम विकसित देशों से पिछड़े हुए क्यों हैं ?

यदि हम पिछले दो दशकों से पिछड़ गए तो अब हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि इम समय कोशिश नहीं करते हैं तो अन्तर बहुत बढ़ता जाएगा और फिर इसे पूरा करने में विलम्ब हो चुका होगा क्योंकि यह अन्तर हमेशा के लिए बना रहेगा। विदेशों का कर्ज किसी समय हमारी आवश्यकता से कम ही रहेगा।

देश में रक्षा सामग्री का उत्पादन अवश्य ही किया जाना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका उत्पादन केवल इसलिए देश में नहीं करना चाहिए कि हमें विदेशी मुद्रा की बचत करनी है अपितु गुट-निरपेक्षता की अपनी मूल नीति के कारण भी इनका उत्पादन देश में करना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि हम स्वयं यह निर्णय कर सकेंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है। यदि हम अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति को बनाये रखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने देश में ही हथियारों का निर्माण करें हथियार कोई भी हो, वे हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए और अपने निर्णय आप लने के लिए आवश्यक है।

यदि हम गुट-निरपेक्ष हैं और हम चाहते हैं कि अपने निर्णय स्वयं लें तो हम खतरा उठा रहे हैं। यदि हम ऐसे देश से उपकरणों का आयात करते हैं जो यह नहीं चाहता कि हम अपने निर्णय स्वयं लें तो वह हम उनकी सप्लाई बन्द कर सकते हैं और हमें मझधार में छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में अर्जेन्टीना में ऐसा ही हुआ है। मालवीनास संघर्ष में कुछ सप्लायरों द्वारा अपने उपकरणों की सप्लाई बन्द करके अर्जेन्टीना को वास्तव में मझधार में छोड़ दिया था। अपनी नीति के लिए हथियारों का देश मे ही निर्माण करना आवश्यक है। वास्तव में यह आवश्यक है कि हमारी विदेश नीति हमारी रक्षा नीति से जुड़ी होनी चाहिए। नम्र होना तो अच्छी बात है परन्तु इसके पीछे साहस भी होना चाहिये, अन्यथा यह नम्रता सिर्फ शब्दों की बात ही बनकर रह जायेगी। इससे भी खराब बात यह है कि दूसरों को, जिनको हम यह सब कहते हैं, यह पता चल जाता है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते।

रक्षा सेवाओं ही देश की शक्ति है। दारोमदार। रक्षा सेवाएं राजनीति की शक्ति हैं तथा इसलिए महोदय अगर राजनीति को स्वस्थ बनाये रखना है और अगर देश को पूरे इत्मीनान से रहना है तो राष्ट्र की शक्ति, राजनीति की शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जब भी जितनी ताकत की आवश्यकता है। वह वार कर सके।

अनुसंधान तथा विकास के सम्बन्ध में सरकार ने यह ठीक ही महसूस किया है कि काफी ज्यादा परिव्यय की आवश्यकता है। इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिये काफी ज्यादा राशि दी गई है। यह हर्ष की बात है तथा इससे अधिक गर्व की बात है कि अब नवीनतम तकनीक से बना एम०बी०टी० अर्जुन प्रोटोटाइप का परिक्षण किया जा रहा है। यह बहुत गर्व की बात है कि यहां आधुनिकतम और सर्वोत्तम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो

कि बहुत से उन्नत देशों में भी उपलब्ध नहीं है। एल० सी० ऐं० में भी हम प्रगति कर रहे है परन्तु जो प्रश्न उठता है वह यही नहीं है कि क्या हमने अपनी योजना प्रक्रिया पूरी कर ली है। क्या हमने डिजाईन प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्या हमने अनुसंधान प्रक्रिया पूरी कर ली हैं। अब मुख्य विषय उत्पादन है। अब जो प्रश्न उठता है वह यह है कि आपने अति आधुनिक अर्जुन एम०वी०टीं० टैंक जिनकी आपको आवश्यकता है क्या उत्पादन 1,000, 1,500, और 2000 करने के लिए प्रबन्ध कर लिया है। यदि हां, तो कैसे और कब ? अब जों समस्या है वह केवल अनुसंधान व प्रगति की ही नहीं है अपितु हमारे रक्षा उद्योगों के सामने अब जो समस्या है वह उत्पादन की है।

महोदय, हमारे पास विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। मैं आदरपूर्वक आग्रह करता हूं कि सम्माननीय अपवादों को छोड़कर वे निर्धारित समय व लागत में उत्पादन करने योग्य नहीं हुए हैं। इसका कारण यह है कि प्रबन्धन में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबन्धन ढांचे अधिक ध्यान दे। वे अमेरिकी लेखकों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द मेगा कॉपस की भांति विशाल हैं। वे बड़े विशाल, दानवाकार है जिन्होंने हर जगह अपने स्पर्शक फैला रखे हैं और मुश्किल से ही कुछ पकड़ते हैं। अब हम इन निगमों के प्रबन्धन ढांचे की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बन सके। उन्हें पवित्र जानवरों के रूप में नहीं अपितु वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य और निर्धारित कीमत एवं समय के अन्दर उत्पादन करने वाले उद्यमों के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। और सुझाव देता हूं कि...

प्रो० एन० जी० रंगा : विशेषकर आयुद्ध फैक्ट्रीयां भी।

श्री एडुआर्डो फलीरो : विशेषकर आयुद्ध फैक्ट्रीयां जैसे मेरे नेता प्रो० रंगा कह रहे हैं। हमारे पास ये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं। आपने उन्हें दो या तीन भागों में विभाजित करवा दिया है। हमने उन्हें छोटा बनवा दिया है और हमने उन्हें सारे देश में बढ़वा दिया है। हमने आयुद्ध फैक्ट्रियों का जूतों के फीते, टैन्ट आदि बनाना बन्द करवा दिया है। ये सभी वस्तुएं जो वास्तव में सैनिक प्रवृति की नहीं है, निजी उद्यमीयों द्वारा बनाई जा सकती है। हमारी आयुद्ध फैक्ट्रीयों को निम्नतम कीमत पर उच्च-तकनीकि का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे सैन्य उपकरण अधिक अच्छे बने। यह एक निर्धारित समय में किया जाना चाहिए।

मैंने पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सुरक्षा सेनाएं उत्तमता के टापू नहीं बन सकती। उनके पीछे उत्कृष्ट कमांडर व बहादुर जवान होने चाहिये। परन्तु हमारी सुरक्षा सेनाओं का पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन नहीं है। निःसन्देह सुरक्षा सेनाओं को इस देश के प्रत्येक नागरिक का समर्थन मिलनाचाहिए, दलगत भावनाओं को छोड़कर प्रत्येक नागरिक की देश भक्ति की भावना को प्रेरित किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ मैं में यह कहना चाहूंगा और सरकार के समक्ष विचारार्थ रखना चाहूंगा कि हमें बहुत से अन्य देशों-फ्रांस व सोवियत संघ की तरह विभिन्नताओं वाले अर्थात पूर्णतः अलग राजनैतिक प्रणालीयों वाले देशों की तरह अनिवार्य सैनिक सेवा आरम्भ करनी चाहिए। अनिवार्य सैनिक सेवा ने अनोखे परिणाम दिखाये हैं। अनिवार्य सैनिक सेवा को आरम्भ करने से ही फ्रांस ने वास्तव में अपनी राष्ट्रीयता प्राप्त की है। पहले यहां

[श्री एडुआर्डो फ़लीरो]
बहुत से उचूक, उचैस व बैरन का राज्य था। यह कोरशिका से लायन अथवा पैरिस तक एक राष्ट्र बना।

सोवियत संघ में 1917 की क्रांति के बाद क्षेत्र के नाम पर बनी सभी रेजीमेंटों कोसाक रेजीमेंटों तथा अन्य रेजीमेंटों को समाप्त कर दिया गया। वहां केवल एक सेना है और 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक पुरुष नागरिक को एक साल या दो साल की अनिवार्य सैनिक सेवा से गुजरना पड़ता है। इससे राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यधिक सहायता मिली है। महोदय हमारे देश में तमिलनाडु के व्यक्ति को गोआ में, और कश्मीर के व्यक्ति को तमिलनाडु में और पंजाब के व्यक्ति को केरल में और इसी प्रकार आगे, सेवा के लिए जाना चाहिए। इससे देश भक्ति की भावना व अनुशासन की भावना जिन पर उर्जा मन्त्री जोर दे रहे थे को बढ़ाने के साथ-2 राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यधिक सहायता मिलेगी। यदि हम इतने योग्य, प्रतिभावान व गुणवान हैं तो शायद हममें अनुशासन की अधिक कमी हैं जो आपको सैनिक सेवा में प्राप्त होता है।

हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और यह एक सुन्दर कल्पना है। हमारे पास 15 वर्ष का समय काल हैं जिसमें हम विज्ञान एवं तकनीक का प्रसार करेंगे और आगे पहुंच जायेंगे। यदि हमें विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति करनी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्पन्न करना है तो हमारी आणविक केन्द्रों व अन्तरिक्ष प्रयोगशालाओं में सैकड़ों वैज्ञानिक होने से समस्या नहीं सुलझ सकती। प्रत्येक नागरिक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए और इसे आप अधिक मात्रा में सैनिक सेवा में शामिल होने सा पा सकते है। यदि आप बिजली मैकेनिक का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं तो आपकी वैज्ञानिक एवं तकनीकि कुशलता बनती है जिससे आपको अपने कार्य में सहायता मिलती है और देश में अधिक चेतना व विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

हम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम केवल अमेरिका एवं पाकिस्तान से ही चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं अपितु चीन से भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जब 1962 में चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम बेखबर थे। तत्कालीन लोकसभा में तत्कालीन सरकार ने यहां इसी सदन में कहा था कि हम एक-एक इंच भूमि को वापिस ले लेंगे जो हमसे चीनियों ने छीन ली है। निश्चित रूप से हम शान्तिपूर्ण ढंग से पहल करेंगे।

हमारा सबसे बड़ा शत्रु जिसका हम आज सामना कर रहे हैं—हम स्वयं ही हैं। दुर्भाग्यवश हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अन्दर ही है। हाल ही में एक लेखक ने कहा है कि हमें अंदर से ही घिरे हुए हैं और यदि आप पूर्ण रूप से सफल होना चाहते हैं तो राष्ट्र को एक होना चाहिए। हमें अपना वर्तमान इतिहास याद रखना चाहिये। हमें कभी हराया नहीं गया। हमें कभी जीता नहीं गया। हमने आपसी झगड़े के कारण अपनी स्वतन्त्रता खो दी थी। हमने विदेशी शक्तियों को निमंत्रण दिया ऐसा दोबारा मत होने दीजिए। धर्म आदि की शक्तियों को अपना सिर मत उठाने दीजिए। आओ हम सब एक हो जाएं और इस देश के लोगों की एकता ही इस देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारन्टी है। यदि आप एक हैं, यदि आप सावधान हैं, तो निःसन्देह इस देश को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं रक्षा से संबंधित मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे मित्र फैलीरो साहब ने काफी कुछ रक्षा के बारे में कहा।

सभापति महोदय, आज दुनिया में हथियारों की होड़ लगी हुई है और सारी मानव-जाति को खतरा पैदा हो गया है। भारत हमेशा शांति में विश्वास करता है। हमने आजादी की लड़ाई भी शांतिपूर्वक लड़ी और उसमें हमने सफलता प्राप्त की, परन्तु देश और विश्व की मानवजाति को आज खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए हमको आज मानव-जाति को जगाना होगा। हमारा देश नान एलायन है और जिस तरीके से दुनिया के देशों ने अपील की है कि साम्राज्यवादी ताकतें आज पूरी तरह से इस बात में लगी हुई हैं कि किस तरह से हमारे हथियार बिकें, कहां झगड़ा पैदा हो, चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो इन साम्राज्यवादी शक्तियों की सारी शक्ति इसी बात में लगी हुई है। आज पंजाब के अंदर कहां से हथियार आ रहे हैं, कहां की मोहर लगी हुई है, आज हमारे जो बार्डर हैं, बार्डर के हिस्सों से लोगों को भेजा जा रहा है। हमारा देश गरीब है, कमजोर है, लेकिन हम तरक्की करना चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, लोगों का विकास चाहते हैं, मगर ये ऐसे देश हैं अमरीका इत्यादि, ये देश हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये देश चाहते हैं कि हम उनके ऊपर निर्भर रहें, ये देश हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक दुनिया के लोग इनकी भर्त्सना नहीं करेंगे, तब तक यह सब चलता रहेगा। मैं रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि सबसे पहले हमारा रक्षा विभाग मजबूत होना चाहिए, अगर देश की रक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, अन्यथा हम कितना भी विकास करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये साम्राज्यवादी देश हमारे विकास को नष्ट करना चाहते हैं, ये अणु बम बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं और इस तरह से हमको तोड़ना चाहते हैं, मगर हमारे देश की जो शक्ति है, हमारे देश को कोई नही तोड़ सकता। हमारे नेता की हत्या हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोग सोचते थे कि भारत नहीं चलेगा, मगर भारत के लोगों ने, हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री ने, आदरणीय श्री राजीव ने यह दिखा दिया है कि भारत के लोग गरीब जरूर हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन एक हैं। जब भी भारत पर कोई संकट आया, हम सब एक हो गए। 1971 की लड़ाई में हमारी बहनें जिनकी शादी हो रही थी, उन्होंने अपने मंगलसूत्र उतार कर भारत की रक्षा के लिए दिए। भारतवासी पुराने कल्चर को मानते हैं, रूढ़ीवादी हैं, मगर सेक्रीफाइ करने में विश्वास करते हैं। में अपने रक्षा मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि भारत की रक्षा के लिए जो भी हथियार चाहिए या जो भी हवाई जहाज या मिसाइल बनाने की बात है, वह हमको भारत के अंदर बनाना चाहिए। भारत की रक्षा के लिए जितना भी धन लगाना हो वह लगाना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भारत की संसद और भारत के लोग उनके साथ हैं। आज जो करांची के पास पाकिस्तान में बेड़ा खड़ा हुआ है, वह किससे लड़ना चाहता है। सन् 71 में जब पांचवां बेड़ा आया तो यह उनकी लड़ाई थी। आज वह देश के लोगों को मौरली डाउन करना चाहता है। वह लोगों को

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

डालर के जरिए खरीदना चाहता है। आज श्रीलंका में कहता है कि यह घर की लड़ाई है। ऐसे लोगों के लिए सतर्क होना पड़ेगा। कोसों मील दूर हमारे नेताओं और साइन्टिस्टों को मारने का प्लान बना रहा है। दुनिया में लोगों को भयभीत कर रहा है। हमें इन बातों पर सोचना पड़ेगा। अभी फैलीरो साहब ने ठीक कहा कि हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। लोगों में अनुशासन और नेशनेलिटी की भावना आनी चाहिए। जिस प्रकार सोवियत यूनियन में आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है उसी प्रकार हमें भी कानून बनाना पड़ेगा। हमारे कालेज के लड़कों के लिए कम्पलसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। किसी को भी नौकरी पर भेजें तो उसके लिए कम्पलसरी आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इससे हमारे देश में अनुशासन आयेगा। इस तरह के कानून की आज आवश्यकता है। पाकिस्तान को जो एफ-16 जहाज मिल रहे हैं, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। सन् 71 की लड़ाई में अमेरिका में बना हुआ टैंक हमारे जवानों के मजबूत हाथों ने तोड़ दिया था। भारत की रक्षा के लिए जो जवान लगे हुए हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। भारत की संसद और भारत के लोगों को इस बात का गर्व है कि अमेरिका अभी तक यह पता नहीं कर पाया है कि किस तरह से उसको तोड़ दिया था। हमें भारत की आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस दिन झगड़ा होगा, उस वक्त उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। उसमें भारत के लोगों की विजय होगी। आज हमारी विचारधारा दुनिया में फैल रही है।...(व्यवधान) जो विचारधारा हम नान-एलाइन्ड पालिसी के द्वारा फैला रहे हैं, वह भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। स्व० इंदिरा जी के बारे में निक्सन ने अपनी किताब में लिखा है :

[अनुवाद]

यह महिला तो लौह महिला है।

[हिन्दी]

भारत में आज भी ऐसे नेता हैं। हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं। भारत के जवान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयर है। इस तरह का हौसला लोगों में है। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले जेनेवा में महाशक्तियों का शिखर सम्मेलन हुआ है सभी परीक्षण रोकने के लिए ये सारी की सारी दुनिया के लोगों और मानव-जाति को गुमराह करने वाली बातें हैं। सभापति महोदय, हम सबके सामने यह ओपन बात है अन्यथा इसमें कोई तथ्य नहीं है, असल में कोई समझौता नहीं हुआ है। हमारे देश के प्रधानमन्त्री के साथ 6 अन्य देशों के नेताओं ने रीगन साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हथियारों के परीक्षण पर रोक लगायें तो उन्होंने क्या बोला कि हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं इसलिए हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वे हथियार नहीं बनायेंगे और हम भी अपनी तैयारी की तरफ ध्यान न देकर, हथियारों के स्थान पर गुल्ली-डंडा या हल जैसी चीजें बनाते रह जाएं या छोटी बंदूकें बनाते रहें तो वह ठीक नहीं होगा और अपने आप को मुगालते में रखने वाली बात होगी, ऐसे समझौतों में आकर हम भ्रम में पड़े रहेंगे। इसलिए हमें ऐसे समझौतों और शिखर वार्ता पर विश्वास नहीं

करना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी राय है क्योंकि इन समझौतों से कुछ होने वाला नहीं है, कभी भी कुछ परिणाम निकलने वाला नहीं है। हमको चाहिए कि अणुशक्ति या जिस किसी शक्ति की आवश्यकता है, हम उसका विकास करें, और अपने आपको सक्षम बनायें। हमें दुनिया भर के लोगों को और मानव-जाति को जगाना होगा और बताना होगा कि ये कौन लोग हैं जो सारी मानव-जाति को नष्ट करने पर तुले हुए है, परेशान करना चाहते हैं। सारी दुनिया में हमें यह बात फैलानी होगी। इन शब्दों के साथ इस आशा से कि राजीव जी के नेतृत्व में भारत दिनों-दिन और ज्यादा मजबूत होता जाएगा, मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : पहले दिन राज्य मन्त्री और अगले दिन केबिनेट मन्त्री की बोलने की परम्परा अनुचित प्रतीत होती है। यह विपक्ष द्वारा किये गये योगदान को पूर्णतया निष्प्रभावी करने के लिए है। आप कृपया आकाशवाणी या दूरदर्शन और तथाकथित स्वतन्त्र प्रेस के प्रतिवेदन का अवलोकन करें।

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : मैं उन सांसदों का, जिन्होंने रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लिया आभारी हूं और मैं जानता हूं मेरे बोलने के पश्चात् बहुत से अन्य सांसद इस वाद-विवाद में भाग लेंगे। उन्होंने पहले ही कुछ सुझाव दिए हैं और वे कुछ और सुझाव देंगे। मैं माननीय सांसदों का आश्वासन दिलाता हूं कि सभी सुझाव उत्पादन में योगदान देते हैं और जैसा कि सांसदों ने इच्छा व्यक्त की है कि मैं निश्चित रूप से उन सुझावों की ओर ध्यान दूं।

श्रीमन् सारा विश्व जानता है कि भारत विश्व में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध ही नहीं है लेकिन हमने शांति के लिए आवश्यक उपाय भी किये हैं और कदम भी उठाये हैं। विशेष रूप से अपने पड़ौसी देशों के साथ। लेकिन हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि 38 वर्षों की स्वतन्त्रता के दौरान हमारे ऊपर चार युद्ध बलपूर्वक थोपे गए। हमारे पड़ौसी देशों ने विशेष हथियार प्राप्त किए और इकट्ठे किए। इसलिए अपनी शक्ति को उनके बराबर करने के लिए हमने विशेष हथियारों को प्राप्त करने या अपने देश में उनका निर्माण करने के लिए अपने उद्योगों का नवीनीकरण किया।

श्रीमन् हमारे देश में रक्षा उत्पादन के दो स्त्रोत हैं एक है रक्षा आयुद्ध कारखानें और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

जहां तक आयुद्ध कारखानों का सम्बन्ध है, वे संख्या में 34 हैं जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं और अपने सैनिक बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के हथियार और आयुद्ध बना रहे हैं। ताकि हमारी सशस्त्र सेनाओं की जरूरतें पूरी हो सकें। देश में आयुद्ध कारखानों द्वारा तैयार की जाने वाली रक्षा सामग्री इस प्रकार है—युद्धक

[श्री सुखराम]

टैंक; पैदल सेना के काम आने वाले युद्धक वाहन, हल्की व मझौली तोपें, छोटे हथियार विभिन्न प्रकार का गोला-बारूद सुरंगें युद्धक और परिवहन विमान हैलीकैप्टर, सुपर एलोय, विभिन्न किस्म के इलैक्ट्रोनिकी संचार माध्यम, विमान, राडार आदि इस सदन को सम्भवतः संचार पत्र से ज्ञात हुआ है कि हाल ही में हमने एक समझौता किया है जो समझौता हस्ताक्षरित हुआ है उसके अधीन हम बहुत मोटी नली वाली बंदूक 155 एम० एम० बंदूक बना रहे हैं। यह कदम···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसका उत्पादन किया जायेगा या उन्हें खरीदा जायेगा।

श्री सुखराम : मैं उत्पादन के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा सम्बन्ध उत्पादन से है न कि क्रय से (**व्यवधान**)।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम कुछ ऐसी वस्तुएं बना रहे हैं जिनका तकनीकी मूल्य कम है या वे बिल्कुल साधारण वस्तुएं हैं। उच्च तकनीकी की प्राप्ति के लिए और अपना निवेश तथा मानवशक्ति के उपयोग के लिए हमारे प्रधान मन्त्री ने इन साधारण वस्तुओं का उत्पादन राज्य या केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में न करने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय किया है हम इसे अभी कर देते हैं। लेकिन इन वस्तुओं के हटाने से मानशक्ति की छंटनी की समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी की भी छंटनी नहीं करनी है इसलिए आयुद्ध कारखाना बोर्ड ने एक परामर्शदाता को इन फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए रखा है आर्ट हथियारों को कैसे बनाना है और लोचपूर्ण उत्पादन कैसे करना है इसका यह अर्थ नहीं हैं कि विकास नहीं किया है या हमने कोई विशेष तकनीकी हथियार नहीं बनाया है। हमारे खोज और विकास विभाग ने पहले से ही बहुत सी वस्तुएं बनाई हैं और विकसित की है जिनका उत्पादन हमारे आयुद्ध कारखानों और सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है कुछ और वस्तुएं हैं जो विशेष प्रकार की है। उनके विषय में मेरे साथी आपको कुछ बतायेंगे उनका निर्माण हो रहा है और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे है कि रक्षा उत्पादन कारखाने के सारे ढांचे और उनकी क्षमता को इन विशेष वस्तुओं के उत्पादन मे लगाया जाए।

मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि कोई छंटनी नहीं की जायेगी लेकिन अधिकांश मानवशक्ति को फिर से अलग करके उन्हें इन विशेष और अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन में लगाना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस देश की इन वस्तुओं की आवश्यकताओं को अनुभव करते हुए निश्चित रूप से सहयोग देंगे। कोई छंटनी नहीं होगी।

मैंने पहले ही वक्तव्य दिया है और प्रधान मन्त्री ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और मैं सदन में बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि कोई छंटनी नहीं होगी। इसमें श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना पड़ सकता है। हमें उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा जिससे वे दूसरे प्रकार

के उत्पादन के लिए कुशलता प्राप्त कर सकें।

अब मैं वेल्यू इन्जीनियरिंग परियोजनाओं के बारे में कहूंगा। पिछले वित्तीय वर्ष में एक सौ ऐसे वेल्यू इन्जीनियरिंग परियोजनाएं बनाई गयी थीं इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी। इससे 97 लाख रु० की बचत होगी। इसलिए हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। हमने यह भी निर्णय लिया है कि उन वस्तुओं के लिए जो दूसरे क्षेत्रों में या निजी क्षेत्रों में अन्तरित की जा रही है उसके लिए हम अतिरिक्त क्षमता या सुविधा प्रदान नहीं करेंगे और यदि सैनिक बलों की अतिरिक्त आवश्यकता समझी जाएगी तो उस अतिरिक्त आवश्यकता को हम दूसरे क्षेत्र में बदल देंगे। जहां तक आयुद्ध फैक्टरी के कार्य निष्पादन का प्रश्न है, आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि इन सभी वर्षों में उत्पादन एक सा रहा है और इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ है जिससे 16% की वृद्धि हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। पिछले वर्ष 14.5% उत्पादन था 1983-84 में यह 11% था और 1985-86 में कुल उत्पादन 1,353 करोड़ था अर्थात् उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक था जो 1,325 करोड़ था। केवल यह कहना कि हमने प्रगति की है या कि हमने लक्ष्य से अधिक प्राप्ति की है, का अर्थ यह नहीं है कि हम संतुष्ट है। मैं जानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में जहां सुधार की आवश्यकता है, मुझे इस विषय में मालूम है और प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार उत्पादन बढ़ाने और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि सदन की आशानुसार हम उचित समय में यह प्रगति कर लेंगे। जहां तक आत्मनिर्भरता का सम्बन्ध है. जिसके बारे में उन सदस्यों ने दिलचस्पी दिखाई है जिन्होंने कुछ देर पहले वाद-विवाद में भाग लिया था। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे आयुद्ध कारखानों का निरन्तर आधुनिकीकरण किया जा रहा है और वे आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं; और आयुद्ध कारखाना प्रबन्धकों तथा अनुसंधान एवं विकास विगाग के बीच विलम्ब को दूर करने के लिए घनिष्ट समन्वय स्थापित किया गया है। आयुद्ध कारखानों में उपलब्ध सभी सुविधायें अनुसंधान एवं विकास विभाग को भी उसके प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं ताकि अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा एक वस्तु के विकास और आयुद्ध कारखानों द्वारा उसके उत्पादन के बीच के समय अन्तर को कम किया जा सके और इस प्रकार हम शीघ्र ही उन वस्तुओं को तैयार करने की स्थिति में होंगे और तब हमारे पास बहुत से परिष्कृत हथियार होंगे। हम उन्हें बनाने की प्रक्रिया में हैं या हम लाईसेंस समझौते के तहत पहले से ही उन्हें बना रहे हैं ताकि कोई विलम्ब न हो। अतः एक संचालन समिति का गठन किया गया है ताकि यदि कोई रुकावट आती है तो उसको दूर किया जा सके और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम अनुसार हो सके।

अतः ये कुछ उपाय हैं जो किए गए हैं; और फिर एक चिन्ता व्यक्त की गई थी कि स्वदेशीकरण प्रक्रिया बहुत मन्दी है। यदि मैं यह कहूं कि इस क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है और यह इस बात से साबित हो जाएगा कि आयुद्ध कारखानों में उत्पादन के लिए कच्चे माल एवं दूसरे कल-पुर्जों के लिए की जा रही कुल खरीददारी में से 1.9 प्रतिशत कुल उत्पादन मूल्य का आयातित हिस्सा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आयुद्ध कारखानों का भी कितना स्वदेशीकरण हो चुका है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह बहुत अच्छी बात है।

श्री सुखराम : हम इस बात की जल्दी में हैं कि हमें इस आयात पर और अधिक समय तक निर्भर नहीं रहना चाहिए और इस बारे में हम पहले ही कदम उठा चुके हैं।

5.00 म० प०

हम तेजी से उत्पादन करने के लिए पहले ही कदम उठा चुके हैं, सामरिक महत्व के एवं संवेदशील हथियारों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है जो कि हमारे आयुद्ध कारखानों में बनाए जायेंगे। उनका उत्पादन पहले से ही जारी हैं तथा इसमें और वृद्धि की जाएगी। जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा गति कम करने और निकट सहयोग का भी ध्यान रखा जा रहा है। ये नीति सम्बन्धी निर्णय हैं जो हमने लिए हैं और यह सुनिश्चित करना मेरा कर्त्तव्य है कि इन बातों को प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाए।

कभी-कभी सेनाओं की मांगे पूरी करने के पश्चात् भी अतिरिक्त क्षमता बच जाती है और इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग अन्य सरकारी विभागों की मांगों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 1984-85 में हमने लगभग 32.44 करोड़ रुपये कमाये हैं और हमने विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहयोग दिया है। उदाहरणस्वरूप कोयला उद्योग के लिए जिलेटिन विस्फोटक बनाए जा रहे हैं और इस प्रकार विदेशी मुद्रा के रूप में कई लाख रुपये की बचत की जा रही है। पहले उनका आयात किया जाता था परन्तु अब इन सभी वस्तुओं का उत्पादन रक्षा मन्त्रालय कर रहा है और राष्ट्र के विकास में भी आयुद्ध कारखानों का योगदान सराहनीय है। कारखानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अलावा प्रशिक्षु अधिनियम के तहत हम प्रतिवर्ष एक हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनमें से 70 प्रतिशत आयुद्ध कारखानों में ही रख लिए जाते हैं, परन्तु अब इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत से व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तन किए गए हैं और कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जा रहे हैं और रोजगार आधिक्य न हो इसके लिए हमने भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। भर्ती जहां आवश्यक होगी केवल वहीं की जायेगी परन्तु हम इन युवकों को दूसरी जगह नौकरी करने के लिए तैयार कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उनकी भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होती है, देश के सभी भागों से होती है ?

श्री सुखराम : जिन स्थानों पर ये कारखाने स्थित हैं, कुल मिलाकर केवल वहीं से भर्ती की जाती है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या यह प्रशिक्षुता एक वर्ष के लिए है ?

श्री सुखराम : एक संगठन है जिसका नाम क्वालिटी एश्योरेंस ऑरगेनाइजेशन है।

इसका प्रमुख कार्य सभी हथियारों, युद्ध-सामग्री, युद्धोपकरण जो हम बना रहे हैं, की जांच एवं निरीक्षण करना है ताकि उनका स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हो और जो हमारी सशस्त्र सेनाओं की कड़ी शर्तों पर खरे उतरें।

5.03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने जो खर्च कम करने का अभियान चलाया है, उसके अन्तर्गत हमने डी० जी० आई० संगठन से लगभग 1107 पदों को छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त हमने हमारे निदेशालयों और यहां तक कि सचिवालय से भी बहुत से पदों को छोड़ दिया है जिसके परिणामस्वरूप लाखों रुपये की बचत हुई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपका अभिप्राय कितने पदों से है—707 से ?

श्री सुखराम : इस बचत अभियान में एक हजार एक सौ सात पदों को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु इस बारे में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को हटाया नहीं जा रहा है। जिन लोगों को अतिरिक्त करार दे दिया गया था उनमें से अधिकांश को रिक्त पड़े हुए पदों पर ले लिया गया है और शायद कुछ को रक्षा मन्त्रालय में अन्य विभागों में स्थानांतरित करना पड़ेगा। ताकि उनको नौकरी मिल जाए और कोई समस्या न हो। उनको वेतन आदि सभी कुछ मिल रहा है।

जहां तक उत्पादन की दूसरी धारा का सम्बन्ध है जो सार्वजनिक क्षेत्र उसक्रम हैं, उनकी संख्या नौ है। और इन सार्वजनिक उपक्रमों में उत्पादन 1984-85 में 1685.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 1985-86 में 1758.91 करोड़ रुपये हो गया है। बिक्री 1984-85 में 1350.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 1985-86 में 1762.01 करोड़ रुपये हो गयी है यानि 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन नौ उपक्रमों में से छः उपक्रमों ने 100 करोड़ रु० से भी अधिक का लाभ कमाया है। यदि प्रदत्त पूंजी पर लाभ का हिसाब लगाया जाए तो यह 27.9 प्रतिशत आता है, यदि बिक्री पर इसका हिसाब लगाया जाए, तब यह 5.70 प्रतिशत आता है और लगाई गई पूंजी पर हिसाब लगाया जाए तब यह 6.24 प्रतिशत आता है।

श्री अमलदत्त : आपका खरीददार रक्षा विभाग है, एक पक्का खरीददार—जिस ढंग से आप इन चीजों की कीमत निर्धारित करते हैं आपको हमेशा लाभ होता है, हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सुखराम : तीन उपक्रम हैं जहां हमें हानि उठानी पड़ रही है। और हमारी इच्छानुरूप कीमतें निर्धारित नहीं की जाती हैं। यह सही स्थिति नहीं है।

श्री अमलदत्त : क्या आप मुझे बी० ई० एल० की तुलना में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में हुई श्रमशक्ति की हानि का विवरण दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह व्यवधान मत डालिए।

(**व्यवधान**)

श्री सुखराम : एक प्रणाली लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत हम उपभोक्ता से कीमत लेते हैं। इसे हम मनमाने ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं।

जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है प्रधान मन्त्री जी ने एक ऐसा नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों को पांच वर्ष के लिए संदर्श योजना बनानी होती है और वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ चलेगी। इस संदर्श योजना में अंत तक, अर्थात् 1989-90 तक 3000 करोड़ रु० के मूल्य के बराबर उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। हमने कुछ प्रणाली सम्बन्धी तबदीलियां की हैं। पाक्षिक और मासिक प्रगति रिपोर्टें, जो मुझे मिलती है, के द्वारा में स्वयं उत्पादन और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर निगरानी रखता हूं। और विभाग के सचिव द्वारा तिमाही समीक्षा की जाती है। हम प्रबन्धक मण्डल के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं। इन उपक्रमों या आबुद्ध कारखानों में क्या हो रहा है उसकी हमें जानकारी रहती है और इससे हमें कार्यों में तेजी लाने में सहायता मिलती है।

हमने कम्प्यूटरीकरण शुरू करने का फैसला किया है ताकि वस्तु सूची पर नियंत्रण रखा जा सके और हमें तत्काल सूचना मिले। हमने कुछ ऐसी कार्यवाहियां की है जिससे उत्पादन में कम लागत आये। श्रमिकों के लिए जो मानक कुछ वर्ष पहले निश्चित किए गए थे उन्हें भी बदलने का प्रस्ताव है ताकि श्रमिकों में कार्य कुशलता लाई जा सके।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हमारा प्रमुख संगठन है और जो वस्तुतः देश के लिए एक गर्व की बात है, असैनिक आवश्यकताओं के लिए वायुयान, लड़ाकू विमान, हेलीकाप्टर का निर्माण करता है और इस संगठन ने पिछले वर्ष के 48 करोड़ रुपये की तुलना में 53 करोड़ रु० का लाभ कमाया है। इस उपक्रम का चर्चाधीन वर्ष के दौरान प्रमुख योगदान वायुसेना को मिग-27 वायुयान देना है और नागरिक उड्डयन मन्त्रालय के लिए पांच डोनियर वायुयानों का निर्माण करना है। प्रधान मंत्री जी ने इस उपक्रम को एक सुझाव दिया है कि उन्हें सर्वेक्षण करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि किस हद तक छोटे एक्जीक्यूटिव वायुयानों के निर्माण की सम्भावना है। वे इसका अध्ययन कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ रोज पहले लघु वायुयान संघ के अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका से यहां आए थे, और उन्होंने कहा था कि भारत के पास इन लघु वायुयानों को निर्माण करने की भारी क्षमता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आदि जैसे समद्ध देश इन लघु वायुयानों का निर्माण करने के इच्छुक नहीं हैं। हम इस संभावना की जांच कर रहे हैं।

भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भी आश्चर्यजनक उन्नति की है और…

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब हमारे पास एक साधारण एक्जीक्यूटिव वायुयान बनाने के लिए डिजाइन नहीं है तो कैसे हम हल्के लड़ाकू वायुयानों का उत्पादन करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री सुखराम : यह एक लाइसेंसशुदा उत्पादन हो सकता है। आपको कतिपय प्रौद्योगिकी के लिए विदेशों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसमें कोई हानि नहीं है। परन्तु हम प्रौद्योगिकी केवल अपने देश में वस्तुओं के उत्पादन के लिए ही खरीदते हैं…(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जैसे मारुति की तरह। केवल स्क्रू ड्राइवर।

श्री सुखराम : मैं इस अवसर पर कुछ आवनायें द्वारा गाजियाबाद में कर्मचारियों पर पड़ने वाले एक्स-रे विकिरण के प्रभाव के बारे में कतिपय धारणा का निराकरण करना चाहता हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस राडार का निर्माण गाजियाबाद में किया जा रहा है उसे ट्रांसमीटर के लिए उच्च वोल्टेज की आवश्यकता है। कुछ कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं परन्तु उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। जब हमने इस प्रौद्योगिकी को फ्रांस से खरीदा तो उन्होंने "लैंडशील्ड" दिया जो कि कर्मचारियों को विकीरण के प्रभाव से बचाने के लिए एक पूर्ण रक्षोपाय है। कर्मचारी राडार में पिछले दस सालों से कार्य कर रहे हैं। वे लगभग 65 कर्मचारी हैं जिनमें से चार महिला कर्मचारी हैं और इन सालों के दौरान किसी भी कर्मचारी ने स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी समस्या के बारे में एक भी शिकायत नहीं की है। यह तभी हुआ, जब भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा इस "लैंडशील्ड" की जांच की गयी थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में जब विशेषज्ञ आये तो उनके मन में कुछ संदेह जरूर उभरे थे। परन्तु जब "लैंडशील्ड" की जांच की गयी और उसे परखा गया तो वे ठीक साबित हुए और उनमें कोई खराबी न थी। वहां पर लोगों और कर्मचारियों के मन में कुछ संशय था। 4 कर्मचारियों को जो कि इस ट्रांसमीटर के नजदीक कार्य करते हैं भाभा-परमाणु अनुसंधान केन्द्र भेजा गया था। और वहां क्रोमोसोम एवरशन परीक्षण किया गया। हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है। किसी भी व्यक्ति में क्लिनिकल खराबी नहीं है। कोई भी विकृति नहीं है। प्रबन्धक मण्डल ने इस समाचार का खण्डन किया किया है। इसके बावजूद भी लोग कर्मचारियों के दिमाग में भय उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे किसी भी कर्मचारी को कोई खतरा नहीं है। हम कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बारे में सावधान हैं। हमने उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यह हमारा फर्ज है कि हम देखें कि किसी व्यक्ति के साथ गड़बड़ी न हो।

एक माननीय सदस्य : क्या इस प्रचार में कुछ निहित स्वार्थ शामिल नहीं है ?

श्री सुखराम : मुझे इसका पता नहीं है। इसमें कुछ स्वार्थ लगता है। मुझे बताया गया है कि कुछ यूनियन इसमें शामिल हैं। मैं नहीं जानता कि यह कितना सही है। परन्तु कुछ बात जरूर है।

श्री एच० ए० डोरा : नाभिकीय निवारक के बारे में आपने जिक्र नहीं किया है।

(**व्यवधान**)

श्री सुखराम : मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा उपक्रमों में स्वदेशीकरण बहुत तेजी से हुआ है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह हुआ था, परन्तु अब नहीं हो रहा है। यह अब वर्तमान सरकार द्वारा रोक दिया गया है।

श्री सुखराम : यह हो रहा है। यह चल रहा है। हम उन्नति कर रहे हैं। यह इस बात से सिद्ध है कि डी० जी० आई० संगठन ने हथियारों, आयुद्धों, गोलाबारूद और अन्य सामग्री का निरीक्षण किया है और 2400 करोड़ रु० के मूल्य की यह सामग्री स्वीकार की है जिनमें से आयातित मात्रा केवल 16.6 प्रतिशत है। जहां तक प्रतिरक्षा उपकरणों और दूसरी सामग्री का सम्बन्ध है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें आयातित मात्रा कितनी है और हमारी आत्मनिर्भरता कितनी है।

ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिनको मैं प्रकाश में लाना चाहता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदयस्य अब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हू :

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

विवाहित जे० सी० ओ तथा अन्य रैंकों को जिन्हें सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है, मकान किराया भत्ता देने की आवश्यकता। (2)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा-शुल्क तथा स्कूलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (3)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

बस भाड़े में वृद्धि को देखते हुए रक्षा कर्मियों के लिए सड़क मील भत्ता 8 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे प्रति किलोमीटर करने की आवश्यकता । (4)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

फील्ड एरिया में काम करने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास वाले विद्यालयों में पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (5)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

जे० सी० ओ० तथा अन्य रैंकों के लिए वरिष्ठता पर आधारित समय वेतनमान, पदोन्नति योजना शुरू करने की आवश्यकता । (6)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

रक्षा सेवाओं में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की पद्धति समाप्त करने की आवश्यकता । (7)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

सभी अफसरों को ऐसे अनुदेश देने की आवश्यकता कि वे सैनिकों को अपने घरेलू कार्य पर न लगायें । (8)

कि रक्षा पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

सभी सेवा निवृत्त सेना कार्मिकों को रोजगार देने की आवश्यकता । (9)

कि रक्षा पेंशन शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

भूतपूर्व सैनिकों को कुछ भूमि या मकान बनाने के लिए स्थान आवंटित करने की आवश्यकता । (10)

कि रक्षा सेवायें-सेना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

सेना कार्मिकों के वेतनमानों तथा भत्तों में असमानता की पूर्णरूपेण पुनरीक्षा करने की आवश्यकता । (11)

कि रक्षा सेवायें-सेना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

जी० सी० ओ० तथा अन्य रैंकों के वेतनमानों में संशोधन करने की आवश्यकता । (12)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता। (13)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

हमारे सशस्त्र बलों द्वारा अपेक्षित आधुनिकतम हथियारों और उपकरणों के डिजाइन तथा विकास में उत्तरोत्तर अनुसंधान के लिए अनुसंधान तथा विकास की उन्नत सुविधायें देने की आवश्यकता। (14)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

राष्ट्रीय कैडट कोर (एन० सी० सी०) के युवकों के मस्तिष्क में सेवा, देशभक्ति अनुशासन और साहस की भावना भरने की आवश्यकता। (15)

कि रक्षा मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

असैनिक अधिकारियों तथा सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और समझबूझ बढ़ाने की आवश्यकता। (16)

कि रक्षा-पेंशनें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अध्यारोही प्राथमिकता देने की आवश्यकता। (17)

कि रक्षा-पेंशनें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता जिससे कि ऐसे सेवानिवृत्ति रक्षा कार्मिकों जो घरेलू उद्योग लगाना चाहते हैं, को पर्याप्त ऋण दिया जा सके। (18)

कि रक्षा-पेंशनें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

रक्षा कार्मिकों के युद्ध के कारण शोक संतप्त परिवारों के लिए कल्याण निधि बनाने की आवश्यकता। (19)

कि रक्षा-पेंशनें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिले रायल सीमा में सैनिक बोर्ड आरम्भ करने की आवश्यकता। (20)

कि रक्षा-सेवायें—नौ सेना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

ब्रिटेन से विमान वाहक की खरीद की जांच करने की आवश्यकता। (21)

कि रक्षा-सेवायें—वायु सेना शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 29—30) में 100 रु० कम किए जायें।

अमरीका से अत्यधिक दर पर हेलिकाप्टरों की खरीद पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता। (22)

कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

नौ सेना गोदी परियोजना, विशाखापत्तनम के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (23)

कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में पूर्णरूपेण आयुध कारखाने के निर्माण की आवश्यकता। (24)

कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

आंध्र प्रदेश में मेडक जिले में आयुध कारखाने के लिए अधिगृहीत जमीनों के लिए अधिक मुआवजा अदा करने की आवश्यकता। (25)

कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गंक मांग में 100 रु० कम किए जायें।

मेडक आयुध कारखाने के लिए जिन व्यक्तियों की जमीनें अधिगृहीत की गयी हैं उनको रोजगार देने की आवश्यकता। (26)

कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।

मेडक आयुध कारखाने में रोजगार देने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता। (27)

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें ।

"मेडक आयुध कारखाने में तथा इसके आस-पास बन रहे सहायक उद्योगों का पर्याप्त वित्तपोषण करने की आवश्यकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमलदत्त । वह यहां हैं ।

श्री अमलदत्त : क्या श्री अरूण सिंह जी 5.30 बजे बोलेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब बोलिए । आप 10 या 15 मिनट लीजिए ।

श्री अमलदत्त : तब, मैं कल दोबार बोलूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । 14 मिनट आवंटित किए जाते हैं । आप एक मिनट अधिक लीजिए और 15 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिए । आप एक मिनट और ले सकते हैं ।

श्री अमलदत्त : आप मुझे कुछ और समय दीजिए । मैं कुछ समय और लूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने सारे प्रश्न भी तो पूछ चुके हैं ।

श्री अमलदत्त : महोदय, मैं एक बहुत ही कठिन स्थिति में हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमें संक्षेप में बताइये कि आपका मुद्दा क्या है । आप एक अच्छे वकील हैं ।

(व्यवधान)

श्री अमलदत्त (डायमंड हार्बर) : मैं इन मांगों का विरोध करता हूं । यह विरोध मैं इसलिए नहीं करता कि रक्षा मन्त्रालय को धन देने के बारे में मुझे कोई आपत्ति है । रक्षा मन्त्रालय को धन देने के बारे में आपत्ति करना देशद्रोह के समान होगा । इसका कारण यह है कि रक्षा मन्त्रालय से कभी यह नहीं पूछा जा सकता है कि वे क्या कर रहे हैं । यह बड़ी विचित्र स्थिति है और विश्व के सभी संसदीय लोकतंत्रों में केवल भारत ही ऐक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें रक्षा विभाग को एक पवित्र गाय के समान समझा जाता है और उसके बारे में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है कि संसद द्वारा प्रति वर्ष उदारतापूर्वक दी जा रही राशि किस प्रकार व्यय की जा रही है; चाहे यह धन कैसे ही बर्बाद किया जा रहा हो । इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है । हम हर वर्ष इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं किन्तु इसमें कोई

परिवर्तन नहीं हो पाया है और रक्षा विभाग से कोई अतिरिक्त सूचना नहीं मिल रही है। संसद में पूछे गए प्रश्न यह कहकर लौटा दिए जाते हैं; कि उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है और कभी-कभी तो बिना कोई कारण बताए लौटा दिए जाते हैं और यह भी नहीं बताया जाता कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम के किस खण्ड के अधीन उस सभा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। स्थिति यह है। इसका निर्णय कौन करता है? मेरे विचार से इसका निर्णय अध्यक्ष या अध्यक्ष की ओर से कोई ओर नहीं लेता है। यह स्वयं रक्षा विभाग है; जो यह निर्णय लेता है। वे संसद को आदेश देते हैं और संसद उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि रक्षा विभाग सम्बन्धी चर्चा के लिए निर्धारित समय को इस बार 8 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर दिया गया है और यदि हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है तो मुझे आशा है कि भविष्य में, रक्षा विभाग से सम्बन्धित चर्चा ही नहीं होगी और यदि परम्परा पालन के लिए यदि कोई चर्चा की भी गई तो 15 मिनट के लिए ही की जाएगी और हम सब यही कहेंगे—"हम समर्थन करते हैं; आपको जितना रुपया चाहिए, उतना ले लीजिए।" इसलिए श्री फैलीरो ने कहा था कि किसी प्रकार की सूचना मिले बिना रक्षा विभाग के संबंध में चर्चा करना व्यर्थ है। मैं उनके इस कथन का पूर्ण समर्थन करता हूं कि एक विशेष प्रकार की सुरक्षा विक्षिप्त है। अर्थात् रक्षा विभाग के लोगों को यदि किसी बात का पता है; तो केवल वही व्यक्ति इस बात को जानने के अधिकारी हैं और रक्षा विभाग से सम्बन्धित किसी बात को जानने का अधिकार अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं है। रक्षा विभाग के बारे में सदा यही रवैया अपनाया जाता रहा है। यह स्थिति अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है; क्योंकि अन्य देशों में, ग्रेट ब्रिटेन में, जहां से हमने संसदीय प्रणाली अपनायी है और यहां तक की अमरीका में भी अस्त्रों के अर्जन के बारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद ही; कोई निर्णय लिया जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अन्य देशों में कोई चर्चा ही नहीं होती होगी।

श्री अमलदत्त : किसी भी प्रकार के अस्त्रों के अर्जन से पूर्व वहां की संसद में तथा सार्वजनिक रूप से उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाती है और उसके बाद ही उन्हें खरीदा जाता है और यहां की स्थिति यह है कि हमें पता चलता है अमुक-अमुक अस्त्रों को खरीदने के लिए सौदा हो चुका है और इसके बाद यह कहा जाता है कि इन अस्त्रों की आवश्यकता है और इन्हें खरीदने के अमुक-अमुक कारण हैं। इसलिए अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए कि इन अस्त्रों को प्राप्त क्यों किया गया है। एक नीति बनाई जाती है और अस्त्रों को प्राप्त करने से पूर्व अथवा उसके बाद जनता को इस विश्वास में नहीं लिया जाता है कि इनकी कितनी क्षमता है और ये कितने कार्यक्षम हैं तथा किस लिए इनका उपार्जन किया जा रहा है, उनकी क्या भूमिका होगी, उनका कितना मूल्य है और दुश्मन के विरुद्ध उनके प्रयोग की क्या उपयोगिता होगी, किस दुश्मन के विरुद्ध उनका प्रयोग किया जाएगा, किस मोर्चे पर उनका प्रयोग किया जाएगा, किस स्थान पर उनका प्रयोग किया जाएगा आदि-आदि।

महोदय, लोगों के प्रति उनकी जितनी जवाबदेही है, उससे कहीं अधिक होनी चाहिए।

[श्री अमल दत्त]

श्री अय्यपू रेड्डी ने यह बात कही थी कि सरकार के प्रत्येक रु० में से 14 पैसे रक्षा विभाग पर व्यय होते हैं। मेरे विचार से यह बात सच है क्योंकि यह बात बजट के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है किन्तु वे लोग जो अधिक गहराई से इस पर विचार करना चाहते हैं। वे इस बात को महसूस करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की कुल आय ही 52,000 करोड़ रु० नहीं है जो बजट के माध्यम से खर्च की जानी है क्योंकि केन्द्र सरकार की इतनी आय ही नहीं है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के नाम पर पर्याप्त धन एकत्र करती है और संविधान के अनुसार वह इस धन को राज्यों को लौटाने के लिए बाध्य है। यह लगभग 7000 करोड़ रुपया है। इसके अलावा 8000 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार को अदा करना होता है। इतना सब करने के बाद केन्द्र के पास केवल 34,000 करोड़ रुपया रह जाता है; उसमें से 11,285 करोड़ रुपये रक्षा पर व्यय होते हैं। मैंने स्वयं भी हिसाब लगाकर देखा है कि 17 से 22 तक की मांगों को जिसकी राशि 10,394 करोड़ रुपये बैठती है और रक्षा विभाग के अन्य व्ययों को अर्थात् अर्ध सैनिक-बलों, रक्षा उद्योगों और सीमावर्ती सड़कों पर होने वाले व्ययों को हिसाब में लिया जाए; तो पता चलेगा कि कुल राशि 11,185 करोड़ रुपये बनती है। इस प्रकार यदि कुल योजना, गैर-योजना, राशि, राजस्व, पूंजी आदि सबको मिलाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली कुल राशि का एक तिहाई है। कुल व्यय का एक तिहाई रक्षा पर व्यय हो जाता है। इसीलिए, मैं कहता हूं कि आपकी जवाबदेही उससे कहीं अधिक है जितनी आप बताते हैं। यह राशि एक रुपये में से केवल 14 पैसे नहीं है। अब केन्द्रीय सरकार की आय का हिसाब लगाया जाए तो राज्यों को भुगतान करने के बाद, जो कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है, केन्द्रीय सरकार की कुल आय केवल 22,692 करोड़ रुपये है। वे केवल आपकी ओर से धन एकत्र कर रहे हैं। वे केवल समाहर्त्ता एजेन्ट हैं। इस 22,692 करोड़ की कुल राशि में से 11,185 करोड़ रुपया रक्षा पर व्यय होता है जो केन्द्रीय सरकार की आय के 50 प्रतिशत से भी अधिक है। इसलिए, आपकी जवाबदेही यह है और आपको इसके बारे में संसद को सूचित करना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि विभाग के कार्यकरण के बारे में कोई समुचित चर्चा किए बिना ही सरकार का 50 प्रतिशत धन उसे दिया जा रहा है। हम लोग आमतौर पर केवल इस बात की चर्चा करते हैं कि क्या-क्या घटनाएं हो रही है; पाकिस्तान क्या कर रहा है, अमरीका क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन-कौन-से हथियार मंगाने चाहिए। यह हमें यह पता नहीं है, हमें यह भी पता नहीं है कि एफ-16 की क्या क्षमता है। कुछ समाचार पत्रों में कुछ बात प्रकाशित होती हैं और कुछ एजेन्सियां कुछ और बात कहती हैं। हमें यह पता नहीं होता कि क्या वास्तव में पाकिस्तान के पास ये सब हवाई जहाज हैं, क्या पाकिस्तान के पास ये सब हथियार हैं, क्या उसके पास वे सब प्रेक्षपास्त्र हैं। हमारे रक्षा विभाग के पास यदि कोई इसकी सूचना है भी, तो उसने कभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया। रक्षा विभाग केवल इतना ही कहता है कि उन्होंने एफ-16 जहाज प्राप्त कर लिए हैं, अतः हमें भी अब मिराज प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि जगुआर अब पुराना हो गया है। आप नहीं जानते कि जगुआर पुराने हो गए हैं। जब हमने 1978-79 में जगुआर के लिए समझौता किया और जब 1978-79 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए—हमने

इसे 1980 से प्राप्त करना आरम्भ कर दिया तब क्या हम यह नहीं जानते थे कि पाकिस्तान पहले ही एफ-16 के लिए मांग कर चुका है ? वे पहले ही 1979 में एफ-16 के लिए मांग कर चुके थे। हमारे लोग इसे जान पाते यदि उनके पास गुप्तचर सेवा उपलब्ध होती। इसका पता हाल ही में तब चला जबकि ईरान सरकार ने तेहरान के अमरीकी दूतावास से पकड़े गए कागज-पत्रों/दस्तावेजों को प्रकाशित करवा दिया। पाकिस्तान ने 1978 में एफ-16 की मांग की थी और उसी समय उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे इसका उपयोग अफगानिस्तान के विरुद्ध नहीं अपितु भारत के विरुद्ध करना चाहते हैं। यह पाकिस्तान सरकार द्वारा, तत्कालीन विदेश सचिव श्री आगाशाही द्वारा स्पष्ट किया गया था। इसका पता पिछले वर्ष चला जबकि ईरान सरकार ने इन दस्तावेजों को प्रकाशित करवा दिया।

इस प्रकार रक्षा व्यय पर आते हुए कुछ लोग कहते हैं कि यह 4% या इससे कम है। यह 4 प्रतिशत या इससे कम नहीं है। यदि आप सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जी० एन० पी०) ले जो कि 188 हजार करोड़ रुपये है और कुल रक्षा व्यय लें जो कि 11 हजार करोड़ है तो यह 6 प्रतिशत है। परन्तु गणना का आधार जी० एन० पी० नहीं होना चाहिए यद्यपि बहुत से लोग ऐसा करते हैं मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (एन० एन० पी०) होना चाहिए। और तब यह 6.5 प्रतिशत या इसके लगभग है जो हम रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसे खर्च नहीं करते। मैं यह कह रहा हूं कि आप इसे खर्च करते हैं और इसका लेखा-जोखा रखते हैं। पैसे-पैसे के लिए लेखा-जोखा दिखाइये जो कि आपने इस देश के राजस्व से लिया है जबकि इस देश के लोगों को पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता। उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिलता। क्या आप पैसा बरबाद नहीं कर रहे हैं ? आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी उद्देश्य से खर्च करते हैं। यह आपका कर्तव्य है जिसे आप पूरा नहीं कर रहे। वर्ष प्रति वर्ष आप अपने कर्तव्यों को टाल रहे हैं। संसद में प्रश्नों के लिए भी आप लापरवाह नहीं रह सकते। जब रक्षा विभाग के निश्चित ब्यौरे के बारे में हम पूछते हैं तो आप परवाह नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह सामान्य बात है।

अब भारत में हमारी एक अनोखी स्थिति हो गई है। मैं रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से आरम्भ करूंगा जैसा कि-हर व्यक्ति करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण···(**व्यवधान**) अब इस रिपोर्ट के राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण अध्याय में, श्रीलंका समस्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जैसे कि यह न तो हमारे लिए ही क्षोभजनक बात न हो और न ही भारत के लिए भावी खतरा न हो। और इसमें बंगलादेश समस्या के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। कम से कम भारत के कुछ क्षेत्रों में तार की बाड़ लगाना और गैर-कानूनी आप्रवास बड़ी समस्याएं हैं यदि वे सम्पूर्ण भारत में या दिल्ली में नहीं है। और फिर जहां तक तुरन्त सेना को तैनात करने व अन्य बातों का सम्बन्ध है, हिन्द महासागर में क्या स्थिति है। एक अस्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट होना चाहिए था कि असली खतरा कहां है आज के दिन ही नहीं वरन भविष्य में भी। भविष्य में पाकिस्तान खतरा न भी हो परन्तु उनसे खतरा होगा जिनके लिए

[**श्री अमल दत्त**]

पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसे हमारे लिए बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए था। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान में अड्डे बनाने में जो उसकी भूमिका रही है उसका रिपोर्ट में बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है जबकि यह हाल की घटना है।

तब वे कैसे सोवियत सेना को उलझाने के लिए अफगानिस्तान में विद्रोह भड़का रहे हैं? उन्होंने अफ्रीका के पूर्वी तट की सीमा पर स्थित मालद्वीव और सब जगह सभी तटवर्ती राज्यों में लगभग 2,00,000 तीव्रगामी सैनिकों को हिन्द महासागर के अड्डों से कैसे फैलाया है?

दूसरा विषय चीन का है। बातचीत की छः बैठकों के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है और आशंका यह है कि चीनी लोग अपनी सेनाओं को चीन-सोवियत सीमा से हटा कर वहां पुनः तैनात करेंगे वे तिब्बत की सीमा पर ले आयेंगे। क्या सेनाओं को आप कथा-साहित्य लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि चीनी लोग अपनी सैनिक शक्ति को आधा कर रहे हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत खर्चे को वे पहले से घटा कर आधा कर रहे हैं। वे खर्च भी ठीक ही घटा रहे हैं (**व्यवधान**)। आपके पास यह गुप्तचर सूचना उपलब्ध होनी चाहिए। परन्तु भ्रमित करने के लिए आपने कहा है कि वहां से खतरा है।

एक माननीय सदस्य : क्या इसका कोई स्रोत है?

श्री नारायण चौबे : इसका स्रोत भारत में प्रकाशित अखबार की रिपोर्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अपनी सीट पर बैठिये।

(**व्यवधान**)

श्री अमलदत्त : मुझे यह कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है क्योंकि मेरे विचार से 1962 के युद्ध के बाद चीन ने कभी भी भारत को हानि नहीं पहुंचाई है। (**व्यवधान**) उस समय आपने अपनी शक्ति दिखाई, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई।

हमारे रक्षा ढांचे की मुख्य कमी यह है कि कोई उचित संगठन नहीं है जो हर अन्य देश में है। विदेशी मामलों और रक्षा विभाग का एक सम्मिलित संगठन होना चाहिए, एक प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो यह देखे कि देश को विभिन्न दिशाओं से कौन-कौन से खतरे हैं, कौन-कौन सी प्रौद्योगिकी हैं जिनके द्वारा ये खतरे आ सकते हैं, कौन-कौन सी प्रौद्योगिकियां हमारे पास उपलब्ध हैं, आज क्या स्थिति है, आगामी 15 या 20 साल बाद क्या स्थिति होगी। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो सम्मिलित रूप से खतरों का अनुमान लगाये व उनका मूल्यांकन करे, सम्मिलित रूप से युद्धनीति तैयार करे जिसके द्वारा वर्तमान या भावी खतरों को दूर किया जा सके। उसके लिए कैसे योजना बनाए और फिर रक्षा योजना को देश की सम्पूर्ण

औद्योगिक व आर्थिक योजना से एकीकृत करें। यह एक आश्चर्य की बात है कि ऐसा करने के लिए कोई संगठन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राजनैतिक मामलों पर एक मंत्रिमण्डलीय समिति होनी चाहिए जो कि अन्तिम निकाय के रूप में नीतियां निर्धारित करें। उसका कोई सचिवालय नहीं है और ऐसा कोई सहायक स्टाफ नहीं है जो उसे सलाह दे, उसके लिए कागज तैयार करे और संसार की अन्य जगहों में क्या हो रहा है उसे इसकी जानकारी दे। जो आज की प्रौद्योगिकी है, हो सकता है वह आने वाले कल की प्रौद्योगिकी न हों। कल यह बिलकुल भिन्न हो जाएगी जब एस०डी०आई० जो अमेरिका ने शुरू किये हैं, परिपक्व हो जायेंगे तब क्या स्थिति होगी ? यदि हमें आज ही 21वीं सदी के बारे में सोचना है जैसा कि प्रधानमंत्री जी पहले ही कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें यह जानना होगा कि 21वीं सदी में क्या स्थिति होगी और आज के एफ-16 से और हारपून प्रेक्षपास्त्र से डरना नहीं होगा। हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी और यह मूल्यांकन करना होगा कि शत्रु कौन होगा, चाहे पाकिस्तान इन घटनाओं के दायरे में आए या न आए।

रक्षा योजना के सन्दर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980-85 की एक योजना थी उसके बाद अगली योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट यही कहती है। योजना तंत्र संकलन तंत्र है। ये योजनाएं सेना के विभिन्न अंगों से आती हैं और सचिवालय में एक छोटा-सा अनुभाग है जिसका कार्य केवल इन योजनाओं को संकलित करना, उनमें सामंजस्य करना और उन्हें सुसंगत करना है। परन्तु यह सम्पूर्ण योजना बनाने और फिर उसे रक्षा उत्पादन, एकत्रीकरण और संचालन योजना में परिवर्तित करने की अवधारणा नहीं है। जो कार्य करना चाहिए वह यह है कि आत्म-निर्भरता के उद्देश्य को ध्यान में रखना है। ऐसा कभी नहीं किया गया। दुर्भाग्य से हमारे मंत्रियों ने बताया है कि हम इतना उत्पादन कर रहे कि उनके अन्दर आयात का अंश थोड़ा-सा है। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे अति-आधुनिक आयात का कुल योग कितना है और हमारे अति-आधुनिक हथियार और युद्ध सामग्री का आयात अंश कितना है ?

श्रीमान्, जब भी हम अत्याधुनिकता के बारे में सोचते हैं तो हम आयात करते हैं और हमारे द्वारा उपयोग में लायी गयी 90 प्रतिशत युद्ध सामग्री परिष्कृत तथा आयातित होती है और संकट की घड़ी में इस युद्ध सामग्री तथा विमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि अति आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहले से अपनायी गयी आत्मनिर्भरता की नीति से हट गये हैं, हम उन पर निर्भर करने वाली नीति से हट गये हैं जो विपत्ति में हमारे विश्वसनीय हैं। हम 1965 से सोवियत संघ के आपूर्ति साधनों पर निर्भर हैं, क्योंकि जब हमें यह पता चला कि आवश्यकता के समय अमेरीकी साधन बन्द हो गये और जब अमरीकी यहां आए और उनको यह पक्का विश्वास हो गया कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध दुर्लभ मुद्रा से अमेरिका से खरीदे गए हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं जो आजकल नहीं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का बोलने का समय पूरा हो गया है।

श्री अमलदत्त : श्रीमान, आप घंटी क्यों बजा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 18 मिनट ले लिए हैं ।

श्री अमलदत्त . हम हथियार खरीदने के लिए फ्रांस, जर्मनी तथा अमेरिका में भी गये हैं । उन्होंने अब तक समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और हम एक असमंजस में है कि 'रक्षा सूचना सुरक्षा' समझौते पर हस्ताक्षर करें या नहीं । मैं नहीं जानता कि सरकार ने यह गुप्त रूप से कर लिया है । सरकार हमें इसे जानने नहीं देती और इसी कारण यह हम पर संदेह रखती है, यह हमें सूचना नहीं देती, लेकिन हम अप्रत्यक्ष साधनों से सूचना प्राप्त कर लेते हैं ।

मैं कुछ बातें जो रिपोर्ट में लिख रखी हैं बताऊंगा । इस समय पर कुछ भी नहीं हो सकता । कुछ समय से सरकार यह दावा करती रही है कि उन्होंने प्रमुख आयुध टैंक का निर्माण कर लिया है । उसकी तस्वीर भी यहां दिखायी गयी है । यह कहा गया है कि प्रमुख आयुध टैंक सेना का गौरव है । पृष्ठ 72 पद वे कहते हैं कि, "अर्जुन के नमूनों का तकनीकी परीक्षण चल रहा है ।" जब ये तकनीकी परीक्षण के तहत हैं, सेना का गौरव पहले से ही हो जाता है । और सेना यह नहीं जानती की कब यह गर्व मिलना है ? वे परीक्षणों को प्रतीक्षा नहीं कर सकते । आपने इस गर्व को सेना पर थोपा है ।

पिछले 12-13 वर्ष से प्रमुख आयुध टैंक का विकास हो रहा है । अन्ततोगत्वा आपने किया क्या है ? आपके लोग रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की प्रशंसा करते आये हैं । इंजन के विकास के लिए सक्षम न होने के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन उत्तरदायी है । बड़े आश्चर्य की बात है । 12 वर्ष की इसके विकास की कोशिश के बाद अब हमने इंजन का आयात किया है । मैं समझ जाता अगर आपने पहली ही बार यह कहा होता कि "पहले हम एक इंजन बाहर से लाये और बाद में अपने इंजन का विकास कर लेंगे । 12 साल तक आपने प्रयत्न किया और असफल रहे । फिर आपने इंजन बाहर से खरीदा है । अब क्या आप इस पर गर्व करते हैं ? क्या आपको इस बात की शर्म नहीं आती कि हम इसका विकास करने के योग्य नहीं रहे हैं । अगर वे सक्षम नहीं है तो हमें उन पर खेद है ।

जहां तक हल्के लड़ाकू विमान का सम्बन्ध है, फिर उसी तसवीर की पुनरावृत्ति हुई है । हल्के लड़ाकू विमान के बारे में सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि इसका विचार 1968 में आया था । तत्कालीन मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में समिति ने यह सिफारिश की थी कि यहां अपने देश में एक सर्व उद्देशीय श्रेष्ठतम विमान होना चाहिए । इस बात को तह में रख दिया गया था और फिर 1978 में इस पर पुनर्विचार किया गया । 1980 में उन्होंने फैसला लिया कि वे हल्का लड़ाकू विमान बनायेंगे । उन्होंने यह कार्य हिन्दुस्तान ऐरानॉटिक्स लिमिटेड के रूपरेखा विभाग को सौंपा और इसने कार्य को तीन साल तक गम्भीर रूप से लिया, उन्होंने इस पर कार्य किया । उन्होंने कुछ रूपरेखा भी बनायी । उसी समय, इसकी रूपरेखा तैयार

करने की प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने विकसित जेट प्रशिक्षण विमान की रूपरेखा बनायी जिसके लिए विनिर्देश 1984 में रक्षा मन्त्रालय को प्रस्तुत किए गए थे। अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि निहित हितों ने यह पाया कि विकसित जेट प्रशिक्षण विमान, हल्के लड़ाकू विमान का 90 प्रतिशत तक कार्य करने में विकसित हो जाएगा। इसे वैमानिक विकास एजेंसी के महानिदेशक तक ने स्वीकार किया है। डा० वल्लूरी ने अपने हाल ही के लेख में कहा है कि विकसित जेट प्रशिक्षण विमान हल्के लड़ाकू विमान की 90 प्रतिशत तक भूमिका निभा लेता। सिर्फ 10 प्रतिशत का नुकसान है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आज हमारे पास विकसित जेट प्रशिक्षण विमान होता तो हम उस स्थिति में पहुंच सकते थे जहां सम्वद्धी सुधार अन्तर बहुत महत्वपूर्ण होता। हमने ऐसा किया है, हम कहते आए हैं कि 600 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए थे। वास्तव में परियोजना की अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये है। आज परियोजना की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपये है, एक इंजन, एक वायुयान-ढांचा, और एक शस्त्र-प्रणाली या वायुयानों के हमारे अनुसंधान के माध्यम से विकास के लिए नहीं, बल्कि इनको विदेश से प्राप्त करने के लिए। रिपोर्ट के अनुसार ए० डी० ए० ने सम्भाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया है। इसका क्या अर्थ है? क्या इसने सम्भाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया है? इसने नहीं किया है। व्यवहार्यता अध्ययन के लिए इसने यूरोप की चार विभिन्न कंपनियों—एक फ्रांस में, दो जर्मनी में, एक ब्रिटेन में इत्यादि को यह कार्य दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन चार कम्पनियों की वायुयानों तथा वेमानिकी के बारे में विचारधारा अलग-अलग है, और चारों कम्पनियों ने कहा है कि जो रूपरेखा हिन्दुस्तान एरॉनाटिक्स लिमिटेड ने बनायी थी वह मूलरूप से सही थी। और अब हम यह करने को जा रहे हैं कि इंजन खरीदना, वायुयान-ढांचे के लिए रूपरेखा प्राप्त करना और प्रत्येक चीज यहां बनाना, अर्थात् पुर्जे जोड़ने का कार्य करना। फिर से हम हमारी प्रारंभिक तकनीक अपना रहे हैं; वही प्रमुख आयुध टैंक तथा वही हल्के लड़ाकू विमान के लिए। हम रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की धन बरबाद करने के लिए प्रशंसों कर रहे हैं? इसने क्या किया है? वे इस रिपोर्ट में यह दावा कर रहे हैं कि फिलहाल उनके रूपरेखाओं पर संचित लागत 1200 करोड़ रुपये हैं। क्या यह सत्य है? इसका क्या आधार है? क्या आप यह हमें समझा सकते हैं? मैं चुनौती देता हूं कि आप इसका एक स्पष्टीकरण नहीं दे सकते कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने क्या-क्या चीजें बनायी हैं और ऐसी रूपरेखाओं से उत्पादन पर कुल लागत 1200 करोड़ रुपये हैं—एक वर्ष में उत्पादन पर नहीं, बल्कि सारे समय के दौरान; और यह इस प्रकार भी नहीं है। यह एक दयनीय असफलता है। जो वैज्ञानिक वहां कार्यरत हैं वो बड़े प्रतिभावान हैं, लेकिन सारा प्रबन्धक वर्ग इतना स्वेच्छारी और निरंकुश है कि यह उनका उत्साह भंग कर रहा है; वे लोग वहां वैज्ञानिकों के रूप में कार्य नहीं कर सकते और वे परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने कोई परिणाम प्राप्त नहीं किये हैं। जब तक इस रुग्णता को दूर नहीं किया जाता, हमारा अनुसंधान कार्य जो आजकल निम्न स्तर पर यहीं रहेगा। रक्षा अनुसंधान संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए और इसमें कोई भी तदर्थ नियुक्तियां, तदर्थ पदोन्नतियां नहीं होनी चाहिएं, जो स्थिति इतने लम्बे समय से जारी है। आपको रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का अवश्य ही पुनर्गठन करना चाहिए। अन्यथा,

[श्री अमलदत्त]

हम अपनी पर्याप्त सुरक्षा भी नहीं कर सकते, पूर्ण सुरक्षा की तो बात ही छोड़िये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमार मंगलम आप बोलिए। अन्यथा मन्त्री महोदय अपनी बात कहेंगे।

एक माननीय सदस्य : कब ?

उपाध्यक्ष महोदय : आज ही।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम चाहते हैं कि मन्त्री महोदय कल चर्चा के अन्त में जवाब दे···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री जवाब देंगे। वह सिर्फ वाद-विवाद के बीच उत्तर दे रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : स्वाभाविक है कि प्रधानमन्त्री तो साधारण बात ही कहेंगे। जबकि हम अधिक स्पष्ट जवाब चाहते हैं जो सिर्फ मन्त्री महोदय द्वारा दिए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, किसी भी केन्द्रीय सरकार की और विशेष रूप से हमारी, सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। आमतौर पर यह प्राथमिक और प्रधान कार्य जाना गया है। फिर भी, आप एक राजनैतिक स्वतन्त्र राज्य को बिना सुरक्षा नहीं रख सकते।

मेरे बोलने से पहले मेरा एक साथी दूसरी तरफ से यह कह रहा था कि चीन ने भारत को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और लगता है कि वह 1962 के युद्ध को भूल गया है। मुझे याद है कि, साम्यवादी दल इस विषय पर बिखरे थे और मुझे आशा थी कि दृष्टिकोण बदल गया होगा। लेकिन निष्ठा दृढ़ और अच्छी-संस्थापित लगती है; वफादारी हमारे राष्ट्र के प्रति नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के प्रति लगती है। बल्कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना सच्चाई को जाने कि चीन ने हम पर कभी आक्रमण किया था और वास्तव में अब भी हमारा कुछ क्षेत्र उसके कब्जे में है, व्यक्तव्य दिया गया, इस सर्वमान्य तथ्य की ओर ध्यान देने की बजाए, यह कहते रहना कि चीन ने कभी भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया है और कभी नहीं पहुंचायेगा, और इसलिए हमें एक सेना भी रखने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

एक माननीय सदस्य : मैंने ऐसा तो नहीं कहा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : खैर, आपका आशय यही था। उन्नीकृष्णन् जी और

आपका यही आशय था ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैंने सोचा कम से कम आप तो जानते होंगे कि मैं कहां हूं। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम किसी ने तो माना कि भूमि को वापस प्राप्त करने का सवाल है। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि कोई यह नहीं कह सकता कि रक्षा मन्त्रालय के पास उपयुक्त बजट नहीं है। वैसे भी आर्थिक स्वतन्त्रता का क्या फायदा अगर हमारे पास राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं है, आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी को भी रक्षा विभाग को मंजूर की गई धनराशि से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने जवाबदेही का प्रश्न उठाया है। मेरे विचार से हमारे देश में, संसद ही नहीं बल्कि लेखों, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में भी विश्व के कहीं से भी अधिक रक्षा मन्त्रालय की जवाबदेही का प्रश्न उठाया जाता है। किसी भी अन्य सशस्त्र सेना की तुलना में आप आम समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में भारतीय सेना और भारतीय सशस्त्र सेना के बारे में अधिक जान सकते हैं। मेरे ख्याल से विभाग जितनी विस्तृत जानकारी देगा उससे कहीं अधिक विस्तृत जानकारी आपको उनमें मिल जाएगी।

समय कम होने के कारण मैं एक-दो विषयों तक ही सीमित रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय राज्य मन्त्री हस्तक्षेप करने वाले हैं। मैं विमानवाहक हरमीज की खरीद की चर्चा करूंगा। मैं जानता हूं कि चर्चा का आरम्भ करने वाले विपक्ष के माननीय सांसद ने सरसरी तौर पर इसकी चर्चा की थी। मैंने सोचा कि यह स्वीकृति के लिए थी। मुझे पक्का नहीं पता कि यह स्वीकृति थी या अस्वीकृति क्योंकि वे स्वयं भी इस बारे में निश्चित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी पाकिस्तानी नौसेना के हथियारों से पुनः लैस होने के बारे में जानते हैं। यही नहीं हम नए हारपून मिसाइलों और उनके द्वारा इससे पूर्व खरीदे गए मिसाइलों के बारे में भी जानते हैं। इन मिसाइलों की मारक शक्ति प्रक्षेपक शक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए कम से कम उनके बेड़े से अधिक सर्वोच्च बेड़ा तैयार करने के लिए उपयुक्त समय यही है। ऐसा हम एक विमान वाहक के माध्यम से कर सकते हैं। अकेला विक्रांत काफी नहीं है। सवाल यह है कि अगर हम एंटरप्राईज जैसे विमानवाहक की खरीद करें तो वह हमें बहुत महंगा, लगभग 700-800 करोड़ रुपये का पड़ेगा क्योंकि यह परमाणु शक्ति विमान-वाहक है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो जवाबदेही का है। दूसरी, यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हरमीज, सरगोटा मिडवे आदि विमानवाहक प्रसिद्ध विमानवाहक हैं और इन सबका कार्यकाल समान है। अगर कोई नया खरीदना चाहता है तो वह 100-120 करोड़ रुपये का पड़ेगा। आंकड़े एकदम सही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यही कीमत है और हम इसे इसकी कीमत के 1/5 की लागत पर प्राप्त कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमें दान की बछिया के दांत क्यों गिनने। मूर्ख बनने से कोई फायदा नहीं खासकर तब जबकि इसे हमारे

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

लिए पुनः सज्जित किया जा रहा है। हमने पहल करके हैरियर विमान खरीदा। सीधी उड़ान भरने और सीधे उतरने वाले इन विमानों के लिए जम्पिंग की विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है। यह सुविधा विक्रांत में इस समय उपलब्ध सुविधा से भिन्न है। वस्तुतः हम इन विमानों के लिए विक्रांत को पुनः सज्जित कर रहे हैं। वैसे हरमीज इन विमानों का बहुत कारगर ढंग से संचालन कर रहा है।

हमारे पास हैरियर है और अगर हम और अधिक हैरियर खरीदना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसे विमानग्राहक की खरीद करना होगा जो हमारे लिए उपयुक्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि फाकलैंड युद्ध में यह सबसे प्रमुख पोत था। इस पर करीबन 38 विमान आ सकते हैं और यह बहुत उपयोगी है। वैसे समझौतों का प्रश्न जरूर उठता है। मुझे पूरा विश्वास है कि रक्षा मन्त्रालय ने बढ़िया समझौता किया है। विमानवाहक हमारे लिए उपयोगी रहेगा। मेरे विचार से हरमीज विमानवाहक के अलावा मिसाइलें भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम विदेशों से मिसाइलों की खरीद पर लगातार लाखों डालर की विदेश मुद्रा खर्च नहीं कर सकते। क्या इन्हें देश में विकसित करने का उपयुक्त समय नहीं है। वैसे भी हमने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने शुरू कर दिए हैं। यही उपयुक्त समय है जब हम इन मिसाइलों का परीक्षण कर सकते हैं। यही समय है जब हमें उस स्तर तक की प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए। स्पष्ट है कि हमारे जैसे घनी आबादी वाले देश में रेंज तटीय क्षेत्र में होना चाहिए। एक रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि स्थान का चयन तो कर लिया गया है पर कुछ लोग इसके विरोध में आवाजें उठा रहे हैं। ऐसा करना राष्ट्र हित के विरुद्ध है। अगर संक्षेप में कहूं तो मैं बहुत आभारी होऊंगा अगर हमें यह पता चले कि जिन राज्यों को चुना गया है और मैं समझता हूं कि उड़ीसा नहीं चाहता कि यह रेंज उनके यहां स्थापित की जाए—अगर वे इसे तमिलनाडु में स्थापित कर दें, मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु को इसे स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी क्योंकि हमें कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं और कुछ रोजगार की जरूरत है। मैं समझता हूं कि कन्याकुमारी इसके लिए बहुत उपयुक्त है केवल कुछ अधिक व्यय ही करना पड़ेगा। अगर सरकार वहां पैसा व्यय करना चाहे तो स्थानीय तौर पर विरोध नहीं होगा और हम इसके लिए तैयार है और हम इसका स्वागत करेंगे। मैं सदन में स्पष्ट कह सकता हूं कि सिविलियन कर्मचारी काम करने को तैयार है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और वे और कड़ी मेहनत करेंगे। यहां तक कि पेंशन जैसे सवाल पर भी इन कर्मचारियों ने स्वयं कहा कि एक सर्वेक्षण करके यह निर्णय करने दीजिए कि प्रत्येक कर्मचारी से कितनी उत्पादकता की अपेक्षा की जाती है और उतना उत्पादन हम करेंगे। हम रक्षा मन्त्रालय और सशस्त्र सेना के कार्मिकों से केवल सहयोग चाहते हैं। उन्हें सिविलियन कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर नहीं समझना चाहिएं।

मैं विकास कार्यों खासकर उन्नत किस्म के रडार या अति आधुनिक सोनार या लाइट मशीन गन का विकास करने के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन विभाग को बधाई देता

हूं। मैं जानता हूं कि इसका काफी श्रेय उन्हीं को जाता है पर मेरे विचार से इस विभाग के वैज्ञानिकों को इस सदन द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की न कि हतोत्साहित करने की जरूरत है। हमारी आदत है कि हम उक्त विभाग की, यह महसूस किए बिना आलोचना करते हैं कि वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों को जब यह पता चलेगा कि उन्होंने पश्चिमी देशों में पदोन्नति के बढ़िया अवसर खो दिए हैं तो उनका मनोबल गिर जाएगा। स्थानीय तौर पर जरा भी विरोध नहीं होगा। बल्कि हम तो उसका शानदार स्वागत करेंगे। बहरहाल राष्ट्रीय रेंज के महत्व को कम नहीं किया जा सकता।

महोदय, मेरे ख्याल से इसे उड़ीसा में बालासोर में स्थापित किया जाए। लोगों को यह समझना चाहिए कि इससे रोजगार मिलेगा, प्रौद्योगिकी विकास की राहें प्रशस्त होंगी और जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। अगर मैं यह कहकर अपनी बात पूरी करूं कि हल्के युद्धक विमानों सहित अनेक प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सवाल हमारे पास क्षमता और सामर्थ्य के होने का है और जरूरी है कि हम आगे बढ़े। निर्णय थोड़ी देर से लिया गया है पर यह एक बढ़िया निर्णय है। हल्के युद्धक विमान के बिना हम रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते।

सेवा सम्बन्धी प्रश्न भी हैं। सशस्त्र सेनाओं और सिविलियन कर्मचारियों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए तथा उनमें परस्पर समझ होनी चाहिए। सशस्त्र सेनाओं की आदत होती है कि वे सिविलियन कर्मचारियों की परवाह नहीं करते। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे देश के कर्मचारियों के इन दो वर्गों में उपयुक्त सहयोग इस देश के हित में बेहतर होगा लेकिन जन-प्रतिनिधि उनका मजाक उड़ाते हैं।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे खेद है कि मैंने इतना अधिक समय लिया। मैं केवल यही कहूंगा कि दूसरी तरफ बैठे मेरे विद्वान मित्रों को यह समझना चाहिए कि रक्षा एक बहुत ही नाजुक मसला है। सदन में वे जो कुछ कहेंगे उससे इस देश के मनोबल पर भी असर पड़ सकता है।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची के अनुसार आधे घंटे की चर्चा 6 बजे होनी है। सम्बन्धित माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे विषय को किसी और दिन के लिए स्थगित कर दें ताकि रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री श्री अरुण सिंह चर्चा में हस्तक्षेप कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, हम आधे घंटे की चर्चा को किसी और दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं। आशा है सदन उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, हम आधे की चर्चा को स्थगित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अरुण सिंह बोलेंगे।

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दत्त जी और जयपाल रेड्डी सदन से उठकर बाहर चले गए हैं क्योंकि दोनों जो मूलभूत आलोचना कर रहे थे वह उसी मूल स्रोत से उपजी है। श्री दत्त और श्री रेड्डी तथा उनसे पूर्व श्री फैलीरो ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग अपनी नीतियों, अपने निर्णयों को बहुत गुप्त रखता है। इस चर्चा विशेष में हमारा लक्ष्य इस तथ्य का लाभ उठाना है कि एक कैबिनेट मन्त्री, स्वयं प्रधानमंत्री, रक्षा मन्त्रालय के दो राज्य मन्त्री हैं। और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सहयोगी श्री सुखराम रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के कार्यों की विस्तार से चर्चा करें और मैं रक्षा अनुसंधान तथा विकास से संबंधित मामले की चर्चा या उस पर विचार करूंगा और कल प्रधानमन्त्री रक्षा विभाग से संबंधित मामलों के उत्तर देंगे। इसका लक्ष्य आपको, और आपके माध्यम से सदन को रक्षा मन्त्रालय की गतिविधियों के बारे में यथासम्भव सूचना देना है। पिछले दो महीनों में, ईस चर्चा और पिछली बजट चर्चाओं में भी रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के कार्यों का बहुत बार उल्लेख किया गया। आज दोपहर को बहुत कम समय में हम एक ध्रुव से दूसरे तक पंहुच गए हैं क्योंकि श्री अय्यपू रेड्डी विभाग की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और दत्ता जी उसकी आलोचना कर रहे हैं। आम तौर पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के कार्यों को युद्धक टैंक, हल्के युद्धक विमान, राष्ट्रीय परीक्षण रेंज, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जैसी कुछ मोहक परियोजनाओं तक सीमित कर लिया जाता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विभाग का पहला मन्त्री बनाया गया है इसलिए मैं अपने विभाग के कार्यों की जरा विस्तार से चर्चा करूंगा। आरम्भ करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि रक्षा अनुसंधान का वास्तव में क्या अर्थ है क्योंकि इसका अर्थ अनुसंधान तथा विकास विभाग से कुछ अधिक है। रक्षा कार्य तीन स्तर पर होते हैं। पहले स्तर पर स्वयं रक्षा सेनाओं—थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना—में विकास की पर्याप्त क्षमता है और उनकी कार्यशालाओं, डिपुओं, गेदियों, प्रशिक्षण कैंपों में प्रोत्साहित और प्रभावित करने वाली उच्च स्तर की कुशल जन शक्ति है मेरे विचार से कुछ तथ्यों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए।

6.00 म० प०

बड़ी हैरानी की बात है कि स्वयं रक्षा सेवाओं के एक बड़े हिस्से का उपयोग हार्डवेयर के बजाय सोफ्टवेयर के लिए किया जाता है। इसलिए जब मैं रक्षा अनुसंधान की चर्चा करता हूं तो सोचता हूं कि रक्षा सेना अफसरों ने अनुसंधान तथा विकास कार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया हुआ है।

दूसरे स्तर पर हमारे यहां आयुध फैक्टरियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। शायद आमतौर पर यह बात मालूम नहीं होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन अधिकांश उपक्रमों तथा कुछ आयुध फैक्टरियों में विकासशील देशों की तुलना में तथा कुछ मामलों में विकसित देश की तुलना में सर्वोत्तम जनशक्ति, उपकरण, प्रयोगशालाएं, अनुसंधान उपलब्ध है। आयुध फैक्टरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हुए कार्यों के कारण इस देश में अंतरिक्ष विभाग, परमाणु

ऊर्जा विभाग, महासागर विकास विभाग और विज्ञान से संबंधित अन्य विभागों को असाधारण उपलब्धियां हुई हैं।

रक्षा अनुसंधान की तीसरी शृंखला डी० आर० डी० ओ० है जो मूल अनुसंधान कौशल तथा मूल विकास गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य करती है।

दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, वह यह है कि व्यापक रूप में और सामान्य रूप में रक्षा अनुसंधान में दो प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ है। एक तरफ तो वह है जिसे हम प्रारम्भिक अनुसंधान प्रणाली का विकास कहते हैं। इसका मतलब यह है कि देश के भीतर उपलब्ध घटकों और देशी रूप में उपलब्ध सभी उप प्रणालियों के हथियार प्लेट-फार्मों का विकास करना है। हमारे विचार से यह रक्षा अनुसंधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह रक्षा अनुसंधान का संवेदनशील भाग है। इन गतिविधियों को बढ़ाया जाना चाहिए। हमें इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि रक्षा अनुसंधान का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी मैं समाकलन प्रणाली के रूप में परिभाषा देना चाहता हूं। इसका अर्थ साथ-साथ रखना। सभी प्रकार के सभी किस्म के विभिन्न स्रोतों से उप प्रणालियों, पश्चिमी उप प्रणालियो पूर्वी उप-प्रणालियों और स्थानीय रूप से विकसित उप प्रणालियों को एक करना और सभी को एक साथ मिलाना तथा एक ही पैकेज में रखना है और उसको सम्पूर्ण रूप में काम करना होता है। रक्षा अनुसंधान का यह भाग भी बहुत संवेदनशील है। मुझे थोड़ा और आगे विस्तार से बताना होगा कि मैं यह अन्तर क्यों कर रहा हूं।

समाकलन की संकल्पना और विकास की संकल्पना दोनों ही योगवाही है। इसी समा-योजन के माध्यम से हम भविष्य के लिए रक्षा उत्पादों के विकास की आशा कर सकते हैं। मेरी राय में हमारे विकासशील कार्य में प्रत्येक उप प्रणाली और उपस्कर के लिए देशी रूप में उप संघटक का विकास करने की, जिनकी हमें आवश्यकता है, कोई संभाव्यता नहीं है। मैं नहीं समझता कि विश्व में कोई देश उसे करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं कि हम जैसे विकासशील देशों के पास संसाधन सीमित है। यदि हम प्रत्येक चीज के लिए ऐसा रूख अपनाते हैं, तो हमें वास्तव में उन्हीं चीजों को बार-बार करना होगा। इसलिए हमें रक्षा अनुसंधान के कार्य को एक ओर तो प्रणाली के विकास और दूसरी ओर प्रणालियों के समाकलन के संयुक्त रूप में देखना चाहिए।

एक बात जो शायद सामान्य रूप से नहीं जानी जाती है, वह यह है कि जब हम रक्षा अनुसंधान की बात करते हैं तो हम ऐसी गतिविधियों के बारे में बात करते हैं जो विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्रों में इतना अधिक धन खर्च करते हैं। मैं वास्तव में संसद की इस बारे में अनुमति चाहता हूं। हम निम्नलिखित मदों के लिए और निम्नलिखित अनुसंधान के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। हम वैमानिकी क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम नोदन सहित राकेट और प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम इलेक्ट्रानिक्स और इन्स्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम युद्धक वाहन-ट्रेक और वील्ड वाहनों

[श्री अरुण सिंह]

के क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम नौसेना प्रणाली, भू-तल और अधस्तल के क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम धातु शोधन, खाद्यान्न अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, भू-भाग अनुसंधान कार्य अध्ययन और प्रणाली विश्लेषण सहित आयुद्ध, प्रौद्योगिकी, विस्फोटक अनुसंधान, कम्प्यूटर, विज्ञान, इन्जीनियरिंग अनुसंधान, कच्चा सामान सम्बन्धी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसलिए, अन्य शब्दों में, मैं सदन को आपके माध्यम से जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से यह आज विश्व में प्रचलित है, सम्भाव्य रूप से विस्तार कर रहे हैं और दूसरा पहलू, मैं समझता हूं कि बहुत जोखिम वाला हैं, वह यह है कि साथ ही इसके प्रयास में हम यह प्रयास करते हैं कि विश्व के नेताओं के साथ उन विशेष क्षेत्रों में विज्ञान में प्रगति करें। हम पिछले कुछ वर्षों से इस गौरव और उपलब्धि की भामना में पूरे राष्ट्र को भागीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हम इस पर सार्वजनिक रूप से साहित्य देने का प्रयास कर रहे हैं। और महोदय मुझे कहते हुए वहुत खुशी होती है कि इस पर जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। मैं भी महसूस करता हूं कि इस प्रयास का विस्तार किया जाना चाहिए और हमें इस पर अधिक व्यय करना चाहिए। इस विशेष मामले को पेश करने का एक प्रमाण यह है और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी होती है तथा यह हमाना सौभाग्य है कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों से अब डी० आर०डी०ओ० को अधिक संख्या में युवा वैज्ञानिक मिलने शुरू हो गए हैं। श्री दत्त ने आंकड़े की पूछताछ की है कि हमने अपने प्रतिवेदन में अलग से 1200 करोड़ रु० मूल्य का संचित उत्पादन को बताया है। मैं सदन का समय नहीं लूंगा। हम इनके अलग से प्रमाण देंगे। मेरा विश्वास है कि तब वह संतुष्ट हो जाएंगे। हमने जो कुछ प्रमुख सफताएं पाई है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं। ये सभी स्पष्ट रूप से हाल की गतिविधियां हैं। अतः हमने निगरानी राडार का विकास किया है जिसमें मैं विश्व में सबसे अच्छा राडार बनाने की स्थिति में हूं। लेकिन मैं शायद यह भी नहीं कहूंगा कि यह आज विश्व में सबसे उत्तम किस्म का है। सचार के क्षेत्र में हमारे पास आटोमेटिक इलेक्ट्रानिक स्विच और टाइम डिविजन आकूलर एक्सचेंज है जो पूरी तरह से तकनीकी कुशलता पर आधारित है। हमारे पास नौसेना के लिए उन्नत विशालदर्शी हलमांउटेड सोनार है। मैं समझता हूं कि यह आज विश्व में सबसे अच्छा उपलब्ध साधन है। हमने इस देश में रात में लड़ने वाले एक ऐसे उपकरण का विकास किया है जिसे विश्व में दो या तीन देशों से अधिक नहीं बना सकते हैं। ये विज्ञान के प्रगति वाले क्षेत्र हैं और हमने इन क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पादन करने में सफलता पाई है। इनके अलावा हमारे पास ऐसे अनेक चीजों की बहुत लम्बी और विस्तृत सूचियां है जिनको हमने विकसित किया है। मैं केवल कुछ उदाहरण दूंगा। हमारे पास कुछ सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि श्री कुमारमंगलम ने इनमें से कुछ का उल्लेख किया था। उदाहरण के लिए श्री अय्यपु रेड्डी ने गति सम्बन्धी ऊर्जा युद्धोपकरण के बारे में बताया था। हमारे पास गति सम्बन्धी युद्धोपकरण है जिसे एफ० एस० ए० पी०डी० एस० (फिन स्टेब्लाइजड आर्रमर पियरसिग डिसकार्ड सबोत एम्यूनेशन) कहते हैं। मैं यहां एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हम विश्व के बहुत कम देशों में से एक हैं जो इसका विकास करने की स्थिति में है क्योंकि

उस विकास में जहां धातु कर्म से विस्फोट तक विज्ञान पहुंचा है। यह प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं। उदाहरण के लिए कुछ अन्य दिलचस्प क्षेत्र ये होंगे कि विश्व में कुछ देश में से हमारा भी क्षेत्र है जिसने टारपीडो बनाये हैं। हमने नौसेना के लिए बहुत उन्नत टारपीडो का विकास किया है जो निर्माणाधीन हैं। हम समुद्री बारूदी सुरंगों का विकास कर रहे है। बहुत कम देश ऐसी उन्नत किस्म की समुद्री बारूदी सुरंगों का विकास कर सकते हैं। सम लड़ाकू पायलटों के लिए अनुरूपक मिशन (मिशन सिमुलेटरज) का विकास करने वाले हैं। एक बार फिर मैं यह बताना चाहता हूं कि यह ऐसी तकनीकी है जिसका विकास करने में पूरे विश्व में सात से दस देश ही सक्षम हैं। हम उन्नत किस्म के विमानों का विकास कर रहे हैं। उन नए विमानों का दर्जा बढ़ाते हैं जिनको हम खरीदते हैं। दूसरे शब्दों में, अब जो विमान सेवा में आ रहे हैं या अभी सेवा में आए हैं उनका दर्जा बढ़ाया गया है। इससे अगले दशक के लिए उन्नत प्रणाली मिल सकेगी।

इसके अतिरिक्त हालांकि मैं अपने सामान्य अति पवित्र गायों अर्थात मेन बैटल टैंक जैसा कि श्री अमल दत्त ने कहा है, के बारे में कुछ उल्लेख करूंगा। जबकि यह सच है कि एक टैंक एक आरम्भिक रूप है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। शायद रिपोर्ट की काव्य रचना ठीक की जा सकती है। मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं कि सदन मेरे विचारों के साथ सहमत होगा कि यदि यह सेना के लिए अभी गौरव नहीं है तो निश्चित रूप से यह हमारे उद्योग के लिए गौरव होना चाहिए।

शायद मैं सदस्यों को यह सूचना दे सकता हूं। 4 या 5 ऐसे देश है जिन्होंने हाल ही में आधुनिक मेन बैटल टैंकों को विकसित किया है। मैं आपको कुछ उदाहरण उद्धृत करूंगा :—

> अमरीका का एम०आई० अब्रामस अर्थात अब इस मेन बैटल टैंक का उपयोग किया जाता है, 1990 तक इसके उपयोग किए जाने की आशा है। उस टैंक का विकास करने में उन्हें 17 वर्ष लगे।

> लियोपार्ड जो जर्मन टैंक है जिसका उत्पादन नाटों के सेनाओं के लिए किया गया। उस टैंक का विकास करने में 16 वर्ष लगें।

> ब्रिटेन का चैलेंजर जो जी II का सुधरा हुआ रूप है। उस टैंक का विकास करने में उन्हें 13 वर्ष लगे।

अत: मेन बैटल टैंक के लिए 10 से 15 वर्ष के समय को एक देश में अधिक महत्वपूर्ण रूप से बहुत सामान्य समय कहा जा सकता है जहां हमने पहले कभी टैंक नहीं बनाया है। लाइसेंस उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत निश्चित रूप से हमने वह बनाया है। इसलिए मेरे विचार से विशेष रूप से श्री अमल दत्त द्वारा की गई आलोचना गलत है और मैं उसका खंडन करता हूं **(व्यवधान)**।

[श्री अरुण सिंह]

इन टैंकों के विकास की प्रक्रिया में हमने इस प्रकार के टैंकों को बनाया है तो उन्हें विकसित करने में जो कुछ विचार हमारे सामने आए, उसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। हमें अपनी तोप का विकास करना था। हमने उस तोप के लिए गोला-बारूद का विकास किया। हमने उस टैंक के लिए बख्तरबन्द को विकसित किया है। हमने अपने टैंक के लिए संसपेंशन प्रणाली को विकसित किया है। जो पूरी तरह से देशी है और मेरा यह कहने का प्रयास है कि आज विश्व में यह सबसे उत्तम संसपेंशन प्रणाली उपलब्ध है। हमें अपनी अग्नि नियन्त्रण प्रणाली का विकास करना होगा। हमें अपनी लेसर रेंज फाउण्डर का विकास करना होगा। हमने टैंकों में अग्नि शमन प्रक्रिया का विकास किया है। हम अपने इंजिन का भी विकास कर रहे हैं। यह सच है कि हम इंजिन पर कुछ अवरोध पाते थे। हम प्रोटोटाइप के लिए इंजिन के आयात की प्रक्रिया में है। परन्तु मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी होती है कि अब हम इंजिन के कार्यक्रम पर है और जब यह टैंक वास्तव में उत्पादन की अग्रिम स्थिति में आयेगा तब हमारे पास एक देशी इंजिन होगा।

दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बड़ी परियोजना यह है कि हम नियन्त्रित प्रक्षेपास्त्र पर काम कर रहे हैं। यह राजनीति का हथियार है न कि सामरिक हथियार। हम प्रणालियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये बहुत जोखिम वाली हथियार प्रणाली है। हमारे पास 1990 की हथियार प्रणाली है और निश्चित रूप से 2000 ई० की भी है। हम सभी तीनों—भू-तल से वायु, टैंक रोधी जो वायु से भू-तल और भू-तल से भू-तल प्रक्षेपास्त्रों पर कार्य कर रहे हैं। वहां पर्याप्त विकास हो रहा है। चुनौतियों का सामना करने का यह उद्देश्य है जो अगले दशकों में उठेगी और उस दशक के बाद उठेगी—राज्य की प्रौद्योगिकी की कुशलता है। हम इस परियोजना में अर्थात् शैक्षिक संस्थानों के साथ मिल कर बहुत काम कर रहे हैं और सदस्य इस बात को जानने के लिए उत्सुक होंगे। हमारे लिए भारत के विश्वविद्यालयों में प्रक्षेपास्त्रों पर कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं और पूरी तरह से लगो हुई संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ डी० आर० डी० ओ० अनुसंधान में धन लगाया है और इस पर पूरा विभाग कार्य कर रहा है। हम इस समय वायु रहित निगरानी चेतावनी और नियन्त्रित प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। हमें प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना का कार्य भी शीघ्र शुरू होने की आशा है।

क्या मैं एल० सी० ए० पर थोड़ा समय ले सकता हूं? ऐसा समझा जाता है कि उसकी ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

शायद, उसके बारे में कुछ जांच कराने की आवश्यकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस एल० सी० ए० के पीछे क्या औचित्य के कारण हैं। क्या नीति है कि हम इस औचित्य के कारण इसे एक साथ उपयोग में ला रहे हैं? हमें विश्वास है और मैं समझता हूं कि विश्व में यह सुझाव देने का पर्याप्त अनुभव, अनुभवसिद्ध है कि विमान जैसा कि हम जानते हैं वे मूल रूप से लक्ष्य या उनके उड़ान के मार्ग के सम्बन्ध में उनके उपयोग के सम्भव विस्तार के प्रभावशाली

लक्ष्य तक हैं और अधिक मामलों में अब विश्व उड़ान वायुगतिकी के नए तरीकों को महसूस कर रहा है। इसके लिए सभी प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं; नई सामग्री की आवश्यकता है। स्टील और टिटेनियम अब अधिक नहीं टिकेगा। हमें नियन्त्रण की नई प्रणाली की आवश्यकता होगी। हाइड्रो न्यूमेटिक नियन्त्रण आदि काम नहीं करते है। नए हथियारों की आवश्यकता होगी क्योंकि हम ऐसे विमान की बात कर रहे हैं जो इस प्रकार से कार्यसाधक होंगे कि नवीन हथियार प्रणाली उनकी कार्यसाधकता को सम्भाल नहीं पाएगी। दूसरे शब्दों में, जब हम इस देश में एल० सी० ए० की बात करते हैं तो हम जुआ खेलने जैसी बात करते हैं। यह हमारा अनुमान है कि 1990 तक भारतीय वायुसेना के पास, हल्के युद्धक विमान अधिक संख्या में हो जाएंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे पास एक विकल्प है। और हमारे सामने यह विकल्प है अभी कुछ न करें। कुछ विदेशी सलाहकार होंगे और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विदेशी पूर्तिदाता सही मूल्य पर सप्लाई करेंगे। हम महसूस करते हैं कि जो कुछ हम दांव पर लगा रहे हैं उसे हम समझते हैं कि हमारा अनुभव यह सुझाव देता है कि हमें इस देश में विमानन उद्योग बनाना है। मैं समझता हूं कि हमने पहले यह अवसर खो दिया है, शायद सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे। मैं नहीं समझा कि हमें फिर से यह अवसर खो देना चाहिए। परन्तु मैं यह कहता हूं कि जब हम भविष्य के लिए अवसर को देखते हैं तब हमें इस ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें 2010 ई० में ले जाएगा।

अन्य शब्दों में, नई सामग्री, नई प्रौद्योगिकी, नई नियन्त्रण प्रणाली के पीछे तर्क यही है कि अपने देश में विमानन की प्रमुख प्रौद्योगिकी की जो वर्तमान स्थिति हम उसे पार कर अपने आपको विश्व के उन तीन या चार या पांच देशों के समकक्ष ले आएं जो इस समय हल्के लड़ाकू विमान बनाने की स्थिति में हैं।

देशी विमानों के बारे में कुछ अनुचित रूप से सवाल उठाए गए हैं, उदाहरण के लिए जैसे यह कहा गया है कि हम राडार प्रणाली आयात करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और इसलिए यह सम्भवतः स्वदेशी विमान नहीं हो सकता। हम स्वदेशी विमान के लिए राडार कैसे आयात कर सकते हैं ? मेरे विचार में यह अनुचित है; और मैं यहां पर फिर से रक्षा अनुसंधान की भूमिका का उल्लेख करना चाहता हूं, उसमें से एक भूमिका समेकित प्रणाली की है। यह सम्भव है कि हम हल्के लड़ाकू विमान में लगने वाले प्रत्येक छोटे उपकरण का विकास न कर पायें; हम बड़े हिस्सों का निर्माण कर लेंगे। किन्तु शस्त्र पैकेज या प्लेटफार्म बनाने के लिए देशी उप-प्रणाली और इस महत्वपूर्ण उप-प्रणाली का मिश्रण करने का दायित्व हम पर ही है।

इंजिन के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछे गए हैं और समाचार पत्रों में भी इस सम्बन्ध में टिप्पणी प्रकाशित हुई है कि कुछ परिवर्तन की सम्भावना है या अमेरिका, ब्रिटेन या कहीं ओर से इंजिन आयात करने का प्रस्ताव है। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि हम एल०सी०ए० में उनका उत्पादन करते समय देशी इंजन लगाना चाहेंगे। हम बड़ी संख्या में इन विमानों को पहले परीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए खुद उड़ायेंगे और बाद में एयर-फोर्स को

[श्री अरुण सिंह]

परीक्षण हेतु देंगे। प्रोटोटाइप विमान के लिए हमें इंजन का आयात करना पड़ सकता है। हमारा लक्ष्य अपना इंजन विकसित करने का है, हमने एक इंजन विकसित कर लिया है।

इसमें कुछ आवश्यक विशिष्टताएं हैं। इस इंजन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें सुधार करना पड़ेगा। इसके कार्य-निष्पादन में तकनीकी में सुधार करना होगा जिसमें कुछ समय लग जायेगा। हम एक देशी एल०सी०ए० एक देशी इंजन के साथ बनाने की सोच रहे हैं।

मेरे विचार में इस परियोजना के संगठनात्मक ढांचे आदि में कुछ और विस्तार करने की आवश्यकता है। हम कम्पोजिट मैटीरियल, डिजिटल फ्लाई-बाई-वायर नियन्त्रण प्रणाली, मल्टी-मोड राडार, डिजिटल काकपिट तकनीक, कम्प्यूटर एडिड डिजाइन और निर्माण जैसी प्रौद्योगिकी, जो विकसित हो चुकी है, के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी भारत में विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न संस्थाओं में विद्यमान है। जैसे हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि०, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रयोगशालाएं तथा कुछ विश्वविद्यालयों और इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस आदि में।

इन सब सक्षमताओं का मिश्रण करने के लिए हमने वैमानिकी विकास अभिकरण स्थापित किया है। यह अभिकरण किसी भी तरह इन सक्षमताओं का स्थान नहीं लेगा बल्कि यह एक ऐसा प्रबन्ध संगठन है जो इन विभिन्न धाराओं को जोड़ता है।

हाल ही में, इस परियोजना के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में काफी चर्चा रही है— दुर्भाग्यवश अधिकांश चर्चा का हेतु वह व्यक्ति है जो अब इस परियोजना को छोड़ चुका है। मैं श्री अमल दत्त द्वारा उठाए गए प्रश्न के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विकसित जेट ट्रेनर और हल्के लड़ाकू विमान के बीच में कोई मुकाबला नहीं है।

विकसित जेट ट्रेनर एक एसा विमान है जो नए पायलटों को उन्नत लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। एल०सी०ए० को उड़ाने के लिए पुराने अनुभवी पायलटों की आवश्यकता होती है। इन दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती। इसलिए यह अवधारणा कि एक बनाने के बाद हम स्वयमेव ही दूसरा बना सकेंगे बिल्कुल गलत है। इसमें एक सी सामग्री, एक ही उड़ान व्यवस्था, विमान प्रणाली, नियन्त्रण व्यवस्था तथा हथियार व्यवस्था नहीं है।

जैसा कि मैंने पहले बताया है रक्षा अनुसंधान में अनुसंधान एवं विकास परियोजना का ढांचा त्रि-आयामी है। मैं कुछ ऐसी प्रणालियों का उदाहरण देता हूं जिसमें तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं अपने तरीके से साथ-साथ काम करती हैं। उदाहरण के लिए सेना संचार, सेना रेडियो इन्जीनियर नेटवर्क के लिए हमारे पास 'एरन' कार्यक्रम है। यहां सब एक साथ हैं। इस कार्यक्रम के लिए सेना, उत्पादन एकक, सुरक्षा अनुसंधान और विकास सभी एक साथ काम करते हैं।

वायु सेना के लिए हमारे पास एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरमैंट प्रणाली है। इसमें भी तीनों अभिकरण एक साथ काम करेंगे।

नौसेना के लिए वायुसैनिक दूरसंचार परियोजना है। जिसमें तीनों अभिकरण एक साथ काम करते हैं।

अनेक माननीय सदस्य यह बात जानना चाहेंगे कि देश में सबसे बड़ा ढांचा तमिलनाडु में है, बम्बई में नहीं और वह है नौसेना दूरसंचार परियोजना।

इन सुनिश्चित परियोजनाओं के बारे में बात करने के पश्चात मैं कुछ उन परियोजनाओं के बारे में बात करूंगा जो इतनी जानी मानी नहीं हैं। उनमें भी मैं यूजर, सेना, वायुसेना, रक्षा अनुसंधान और उत्पादन सभी के साथ काम करने का उदाहरण दे सकता हूं।

श्री अयप्पू रेड्डी ने सियाचिन का और हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखला में रहने और लड़ने की कठिनाइयों का उल्लेख किया। इसे देखकर यह विश्वास करना पड़ेगा कि यह मानव जाति द्वारा सबसे खतरताक भू-भाग माना जाता है। यह देश में किसी भी वर्ग के लोगों को मालूम खतरनाक स्थान से भी खराब है। अन्य बातों के अलावा यहां ऊंचाई और आक्सीजन की कमी की कठिनाई है। उदाहरण के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों के लिए हमारा एक एकीकृत अनुसंधान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कुछ प्रयोग किए हैं। हमने अधिक ऊंचाई पर पहने जा सकने वाले कपड़े और युद्ध के समय काम आने वाले कपड़े तैयार किए हैं। हमने अत्याधुनिक ढंग से खाना परीरक्षित एवं पैक करने के तरीके निकाले हैं। बर्फ गिरने की मात्रा तथा हिमखंडों के संबंध में भविष्यवाणी की प्रणाली विकसित करने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमें ऐसे पर्यावरण में काम करने योग्य संचार तथा हथियार प्रौद्योगिकी भी विकसित करनी होगी। हमने आवास एवं आश्रय की ओर ध्यान दिया है। मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय समस्याओं, एकमात्र पहाड़ों पर होने वाली रूग्णता, पल्मनरी एडीमा की समस्याओं को भी समझने का प्रयत्न किया है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया गया है कि एक व्यक्ति 2000 फुट की ऊंचाई पर 2 या 3 व्यक्तियों के साथ 4 रातों के लिए —70 डिग्री तापमान पर छोड़ दिया जाए तो उसे कैसा लगता होगा। इन ऊंचाइयों पर काम करने लायक परिवहन प्रणाली पर भी ध्यान देना होगा।

यदि हिमालय के विपरीत कुछ है तो वह है रेगिस्तान। हम रेगिस्तान को भी ऐसे ही मानते हैं जैसे हिमालय को। हमें रेगिस्तान में भी रहना और लड़ना पड़ता है। उसके लिए भी ऐसा ही प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। हमें पानी का खारापन समाप्त करने के लिए भी प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। और विशेषकर राजस्थान में। पानी में फ्लोराइड समाप्त करने के लिए भी प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी क्योंकि पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति भी एक समस्या है।

आज हमारे पास भारत में अविश्वसनीय रूप से विशेष चिकित्सा सुविधाएं हैं। हम अत्यधिक जले हुए से लेकर कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं। इनमें से कई बातें असैनिक नागरिकों से सीधे ही सम्बन्धित हैं।

[श्री अरुण सिंह]

जब मैं रक्षा मंत्रालय में होते हुए असैनिकों की बात करता हूं तो इस विश्वास के कारण कि अभी हम इन दोनों को एक साथ रखने की स्थिति में नहीं हैं। मेरे विचार में बहुत से देशों में सुरक्षा अनुसंधान शेष क्षेत्रों में विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। हमने इस संबंध में काम करना शुरू कर दिया है। हम कई विषयों में प्रौद्योगिकी का अंतरण कर रहे हैं जैसे कि धातुविज्ञान-संचार-अत्यधिक ऊंचाई पर पशु पालन, पौधे आदि।

मेरे विचार में इस बात से यहां पर उपस्थित कई सदस्य सहमत होंगे कि हमें रक्षा प्रणाली पर अधिक व्यय करना चाहिए। मैं सिद्धांत रूप में इस विचार से सहमत हूं किन्तु मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता। सक्षमता और धन का इष्टतम उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है। हमने बहुत थोड़े से शुरू किया था। अब हम एक वर्ष में 50 प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं। पिछले वर्ष के लगभग 300 करोड़ रुपये इस वर्ष 450 रु० करोड़ हो गए हैं। इस काम में समय लगेगा। किन्तु इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि निवेश में वृद्धि करनी होगी। अब हम कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अब हम प्रौद्योगिकी केन्द्रों की अवधारणा पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि—क्या हम रक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए सेमी-कंडक्टर उपकरणों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं? क्या हम लेसर के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं—मैं नक्षत्र युद्ध या एस० डी० आई० की बात नहीं कर रहा, बल्कि साधारण प्रयोग में लेसर की बात कर रहा हूं—सुरक्षा क्षेत्र से परे उसके औषधि और संचार में प्रयोग की बात कर रहा हूं? हम प्रौद्योगिकी के अन्तरण की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने देश में ही रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग से रक्षा उत्पादन एककों तक प्रौद्योगिकी को ले जा सकते हैं? क्या हम इसमें किसी प्रकार सुधार कर सकते हैं? लाइसेंस उत्पादन में हम प्रौद्योगिकी का किस प्रकार अंतरण करते हैं? लाइसेंस उत्पादन में सर्वाधिक रुचिकर बात यह है कि इसमें प्रौद्योगिकी प्रोड्यूसर और फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। और हमें यह प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला तक पहुंचानी चाहिये क्योंकि वहां पर ही इन सभी प्रौद्योगिकियों को मिलाकर भविष्य में काम किया जाएगा। हम देश के शिक्षण संस्थानों के साथ विचार-विमर्श को बढ़ाने के उपायों की कोशिश को अत्यन्त महत्व दे रहे हैं।

श्री अमल दत्त अपने एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए सही समय पर वापिस आ गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति जो हम बनाने की आशा कर सकते हैं, श्रम शक्ति है। हमारी शक्ति मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों में वैज्ञानिक श्रम शक्ति है। और मेरे विचार में भारत की समस्याओं में सबसे आम समस्या इसे एक जगह लाने की और संगठित करने की है। हम इसकी पुनरीक्षा कर रहे हैं हम विश्वविद्यालयों तथा अन्य ऐसी ही समस्याओं जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान, टी० आई० एफ० आर० से प्राप्त हो सकने वाली जानकारी की सूची बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा उन्हें मूल अनुसंधान और एप्लाइड साइन्स के कार्यक्रम के लिए पैसा देकर कर सकते हैं। हम रक्षा

मंत्रालय में ही प्रशिक्षित श्रमशक्ति तैयार करके उसे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसे केवल रक्षा अनुसंधान तक सीमित नहीं-कर रहा बल्कि रक्षा मंत्रालय और हमारे वैज्ञानिकों पुनः प्रशिक्षण के लिए भी कह रहा हूं। उदाहरण के लिए यह सदा संभव नहीं होता कि कुछ शिक्षा विधाओं में इलैक्ट्रानिक्स की जानकारी रखने वाले लोग मिल जायें तब आप फिजिक्स के लोगों को इलैक्ट्रॉनिक्स का प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस प्रकार, हम उस तरह का पुनः बोधन चाहते हैं। इस प्रक्रिया को हम बहुत महत्व देते हैं क्योंकि हमें विश्वास है, जैसा कि पहले ही आज सायं एक वक्ता ने कहा है कि हमारे बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति हमें छोड़ विदेश चले जाते हैं। उनके द्वारा विदेश में जाना और फिर हमारे द्वारा उनको वापिस आने के लिए कहना एक आम बात सी हो गयी है। मेरा विचार यह है कि अच्छा तो यह होगा कि पहले तो वे कभी छोड़कर ही न जाएं और यह करने के लिए हमें उस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां उनके सामने रखनी पड़ेगी जो उनकी रोजगार संबंधी संतुष्टि की आवश्यकताओं से मेल खाती हों, अर्थात जिनसे वे महसूस कर सकें कि वे राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं क्योंकि यही ऐसी संतुष्टि है जो सिर्फ कुछ सीमित कार्य क्षेत्रों में उपलब्ध है। स्वभाविक तौर पर हमें उनकी भौतिक सुख-सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। भरती और पदोन्नति संबंधी हमारी नीतियों के सम्बन्ध में मैं श्री दत्ता को बताना चाहता हूं कि तदर्थ धारणा से मैं उतना ही व्यथित हूं जितना वह हैं। अब हम उस स्थिति में आ गये हैं जहां हम इसको तेजी से नीचे ले आये हैं। एक वर्ष में ही, हमने इस तदर्थ व्यवस्था को 50 प्रतिशत से भी अधिक कम कर दिया है। मुझे आशा है कि इस प्रयत्न के पूरा होने तक, हम भरती के संबंध में तदर्थता को लगभग समाप्त करने के योग्य हो जाएंगे। मैं दूसरी विशेष बुराई पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा—जो मेरे विचार में एक बुराई ही है—और वह रिक्तता पर आधारित पदोन्नति है क्योंकि अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह कार्य करता है तो उसे प्रतिफल देना चाहिए। हम रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में एक लचीली प्रणाली अपनायंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो उसके योग्य होंगे।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आज भी प्रस्तुत हुआ है और जो प्रैस और संसद दोनों में नियमित रूप से चर्चा का हेतु रहा है, वह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग है। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग बहुत ही आम बात है जो शायद आश्चर्यचकित करने वाली बात भी है। 20वीं शताब्दी की यह आम सार्वभौम घटना है। कुछ देशों की जैसे फ्रांस, पौलेंड तथा इटली की सरकारों के साथ हमरे द्विपक्षीय समझौते हैं। हम कुछ और देशों के साथ ऐसे द्विपक्षीय समझौतों के लिए प्रयत्नशील हैं। हमने अमेरिका के साथ उच्च प्रौद्योगिकी की जानकारी के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं और कुछ प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए हम उनसे बातचीत करते रहे हैं। ......(**व्यवधान**) उसकी भौगोलिक स्थिति। माननीय सदस्य इस बारे में जानने के इच्छुक होंगे। श्री शिवराज पाटिल यहां बैठे हुये हैं। अन्तरिक्ष विभाग के पास 1990 के आस-पास ध्रुवीय उपग्रह छोड़ने का कार्यक्रम है। सदस्य यह जानने के इच्छुक होंगे कि इंजन की रेंज में भारी कमी के कारण इस स्थल से प्रक्षेपण करना, विद्यमान स्थलों की तुलना में, उपग्रह परि-वहन भार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केवल यह सबसे उत्तम भौगोलिक स्थिति है।

श्री अमल दत्त : भूमध्य रेखा से दूर।

श्री अरुण सिंह : मैं तो सिर्फ एक मुद्दे का जिक्र कर रहा हूं। मैं एक मूल मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं। यह एक सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। श्रीमान, विस्थापित होने वाले नागरिकों के सामने आने वाली किसी भी तकलीफ को कम करने के लिए हर कोशिश की जायेगी। भारत तथा उड़ीसा दोनों सरकारें पुनर्वास कार्यक्रमों के संबंध में मिल कर कार्य करेंगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि यहां उपस्थित माननीय सदस्य और सदन और सारा देश, राष्ट्र हित में इस विशिष्ट सुविधा के महत्व को मान्यता देंगे। और इसको अपना समर्थन देंगे। श्रीमान, अन्त में, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि हमें रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के योगदानों पर गर्व है और जो बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनके प्रति वह सचेत हैं। उन प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के लिए जिन्हें हम वांछित विकास के हित में सर्वोत्तम समझते हैं अन्य स्रोतों के साथ साथ हम अमेरीकी स्रोतों पर गौर करेंगे। परन्तु मैं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सहयोग और हथियारों की खरीद में स्पष्ट अन्तर बताना चाहता हूं। मैं पूर्णतया यह भी सुस्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें अमेरिका के पास शस्त्र खरीद के लिए नहीं गये हैं, न तो सीधी खरीद के लिए और न ही उत्पादन लाइसेंस के लिए श्रीमान, सदस्यों के संदेह निवारण के लिए मैं आगे यह भी कहना चाहता हूं कि हमने किसी शस्त्र प्रणाली की खरीद के लिए भी बातचीत नहीं की है।

श्री अमल दत्त : यह सब ठीक है, मैं इस बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं।

श्री अरुण सिंह : मैं सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश आप देर से आये। मैं इस मुद्दे पर आपकी असमंजसता पर सन्देह दूर कर रहा हूं। श्रीमान, मुझे खेद है कि मैंने इतना अधिक समय ले लिया है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं उड़ीसा में बालासोर में राष्ट्रीय टेस्ट रेंज के विषय का उल्लेख करता हूं। क्या मैं यह कहते हुये प्रारम्भ कर सकता हूं कि यह एक राष्ट्रीय सुविधा है, एक मात्र रक्षा सुविधा ही नहीं है? इसका उपयोग अन्तरिक्ष विभाग तथा रक्षा विभाग दोनों के द्वारा किया जा सकता है। मैं सदन को यह पक्का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थल का चयन बहुत अधिक सूक्ष्म-परीक्षण के बाद किया गया है और जो एकमात्र मापदण्ड रखा गया है वह उनसे आगे है। 1986-87 में 30,600 कर्मचारी इसकी व्यवस्था में जुटेंगे और बजट में अनुमानित खर्च 427 करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रक्रिया के तहत वे अत्यावश्यक राष्ट्रीय महत्व तथा संगतता वाले कठिन कार्यों और उद्देश्यों को संचालित कर रहे होंगे। मैं सदन के सभी सदस्यों सहित उनके प्रयत्नों की सफलता की कामना करता हूं।

6.39 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 8 अप्रैल 1986/18 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : विंध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053